NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

50
11/10/01

(खंड 10 में अंक 21 और 22 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

जी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद णिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 22, शुक्रवार, 25 अगस्त, 2000/3 भाद्र, 1922 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441, 445 और 446	4–28
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	28–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 442 से 444 और 447 से 460	32–80
अतारांकित प्रश्न संख्या 4913 से 5142	81–393
केन्द्रीय विधान सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करने की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर श्री विट्ठलभाई जे. पटेल को श्रद्धांजलि	393–394
सभा पटल पर रखे गए पत्र	394–413
राज्य सभा से संदेश	413–415
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	415
लोक लेखा समिति	
सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन	416
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	416
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	417
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति	
प्रतिवेदन	417
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति	
साक्ष्य	417

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

रेल अभिसमय समिति

विवरण 417–418

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन 418

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

विवरण 419–420

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन 420

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन 420–421

याचिका का प्रस्तुतीकरण 421

नियम 377 के अधीन मामले 440–450

(एक) उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में भविष्य निधि का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक 440

(दो) बिहार के सारन जिले में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री राजीव प्रताप रूडी 440

(तीन) राजस्थान के चुरू जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 441

(चार) गुजरात के दोहद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री बाबूभाई के. कटारा 441

(पांच) मेघालय में केंच्स ट्रेस और लेपलेंग क्षेत्रों को हरित पट्टी के रूप में आरक्षित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. आर. किन्डिया 442

(छह) बिहार के बोकारो और लखीसराय जिलों में ''सभी के लिए शिक्षा अभियान'' के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 442

(सात) केरल के बडागरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर धर्मादम पुल का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम 442

विषय	कालम
(आठ) शाम्भाजीनगर (औरंगाबाद) और नागपुर में राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की शाखाएं स्थापित किए जाने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रकान्त खैरे	443
(नौ) पड़ोसी देशों को कृषि उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	443
(दस) बिहार में मुजफ्फरपुर में आई.डी.पी.एल. की इकाई को फिर से चालू किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री मंजय लाल	444
(ग्यारह) उड़ीसा को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री त्रिलोचन कानूनगो	444
(बारह) पंजाब सीमा पर जिन किसानों की जमीन कंटीली तारबाड़ के पार पड़ती है उनके लिए योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जोरा सिंह मान	445
(तेरह) उज्जैन के महाकुम्भ मेले के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री थावर चन्द गेहलोत	446
(चौदह) आंध्र प्रदेश के कंगती मंडल में कपास की खरीद के लिए एक एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता	
श्री ए. नरेन्द्र	446
(पन्द्रह) अंतरिम पंचाट के अनुसार मेट्टूर जलाशय में कावेरी नदी का जल प्रवाह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मणि शंकर अय्यर	447
(सोलह) देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में संखिया संदूषण को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	447
(सत्रह) महाराष्ट्र के बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	448
(अठारह) सोन नहर प्रणाली की मरम्मत के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	448

विषय कालम

(उन्नीस) अलग बोडोलैंड राज्य का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 449

(बीस) सड़क टेरिंग विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टेरिंग के लिए प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स आधारित बिटूमिन का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस 450

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 451

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित 452–492

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 171 का संशोधन)

श्री कोलूर बसवनागौड 452

(दो) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम (संशोधन) विधेयक (धारा 2 और 16 का संशोधन)

श्री किरीट सोमैया 453

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 316 का संशोधन)

श्री कोलूर बसवनागौड 454

(चार) असंगठित कर्मकार बीमा विधेयक

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल 455

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81 का संशोधन, आदि)

श्री अनन्त गंगाराम गीते 456

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 151क से 151छ का अंत:स्थापन)

श्री अनन्त गंगाराम गीते 457

(सात) महाविद्यालय छात्र अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक

श्री चन्द्रकांत खैरे 457

(आठ) अनिवार्य होमगार्ड प्रशिक्षण विधेयक

श्री चन्द्रकांत खैरे 458

(नौ) अविवाहित भत्ता विधेयक

श्री चन्द्रकांत खैरे 458

(दस) जनसंख्या नीति विधेयक

श्री उत्तमराव ढिकले 459

(ग्यारह) नागरिक (पहचान-पत्र) विधेयक

श्री चन्द्रकांत खैरे 459

विषय	कालम
(बारह) प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी विधेयक	
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	460
(तेरह) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय 4क का अंत:स्थापन)	
श्री किरीट सोमैया	460
(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)	
श्री बसुदेव आचार्य	461
(पन्द्रह) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक—*विचाराधीन*	462-492
श्री सुबोध मोहिते	462
श्री अनादि साहू	466
श्री रामजी लाल सुमन	471
श्री प्रभुनाथ सिंह	473
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	476
श्री गिरधारी लाल भार्गव	479
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	481
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	484
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	489
प्रो. रासा सिंह रावत	490
विदाई उल्लेख	493-500
अध्यक्ष महोदय	493
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	494
श्रीमती सोनिया गांधी	496
श्री सोमनाथ चटर्जी	498
राष्ट्र गीत	500

लोक सभा

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2000/3 भाद्र, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे कर दो मिनट पर समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, बड़े ही दुख के साथ मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री एन.के. शेजवाल्कर के निधन की सूचना देनी पड़ रही है।

श्री एन.के. शेजवाल्कर 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री एन.के. शेजवाल्कर 1968 से 1974 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वे आठ साल तक ग्वालियर नगर निगम के सदस्य रहे तथा 1960, 1970 और 1971 के दौरान वे तीन बार ग्वालियर के मेयर चुने गए।

श्री शेजवाल्कर एक सक्रिय सांसद थे वे प्राक्कलन समिति और आवास समिति के सदस्य भी थे। 1977 से 1979 तक वे सभापति-तालिका के सदस्य भी रहे।

पेशे से वकील, श्री शेजवाल्कर कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे।

श्री एन.के. शेजवाल्कर का निधन 23 अगस्त, 2000 को 77 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करने में सभा मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे। तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 441, श्री अजय सिंह चौटाला।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाड़ी के तूफान के कारण पूरे आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा से 116 लोग मारे गए हैं ...*(व्यवधान)* हैदराबाद शहर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वह पानी से भरा हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति 'शून्य काल' में दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): मूसलाधार वर्षा के कारण वहां स्थिति बहुत गंभीर है ...*(व्यवधान)* अनेक किसान मारे गए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री अजय सिंह चौटाला।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, चैन्नई से कलकत्ता और गुंटूर तक के सभी राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं...*(व्यवधान)* महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद पानी में डूबी है ...*(व्यवधान)* पूरा क्षेत्र अलग-थलग पड़ गया है ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू (तेनाली): महोदय, इस मुद्दे को लेकर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के. येरननायडू, कृपया पहले मेरी बात सुनें। 'शून्य काल' के दौरान मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, सभी राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। 116 लोग मारे गए हैं और 29 अभी भी लापता हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। इस सत्र का आज आखिरी दिन है। आप जो भी मुद्दा उठाना चाहते हैं, 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं मगर अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था मगर समय की कमी के कारण इसे न उठाने का निर्णय लिया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, केन्द्र को आन्ध्र प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया बात समझें और अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : आंध्र प्रदेश राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार को प्रयास करने चाहिए। भारी वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश मुसीबत में है ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप ये मुद्दे, 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे आपके प्रश्नों के उत्तर दें ...*(व्यवधान)* कृपया प्रश्न काल के दौरान समस्याएं खड़ी न करें ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपके स्थगन-प्रस्ताव के नोटिस के बावजूद भी समय की कमी के कारण आज इस मुद्दे पर चर्चा करना संभव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज आखिरी दिन है। आप इसे 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, हैदराबाद बाढ़ से प्रभावित है ...*(व्यवधान)* वे सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार भी जवाब दे रही है। आप यह मामला 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, एक लाख लोग पलायन कर चुके हैं और 50,000 घरों को नुकसान पहुंचा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैं आपसे अपील करता हूं। सरकार भी जवाब दे रही है

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कृपया केवल पचास मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। आपको केवल पचास मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब ग्यारह बजकर दस मिनट हो चुके हैं। ठीक बारह बजे माननीय कृषि मंत्री आएंगे और वे आपको जवाब देंगे। इसके लिए आप प्रश्न काल में विघ्न उत्पन्न क्यों कर रहे हो? मेरी आपसे अपील है।

श्री के. येरननायडू : धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, 59 मैम्बर्स ने अपोलो हास्पीटल और श्री पी.आर. कुमारमंगलम के बारे में लिखकर दिया है, मैं चाहूंगा कि जीरो ऑवर में स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बुला लिया जाए। ...*(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सर, जीरो ऑवर में स्वास्थ्य मंत्री को भी बुलाया जाए। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सहकारी ऋण प्रणाली

***441. श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी ऋण प्रणाली के अध्ययन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतिक बल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उन पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। कृतिक बल की रिपोर्ट दिनांक 24.7.2000 को सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा अप्रैल, 1999 में गठित कृतिक बल ने देश में सहकारी ऋण ढांचे के कार्यकरण और पर्यवेक्षी तथा नियामक तंत्र का अध्ययन किया और सभी संबंधितों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा देश में सहकारी बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की। कृतिक बल की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(1) सहकारी बैंकों के ऊपर एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों के नियंत्रण के दोहरेपन को समाप्त करना, ताकि समस्त बैंकिंग कार्यों को पूर्ण रूपेण बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सके।

(2) आदर्श सहकारी समिति अधिनियम की अनिवार्य विशेषताओं के अंगीकरण के लिए राज्य सहकारी अधिनियमों को संशोधित करना, ताकि आदर्श अधिनियम में निहित लोकतंत्रीकरण और आत्म-निर्भरता की भावना को उसमें परिलक्षित किया जा सके।

(3) सहकारी बैंकों के ऊपर अनावश्यक नियंत्रण को हटाने के उद्देश्य से भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी मार्गनिर्देशों की सतत समीक्षा करना।

(4) सहकारी ऋण प्रणाली के निचले स्तरों पर कारगर पर्यवेक्षण और सहायता करना तथा सहकारी समितियों की पहले राज्य और जिला स्तर पर और तत्पश्चात् क्रमशः प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर सनदी लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की शुरुआत करना।

(5) संभावित रूप से अर्थक्षम एककों का एकबारगी सहायता के रूप में पुनरुद्धार करना, जिसमें पुनरुद्धार का वित्तीय भार सदस्यों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच आपस में 20:40:40 के अनुपात में बांटा जाएगा। सदस्यों का अंशदान अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में होगा, जबकि केन्द्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली सहायता सुलभ ऋणों के रूप में होगी।

(6) समितियों को ठोस कारबार के सिद्धांतों के आधार पर व्यावसायिक रूप से चलाया जाना चाहिए और ब्याज दर, निवेशों आदि के बारे में निर्णय आंतरिक रूप से लिया जाना चाहिए ताकि लागतों को पूरा किया जा सके और कुछ अधिशेष छोड़ा जा सके।

(7) राज्य स्तर पर पारस्परिक सहायता निधि की स्थापना करना, जिसमें संबंधित राज्य में स्थित सहकारी संस्थाओं द्वारा अंशदान किया जाएगा।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट सरकार की जांच के अधीन है।

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सहकारी ऋण प्रणाली के संबंध में गठित की गई टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट 24 जुलाई, 2000 को सरकार को दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि टास्क फोर्स की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या थीं और क्या उन्हें पूरी तरह सिफारिशों में कवर कर लिया गया है।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि उत्तर में कहा गया है कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट सरकार की जांच के अधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि जांच अवधि कितनी होगी और टास्क फोर्स की रिपोर्ट में सरकार किन-किन सिफारिशों को लागू करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया था कि सामाजिक क्षेत्र के लिए सहकारी संस्थाओं को अधिक दायित्व के साथ कैसे दोबारा चलाया जाए और इन सहकारी संस्थाओं की कमियों का पता लगाया जाए और उन्हें मजबूत किया जाए ताकि सहकारी संस्थाएं, जनता का आंदोलन बन सकें। रिपोर्ट दी जा चुकी है जो भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के विचाराधीन है। मेरे ख्याल से, सबसे पहले पूरे देश के हित के लिए हमें इसे निपटाने का प्रयास करना है।

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाह रहा हूं कि इसकी समयावधि कितनी होगी। मंत्री जी जल्दी से जल्दी कह रहे हैं, यह इसका पूरा उत्तर नहीं हुआ। वह इसकी जांच कब तक कर लेंगे, इसके बारे में क्लियर बतायें। सहकारी ऋण प्रणाली की पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर समस्त देश में क्या परफार्मेन्स रही है और केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्ष

में सहकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की है, कृपया इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : स्पीकर सर, पिछले तीन सालों की रिपोर्ट की बात कही गई है, इस पर हम इतना ही कहेंगे कि जुलाई में रिपोर्ट सबमिट हुई है। हमें भी दिलचस्पी है कि इसमें जल्दी फैसला कर लें, ताकि इससे लोगों को भी लाभ हो। पिछले तीन सालों में हमने जो सहायता दी है, वह सबसे ज्यादा दी है। पिछले सालों का जो ब्यौरा है, वह 51000 है और अभी तक हमने 17000, 25000 और कुल 84.90, 99.46, 78.35, 57.647 और 154.388, यह कुल मिलाकर 31 मार्च 99 तक हुआ है और आप जो जानना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि अब तक जो सहकारी आंदोलन के माध्यम से रूरल सहायता का बंटवारा 69 प्रतिशत तक हो चुका है और इसमें से किसान के लिए 45 प्रतिशत से ज्यादा पैसा दे चुके हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गांवों और किसान के विकास के लिए इसका पैसा हम नाबार्ड के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि कोआपरेटिव बैंक को बैंकिंग रैगुलेशन ऐक्ट में लाया जा रहा है। अगर बैंकिंग रैगुलेशन ऐक्ट अडॉप्ट किया गया तो कॉमर्शियल बैंक और कोआपरेटिव बैंक दोनों का लैवल एक हो जाएगा। कॉमर्शियल बैंक का जो फंक्शनिंग है वह ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज़ को कवर करता है। बिग इंडस्ट्रीज को यह फाइनेन्स करता है और इसका टर्नओवर मिलियन्स में है। कोआपरेटिव बैंक मैक्सिमम रूरल एरिया कवर करती है। स्मॉल सेविंग्ज और स्माल लोन्स वह डिसबर्स करते हैं। मेरा सवाल है कि बैंकिंग रैगुलेशन ऐक्ट में अगर कोआपरेटिव बैंक को लगाया गया तो पहले कोआपरेटिव बैंक के रिवाइवल पैकेज के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। अगर दोनों का लैवल एक आ गया तो कोआपरेटिव बैंक कंपीट नहीं कर पाएंगे, यह फैक्ट है।

[अनुवाद]

यह फैक्ट है। मेरा प्रश्न है कि सरकार, बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के अधीन कोआपरेटिव बैंकों के हितों की रक्षा का प्रस्ताव कैसे कर सकती है?

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आजकल सभी सहकारी बैंक और संस्थाएं राज्य सरकारों का विषय हैं, लेकिन जहां तक बैंक का सवाल है, उस पर डुअल कंट्रोल है। रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार करती है और बैंक रैगुलेशन आर.बी.आई. करती है। इसके कारण उनके नियंत्रण में बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी कई ऐसे उदाहरण हैं कि आर.बी.आई. ने किसी बैंक को ब्रांच खोलने की इजाजत दी है लेकिन रजिस्ट्रार इजाजत नहीं दे रहा है और उसके कारण बैंक की शाखा नहीं खुल रही है। इसलिए डुअल कंट्रोल कम करके सिर्फ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग कानून के अधीन आ जाए तो उसमें कॉमर्शियल बैंक का कोई सवाल नहीं है, कोआपरेटिव बैंक प्रेटेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी कोआपरेटिव में चुनाव तो हो नहीं रहे क्योंकि जब सरकार बदलती है तो नया प्रशासक लगा देती है। हम चाहते हैं कि हरेक पांच साल में इसके चुनाव हो जाएं तो इसका जो ब्यूरोक्रैटाइजेशन हो रहा है वह खत्म हो जाए और ये मैम्बर्स गिवन सोसाइटी है, मैम्बर्स खुद चलाना चाहते हैं। आप देखें सरकार की इच्छा है कि ये पूरे सदस्य चुनाव करके कमेटी बनाएं, बैंक को या संस्था को खुद ही चलाएं लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि काफी जगह ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा दिये हैं और सरकारी अधिकारी बैंक को चला रहे हैं। इसके लिए सहकारिता का जो मुख्य धागा है, वह धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि डुअल कंट्रोल के अलावा बैंकिंग कानून के अधीन वह आ जाए तो थोड़ा मजबूती से चुनाव ठीक समय पर हों, ब्यूरोक्रैट्स का हस्तक्षेप कम हो और लोगों का अधिकार ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर चले।

श्री राजो सिंह : सम्मानित अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया चौ. ब्रह्म प्रकाश समिति ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने सात सिफारिशें की थीं। उनमें एक सिफारिश यह भी थी कि देश के अंतर्गत एक को-आपरेटिव मॉडल एक्ट बनाया जाए जिससे राज्य सरकारों पर भी अंकुश लग सके और एक इस तरह की व्यवस्था हो जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरे और ग्रामीणों को इस व्यवस्था में जो को-आपरेटिव से मदद मिलनी चाहिए वह मिले तथा उसकी समय पर वसूली हो सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समिति की उस सिफारिश के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : स्पीकर सर, चौ. ब्रह्म प्रकाश समिति ने एक सुझाव यह भी दिया है कि एक मॉडल एक्ट बनाया जाए और जैसा मैंने अभी अर्ज किया है कि यह विषय राज्य सरकारों का है इसलिए हम उन्हें लिख रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि समिति की सिफारिशों के अनुसार वे अपने-अपने राज्यों में को-आपरेटिव का एक मॉडल एक्ट बनाएं और उसे लागू करें, ताकि को-आपरेटिव के माध्यम से लोगों को लाभ मिले और सही मायनों में सहकारिता-आन्दोलन आगे बढ़ सके। इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश, गोवा और बिहार सरकारों ने कानून तो बनाए हैं, लेकिन उनके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ राज्यों ने

लैजिस्लेशन नहीं बनाया और कुछ राज्यों ने लैजिस्लेशन बनाने हेतु समिति गठित कर दी है। चौ. ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों के आधार पर हम राज्य सरकारों से संपर्क करते रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि वे जल्दी से जल्दी मॉडल एक्ट बनाएं और उसे लागू करें।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक स्रोतों से होने वाला धन-प्रवाह प्रतियोगितात्मक क्षेत्र है। अब इन कोआपरेटिव को ऋण देने में व्यावसायिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ेगी और व्यावसायिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा न कर पाने के कारण अधिकतर व्यावसायिक संस्थाएं असफल हो रही हैं। बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 के अनुसार, सहकारियों द्वारा प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले ब्याज पर भी आयकर लगाया जा सकता है किंतु व्यवसायिक बैंकों द्वारा सरकार में लगाई गई प्रतिभूतियों पर छूट है।

महोदय, सरकार से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सहकारी बैंकों को ब्याज और उससे प्राप्त आय पर आयकर में कोई छूट देने पर विचार कर रही है। यदि आवश्यक हो तो वर्तमान आयकर अधिनियम के प्रतिबंध व उपबंधों को हटाने के लिए संशोधन भी करेगी। जब तक ऐसा नहीं होता तो सहकारी संस्थाएं व्यावसायिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकेंगी। यदि सरकार इन सहकारी बैंकों को आय कर से छूट देगी तो यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : स्पीकर सर, सरकार के सामने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसको हम एंग्जामिन करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पहले माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा था कि वे मॉडल को-आपरेटिव एक्ट लाएंगे और उसे पास कराएंगे तथा लागू करेंगे। हम लोगों को इस बारे में सूचना भी मिली थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि चौ. ब्रह्म प्रकाश आदि रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो मॉडल एक्ट बनाया है, वह सरकार के पास तैयार है और सरकार ने वचन भी दिया है, उसे कब तक लाकर यहां पास कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो को-आपरेटिव संस्थाएं ऋण से बोझिल होकर चौपट हो गई हैं, उनका पुनरुद्धार करने का क्या सरकार का कोई विचार है या ऐसी कोई योजना है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। जैसा कि मैंने अपने पहले जवाब में कहा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। मॉडल एक्ट तो पास किया है लेकिन उस पर कुछ भी अमल नहीं हो रहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह कहां पास हुआ है? ...*(व्यवधान)* इसमें तो आया नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं आपको बोल रहा हूं कि:

[अनुवाद]

> "बिहार सरकार ने बिहार सेल्फ सपोर्टिव कॉआपेरेटिव अधिनियम, 1996 पारित किया है। बिहार, भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसने आत्मनिर्भर और खुद की सहायता करने वाली सहकारी संस्थाओं की अर्थव्यवस्था को एक पहचान और उपलब्धि प्रदान की है।"

[हिन्दी]

बाकी स्टेट्स के भी तो नाम हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि मॉडल कापरेटिव एक्ट यहां पार्लियामैंट में पास करायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सहकारी साख व्यवस्था के बारे में है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : हम राज्यों का अधिकार छीन नहीं सकते और छीनना भी नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम तो राज्यों को अधिकार दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह तैयार है। हम लोगों को यह सूचना आई थी कि इस बार वह पास होगा लेकिन वह आया नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कब तक आयेगा?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : यह तो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य करें तो करें, हम कोई डंडा तो चला नहीं सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, माननीय मंत्री स्वयं पहले ग्रामीण सहकारिता से जुड़े हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सहकारी संसदीय मंच के अध्यक्ष ने सहकारी संस्थाओं के पुनरुद्धार और अच्छे ढंग से काम करने के लिए भारत सरकार को कोई ज्ञापन दिया है?

अध्यक्ष महोदय : फोरम के अध्यक्ष कौन हैं?

श्री के. येरननायडू : इस फोरम का अध्यक्ष मैं हूं। मैं ही नहीं, हमारे कई सदस्यों ने मिलकर एक ज्ञापन तैयार किया है और वह भारत सरकार को दिया गया है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उस ज्ञापन में दर्शाए गए मदों और मांगों पर क्या कोई कार्यवाही की गई है।

दूसरा, पूर्व कृषि मंत्री, श्री देवी लाल ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणों की वसूली पर मोरेटोरियम की घोषणा की थी जिसके कारण केन्द्र सरकार को करीब 20,000 करोड़ रु. की हानि हुई थी। अभी तक ऐसी सुविधा सहकारी बैंकों को प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों को ये बैंक पिछले 100 सालों से ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। सहकारी बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को ये ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच की दूरी को अभी तक कम नहीं किया गया है। बैलेंस शीट को समान करने के लिए भारत सरकार कौन से कदम उठा रही है?

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : आदरणीय अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं का पुनरुद्धार करना था। समिति ने यह देखा कि मार्च, 2000 तक 6,600 रु. तक की हानि थी जो, अब बढ़कर 10,000 रु. हो सकती है। समिति ने कुछ सुझाव भी दिए थे। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय और सभा इस पर चर्चा के लिए सहमत हों तो मुझे खुशी होगी। यदि सभा रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहेगी तो यह और भी अच्छा होगा। यह बहुत ही आवश्यक विषय है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। मैं इससे सहमत हूं।

हमें ज्ञापन प्राप्त हो गया है और यह सरकार के विचाराधीन है। हम यह जांच कर रहे हैं कि सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें अधिक कुशल कैसे बनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

उपेक्षित स्मारक

***445. डा. जसवंत सिंह यादव** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन अनेक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प की दृष्टि से विरासत के अनेक स्मारक उपेक्षित व्यवस्था में पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा उपेक्षित पड़े स्मारकों की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में विशेषकर राजस्थान में विश्व स्मारक निधि की सहायता से राज्य वार कितने स्मारकों की स्थिति में सुधार किया गया है?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने स्मारकों का उचित आकार बनाए रखने के प्रति निरंतर प्रयत्नशील है। स्मारकों का संरक्षण तथा परिरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो अपेक्षित वास्तविक ध्यान दिए जाने पर निर्भर करती है बशर्ते कि कुल मिलाकर संसाधन उपलब्ध हों।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन किसी भी स्मारक का जीर्णोद्धार विश्व स्मारक निधि की सहायता से नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

डा. जसवंत सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, स्मारक राष्ट्र की धरोहर है और जितने भी विदेशी सैलानी आते हैं, वह भारत के अंदर पुरातत्व विभाग के स्मारकों को देखने आते हैं। आज विशेषकर राजस्थान के अंदर सैलानियों की कमी होती जा रही है। इसका मुख्य कारण स्मारकों के रख-रखाव में गिरावट आना है। उनके रख-रखाव में कोताही बरती जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान के विभिन्न स्मारकों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत जितने भी संरक्षित स्मारक हैं, उनके रख-रखाव तथा विकास हेतु अभी तक कितना धन आबंटित किया गया है तथा उसमें कितना धन खर्च किया गया है?

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, पुरातात्विक इमारतों का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार में आता है। इस वर्ष हमने इसके लिए 31 करोड़ रुपए दिए हैं। राजस्थान राज्य के लिए हमने वर्ष 1997-98 में 1,73,00,000 रुपए, वर्ष 1998-99 में 1,22,00,000 रुपए और वर्ष 1999-2000 में 1,61,00,000 रुपए दिए हैं।

[हिन्दी]

डा. जसवंत सिंह यादव : मेरे दूसरे सप्लीमेंट्री प्रश्न का "क" भाग यह है कि पर्यटन की दृष्टि से देश के कितने स्मारकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान की गई है तथा उनमें से राजस्थान के अंदर कौन-कौन से स्मारक हैं?

प्रश्न का "ख" भाग यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हाल में कितने स्मारकों को अपग्रेड करने के लिए चुना है तथा उनमें राजस्थान के कितने स्मारक सम्मिलित हैं? इसके अलावा जिनको अपग्रेड करने के लिए मंजूर किया गया है, उनका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, पूरे देश में उन्नयन के लिए 50 इमारतों को लिया गया है जिसमें 34 स्मारक इमारते हैं और 16 विश्व स्मारक इमारतें हैं। हमने राजस्थान राज्य में निम्न इमारतों को उन्नयन के लिए चुना है—जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ किला, भूंगड़ स्मारक, काल्वी गुफा, भासमेर किला, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर, चित्तौड़गढ़ किला, दीघ का महल और भरतपुर किला। हमने इन इमारतों को उन्नयन के लिए इसी वर्ष का समय तय किया है और इनके उन्नयन की अवधि 18 माह है।

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आपने सोमनाथ मंदिर को डुंगरपुर में कहा है लेकिन वह डुंगरपुर में न होकर गुजरात में है।

श्री अनन्त कुमार : सोमनाथ मंदिर डुंगरपुर में भी है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, सबसे पहले, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तरी गुजरात में स्थित पाटन गुजरात का एक प्राचीन नगर है। प्राचीन काल में यह गुजरात की राजधानी था। यह लगभग 1200 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। रांकी वाव (सीढ़ीदार कुआं) जो उत्तरी गुजरात के पाटन में है, विश्व प्रसिद्ध है। मोधेरा में सूर्य मंदिर है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और सुधार के लिए चुनी गई स्मारक इमारतों में से कितनी गुजरात की हैं। पाटन के रांकी वाव में पर्यटकों के लिए न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष स्मारक की रक्षा के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। वर्षा के समय इस स्मारक में पानी चला जाता है। वहां कोई गलियारा नहीं है। कोई चारदीवारी नहीं है। हमेशा कुछ-न-कुछ विध्वंस होता रहता है। यह गुजरात में सबसे प्राचीन स्थल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है।

श्री अनन्त कुमार : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूं। चूंकि इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध राजस्थान राज्य से है, अतः मैं गुजरात राज्य में विभिन्न उन्नयन संबंधी कार्यों से संबंधी जानकारी उनको दूंगा।

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, मैं 12वीं लोक सभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समिति राष्ट्रीय स्मारक और विरासत समिति की एक सदस्य रह चुकी हूं। दौरा करने पर हमने पाया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तीन प्रकार के दृष्टिकोण और तीन प्रकार की समस्याएं हैं। एक, रखरखाव की ही है जिसके लिए एक उच्च तकनीक की आवश्यकता है जो अत्यंत महंगी है और दूसरी कलाकृतियों के विध्वंस करने की प्रवृत्ति। दुर्भाग्य से, हमें इतिहास से लगाव नहीं है। हम जाते हैं और सुन्दर संगमरमर की शिलाओं पर अपने नाम खोद देते हैं। इससे बचाव के लिए, उनको और सुरक्षा कर्मचारियों की आवश्यकता है।

अन्तिम समस्या सीधे मंत्री जी के विभाग अर्थात् पर्यटन विभाग से जुड़ी है। हमारे राष्ट्रीय स्मारक और विरासत से संबंधित इमारतें अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन उनको आकर्षित करने के लिए हमें उस स्थान के आस-पास नागरिक सुविधाएं जैसे खाने के स्थान, पीने के पानी, जन सुविधाएं आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वहां ये सुविधाएं नहीं हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे राष्ट्रीय विरासत नीति बनाएंगे जिसमें इन तीनों दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह प्रश्न उपेक्षित स्मारकों से संबंधित है।

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूं। यदि आपके पास राजस्व है तो आप सुरक्षा कर्मियों और रखरखाव पर भी व्यय कर सकते हैं। अतः, क्या आप कोई ऐसी नीति बनाएंगे जिससे ये तीनों समस्याएं संबंधित हों। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मुझे पता है कि ए.एस.आई की यही समस्या है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता की प्रशंसा करता हूं। हमारे पास 3602 स्मारक हैं जिसकी सुरक्षा केन्द्र द्वारा की जाती है और हजारों स्मारक ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। आबंटित धनराशि कम है। हमने उन्नयन के लिए मात्र 31 करोड़ रुपये प्राप्त किया है जो प्रतिवर्ष प्रति इमारत मुश्किल से 5000 रुपए या 6000 रुपए बैठता है। वास्तव में, हमें और धन की आवश्यकता है।

दूसरी बात, मैं माननीय सदस्य के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत में अधिकांश पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन है। वर्ष 1998 में इन स्मारकों को देखने के लिए 84,91,962 पर्यटक आए। इस वर्ष 1999 में 96,20,485 पर्यटक इन स्मारकों को देखने के लिए आए। हमने दो विशेष प्रकार के क्रियाकलाप शुरू किए हैं। इनमें से एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किया गया है।

दूसरे, हमने एक निकाय बनाया है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इस निकाय के लिए 19.6 करोड़ रुपये दिया है और शेष धनराशि की व्यवस्था निजी चंदा द्वारा की जा रही है। इस पर 100% आयकर से छूट है और यह चंदा देने वाले के लिए लाभकारी है। इसका प्रशासनिक एजेन्सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होगी। इसके द्वारा निगमित विज्ञापन की अनुमति दी जाएगी। इसलिए, अनेक इमारतों जैसे हुमायूं का मकबरा, कोणार्क मंदिर, गोलकुण्डा का किला और पुणे के शनिवारवाड़ा की देखरेख की जाएगी।

महोदय, इंडियन आयल कारपोरेशन को धन्यवाद देना चाहिए कि वह पूरे देश के 14 स्मारक इमारतों के उन्नयन के लिए आगे आया है। यह इस पर प्रत्येक वर्ष 25 करोड़ व्यय करेगा तथा इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन भी करेगा।

अन्त में, स्मारकों के संरक्षण और उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय विरासत नीति बनाने तथा उसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले का मैं अवलोकन करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि उनके पास कोई ऐसा आवेदन आया है कि राजस्थान में नीमराना में पृथ्वीराज के वंशजों का आखिरी किला था, उसे वहां के राजा ने डिस्ट्रैस सेल में 3.5 लाख रुपये में किसी पैसे वाले को वह किला बेच दिया। वहां पर आज होटल चलाया जा रहा है और पृथ्वीराज की सील को वहां पर वहां की स्टेशनरी में, वहां के नेपकिन में, वहां की मैटिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। पृथ्वीराज के वंशजों की दो रानियां वहीं एक टूटे हुए गैस्ट हाउस में रह रही हैं, न उनके खाने का इन्तजाम है, न रहने का इन्तजाम है। मैं सुनी-सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मैं दो बार उस स्थान पर हो आया। मैंने मुख्यमंत्री, राजस्थान को भी कहा कि इस स्थान को देखें और इसके लिए सरकार को कहें कि इस चीज को नेशनल हैरीटेज के रूप में क्यों न विकसित किया जाये। उन्होंने कुछ काम शुरू किया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि वे स्वयं नीमराना जायें, वहां के लोगों को पूछें, क्योंकि वे एक ही ऐसे राजा थे, जिन्होंने आजादी आने के पहले वहां पर एक डैमोक्रेटिक सैट-अप बनाया था और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने अपने पहले भाषण में उनका जिक्र किया था। ऐसी स्थिति में आज वह किला और वहां के लोग हैं, जो एक दर्दनाक कहानी हिन्दुस्तान की आजादी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उस स्थान को जाकर देखें और उसके पुनरुद्धार के लिए प्रयास करें।

श्री अनंत कुमार : यह मेरा सौभाग्य है कि चन्द्रशेखर जी यहां प्रश्न पूछ रहे हैं। राजस्थान के जिस किले के बारे में उन्होंने कहा, ऐसे और भी कई जिले हैं जिनको हैरिटेज होटल में बदल दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप वहां जाएंगे या नहीं, सवाल सिर्फ यह है।

श्री अनंत कुमार : मैं वही बता रहा हूं। चन्द्रशेखर जी का प्रश्न पर्याप्त है। जो मामला उन्होंने उठाया है, उसके बारे में जो भी जानकारी लेनी होगी, वह लेकर हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री कांति लाल भूरिया : आप जाएंगे या नहीं?

श्री अनंत कुमार : जरूर जाऊंगा।

श्री विजय गोयल : मेरी जानकारी के अनुसार पुरातत्व विभाग पूरे देश के अंदर 5000 ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षण देता है। दिल्ली को आप देखें तो उसमें 3000 को देता है। यह संख्या इंग्लैंड के अंदर पांच लाख है, जिनको वहां का पुरातत्व विभाग संरक्षण देता है। मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वह न रहेगा बांस - न बजेगी बांसुरी वाली बात है। उन्होंने यह माना ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राजस्थान के बारे में है।

श्री विजय गोयल : यह नेग्लेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में है, यह सारे देश का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले प्रश्न देख लें।

श्री विजय गोयल : मेरा प्रश्न यह है अगर मंत्री जी नहीं मानेंगे कि यह पुरातत्व विभाग का हाल खराब है, मुझे लगता है उनको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको तो आए एक वर्ष हुआ है, जबकि पुरातत्व विभाग पिछले 50 साल से चल रहा है, उसके पास फंड नहीं है। मैं चांदनी चौक से आता हूं, जहां आधे से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। क्या आपका मंत्रालय इस

ऐतिहासिक चांदनी चौक के लिए कोई फंड देगा? वहां रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद, मिर्जा गालिब का मकान, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू जी का स्मारक और न जाने कितनी इमारतें वहां पर हैं, क्या उसके लिए विशेष रूप से फंड देंगे? 31 करोड़ रुपए का फंड कुछ भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि एक करोड़ रुपए में राजस्थान मेनटेन हो रहा है, मैं समझता हूं कि इतने पैसे में तो वहां झाड़ू भी नहीं लगती होगी। इन ऐतिहासिक इमारतों को देखें तो हमारे देश में आधी इकोनॉमी पर्यटन से चल सकती है। मंत्री जी संस्कृति विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु आर्किलॉजी के लिए पर्यटन विभाग द्वारा चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारतों के हैरिटेज को रिस्टोर नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। क्या उसके लिए कुछ फंड देंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, कोई टास्क फोर्स बनाएंगे या यह ऐतिहासिक नगरी ऐसे ही उजड़ती रहेगी?

श्री अनंत कुमार : आर्किलॉजीकल सर्वे आफ इंडिया के कामकाज को रिव्यू करने के लिए और उसका प्रोफेशनली रिस्ट्रक्चर करने के लिए फाइनेंशियली और रिआर्गेनाइज करने के लिए प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री बी.वी. लाल जी के नेतृत्व में हमने एक रिव्यू कमेटी बनाई है।

श्री विजय गोयल : आपने अपने प्रश्न में मना कर दिया है कि कोई नई पालिसी नहीं बना रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : रिव्यू कमेटी बनाई है। दिल्ली में 165 पुरातत्व इमारतें हैं। उनके अपग्रेडेशन के लिए हमने 1997-98 में 2 करोड़ 61 लाख रुपए और 1998-99 में 3 करोड़ 41 लाख रुपए दिए हैं।

श्री विजय गोयल : दो करोड़ रुपए में क्या होता है, यह तो एक सांसद का ही फंड हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन लें।

श्री विजय गोयल : उत्तर सुनने के लिए ही थोड़े उत्तर चाह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : हम केवल 2 रुपए या 5 रुपए प्रवेश शुल्क ले रहे हैं। इसलिए इन स्मारक इमारतों में प्रवेश शुल्क में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। केवल इतना ही नहीं, मैं यहां उपस्थित वित्त मंत्रालय में दोनों राज्य मंत्रियों के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जैसे सड़क के लिए निधि की व्यवस्था है, उसी तरह देश में इन स्मारक इमारतों के रखरखाव के लिए भी एक निधि की आवश्यकता है। इसलिए, हम जब भी पूरे देश की पुरातात्विक इमारतों के प्रवेश शुल्क में संशोधन करें......

श्री अनिल बसु : आप इन स्मारक इमारतों के प्रवेश शुल्क में संशोधन क्यों नहीं करते हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा में पूरक प्रश्न पूछने का यही तरीका है?

श्री अनंत कुमार : हम जो धनराशि प्राप्त करते हैं यदि वह सामान्य राजकोष में न जमा की जाए बल्कि यह स्मारक इमारतों के रखरखाव और उन्नयन के लिए खर्च किया जाए, तो और अधिक कार्य किया जा सकता है।

अब, केवल 115 करोड़ रुपए की अल्प धनराशि का आबंटन किया गया है। इसमें केवल 31 करोड़ रुपए उन्नयन कार्यक्रम के लिए है।

अन्तत:, चांदनी चौक और अन्य अनेक स्थलों पर मैं उचित ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्यूरिज्म का इतना स्कोप है और इतने मोन्यूमेंट्स हैं कि अगर ट्यूरिज्म मिनिस्ट्री सही मायने में इस संबंध में काम करे तो हमारे बजट का डैफिसिट उसी से पूरा हो सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा के अंदर शायद दुनिया की एक ऐसी अकेली जगह है जहां शाह विलायती साहब का मजार है।

[अनुवाद]

वहां महान संत शाह विलायती की मजार है।

[हिन्दी]

और उसकी स्पेशल्टी यह है कि वहां हजारों बिच्छू रहते हैं।

[अनुवाद]

वहां हजारों बिच्छू हैं। यदि कोई व्यक्ति उस महान संत की आज्ञा से बिच्छू को अपनी हथेली पर रखेगा, तो वह उसको नहीं काटेगा।

[हिन्दी]

जब तक आप अपने हाथ में बिच्छू को रखे रहेंगे, वह आपको नहीं काटेगा और ऐसा वहां सैकड़ों सालों से है। सेंट की परमिशन से बिच्छू को आप अपने घर भी ले जा सकते हैं तथा वहां पर सैकड़ों और हजारों लोग आते हैं। इस सिलसिले में मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है कि उसे आप ट्यूरिज्म के लिए डैवलप कर सकते हैं और उसकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी का इस संबंध में कुछ प्रोग्राम है कि वहां आप उसे ट्यूरिज्म के लिए डैवलप करेंगे और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देंगे या सीधे इस मामले में आप कुछ करना चाहेंगे?

श्री अनंत कुमार : इनका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी यदि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रदेश के द्वारा हमें भेजते हैं तो हम इसके ऊपर कोई सुविधा निर्माण कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : यदि हम इन स्मारकों की रक्षा करते तो, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि स्मारकों को सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों द्वारा पहुंचाया जा रहा है जिनके ऊपर उन स्मारकों के अनुरक्षण और देखरेख की जिम्मेदारी है। इन स्मारक इमारतों में अतिक्रमण भीतर से हो रहा है। हमने देखा है कि भीतर खाना बन रहा है और लोग उन इमारतों की देखरेख के नाम पर भीतर निवास कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इन स्मारकों की देखरेख के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा अतिक्रमण या दुरुपयोग के विषय में क्या कभी कोई सर्वेक्षण किया गया है।

दूसरे, अनेक मामलों में इन पुरातात्विक इमारतों की कुछ सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं और अन्य स्मारक वस्तुएं जैसे नक्काशी और अन्य वस्तुयें वहां से निकाल ली जाती हैं और उनकी तस्करी उन लोगों के साथ मिलकर की जाती है जो उन इमारतों का कार्यभार देख रहे होते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इन इमारतों को उन लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कुछ करेगी जिनके ऊपर स्वयं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

श्री अनंत कुमार : मैं माननीय सदस्य के विचार से पूर्णत: असहमत हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैं माननीय मंत्री जी को उसमें सम्मिलित नहीं कर रही हूं। मुझे अफसोस है ...*(व्यवधान)* मेरे कहने का यह मतलब नहीं था।

श्री अनन्त कुमार : यहां प्रश्न मंत्री का नहीं है। अब असली मुद्दों पर बात करें। विगत 100 वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यह देश के स्मारकों की रक्षा कर रहा है और इसने 3602 से अधिक स्मारकों का उन्नयन किया है। यदि किसी समय माननीय सदस्य संस्कृति मंत्रालय में या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय में आएं, तो मैं उन्हें यह दिखा सकता हूं कि किस प्रकार पहले इन स्थलों की खोज की गई, कैसे उनको साफ किया गया और किस प्रकार अनेक वैज्ञानिक संरक्षण के उपायों द्वारा उनका उन्नयन किया गया है। यह कहना सत्य नहीं है कि वे व्यक्ति जिनको भारत सरकार द्वारा उन इमारतों को देखने की जिम्मेदारी दी गई है वे स्वयं इन स्मारकों को बर्बाद कर रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मुझे अफसोस है, मैंने चौकीदारों और उन व्यक्तियों की बात की जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं। मैं केवल तथ्य की बात कर रहा हूं। बात केवल यही नहीं है। हमारे पास 3463 स्मारक परिचारक और 671 निजी सुरक्षा गार्ड हैं जो अनेक स्मारक इमारतों की देखरेख करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। बताया गया है कि 3602 स्मारक इमारतों में से 298 में अतिक्रमण किया गया है। यह शहरीकरण की समस्या का अभिशाप है। यह प्रत्यक्ष रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन नहीं आता है। इसका कारण झुग्गी झोपड़ी और वहां अन्य वस्तुओं का होना है जिसके कारण अतिक्रमण हुआ है। हम लगातार कानून के माध्यम से इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा : अध्यक्ष महोदय, भारत में आने वाले पर्यटकों में से हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है और राजस्थान में ऐतिहासिक इमारतों को देखने का उसे बहुत बड़ा चाव होता है। राजस्थान में भी यदि हम भारत और राजस्थान के इतिहास को जिसे मैं स्वर्णिम पन्ना कहूंगी, सवाई माधोपुर का रणथम्बोर दुर्ग है और उस दुर्ग को न तो हैरिटॉज होटल्स में लिया गया है और न ही उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था की गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन के लिए नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट भी वहां मौजूद है। वन्य जीवों पर बढ़ता दबाव भी पर्यावरण के लिए खतरा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं तथा आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या रणथम्बौर दुर्ग के रख-रखाव और उसे दर्शनीय स्थल में परिणित करने के लिए पुरातत्व विभाग के माध्यम से क्या आपकी कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : हम पहले से ही रणथम्बौर दुर्ग का ध्यान रख रहे हैं। केवल यही नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 34 स्मारक इमारतें और 16 विश्व स्मारक इमारतें जिन्हें इस वर्ष के उन्नयन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, रणथम्बौर दुर्ग भी उनमें से एक है। मैं माननीय सदस्य को उन्नयन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण देने को तैयार हूं।

कमजोर बैंक

***446. श्री +नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एक्शन प्लान टू पेप अप वीक बैंक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में कमजोर बैंकों की स्थिति से निपटने के लिए एक नई कार्यनीति अपनाने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका प्रभावी कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा; और

(घ) निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों का किस सीमा तक पुनरुद्धार किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के पहचान किए गए तीन कमजोर बैंकों अर्थात् इण्डियन बैंक, यूको बैंक तथा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के लिए व्यापक पुनर्गठन योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें परिचालनात्मक, संगठनात्मक, वित्तीय एवं क्रमबद्ध पुनर्गठन शामिल हैं। प्रस्तावित पुनर्गठन योजनाओं में अनुपयोज्य आस्तियों की उल्लेखनीय वसूली, संगठनात्मक/प्रशासनिक ढांचे/शाखाओं को युक्तिसंगत बनाकर लागतों में कमी, कम लागत की जमाराशियां जुटाने, स्टाफ-लागत में कटौती तथा सामान्यतः सभी परिचालन खर्चों को नियंत्रण में रखने के जरिए परिचालन आय में सुधार करना शामिल हैं। इन उपायों के कार्यान्वयन से सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की अर्थक्षमता में स्थायी रूप से सुधार होने की आशा है। इन पुनर्गठन योजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति की निगरानी करता है और अपेक्षित सुधारात्मक उपाय करता है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट इश्यू किया था "एक्शन प्लान टू पेप अप वीक बैंक्स बाई अगस्त" सारे सदन को तथा सारे देश को उसकी जानकारी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधान मंत्री रहते समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि इन बैंकों में सर्वसाधारण जनता का पैसा जनता के उपयोग के काम आ सके तथा जिसको चंद पूंजीपति उस पैसे का उपयोग न करें, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन बैंकों की हालत और खासकर तीन नेशनेलाइज बैंक्स इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक, इनकी हालत काफी खराब है और वित्त मंत्रालय और आर.बी.आई. का जो कंट्रोल इन पर होना चाहिए, वह कंट्रोल इन पर आज नहीं है। देश के चंद पूंजीपति और उद्योगपति बैंकों से पैसा उठाकर इंडस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपये उठाते हैं और इस पैसे का री-पेमेंट नहीं करने की वजह से बैंक्स सिक हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका 51000 करोड़ रुपया इन लोगों से लेना बाकी है, आपका पैसा उद्योगपतियों से लेना बाकी है। लेकिन एक तरफ डिसइंवेस्टमेंट के नाम पर गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग को करोड़ों रुपया उपलब्ध कराना चाहते हैं लेकिन बैंकों की रिकवरी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेश पुगलिया जी, आपका पूरक प्रश्न क्या है? कृपया आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री नरेश पुगलिया : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। समूचा राष्ट्र इसको देख रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निःसंदेह यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए आपको भी महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न रखना चाहिए न कि महत्वहीन पूरक प्रश्न।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बैंकों का 51000 करोड़ रुपया जो चंद पूंजीपतियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में है, उसे वसूल करने के लिए यशवंत सिन्हा जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जल्दी निर्णय लेना होगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरे ए पार्ट में बिग बैंक्स सैपरेट फाइनेंशियल री-कंस्ट्रक्शन ऑथोरिटी एपॉइन्ट करने की जो योजना बनाई है, उसमें कौन-कौन व्यक्ति रहेंगे और कौन इकोनॉमिक एक्सपर्ट लेने जा रहे हैं? बी पार्ट है कि यशवंत सिन्हा जी ने बैंकों के प्रमुखों के साथ, सी.एम.डी. के साथ चर्चा करके कोई ऐसी योजना बनाई जाये ताकि जो लोग बैंकों से पैसा लेते हैं और रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं समझते, उन पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं तथा सी पार्ट है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका सैकेंड सप्लीमेंट्री है। एक ही सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री नरेश पुगलिया : सेकेंड सप्लीमेंटरी में मेरे तीन पार्ट और है।

अध्यक्ष महोदय : एक ही सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री नरेश पुगलिया : बैंक्स अनियमितताएं कर रहे हैं चाहे नेशनेलाइज बैंक हों या प्राइवेट बैंक्स हों, क्या उसमें कंसलटेंट्स एपॉइन्ट करने की कोई योजना बनाएंगे? ये मेरे तीन सप्लीमेंट्रीज हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, तीनों कमजोर बैंक के बारे में यह बात सही है कि वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में आश्वासन दिया था। इस बारे में फाइनेंशियल रिस्ट्रकचरिंग अथारिटी और स्ट्रकचरिंग फन्ड के बारे में कानून बन रहा है, जो शीघ्र ही संसद के सामने आएगा। लेकिन हर बैंक ने अपना अलग-अलग प्रपोजल दिया है और इसका मतलब है कि कोई बैंक बन्द नहीं होगा, तीनों बैंक्स चलेंगे। पिछले तीन सालों से, मुझे लगता है, घाटा कम हो रहा है और इस साल इनके आपरेशनल कास्ट अच्छे हैं। हरेक बैंक के बारे में मैं सदन को आंकड़े दे सकता हूं। इंडियन बैंक की एन्ट्रीज 39 से घटकर 32 हो गई, यूको बैंक की 28 से 18 हो गई है और यूनाइटेड बैंक की 36 से 27 हो गई है। इसी कारण जो उन्होंने पैरामीटर दिए हैं, उसके हिसाब से और स्ट्रकचरिंग के बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने रिकैपिटलाइजेशन के लिए तीन हजार करोड़ रुपए मांगे हैं। वीआरएस स्कीम भी है और सब मिलाकर 2700 करोड़ रुपए रिस्ट्रकचरिंग के लिए दरखास्त की है। उनको जो पैसा मिलेगा, उस पर वे इन्टरैस्ट सब्सिडी देंगे, जिससे वे रिवाइव हो जायें। उन्होंने कहा है, कम ब्याज पर हमारे डिपाजिट्स या रिस्ट्रकचरिंग आपरेशनल कास्ट कम करके बैंक को चलाना चाहेंगे। ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया है।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है। मैंने पूछा था - फाइनेंशियल रिस्ट्रकचरिंग अथारिटी में एक्सपर्ट या कौन-कौन लोग रहेंगे? महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है। श्री यशवंत सिन्हा जी, हमारे वित्त मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे राज्य वित्त मंत्री कैपेबल नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी इस स्थिति को फेस नहीं करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी किसी कार्य की वजह से नहीं आए हैं, इसलिए इस बारे में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात रिस्ट्रकचरिंग अथारिटी में प्रोफैशनल्स और एक्सपर्ट्स रहेंगे तथा रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहेगा और हिसाब से काम होगा। इसमें कोई हेराफेरी संभव नहीं है। जहां तक नाम की बात है, नाम जब तय होंगे, तब सामने आयेंगे। अभी तो रिस्ट्रकचरिंग पैकेज की बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : नहीं, महोदय, मैंने अपना दूसरा पूरक प्रश्न नहीं पूछा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया आप बैठ जाइए।

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो माह पहले मैंने अपने तारांकित प्रश्न में वित्त मंत्री जी से अनुपयोज्य आस्तियों के चूककर्त्ताओं के नाम मुझे देने के लिए कहा था, और उन्होंने इसे सभा-पटल पर रखने का आश्वासन दिया था। अनुपयोज्य आस्तियां 51000 करोड़ रुपए के बराबर हैं। यह धन बैंक में बंद है। हमारे पास एक समानान्तर अर्थव्यवस्था हो सकती है जिससे हमारे देश को बड़ी सहायता मिल सकेगी। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अनुपयोज्य आस्तियों के चूककर्त्ता कौन हैं? क्या माननीय मंत्री जी उन नामों को उद्‌घाटित करेंगे?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : गोपनीयता के कानून के अनुसार जिन्होंने याचिका, दीवानी मुकदमा दायर किया है या जो डी.आर.टी. के अधीन है, उनके नाम प्रकाशित किए जाते हैं और उनको वेबसाइट पर डाला जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के जवाब के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उनका जवाब पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए। यह प्रश्न काल है। यह क्या हो रहा है? कृपया समझिए। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, परन्तु इस तरह से नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमारी बात समझिए। यदि आप मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु इस तरह से नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, यह क्या हो रहा है? मैंने श्री सुनील खां को पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री सुनील खां : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्यों भारतीय उद्योग परिसंघ ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनील खां जी, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की सूची प्रकाशित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित सूची माननीय सदस्य को भेज दी जाएगी। ...(व्यवधान)

श्री सुनील खां : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि भारतीय उद्योग परिसंघ, जो कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, अर्थात् 90 प्रतिशत के बराबर, के अनुपयोज्य आस्तियों के चूककर्त्ता हैं, ने सरकार पर तीन बैंकों को बंद करने के लिए क्यों दबाव डाला है। सरकार सच्चाई को छुपा रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ पर सरकार द्वारा दबाव डाला जा रहा है। मैं जवाब जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री बाला साहिब विखे पाटील : तकनीकी रूप से यह प्रश्न नहीं उठता है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

गवर्नमेंट कुछ छिपाना नहीं चाहती है। जिन-जिन के ऊपर कार्यवाही की है, वे सब नाम सब लोगों को पता है। वेबसाइट में डाले हैं। दस लाख के लिए मंत्री जी ने कहा कि अगर लोक अदालत में जाएंगे, ...(व्यवधान) एक करोड़ से पांच करोड़ तक इनडिसक्रिमिनेटरी रिकवरी हो रही है और पांच करोड़ से आगे वाले का कोर्ट में केस बाय केस डिसीजन होगा। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

हम अनुपयोज्य आस्तियों को कम करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अगर जरूरत हो, तो हमने प्रोपर्टी ऑक्शन का भी अधिकार इन लोगों को दिया है। इसलिए इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है।

प्रो. रासासिंह रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि यह जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या यूको बैंक इस प्रकार से कमजोर स्थिति को प्राप्त हुए हैं, क्या सरकार ने इनके कारणों को जानने का प्रयास किया है? यदि हां, तो वे कौन-कौन से कारण हैं और कितना घाटे में चल रहे हैं, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, वर्मा कमेटी एपाइंट की थी, उन्होंने इन सब कारणों की जांच की है। उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज का सुझाव दिया है। कारण यह है कि कभी थोड़ा ओवर

फाइनेंस और कभी प्रोजेक्ट रीस्ट्रक्चरिंग का ठीक से अमल नहीं हुआ। कई दिनों से यह बीमारी चल रही है, इसलिए उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज का सुझाव दिया है। उस हिसाब से बैंकों ने रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज दिया है। मैंने अभी अर्ज किया है कि तीन हजार करोड़ केपेटलाइजेशन के लिए और सब मिला कर पूरा वीआरस तथा बाकी काम के लिए 2,500 करोड़ की बैंकों ने मांग की है।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्जीवन के संबंध में - तीन बैंकों नामतः दी इण्डियन बैंक, दी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और दी यूनाइटिड बैंक ऑफ इण्डिया का उल्लेख यहां किया गया है। सरकार द्वारा कई कदमों पर गौर किया जा रहा है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक विशेष कदम पर जोर दे रही है - वह है कर्मचारी बल को घटाना। इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों के सामान्य कर्मचारियों को बड़ी संख्या में निकाल बाहर करने की योजना बना रही है। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों को कमजोर बनाने में और वर्षों से अनुपयोज्य आस्तियों को निरंतर बढ़ाने में सामान्य कर्मचारियों की क्या भूमिका है। बैंक कर्मचारी के रूप में और मेरे मन में उनके लिए भावनाएं हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामान्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या को समाप्त करने की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि अनुपयोज्य आस्तियों का सृजन बोर्ड के निर्णयों, और सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों के सोपानकों के गलत निर्णयों के द्वारा हुआ है।

इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सामान्य बैंक कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को प्रभावी करने की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से सकारात्मक उत्तर चाहता हूं। एक सामान्य बैंक कर्मचारी के रूप में, मैं मंत्री जी से सरकार की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। यह अनिवार्य नहीं है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। यह अन्य बैंकों पर भी लागू होता है। यह विशेष रूप से केवल कमजोर बैंकों के लिए ही नहीं है क्योंकि बैंक स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। चूंकि बैंक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सुझाव दिया है, इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। परन्तु वहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना निश्चित रूप से है तथा वे उसके लिए अतिरिक्त धन हेतु प्रावधान की मांग करते हैं। इसलिए, वे स्वयं ही इस धन का प्रबंध करेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

अल्प-सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

सैंडिमन न्योराल पर आयात शुल्क

2. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'जनसत्ता', दिल्ली के 13.8.2000 के नई दिल्ली संस्करण में ''उधार का गुर्दे लेकर जीने वालों की जिंदगी वित्त मंत्रालय ने खतरे में डाली'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि ''सैंडिमन न्योराल'' नामक दवाई जो गुर्दे के मरीजों के लिए जीवन रक्षक औषधि है, पर 40% शुल्क लगाने की वजह से वे वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उपर्युक्त जीवन रक्षक औषधि पर से उक्त 40% शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में गुर्दे के मरीजों ने भी सरकार के पास अनुरोध भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) गुर्दे के रोगियों से कई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें साइक्लोस्पोरिन, जो सैंडिमन न्योराल का प्रचलित नाम है, पर लगाए गए शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं को हटाने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, 13 अगस्त, 2000 को ''जनसत्ता'' में एक न्यूज आई थी ''उधार के गुर्दे लेकर जीने वालों की जिन्दगी वित्त मंत्रालय ने खतरे में डाली'' अपने देश में हजारों किडनी के मरीज हैं। उन्हें जीने के लिए ''सैंडिमेन न्योराल'' नाम की दवा की जरूरत पड़ती है। यह दवाई स्विटजरलैंड में तैयार होती है और वहां से आती है। 2000-2001 के बजट में सरकार ने इस दवाई पर 40 परसैंट ड्यूटी लगाई। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे मरीजों को जीने का अधिकार है। इस दवाई पर 40 परसैंट ड्यूटी बढ़ाने से इसके दाम 1200 रुपए बढ़ गए हैं जबकि यह औषधि एक महीने में तीन हजार रुपए में मिलती थी। इसके दाम कम करने चाहिएं। बजट से पहले इस तरह की ड्यूटी नहीं लगती थी। 25 हजार से भी अधिक लोगों ने प्रधान मंत्री को इस बारे में एक मैमोरेंडम दिया। 40 परसैंट ड्यूटी को कम करना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय इस ड्यूटी को कम करने के बारे में सोच रहा है?

श्री वी. धनन्जय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्या को ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी दाढ़ी और मूंछ है और आपकी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मंत्री जी जवाब देने से पहले चश्मा पहन लें। वह सदस्य को सदस्या बोल रहे हैं।

श्री वी. धनन्जय कुमार : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि ड्यूटी लगाने से दाम नहीं बढ़े हैं। आप ''सैंडिमेन न्योराल'' की बात कर रही हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मंत्री जी चश्मा पहने रखें। ...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनन्जय कुमार : मुझे जवाब पूरा करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, हमें मंत्री महोदय की प्रशंसा करनी चाहिए। वे उन्हें हिन्दी में जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है?

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, अपने देश में मैसर्स आर.पी.जी. लाइफ साइंसेज नामक संस्था यह दवाई बनाने की कोशिश कर रही है और यह दवाई अपने देश में काफी मात्रा में बन रही है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दवाई बना वालों को प्रोटैक्शन देने के लिये यह ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी लगाने से दाम नहीं बढ़ा है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, किडनी पेंशेंट्स ने इस बात की शिकायत मानवाधिकार आयोग में दर्ज की है और उन्होंने यह शिकायत दर्ज कर ली है। उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई शिकायत पर सरकार की ओर से कोई प्रयत्न किया जा रहा है या इस प्रकार की कोई जानकारी है? यदि हां, तो सरकार इसमें क्या मदद करने वाली है और 40 परसेंट ड्यूटी कम करने के लिये क्या कोशिश कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हिन्दी बोल रहे हैं, उसके लिये बधाई लेकिन 40 परसेंट ड्यूटी कम करें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बोल दिया कि ड्यूटी नहीं है।

[अनुवाद]

क्या वहां कोई शुल्क है या नहीं?

श्री वी. धनन्जय कुमार : महोदय, वहां शुल्क है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, दाम नहीं बढ़ने के बावजूद बहुत सारी संस्थाओं ने सरकार के सामने निवेदन किया है और किडनी पेशेंट्स ने भी आवेदन किया है। मैसर्स नवराती कम्पनी ने भी किया है।

[अनुवाद]

कल्याणकारी संगठनों एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार सक्रियता से इन सभी अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है। हम नोडल मंत्रालयों - रसायन और उर्वरक मंत्रालय से भी चर्चा कर रहे हैं। इन अभ्यावेदनों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह ठीक है कि हमें अपने शोध और विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए और हमारे पास वैकल्पिक दवा होनी चाहिए। परन्तु अभी-अभी उन्होंने कहा,

[हिन्दी]

कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

वैकल्पिक दवा-निर्माण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री वी. धनन्जय कुमार : इसका निर्माण किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या देश में इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है?

श्री वी. धनन्जय कुमार : हमारी क्षमता ऐसी है, और वार्षिक मांग 465 किलोग्राम की है। थोक औषधियों की घरेलू उत्पादन क्षमता 600 किलोग्राम है तथा वर्ष 1999-2000 में थोक औषधियों का कुल उत्पादन 263 किलोग्राम था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह अप्रैल और जून के बीच आर.पी.जी. लाइफ साइन्सेज ने 130 किलोग्राम का उत्पादन किया है।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, हम भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्रालय की प्रशंसा करते हैं। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि क्या बहुराष्ट्रीय और भारतीय घरेलू कंपनियों द्वारा आपूर्ति की गई उपलब्ध औषधि के बीच दर में कोई अंतर है। क्या माननीय मंत्री जी को शुल्क लगाने के संबंध में भारतीय उद्योगों और संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? साथ ही, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय भारतीय औषधि उद्योग को अन्य उत्पादों में भी उसी प्रकार से प्रोत्साहन देगी।

श्री वी. धनन्जय कुमार : महोदय, माननीय सदस्य की सूचना के लिए, मैसर्स आर.पी.जी. लाइफ साइन्सेज द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्मूलों के वर्तमान मूल्य दर्शाते हैं कि नोवार्टीस कंपनी की आयातित 50 मिलीग्राम सैंडिमैन न्योराल का प्रति कैप्सूल अधिकतम खुदरा मूल्य 61.66 रुपए है। घरेलू रूप से निर्मित पैनासिया कंपनी की पेनीमैन न्योराल की समान दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य 45 रुपए है। सिपला कंपनी द्वारा निर्मित एक दूसरा घरेलू उत्पाद है। इसका मूल्य 48 रुपए है।

घरेलू रूप से आर.पी.जी. लाइफ साइन्सेज द्वारा निर्मित उत्पाद का मूल्य 38 रुपए है। इसलिए, ऐसी स्थिति में घरेलू निर्माताओं को संरक्षण देने के लिए शुल्क लगाया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ऐतिहासिक और विरासत वाले स्थलों संबंधी नीति

***442. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऐतिहासिक और विरासत वाले स्थलों के लिए एक नई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार स्मारकों तथा स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण और परिरक्षण करता है। इस संबंध में वर्तमान नीति में परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

तस्करी संबंधी गतिविधियां

***443. डा. बलिराम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली, मुम्बई और गोवा में तस्करी की गतिविधियां बढ़ी हैं और इन शहरों के विमानपत्तन तस्करों के केन्द्र बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान डी.आर.आई. द्वारा तस्करी का कितना सामान बरामद किया गया और जब्त किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषकर दिल्ली, मुम्बई और गोवा विमानपत्तनों पर तस्करों की गतिविधियों से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) प्राप्त रिपोर्टों से राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमाशुल्क विभाग के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिल्ली, मुम्बई और गोवा के विमानपत्तनों सहित इन शहरों में तस्करी के माल की जब्ती के

मामलों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति का पता चलता है। किन्तु, प्राप्त आसूचना से यह पता नहीं चलता है कि इन शहरों के विमानपत्तन तस्करों के केन्द्र बन गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (31.7.2000 तक) के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दिल्ली, मुम्बई और गोवा तथा इन शहरों के विमानपत्तनों पर जब्त किए गए निषिद्ध माल के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	स्थान	जब्त किए गए माल का मूल्य		
		1998-99	1999-2000	2000-2001 (जुलाई, 2000 तक)
1.	दिल्ली	15.29	15.40	10.78
2.	मुम्बई	37.78	86.32	8.56
3.	गोवा	2.29	0.85	0.36

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों सहित पूरे देश में निषिद्ध माल की तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए सदा चौकस एवं सतर्क रहते हैं। एयर कार्गो कम्पलेक्सों सहित सभी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कार्गो की बारीकी से जांच करने के लिए एक्सरे असबाब मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों अर्थात् दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और कलकत्ता में स्वापक औषधि एवं विस्फोटक खोजी मशीनें लगाई गई हैं।

[अनुवाद]

चीनी का अतिरिक्त भंडार

***444. श्री अनन्त नायक :**

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान चीनी का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय पूल में चीनी के अतिरिक्त भंडार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000-2001 में चीनी के निर्यात को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिस मूल्य पर चीनी बेची जा रही है, उससे भी कम मूल्य पर चीनी का निर्यात किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) चीनी के अतिरिक्त भंडार का उपयोग करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार): (क) और (ख) वर्तमान चीनी मौसम 1999-2000 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 31.7.2000 तक 179.44 लाख टन (अनंतिम) चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान चीनी का उत्पादन 180.00 लाख टन (अनंतिम) से अधिक होने का अनुमान है। पिछले मौसम के आगे लाए गए स्टॉक को हिसाब में लेते हुए चीनी की कुल उपलब्धता 247.00 लाख टन है जबकि 155 लाख टन चीनी की आन्तरिक खपत होने का अनुमान है। वर्तमान चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान 31.7.2000 तक चीनी के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) चीनी का कोई केन्द्रीय पूल नहीं है। तथापि, सरकार ने चीनी मिलों/निर्यातकों को घरेलू उत्पादन की 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है ताकि चीनी फैक्ट्रियां अपना स्टॉक कम कर सकें। निर्यात में हानि को कम करने तथा चीनी के निर्यात को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों द्वारा निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा पर उन्हें लेवी की देयता से छूट दी है। यह छूट 1.6.2000 से छः महीने की अवधि के लिए उपलब्ध है।

(ङ) और (च) चीनी फैक्ट्रियों/निर्यातकों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार ये निर्यात किए जाएंगे। चूंकि निर्यातकों/चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किए जाने वाले ये निर्यात वाणिज्यिक निर्यात होंगे, इसलिए सरकार को निर्यात मूल्य का निर्धारण करने में कोई भूमिका अदा नहीं करनी है।

(छ) पिछले चीनी मौसम की तुलना में वर्तमान चीनी मौसम के दौरान सरकार द्वारा लेवी और खुली बिक्री, दोनों के अधीन 13.52 लाख टन अधिक चीनी रिलीज की गई है।

विवरण

वर्तमान चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान (31 जुलाई, 2000 तक) चीनी के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा देने वाला विवरण

अनंतिम

राज्य	(मात्रा लाख टन में)
पंजाब	3.90
हरियाणा	4.74
राजस्थान	0.14
उत्तर प्रदेश	45.76
मध्य प्रदेश	1.03
गुजरात	11.41
महाराष्ट्र	64.68
बिहार	3.70
असम	0.04
उड़ीसा	0.53
पश्चिम बंगाल	0.07
आंध्र प्रदेश	11.78
कर्नाटक	14.97
तमिलनाडु	15.96
पांडिचेरी	0.48
केरल	0.10
गोवा	0.15
अखिल भारत	179.44

औद्योगिक पिछड़ापन

*447. **श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन पर गंभीरता से ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अभी भी पिछड़े राज्य कौन-कौन से हैं और उनके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास में प्रत्येक राज्य का वर्षवार कितना-कितना हिस्सा था;

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक-पृथक प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम [खण्ड 80-आई.ए. (4)(बी)] 1961 की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को औद्योगिक पिछड़ापन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है:-

1. अरुणाचल प्रदेश, 2. असम, 3. मणिपुर, 4. मेघालय, 5. मिजोरम, 6. नागालैंड, 7. त्रिपुरा, 8. सिक्किम, 9. हिमाचल प्रदेश, 10. जम्मू और कश्मीर, 11. गोवा, 12. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, 13. दादर और नगर हवेली, 14 दमन और दीव, 15. लक्षद्वीप और 16. पांडिचेरी।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार ने 123 जिलों को औद्योगिक रूप में पिछड़ा घोषित किया है और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 7.10.1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 714(ई) के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत रियायत प्रदान करने हेतु इन्हें श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के रूप में वर्गीकृत किया है। इन जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

इनके औद्योगिक रूप में पिछड़े होने के कारण निम्न हैं - खराब अवसंरचनात्मक सुविधाएं, वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने हेतु अपर्याप्त पहुंच, कार्यकुशल श्रमशक्ति की कमी, शहरीकरण का कम स्तर, आदि। कुछ राज्यों में सुरक्षा की समस्या संबंधी संकल्पना भी निजी निवेश का कम स्तर होने के संबंध में एक कारण रही है।

(ग) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के अनुसार औद्योगिक विकास में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी 5 वर्षों की अवधि के दौरान (औद्योगिक एककों द्वारा पैदा की गई सकल लागत की कीमत) के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत, औद्योगिक रूप में पिछड़े क्षेत्रों को विकसित किये जाने के संबंध में पहल मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जानी अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार इन प्रयासों में विभिन्न योजनाओं तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, जो कि नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:-

अवसंरचनात्मक विकास के लिये पहल:

(1) विकास केन्द्र योजना : यह योजना जून, 1988 में घोषित की गई थी और इस योजना का उद्देश्य विद्युत, जल, दूरसंचार, बैंकिंग, मल-निकाली, बहिःस्राव का निपटारा करने जैसी मूलभूत सुविधाओं को चुनिंदा पिछड़े क्षेत्रों में विकसित किया जाना है ताकि राज्यों द्वारा औद्योगिक एककों को आकृष्ट किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में 71 विकास केन्द्रों को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 68 को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है।

(2) एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना : इस योजना का क्रियान्वयन लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु उद्योगों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित किये जाने के लिये किया जा रहा है ताकि ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना किये जाने में सहायता प्रदान की जा सके।

यह मंत्रालय ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी प्रशासन करता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु 100 ग्रामीण समूह स्थापित किये जा रहे हैं।

राजसहायता योजना:

(1) परिवहन राजसहायता योजना : यह योजना जुलाई, 1971 में शुरू की गई थी ताकि पहाड़ी, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, उक्त योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत की रेंज में राजसहायता अनुमत्त है, जो कि विनिर्दिष्ट रेल हैडों/पत्तनों से कच्चे माल तथा तैयार माल को औद्योगिक एककों के स्थलों तक लाने ले जाने पर देय है।

(2) पूर्वोत्तर के लिये औद्योगिक नीति पैकेज : भूगौलिक परिस्थितियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के निरंतर पिछड़ेपन को दृष्टिगत करते हुये, इस क्षेत्र हेतु दिसम्बर, 1997 में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत विकास केन्द्र योजना, एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र योजना और परिवहन राजसहायता योजना तथा 10 वर्षों की अवधि के लिये उत्पाद तथा आयकर से छूट दिये जाने की योजना के अलावा, इस क्षेत्र हेतु एकमात्र रूप में निम्न राजसहायता योजना भी मुहैया की गई है:

(क) पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना;

(ख) केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना;

(ग) व्यापक बीमा योजना।

कर रियायत:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा (कर रियायत प्रदान करने हेतु दिनांक 7.10.1997 की अधिसूचना संख्या (714)(ई) के अंतर्गत 123 औद्योगिक रूप में पिछड़े जिलों को श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के अधीन वर्गीकृत करते हुए अधिसूचित किया है।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की अनुसूची 8 में औद्योगिक रूप में पिछड़े राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र भी 31.3.2002 को अथवा इससे पूर्व स्थापित किये गये उपक्रमों के संबंध में इसी तरह के लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ङ) योजनाओं के संबंध में ब्यौरा उत्तर के भाग (क) में दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-IIIक से IIIघ में दिया गया है।

विवरण-I

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 7.10.1997 की अधिसूचना सं. 714(अ) द्वारा यथाअधिसूचित देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

श्रेणी ''क''	श्रेणी ''ख''
1	2
बिहार	**आन्ध्र प्रदेश**
गोड्डा	श्रीकाकुलम
गुमला	महबूब नगर
अरारिया	**बिहार**
माधेपुर	कटिहार
दुमका	भागलपुर

1	2
खगरिया	गोपालगंज
किशनगंज	दरभंगा
पलामू	पश्चिमी चम्पारन
मधुबनी	सारन
जहानाबाद	भोजपुर
सहरसा	समस्तीपुर
नवादा	देवघर
सीतामढ़ी	नालंदा
साहबगंज	गया
औरंगाबाद	मुजफ्फरपुर
पूर्वी चम्पारन	रोहतास
पूर्णिया	**गुजरात**
सिवान	बनासकांठा
वैशाली	साबरकांठा
लोहर-डग्गा	**कर्नाटक**
गुजरात	बीदर
द डांग	**मध्य प्रदेश**
केरल	सीओनी
इडुक्की	टीकमगढ़
वायनाड़	शिवपुरी
मध्य प्रदेश	बालघाट
मांडला	झबुआ
पन्ना	सीधी
बस्तर	विदिशा
सरगुजा	रायगढ़
छतरपुर	**उड़ीसा**
महाराष्ट्र	फुलबानी
गढ़चिरोली	कालाहांडी

1	2
राजस्थान	**महाराष्ट्र**
जालौर	बीड़
बारमेर	**उड़ीसा**
जैसलमेर	बोलनगीर
चुरू	मयूरभंज
बांसवाड़ा	बालोसोर
उत्तर प्रदेश	गंजम
सिद्धार्थनगर	**राजस्थान**
बहराइच	डुंगरपुर
प्रतापगढ़	धौलपुर
महाराजगंज	सवाई-माधोपुर
बांदा	टोंक
बस्ती	नागौर
चमोली	सीकर
उत्तरकाशी	झालवाड़
अल्मोड़ा	**उत्तर प्रदेश**
पिथोरागढ़	मऊ
टिहरी गढ़वाल	हरदोई
पश्चिम बंगाल	ललितपुर
माल्दा	हमीरपुर
पश्चिम दीनाजपुर	बदायूं
मुर्शिदाबाद	फतेहपुर
कूचबिहार	आजमगढ़
बांकुड़ा	एटा
जलपाईगुड़ी	बाराबंकी
मौरेना	इटावा
बेतुल	देवरिया
राजगढ़	गाजीपुर
सागर	बलिया

1	2
	जालौन
	उन्नाव
	फैजाबाद
	कानपुर-देहात
	मैनपुरी
	गोंडा
	फरुखाबाद

1	2
	सुल्तानपुर
	मिर्जापुर
	पश्चिम बंगाल
	पुरुलिया
	मिदनापुर
	बीरभूम

विवरण-II

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित औद्योगिक एककों द्वारा सृजित उत्पादन का मूल्य

प्रतिशत

राज्य/वर्ष	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
1	2	3	4	5	6
औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य/ संघ शासित प्रदेश					
अरुणाचल प्रदेश	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया				
असम	0.91	0.86	0.85	0.83	0.87
मणिपुर	0.03	0.01	0.01	0	0
मेघालय	0.03	0.02	0.02	0	0
मिजोरम	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया				
नागालैंड	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02
त्रिपुरा	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02
सिक्किम	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया				
हिमाचल प्रदेश	0.54	0.57	0.47	0.47	0.46
जम्मू तथा कश्मीर	0.15	0.13	0.16	0.14	0.18
गोवा	0.52	0.48	0.39	0.34	0.45

1	2	3	4	5	6
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
दादरा तथा नागर हवेली	0.78	0.57	0.36	0.35	0.31
दमन तथा दीव	0.42	0.46	0.33	0.3	0.18
लक्षद्वीप	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया				
पाण्डिचेरी	0.46	0.43	0.25	0.28	0.25
अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश					
आन्ध्र प्रदेश	6.88	6.42	6.9	7.26	6.66
बिहार	3.51	3.62	3.29	3.7	4.60
गुजरात	12.87	11.81	12.65	10.9	11.02
हरियाणा	3.94	4.48	4.09	3.93	3.62
कर्नाटक	5.17	5.38	4.6	4.73	4.41
केरल	2.12	2.41	2.32	1.81	2.07
मध्य प्रदेश	5.36	5.77	6.24	5.56	5.77
महाराष्ट्र	21.00	20.73	22.21	21.13	21.66
उड़ीसा	1.81	1.78	1.81	1.87	1.96
पंजाब	3.88	4.14	4.02	4.31	4.52
राजस्थान	3.45	3.40	3.3	3.46	3.27
तमिलनाडु	10.01	10.71	10.5	11.64	10.72
उत्तर प्रदेश	8.70	8.74	8.51	9.4	9.44
पश्चिम बंगाल	5.08	4.99	4.68	5.00	5.38
चण्डीगढ़	0.15	0.13	0.15	0.16	0.12
दिल्ली	1.86	1.91	1.84	2.35	2.03
सम्पूर्ण भारत	100	100	100	100	100

विवरण-IIIक

विकास केन्द्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम	वर्ष						कुल जारी की गयी राशि
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल 5 वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	आंध्र प्रदेश							
	1. हिन्दुपुर	–	–	–	–	–	–	200
	2. खम्माम	–	–	–	–	–	–	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. विजयानगरम-बोबिली	100	140	–	100	11	351	551
	4. ओंगोले	100	–	150	200	–	450	650
II.	अरुणाचल प्रदेश							
	5. निकलॉक गोरलंग	–	50	–	48	50	148	148
III.	असम							
	6. चारिद्वार	–	50	–	–	150	200	200
	7. मटिया	–	–	50	–	100	150	150
	8. चायगांव*	–	–	–	–	–	–	
IV.	बिहार							
	9. बेगुसराय	250	50	–	–	–	300	300
	10. भागलपुर	–	50	–	–	–	50	50
	11. छपरा	–	50	–	–	–	50	50
	12. दरभंगा	–	–	50	–	–	50	50
	13. हजारीबाग	150	50	–	–	–	200	200
	14. मुजफ्फरपुर	–	50	–	–	–	50	50
V.	गोवा							
	15. इलैक्ट्रानिक सिटी	–	–	150	–	–	150	674
VI.	गुजरात							
	16. गांधीधाम	–	–	–	–	–	–	100
	17. पालनपुर	–	–	–	–	–	–	100
	18. वगरा	40	–	–	–	–	40	1000
VII.	हरियाणा							
	19. बावेल	–	–	–	–	–	–	1000
	20. साहा	–	–	50	–	–	50	50
VIII.	हिमाचल प्रदेश							
	21. कांगड़ा	–	450	–	–	–	450	450
IX.	जम्मू तथा कश्मीर							
	22. लस्सीपोडा	–	–	50	–	–	50	50
	23. सांबा	–	400	–	50	200	650	850

1	2	3	4	5	6	7	8	9
X. कर्नाटक								
	24. धारवाड़	380	200	–	–	–	580	1000
	25. रायचूर	140	220	–	120	–	480	800
	26. हसन	500	140	60	–	–	700	1000
XI. केरल								
	27. अलाप्पुझा-मालाप्पुरम	100	–	200	532	–	832	1000
	28. कन्नूर-कोझीकोडे	400	116	–	–	–	516	1000
XII. मध्य प्रदेश								
	29. बोराई	200	100	–	–	125	425	793
	30. चैनपुरा	–	–	–	–	–	–	100
	31. घिरोंधि	–	–	–	–	–	–	1000
	32. खेड़ा	577	–	–	–	–	577	1000
	33. सतियापुर	135	250	–	–	–	385	435
	34. सिलतारा	134	–	–	–	–	134	1000
XIII. महाराष्ट्र								
	35. अकोला	–	100	450	–	200	750	950
	36. चन्द्रपुर	100	–	100	200	60	460	650
	37. धूले	–	–	–	50	200	250	450
	38. नांदेड	–	–	550	–	200	750	750
	39. रत्नागिरी	–	40	200	–	–	240	440
XIV. मणिपुर								
	40. लामहाई-नापेट	–	–	50	–	–	50	50
XV. मेघालय								
	41. मेंदीपत्थर	–	50	–	–	–	50	50
XVI. मिजोरम								
	42. लुआंगमुआल	–	50	–	–	–	50	50
XVII. नागालैंड								
	43. गणेश नगर	–	–	–	500	500	1000	1050

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVIII. उड़ीसा								
	44. चत्रपुर	–	–	–	–	–	–	50
	45. कलिंगनगर डुबुरी	–	–	–	50	50	100	150
	46. झारसुगुडा	–	–	–	–	–	–	50
	47. केसिंगा	–	–	–	50	–	50	50
XIV. पांडिचेरी								
	48. पोलागाम	–	–	50	–	250	300	300
XX. पंजाब								
	49. भटिंडा	100	–	–	–	–	100	1000
	50. पठानकोट	200	–	–	–	–	200	1000
XXI. राजस्थान								
	51. आबू रोड	360	140	–	–	–	500	1000
	52. बीकानेर	–	–	50	–	100	150	450
	53. भीलवाड़ा	–	–	–	100	150	250	300
	54. धोलपुर	50	–	70	–	–	120	320
	55. झालावाड़	–	–	–	–	–	–	300
XXII. सिक्किम								
	56. मजिहतार*	–	–	–	–	–	–	–
XXIII. तमिलनाडु								
	57. इरोड	–	–	–	–	–	–	1000
	58. तिरूनेलवेली	–	–	–	–	–	–	930
	59. ओरागादाम	–	–	–	–	50	50	50
XXIV. त्रिपुरा								
	60. बोधजंग नगर	–	–	–	–	–	–	50
XXV. उत्तर प्रदेश								
	61. बिजौली	–	–	–	–	100	100	150
	62. जामीर	–	–	–	–	–	–	50
	63. चौधरपुर	–	–	–	–	–	–	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	64. डिबियापुर	–	–	50	–	–	50	50
	65. खुर्जा	200	–	170	–	–	370	420
	66. सथारिया	400	–	–	–	–	400	450
	67. साहजनवा	–	–	–	–	–	–	1000
	68. शिवराजपुर-पदमपुर*	–	–	–	–	–	–	50
XXVI.	पश्चिम बंगाल							
	69. बोलपुर	–	50	–	–	–	50	50
	70. जलपाइगुडी	–	50	–	–	–	50	50
	71. माल्दा	–	50	–	–	–	50	50
	कुल	4616	2896	2500	2000	2496	14508	29871

विवरण-III(ख)

एकीकृत अवसंरचना केन्द्रों की प्रगति

(लाख रुपयों मे

एकीकृत अवसंरचना केन्द्रों की संख्या	परियोजना की लागत	सरकारी अनुदान	
		कुल	जारी की गई
46	24229.53	8954.58	3588.31

टिप्पणी : 46 एकीकृत अवसंरचना केन्द्रों के अलावा, 7 केन्द्र यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादर व नागर हवेली, दम व दीव के संघ शासित राज्यों में एक-एक केन्द्र और हरियाणा में दो केन्द्र अनुमोदित किए गए थे किन्तु संबंधित राज्य संघ शासित राज्यों द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया था।

31.3.2000 तक परिवहन राजसहायता योजना के तहत दी गयी प्रतिपूर्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा दिखाता हुआ विवरण

(रुपये पूर्णांकित लाखों मे

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1976-77 से 1979-80	1980-81 से 1984-85	1985-86 से 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	असम	3.73	438.22	897.00	1604.90	662.93	643.14	980.05	2217.90	3861.10	2061.89	2548.61	1250.54	1195.24	18361.9
2.	मणिपुर	0.3	0.84	6.50	16.78	-	64.14	58.87	128.70	-	-	18.96	24.40	4.00	323.4
3.	त्रिपुरा	2.00	3.36	55.41	57.86	-	43.92	23.64	132.99	2.60	203.15	78.19	51.39	26.19	479.8
4.	अरुणाचल प्रदेश	-	631	225.14	212.71	-	-	-	47.66	-	267.42	1243.55	277.21	606.47	2886.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	मेघालय	-	19.12	83.82	50.27	-	7.00	136.21	250.10	195.88	190.66	506.55	127.45	703.96	2271.02
6.	नागालैंड	-	-	223.51	217.32	205.73	-	145.95	67.80	-	-	970.01	1169.19	649.02	3576.45
7.	मिजोरम	-	-	-	23.58	-	26.00	322.48	272.32	405.30	-	-	103.30	347.22	1494.38
8.	सिक्किम	-	1.06	171.60	66.64	52.33	55.33	-	-	123.24	36.43	129.82	-	-	636.45
9.	हिमाचल प्रदेश	1.46	7.12	1904.11	513.04	116.50	66.60	690.74	1809.57	36.88	973.19	824.77	4815.06	4650.79	16408.83
10.	जम्मू और कश्मीर	1.55	15.11	281.92	252.84	71.34	-	151.45	334.79	-	466.30	138.62	594.51	280.23	2583.66
11.	उत्तर प्रदेश	-	55.77	318.55	100.44	64.35	66.60	842.19	35.35	-	600.95	0.92	45.14	-	1582.44
12.	अंडमान और निकोबार	-	55.48	544.72	152.51	256.82	245.52	452.19	1.49	375.00	197.48	-	-	-	2281.21
13.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.81	36.88	79.69
	योग	8.04	602.45	4712.26	3275.39	1430.00	1218.25	3199.47	5348.67	5800.00	4822.82	6460.00	8500.00	8500.00	53077.35

मार्च, 2000 तक
वर्ष-वार प्रतिपूर्ति

विवरण-IIIग

परिवहन राजसहायता योजना के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी की गयी राशियों का विवरण

(रुपये पूर्ण किये गये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	3861.10	2061.89	2548.61	1250.53	1195.24	1091.74
2.	मणिपुर	-	-	18.96	24.41	4.01	47.38
3.	त्रिपुरा	2.60	28.50	78.19	51.40	26.19	186.88
4.	अरुणाचल प्रदेश	-	267.42	1243.55	277.21	606.46	2394.64
5.	मेघालय	195.88	190.66	506.55	127.45	703.96	1724.5
6.	नागालैंड	-	-	970.01	1169.19	649.02	2788.22
7.	मिजोरम	405.40	-	-	103.29	347.22	855.81
8.	सिक्किम	123.24	36.43	129.82	-	-	289.49
9.	हिमाचल प्रदेश	36.88	973.19	824.77	4814.06	4650.79	11299.7

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	–	466.30	138.62	594.51	280.23	1479.66
11.	उत्तर प्रदेश	–	600.95	0.92	45.13	–	647
12.	अंडमान और निकोबार	375.00	197.48	–	–	–	572.48
13.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	0
14.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	–	–	–	42.82	36.88	79.70
	योग	5000.00	4822.82	6460.00	8500.00	8500.00	33282.8

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (15.8.2000 तक) परिवहन राज सहायता योजना के तहत जारी की गयी प्रतिपूर्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	(बजट अनुमान : 8600 करोड़ रु.) राशि रुपये लाख में (पूरे किये गये)
1.	असम	–
2.	मणिपुर	–
3.	त्रिपुरा	–
4.	अरुणाचल प्रदेश	–
5.	मेघालय	–
6.	नागालैंड	–
7.	मिजोरम	–
8.	सिक्किम	–
9.	हिमाचल प्रदेश	437.26
10.	जम्मू और कश्मीर	–
11.	उत्तर प्रदेश	–
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
13.	लक्षद्वीप	–
14.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिला)	–
15.	नेडफी	2000.00
	योग	2437.26 लाख

विवरण-IIIघ

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा 9वीं योजना में प्रस्तावित तीन नयी योजनाएं नीचे दी गई हैं:-

(1) पूंजी निवेश राजसहायता योजना:

यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से परिचालित होनी है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में इकाइयों द्वारा निवेश की गई राशि के 15% की दर से पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभिज्ञात स्थापना-स्थलों में स्थापित किये जाने वाले इकाइयों को राजसहायता देने की व्यवस्था है, जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये हैं। राजसहायता राज्य समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन.ई.डी.एफ.आई.) द्वारा पात्र इकाइयों को दी जाएगी।

यह योजना जून, 1998 में अधिसूचित की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 (ब.अ.) के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। अभी तक इस योजना पर कोई राशि खर्च नहीं की गई है क्योंकि इसे अभी शुरू किया जाना है।

(2) केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना :

यह योजना 18.2.1999 को अधिसूचित की गई थी जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित नई औद्योगिक इकाइयों के लिए उनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 10 वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% की दर से ब्याज राजसहायता देने की व्यवस्था है। यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से परिचालित होनी है और पात्र इकाइयों को समय पर राजसहायता का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एन.ई.डी.एफ.आई. को वितरण व राजसहायता के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 1999-2000 में इस योजना के लिए 1 लाख रुपये

सांकेतिक बजट प्रावधान किया गया था और इतनी ही राशि लू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 के लिए भी रखी गई है। योजना के तहत अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

) केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 1997

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए एक व्यापक मा योजना उद्योग मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई, 1999 को अधिसूचित गई है। यह योजना 13.7.2009 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24.12.1997 के बाद स्थापित तथा अग्नि ते "ग" (अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार) में ाविष्ट की गई सभी औद्योगिक इकाइयां राजसहायता पाने के । हैं।

यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य सरकारों के साथ विस्तृत वार-विमर्श करने के बाद बनाई गई है।

इस योजना में पात्र इकाइयों द्वारा चुकता की गई बीमा प्रीमियम प्रतिपूर्ति करने की परिकल्पना है जो नोडल बीमा कंपनी अर्थात् ट्रीय बीमा कंपनी द्वारा अनुरक्षित आवर्ती निधि से की जाएगी। वर्ती निधि के लिए वित्त-पोषण औद्योगिक नीति और संवर्धन भाग के योगदान से होगा। जैसा कि इस योजना की घोषणा 99 में की गई है, वर्ष 1999-2000 के लिए एक लाख रुपये सांकेतिक बजट प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 00-2001 के लिए 10 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया ा है। इस योजना के तहत अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की है।

हिन्दी]

बैंकों में ओमबड्समैन

*448. श्री मानसिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की ा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों की कायतों के समाधान के लिए ओमबड्समैन की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके द्वारा वर्षवार कितने मलों का निपटान किया गया है तथा कितने मामले उसके पास म्बित पड़े हैं; और

(घ) निपटान किए गए ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें निर्णय कों के विरुद्ध हुआ था और इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त ओमबड्समैनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में निपटाए गए और लम्बित पड़े मामलों की (अद्यतन उपलब्ध) संख्या निम्नानुसार है:-

अवधि (अप्रैल-मार्च)	निपटाए गए मामलों की संख्या	31 मार्च की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या
1996-97	1441	422
1997-98	2722	1398
1998-99	2807	1340

रख-रखाव योग्य शिकायतों का निपटान सुलह, मध्यस्थता और निर्णय देकर किया जाता है।

(घ) योजना के परिचालन के समय से बैंकों के विरुद्ध दिए गए निर्णयों की संख्या से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

परिचालन से 31 मार्च, 1999 तक दिए गए निर्णयों की सं.	बैंकों द्वारा क्रियान्वित निर्णय
266	180

विवरण

बैंकिंग ओमबड्समैन कार्यालयों के केन्द्र और क्षेत्राधिकार की सूची

	केन्द्र	क्षेत्राधिकार/राज्य	परिचालन की तारीख
	1	2	3
1.	मुम्बई	महाराष्ट्र एवं गोवा	14.6.1995
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.6.1995
3.	दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद	14.6.1995
4.	बैंगलूर	कर्नाटक	24.6.1995
5.	चण्डीगढ़	हिमाचल प्रदेश	24.6.1995
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	4.10.1995
7.	पटना	बिहार	9.10.1995

1	2	3
8.	जयपुर	राजस्थान	15.01.1996
9.	कानपुर	उत्तर प्रदेश (जिला गाजियाबाद को छोड़कर)	24.05.1996
10.	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा	05.06.1996
11.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	28.09.1996
12.	चेन्नई	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	16.04.1997
13.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	12.05.1997
14.	अहमदाबाद	गुजरात, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव	07.07.1997
15.	तिरुवनन्तपुरम	केरल और लक्षद्वीप	08.09.1997

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन

***449. श्री राम टहल चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों, निगमित निकायों और अन्य संगठनों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उल्लंघन से संबंधित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले की जांच से संबंधित स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (घ) दिनांक 1 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 के उपबंधों के अंतर्गत जांच और न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत कुल 9154 मामले बकाया पड़े हुए थे। इन मामलों में से 4651 मामले जांच स्तर पर हैं जबकि 4503 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् न्यायनिर्णयन कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

फेरा के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में तीन प्रकार की कार्रवाई की जाती है। पहली कार्रवाई है कोफेपोसा, 1974 के उपबंधों के अनुसार निवारक नजरबंदी कार्रवाई। दूसरी है उन मामलों में न्यायनिर्णयन कार्रवाई करना जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं और तीसरी कार्रवाई है अधिनियम के वास्तविक उल्लंघनों के लिए फेरा की धारा 56 के अंतर्गत और न्यायनिर्णयन कार्रवाई के पश्चात् लगाए गए अर्थदण्ड की अदायगी न करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत विधि अदालतों में मुकदमें दायर करना।

गत तीन वर्षों के दौरान कोफेपोसा के अंतर्गत 116 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक नजरबंदी आदेश जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान 7938 मामलों में न्यायनिर्णयन कार्रवाई की गई है जिनमें कुल 451.22 करोड़ रु. का अर्थदण्ड लगाया गया। गत तीन वर्षों के दौरान फेरा की धारा 56 के अन्तर्गत 379 मामलों और धारा 57 के अंतर्गत 119 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई आरम्भ की गई थी। उपर्युक्त वर्षों के दौरान अदालतों ने धारा 56 के अंतर्गत 73 और धारा 57 के अंतर्गत 38 व्यक्तियों को दोषी पाया।

[अनुवाद]

नाबार्ड

***450. श्री रतन लाल कटारिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाबार्ड के लक्षित महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं और नाबार्ड के सम्मुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नाबार्ड इन लक्षित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को क्रियान्वित करने में सफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 1982 में उसके प्रारम्भ से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि तथा अन्य ग्रामीण गतिविधियों को पर्याप्त ऋण सुविधा प्रदान करने तथा उसे सुगम बनाने के लिए संगठित प्रयत्न करता रहा है। इसके मुख्य कार्य क्षेत्र कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, नीतियों को बढ़ावा देना तथा उन्हें समर्थन प्रदान करना, ग्रामीण विकास में सहायक नव परिवर्तन लाना, संस्थागत विकास उपायों के माध्यम से ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना आदि है।

ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.), जन विभाजक विकास, स्वसहायता समूहों (एस.एच.जी.) के माध्यम से व्यष्टि वित्त, किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना को लागू करना, स्वरोजगार योजना आदि जैसे समय-समय पर घोषित सरकार

की नीति में दर्शाई गई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कार्यक्रम भी नाबार्ड कार्यान्वित करता रहा है।

(ख) और (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, नाबार्ड, नाबार्ड अधिनियम 1981 की प्रस्तावना में दर्शाए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है। यह उचित योजनाओं को बनाने, बैंकों को सलाह देने, उनकी प्रगति की समीक्षा करने तथा सरकार को इस संबंध में सूचना देने के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी अपना सहयोग देता आ रहा है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नाबार्ड की उपलब्धियों को संलग्न विवरण I से III में दर्शाया गया है जो कृषि के लिए बुनियादी स्तर ऋण के प्रवाह में उसके कार्यनिष्पादन विवरण-I, आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत सहायता (विवरण-II) तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना (विवरण-III) को दर्शाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों के राज्यवार प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार	298	335	388
2.	आंध्र प्रदेश	407635	481124	537173
3.	अरुणाचल प्रदेश	346	425	551
4.	असम	15410	17078	9562
5.	बिहार	41988	48721	30268
6.	चंडीगढ़	6474	17471	12209
7.	दादरा व नगर हवेली	107	155	414
8.	दमन व दीव	90	126	415
9.	गोवा	3364	3308	3303
10.	गुजरात	230785	233992	286543
11.	हरियाणा	211094	250307	314773
12.	हिमाचल प्रदेश	9561	15973	18836
13.	जम्मू व कश्मीर	2204	3020	4146
14.	कर्नाटक	256663	279405	358410
15.	केरल	147936	157080	205273
16.	लक्षद्वीप	43	56	95
17.	मध्य प्रदेश	198599	189601	221393
18.	महाराष्ट्र	312168	381773	454701

1	2	3	4	5
19.	मणिपुर	292	185	266
20.	मेघालय	523	515	696
21.	मिजोरम	197	157	233
22.	नागालैण्ड	411	430	574
23.	सं.रा. क्षेत्र दिल्ली	21542	12965	7260
24.	उड़ीसा	49426	62286	77640
25.	पांडिचेरी	2730	2797	2907
26.	पंजाब	288104	383022	458590
27.	राजस्थान	146208	178759	211403
28.	सिक्किम	191	223	341
29.	तमिलनाडु	363237	361578	443187
30.	त्रिपुरा	1114	830	1064
31.	उत्तर प्रदेश	285498	349147	387973
32.	पश्चिम बंगाल	67261	75144	105873
	योग	3195560	3689745	4176469

विवरण-II

आर.आई.डी.एफ. (जून 2000 के अन्त की स्थिति) के तहत राज्यवार मंजूरी और संवितरण

क्र.सं.	राज्य	आर.आई.डी.एफ.-1 1995-96 (2000)		आर.आई.डी.एफ.-2 1996-97 (2500)		आर.आई.डी.एफ.-3 1997-98 (2500)	
		मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	227.09	207.09	334.00	242.64	275.11	158.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	63.29	57.47	16.07	10.51
4.	बिहार	22.17	12.63	शून्य	शून्य	62.31	4.80
5.	गोआ	6.85	6.85	शून्य	शून्य	62.32	4.80
6.	गुजरात	150.90	143.63	129.63	92.08	160.60	106.02
7	हरियाणा	26.70	19.01	61.06	39.80	74.98	39.46

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	14.23	14.23	49.50	44.68	50.11	35.84
9.	जम्मू और कश्मीर	6.14	6.04	8.06	0.57	35.95	11.78
10.	कर्नाटक	173.58	133.36	172.46	145.40	171.83	115.68
11.	केरल	95.93	85.87	87.60	63.66	90.61	35.35
12.	मध्य प्रदेश	220.50	187.09	207.60	112.16	248.70	101.80
13.	महाराष्ट्र	186.81	169.35	231.66	195.03	254.31	184.12
14.	मणिपुर	1.75	0.96	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	3.39	3.39	शून्य	शून्य	8.25	3.91
16.	मिजोरम	2.38	2.37	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	1.38	1.38	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	169.66	160.11	125.14	98.74	162.91	86.04
19.	पंजाब	60.50	60.50	62.50	62.05	88.85	80.68
20.	राजस्थान	123.51	116.58	151.50	121.04	162.88	104.69
21.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	266.68	206.49	195.75	118.05
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	उत्तर प्रदेश	295.72	279.19	491.65	295.75	432.98	197.60
24.	प. बंगाल	102.52	81.84	158.70	114.43	176.76	89.67
25.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	1891.71	1691.47	2601.03	1891.99	2668.96	1484.49

क्र.सं.	राज्य	आर.आई.डी.एफ.-4 1998-99 (3000)		आर.आई.डी.एफ.-5 1999-2000 (3500)		आर.आई.डी.एफ.-6 2000-01 (4500)		कुल	
		मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	305.42	86.44	383.09	55.47	2.25	शून्य	1526.96	750.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	2.10	- 6.02	शून्य	शून्य	25.10	6.02
3.	असम	64.72	6.47	196.14	41.59	शून्य	शून्य	340.22	116.04
4.	बिहार	118.50	शून्य	100.93	शून्य	शून्य	शून्य	303.91	17.43
5.	गोआ	8.93	5.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15.78	12.34

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	गुजरात	136.36	41.52	254.24	40.77	146.70	शून्य	978.43	424.02
7.	हरियाणा	102.42	14.26	99.07	13.01	शून्य	शून्य	364.23	125.54
8.	हिमाचल प्रदेश	88.58	30.55	112.87	28.77	शून्य	शून्य	315.29	154.07
9.	जम्मू और कश्मीर	105.87	29.06	110.88	27.84	46.70	शून्य	313.60	75.30
10.	कर्नाटक	178.55	35.02	176.10	0.88	शून्य	शून्य	872.52	515.27
11.	केरल	64.55	12.79	127.58	14.35	50.54	शून्य	516.81	212.02
12.	मध्य प्रदेश	242.84	35.28	262.96	12.99	शून्य	शून्य	1182.60	449.32
13.	महाराष्ट्र	301.98	65.80	350.28	35.03	शून्य	शून्य	1325.04	649.33
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.75	0.96
15.	मेघालय	9.33	2.33	35.10	8.77	शून्य	शून्य	56.07	18.40
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	54.17	9.08	शून्य	शून्य	56.55	11.45
17.	नागालैंड	0.72	शून्य	16.52	5.05	शून्य	शून्य	18.62	6.43
18.	उड़ीसा	162.56	59.71	134.62	16.12	11.40	शून्य	766.29	420.72
19.	पंजाब	109.96	33.13	112.18	45.03	57.96	शून्य	491.95	281.39
20.	राजस्थान	152.95	14.74	199.66	32.99	144.26	43.28	934.76	433.32
21.	तमिलनाडु	176.36	64.43	255.60	43.63	शून्य	शून्य	894.59	432.60
22.	त्रिपुरा	21.70	4.31	45.01	शून्य	शून्य	शून्य	66.71	4.31
23.	उत्तर प्रदेश	525.77	145.01	365.87	शून्य	शून्य	शून्य	2111.99	917.55
24.	प. बंगाल	214.32	28.81	224.08	36.88	शून्य	शून्य	876.38	351.63
25.	सिक्किम	21.29	11.90	8.72	शून्य	शून्य	शून्य	30.01	11.90
	कुल	3113.88	727.05	3650.82	474.27	459.81	43.28	14386.16	6312.55

विवरण III

21 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रगति

(लाख रु.)

(स्थिति 31.3.2000)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र के बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		सहकारी बैंक		कुल	मंजूर
		कार्ड जारी	मंजूर राशि	कार्ड जारी	मंजूर राशि	कार्ड जारी	मंजूर राशि कार्ड	जारी	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	333552	52133.61	10349	1601.20	1664673	139625.90	2008574	193360.71
2.	असम	1030	154.22	181	34.12	-	-	1211	188.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	66073	10492.55	2274	371.10	1629	264.47	69976	11128.12
4.	गुजरात	110279	28562.45	5226	1208.40	6042	1798.68	121547	31569.53
5.	हरियाणा	51086	18405.02	5788	2993.21	-	-	56874	21398.23
6.	हिमाचल प्रदेश	7009	1616.41	140	56.92	468	90.02	7617	1763.35
7.	जम्मू व कश्मीर	385	52.76	269	36.83	1042	166.49	1696	256.10
8.	कर्नाटक	241505	73986.68	39896	9260.58	13138	3097.79	294539	86345.05
9.	केरल	110584	19128.76	53688	9930.55	33469	2714.67	197741	31773.98
10.	मध्य प्रदेश	73754	21237.29	5468	1461.68	75788	14650.79	155010	37349.76
11.	महाराष्ट्र	102178	31075.78	3500	875.00	339624	39103.30	445302	71054.08
12.	उड़ीसा	30346	3584.51	17225	1947.19	602029	106332.58	649600	111864.28
13.	पंजाब	129627	54826.54	3436	1704.76	-	-	133063	56531.30
14.	राजस्थान	42239	13725.99	6720	3295.09	989543	130900.00	1038502	147921.08
15.	तमिलनाडु	216971	40164.27	1762	347.97	19587	3849.52	238320	44361.76
16.	उत्तर प्रदेश	254248	103363.15	23164	6395.89	-	-	277412	109759.04
17.	पश्चिम बंगाल	38465	5172.81	633	88.25	2732	491.34	41830	5252.40
18.	त्रिपुरा	179	30.45	3	0.31	66	2.62	248	33.38
19.	गोवा	447	129.06	-	-	157	62.00	604	191.06
20.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30	5.88	-	-	235	23.50	265	29.38
21.	अरूणाचल प्रदेश	9	1.70	-	-	-	-	9	1.70
22.	दिल्ली	80	98.48	-	-	-	-	80	98.48
23.	मणिपुर	43	4.30	-	-	-	-	43	4.30
24.	मेघालय	291	22.92	-	-	-	-	291	22.92
25.	मिजोरम	3	0.30	-	-	-	-	3	0.30
26.	नागालैण्ड	10	0.50	-	-	-	-	10	0.50
27.	सिक्किम	18	4.14	-	-	-	-	18	4.14
28.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	दादरा व नागर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	39	8.99	-	-	-	-	39	8.99
32.	पांडिचेरी	882	382.06	-	-	-	-	882	382.06
	योग	1811362	478371.58	179722	41609.07	3750222	443173.67	5741306	963154.42

टिप्पणी : एक किसान को एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।

टिप्पणी : 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने कुल 5939318 किसान क्रेडिट जारी किये हैं। राज्यों से पूर्ण सूचना न मिलने के कारण राज्यों और बैंकों के आंकड़ों में अंतर है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

***451. श्री पी.आर. खुंटे :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक उद्यमों से संबंधित स्थायी सम्मेलन (स्कोप) की वार्षिक बैठक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में एक राष्ट्रीय सहमति बनी है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) विनिवेश संबंधी इस कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) 16 फरवरी, 2000 को आयोजित लोक उद्यमों से संबंधित स्थायी सम्मेलन (स्कोप) की वार्षिक आम बैठक/शासी परिषद् की बैठक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के मुद्दे पर विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में 31 मार्च, 2001 की समय सीमा निर्धारित की गई है।

निगरानी समिति का गठन

***452. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने आज तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निगरानी समिति गठित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्य सरकारों के साथ जिन्होंने निगरानी समितियां गठित नहीं की है, कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार): (क) और (ख) जी, हां। सतर्कता समिति के रूप में मानीटरिंग समिति की स्थापना करने की अवधारणा को काफी समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है।

गोवा तथा दमन और दीव को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए सभी स्तरों अर्थात् ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन के बारे में सूचित किया है।

(ग) और (घ) मार्च, 1987 में जारी किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों और फरवरी, 1997 में जारी किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन करें। राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु नवम्बर, 1997 में जारी किए गए माडल सिडीजन चार्टर में राज्य सरकारों पर पंचायत/वार्ड, तालुक, जिला और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करने के बारे में जोर दिया गया है। जून, 1999 में जारी किए गए पंचायती राज संस्थाओं के मार्गदर्शी सिद्धांतों में भी इस बात का उल्लेख है कि उचित दर दुकान समितियों का गठन करने के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन समितियों में संबंधित क्षेत्र की उचित दर दुकान की मौजूदा सतर्कता समिति के सदस्यों और उपभोक्ता समूह, महिलाओं के प्रतिनिधि तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य शामिल करने चाहिए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे माह के दौरान उचित दर दुकान, ब्लाक और जिला स्तर पर सतर्कता समितियों की हुई बैठकों की संख्या के संबंध में सूचना भेजें। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मीटरिंग करने से संबंधित अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दे पर भी खाद्यान्न प्रबंध और सार्वजनिक वितरण संबंधी परामर्शदात्री परिषद की हाल में हुई बैठकों में चर्चा की गई थी।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

***453. श्री सवशीभाई मकवाणा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश ने क्या प्रगति की है;

(ख) कुल औद्योगिक उत्पादन में भारतीय कंपनियों और विदेशी सहयोग वाली कंपनियों का क्या योगदान रहा; और

(ग) उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान किन-किन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने विकास की अधिकतम दर दर्ज की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) औद्योगिक विकास संबंधी नवीनतम सरकारी आंकड़े औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में उपलब्ध हैं। इसके अनुसार, उद्योग में 1998-1999 में 3.8% विकास की तुलना में 1999-2000 में 8.1% विकास हुआ है। तथापि अप्रैल-जून, 1999-2000 में 5.7% औद्योगिक विकास की तुलना में अप्रैल-जून 2000-2001 में 5.4% विकास हुआ था। पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान हुए क्षेत्रवार विकास के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक—क्षेत्रवार विकास दरें

आधार 1993-94 = 100

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	भार	1998-99	1999-2000	अप्रैल-जून	
				1999-2000	2000-2001
खनन	104.73	-1.7	0.8	-1.1	4.0
विनिर्माणकारी	793.58	4.1	9.3	6.7	5.5
विद्युत	101.69	6.5	6.1	4.5	4.9
समग्र	1000.00	3.8	8.1	5.7	5.4

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि 1998-1999 की तुलना में 1999-2000 के दौरान समग्र औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है। चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान समग्र औद्योगिक विकास में सीमांतिक गिरावट आयी है।

(ख) भारतीय कंपनियों और विदेशी सहयोग वाली कंपनियों के योगदान संबंधी आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सबंधी आंकड़े उन औद्योगिक एककों (जिन्हें कारखाना कहा जाता है) से एकत्र और संकलित किए जाते हैं, जो केवल उत्पादन में कार्यरत हैं। दूसरी ओर कंपनियां सभी प्रकार के वाणिज्यिक कार्यकलाप करती हैं, जिनमें से एक विनिर्माण कार्य होता है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार कुल 70,192 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के शेयरों द्वारा सीमित 2,43,041 कंपनियां देश में कार्यरत थीं। इसकी तुलना में 2,72,865.2 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल प्रदत्त पूंजी के शेयरों द्वारा सीमित 5,32,580 कंपनियां 1 जनवरी, 2000 को देश में कार्यरत थी।

उदारीकरण के बाद (31 दिसम्बर, 1991 से जनवरी, 2000 तक) घटते क्रम में जिन क्षेत्रों में अधिकतम कंपनियां पंजीकृत की गयी थीं, वे निम्न प्रकार हैं:-

* "धातु, रसायनों और इनके उत्पादों, मशीनों व उपकरणों का विनिर्माण।"
* "वित्त, बीमा, अचल संपदा तथा व्यवसाय सेवाएं।"
* "थोक बिक्री तथा खुदरा व्यापार और रेस्टोरेंट व होटल", और
* "खाद्य सामग्री, वस्त्र, लकड़ी के उत्पादों, चमड़ा और इसके उत्पादों का विनिर्माण"।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

***454. श्री शिवाजी माने :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2000 को समाप्त हुई प्रथम तिमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में लाभ की दृष्टि से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने लाभ कमाया या उन्हें घाटा हुआ;

(ग) लाभ में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 217 उपक्रमों से दिनांक 31.3.2000 तक की प्राप्त अनन्तिम जानकारी के अनुसार लाभ के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन में सामान्य तौर पर सुधार हुआ है और इन्होंने गत वर्ष की संगत अवधि के 13377 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में इस वर्ष करीब 13940 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इन 217 केन्द्रीय

सरकारी उपक्रमों में से 116 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया है और 98 उपक्रमों ने घाटा उठाया है तथा 3 उपक्रम न लाभ न घाटे की स्थिति में रहे।

(ग) और (घ) हालांकि, सामान्यतौर पर इन उपक्रमों के लाभ में सुधार हुआ है, तथापि कुछेक सरकारी उपक्रमों की लाभकारिता में कमी आई है। इस कमी के कारण उद्यम-सापेक्ष हैं। बहरहाल, कुछ सामान्य कारणों में क्षमता का कम उपयोग, निम्न उत्पादकता, अधिक निविष्टि लागत, क्रयादेशों की कमी, कमजोर विपणन रणनीति, अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, संसाधनों की कमी, ब्याज का भारी बोझ, अत्यधिक श्रमशक्ति आदि शामिल हैं। कार्य निष्पादन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा सरकार एवं सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन सरकारी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु उद्यम-सापेक्ष उपाय करते हैं।

श्रीलंका से चाय का आयात

*455. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका से बड़ी मात्रा में चाय का आयात किए जाने कारण, घरेलू चाय-उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज तक श्रीलंका से कुल कितनी मात्रा में चाय का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार, विशेषकर श्रीलंका से, चाय के आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) श्रीलंका से आयात की गई चाय की मात्रा नगण्य है और यह हमारे उत्पादन के 0.5% से कम है। इस प्रकार के आयात से घरेलू चाय उद्योग पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा अप्रैल से जुलाई 2000-2001 के दौरान श्रीलंका से किया गया चाय का आयात क्रमशः 2.91 मि. किग्रा. तथा 0.70 मि. किग्रा. था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

*456. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आदि सहित तेल क्षेत्र के कुछ सरकारी उपक्रमों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल क्षेत्र में विनिवेश करने के निर्णय का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विनिवेश के संबंध में उक्त महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले संबंधित मंत्रालय से परामर्श नहीं किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) तेल क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम, जिनमें सरकार ने अपनी इक्विटी के कुछ भाग का विनिवेश करने का निर्णय किया है, हैं—भारतीय तेल निगम लिमिटेड, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के मामले में विनिवेश के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में विनिवेश के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व सभी संबद्ध विभागों/मंत्रालयों के, विशेष रूप से प्रशासनिक मंत्रालय के, दृष्टिकोण पर अंतः मंत्रालयीय विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया जाता है। मंत्रालय अक्सर सरकार के विचाराधीन विशिष्ट प्रस्तावों में संशोधन तथा सुधार सुझाते हैं। तेल क्षेत्र की तीन कंपनियों के बारे में ऊपर उल्लिखित निर्णय ऐसे अंतःमंत्रालयीय विचार-विमर्श के पश्चात् लिए गए थे। विनिवेश नीति पर कोई मतभेद नहीं है।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

***457. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाई विकास बैंक द्वारा देय ऋण की मात्रा कितनी है जिसे परमाणु अस्त्रों के परीक्षण किए जाने के कारण रोक दिया गया था;

(ख) एशियाई विकास बैंक द्वारा धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को पुनः ऋण जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक ने किसी ऋण को आस्थगित नहीं किया था क्योंकि एशियाई विकास बैंक के चार्टर में इस प्रकार के आस्थगन का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, मई, 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद बैंक के निदेशक मण्डल के कुछ सदस्यों ने भारत में मानव की गैर-बुनियादी जरूरतों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए ऋण देने का समर्थन नहीं दिया था। इसके बावजूद, मई, 1998 के बाद बैंक ने भारत के लिए ऋणों को मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

फूलों का निर्यात

***458. श्री उत्तमराव ढिकले :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्यात किए गए फूलों की मात्रा राज्य-वार क्या है;

(ख) फूलों के निर्यात के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख तीन कम्पनियां कौन-सी हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार का मुम्बई हवाई अड्डे के निकट फूलों के लिए शीतागार के निर्माण का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार फूलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए नीदरलैंण्ड के साथ बातचीत कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) निर्यातित फूलों की मात्रा किसी एक समान इकाई में प्रदर्शित नहीं होती है। निर्यात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.), कलकत्ता द्वारा समग्र देश के लिए रखे जाते हैं न कि राज्यवार। 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्यातित फूलों का मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-1998	81.21
1998-1999	96.61
1999-2000*	90.63

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कलकत्ता/एपीडा, नई दिल्ली

*अनन्तिम

(ख) फूलों के सर्वोच्च तीन निर्यातक हैं:- (1) मै. रमेश फ्लावर्स लि., तूतीकोरिन, (2) मै. डेकान फ्लोराबेस लि., मुम्बई और (3) मै. वसावी फ्लोरैक्स इंडस्ट्रीज लि., बंगलौर। उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित सीमा तक बुनियादी सुविधाओं के विकास, निर्यात संवर्धन और बाजार विकास, मालभाड़ा इमदाद तथा पैकेजिंग विकास के लिए एपीडा की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी गई है।

कम्पनी का नाम	(राशि (लाख रुपए में)
मै. रमेश फ्लावर्स लि. तूतोकोरिन	3.00
मै. डेकान फ्लोराबेस लि., मुम्बई	62.35
मै. वसावी फ्लोरैक्स इंडस्ट्रीज लि., बंगलौर	16.68

(ग) और (घ) छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुम्बई पर 2484 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक 70,000 मी. टन क्षमता वाले शीत भंडारण संयंत्र का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं को एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण

***459. श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक का हुडको, राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध करके कम लागत वाले आवास का वित्त पोषण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक द्वारा क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) इस ऋण को कब तक वितरित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा ऐसे वित्त पोषण हेतु किन्हीं विशिष्ट योजनाओं का चयन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी दस वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत हुडको द्वारा ऐसे कितने आवासों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) एशियाई विकास बैंक आवास वित्त परियोजना के लिए आवास और शहरी विकास निगम लि. (100 मिलियन अमरीकी डालर), राष्ट्रीय आवास बैंक (40 मिलियन अमरीकी डालर), आवास विकास वित्त निगम (80 मिलियन अमरीकी डालर) और आई.सी.आई.सी.आई. लि. (80 मिलियन अमरीकी डालर) को 300 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने पर विचार कर रहा है।

(ख) ऋण की निबंधन और शर्तों तथा अन्य ब्यौरों पर इस समय वार्ता की जा रही है।

(ग) ऋण के संवितरण के समय के संबंध में एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण को मंजूरी दिए जाने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

(घ) एशियाई विकास बैंक ने वित्त-पोषण हेतु किन्हीं विशिष्ट योजनाओं का चयन नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अगले दस वर्षों में "हुडको" द्वारा निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या के संबंध में निर्णय ऋण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लिया जाएगा।

केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना

***460. श्री विक्रम केशरी देव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या औद्योगिक विकास विभाग को बढ़ावा देने के लिये देश में "केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना" लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में यह योजना लागू है और इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों जैसे के.बी.के. जिलों में भी विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए दिसंबर, 1997 में एक नयी औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतों की घोषणा की थी। उक्त नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना हेतु प्रावधान किया जाना भी शामिल है।

(ख) यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम शामिल हैं। इस योजना के तहत, उक्त क्षेत्र में अभिज्ञात स्थानों पर स्थापित नयी औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% की दर से ब्याज राजसहायता अनुमत्य है।

(ग) इस योजना को उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों जैसे के.बी.के. जिलों में विस्तारित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

आई.टी.सी. द्वारा कर अपवंचन

4913. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.टी.सी. लिमिटेड पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर आदि के भुगतान/अपवंचन के रूप में सरकार का करोड़ों रुपये का बकाया है;

(ख) यदि हां, तो आई.टी.सी. पर बकाया करों/आई.टी.सी. द्वारा भुगतान से अब तक बचने का विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कम्पनी कब से करों के भुगतान से बच रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में आई.टी.सी. लिमिटेड की सम्पत्तियों, बैंक खातों को कुर्क करने सहित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1973 से 1991 की अवधि के दौरान दर्ज किए गए 28 मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के कारण मैसर्स आई.टी.सी. लि. की देनदारी 153.5 करोड़ रुपए (लगभग) है। 803.76 करोड़ रुपए के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कथित अपवंचन के लिए मैसर्स आई.टी.सी. की 5 इकाइयों और उनके जाब कामगारों के विरुद्ध एक और मामला दर्ज किया गया था। इसमें से न्यायनिर्णयन में 799.34 करोड़ रु. की पुष्टि हो गई थी (आई.टी.सी. के विरुद्ध 681.54 करोड़ रुपए और जाब-कामगारों के विरुद्ध 117.80 करोड़ रुपए) और मैसर्स आई.टी.सी. पर 66.50 करोड़ रुपए, जाब कामगारों पर 7 करोड़ रुपए और कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध 3.15 करोड़ रुपए का अर्थ दण्ड लगाया गया था। 350 करोड़ रुपए की पूर्व जमा पर सीगेट ने उनकी अपील की सुनवायी की और जाब कामगारों के विरुद्ध मामले को छोड़ दिया और सभी अर्थदण्ड रद्द कर दिए तथा न्यायनिर्णयन में आई.टी.सी. के विरुद्ध पुष्टि की गई शेष राशि से संबंधित शुल्क के पुनःनिर्धारण का आदेश दिया था। परन्तु यह मामला भी विभाग और आई.टी.सी. द्वारा उच्चतम न्यायालय में की गई अपील की विषयवस्तु है।

दानकर के संबंध में स्रोत पर कर कटौती को देरी से जमा करने के लिए मैसस-आई.टी.सी. पर वर्ष 1998-99 के दौरान एक करोड़ रुपए का अर्थदण्ड और 10,79,562 रुपए का ब्याज लगाया गया था। कम्पनी ने इन आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है।

जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है, वर्ष 1992 और 1997-98 से संबंधित दो मामलों में 0.70 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि बकाया है।

(घ) उपर्युक्त मामले अपीलों के विभिन्न चरणों में हैं और वसूली करने के उपाय अपीलीयी प्राधिकारियों के निर्णयों पर निर्भर करेंगे।

क्षयरोग-रोधक औषधियों का अवैध व्यापार

4914. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक जापानी कंपनी द्वारा क्षयरोग-रोधक औषधि पाइराजिनामाइड का निर्माण करने के लिए 2-साइनापाराजिन (क्षयरोग-रोधक इंटरमीडिएट) की आपूर्ति करने के मामले में अवैध व्यापार व्यवहार अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जापानी कंपनी द्वारा भारत को आपूर्ति की जा रही 2-साइनापाइराजिन का बिक्री मूल्य दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड आदि की तुलना में क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योग विनिर्माता जो दूसरे मार्गों से पाइराजिनामाइड का निर्माण कर रहे हैं, को जापान द्वारा अपनाये जा रहे अवैध व्यापार व्यवहार के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए जापानी कंपनियों द्वारा अपनाये जा रहे अवैध व्यापार व्यवहार को समाप्त करने के लिए पाटन-रोधी शुल्क लगाने और इस मामले को जापान सरकार के साथ उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) सरकार द्वारा ऐसे मूल्यों से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं जिन पर अन्य देशों की कंपनियां विदेशों में औषधियां बेचती हैं। तथापि, जब स्वदेशी उद्योग हानि के प्रथम दृष्टया साक्ष्य और आयातित वस्तुओं के पाटन तथा स्वदेशी उद्योग को हानि के बीच आकस्मिक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ निर्दिष्ट प्राधिकरण में कोई आवेदन दायर करता है, तब सरकार भारत में पाटन-रोधी जांच आरंभ करती है। ऐसे प्रत्येक मामले की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जिसमें अंतिम (निश्चित) शुल्क की सिफारिश की गई है, जिसमें अनंतिम शुल्क की सिफारिश की गई है और जिसमें जहां तक जापान से आयात के विरुद्ध पाटन-रोधी जांच का संबंध है, मामला आरंभ कर दिया गया है।

विवरण

1. वे मामले जिनमें निश्चित (अंतिम) डंपिंग रोधी शुल्कों की सिफारिश की गई है

क्र. सं.	उत्पाद	आरंभ करने की तिथि	देश	याचिकाकर्ता का नाम	प्रारंभिक रूप से पता चलने की तिथि	अंतिम रूप से पता चलने की तिथि	शुल्क की रेंज (रु. प्रति एकक) (प्रारंभिक)	सिफारिश किये गये शुल्क की रेंज (रु. प्रति एकक) (प्रारंभिक)	आरोपण की तिथि	की गई समीक्षा	समीक्षा के बाद राजस्व विभाग द्वारा लगाई गई राशि
1.	बिस्फेनोल ए	12.8.92	जापान	मै. मित्सुई पेट्रोकेमिकल्स लि.	10.8.93	18.2.94	निर्यात के सीआईएफ मूल्य का 28.9%	रु. 7477/- एम.टी.	11.3.94	29.9.96 (एम) 11.8.99 (एम)	शून्य
2.	एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर)	28.10.94	जापान	मै. गुजरात एपर लि.	–	19.10.95	–	रु. 29036/- एम.टी.	14.11.95	1.4.99 (एम)	रु. 7082 [illegible]
3.	विटामिन सी	26.5.97	जापान और चीन जनवादी	जोकेमल लेबोरेटरीज प्रा.लि.,	11.3.98	25.5.98	रु. 27.59-61.96/कि.ग्रा.	रु. 27.59-61.96/किग्रा.	24.7.98	13.6.2000 (एम)	यू.एस. डालर 12.17-यू.एस. डालर 12.62
4.	पालीस्ट्राइन	16.6.97	कोरिया रि., जापान, ताईवान, मलेशिया	एसो. आफ पालीस्ट्राइन (सुप्रीम पैट्रोकैम) (पैट्रोकेम)	12.5.98	14.9.98	रु. 2677/एमटी-रु. 11388/एमटी	रु. 1963-13493/- एमटी	17.11.98		
5.	एक्रीलिक रेशे	7.1.98	इटली, स्पेन, पुर्तगाल और जापान	इंडियन एक्रीलिक्स लि.,	20.10.98	24.12.98	रु. 2.69/किग्रा-रु. 8200/किग्रा	रु. 2.69/-किग्रा-रु. 82.00	22.1.99		
6.	औद्योगिक सिलाई सुईयां	16.1.98	जापान, कोरिया, चीन	मै. ऐलाइड सीवर्स प्रा.	2.12.98	12.4.99	रु. 126 से रु. 1224 प्रति हजार सुईयां	निल शुल्क वापस (एक मामला)	20.5.99		
7.	इपीडीएम	20.5.98	कनाडा	मै. हर्डिलिया यूनिमर्स लि.	24.12.98	14.5.99	रु. 10716 से रु. 11446 और अमरीकी डालर/किग्रा.के सीआईएफ मूल्य के बीच का अंतर	रु. 100644 से	रु. 104725 और अमरीकी डालर/किग्रा. के सीआईएफ मूल्य के बीच का अंतर	13.7.99	
8	एमईके	7.4.98	जापान, कोरिया, तुर्की, चीन, ताईवान, सं.रा. अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस	मै. सिंथेटिक केमिकल्स लि.,	21.1.99	2.6.99	रु. 48.20/किग्रा. से रु. 62.16/किग्रा.	रु. 48.20/किग्रा. से रु. 62.16/किग्रा.	24.8.99		
9.	ताप संवेदनशील कागज	9.3.99	यूरोपीय संघ, जापान	आल इंडिया पेपर कोटर्स एसोसिएशन	18.8.99	3.3.2000	रु. 5.84-रु. 6.53/वर्ग मी.	रु. 1.61-रु. 1.84/- वर्ग मीटर	6.4.2000		

(*) टिप्पणी : अंतिम पड़ाव समीक्षा और मध्यावधि समीक्षाएं नियमों के अनुसार की जाती हैं।

** टिप्पणी : नामोद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित अंतिम शुल्क केन्द्र सरकार (वित्त मंत्रालय) के विचाराधीन हैं।

2. वे मामले जिनमें प्रारंभिक शुल्क अधिसूचित हैं और अंतिम शुल्क लंबित हैं

क्र.सं.	उत्पाद	प्रारंभ करने तथा पूर्ण करने की तारीख	देश	प्रार्थी का नाम	अनंतिम निष्कर्षों की तारीख	अनंतिम शुल्कों की दरें
1.	एरूलाइन	13.9.99 13.9.2000	सं.रा. अमेरिका और जापान	नर्मदा केमाट्यूर पेट्रोकेमिकल्स लि.	8.3.2000	रु. 3.43–रु. 7.88/किग्रा
2.	हाइड्रोक्सी एमीन सल्फेट	2.3.2000 2.3.2001	सं.रा. अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ	दीपक नाइट्राइट लि.	4.8.2000	यू.एस. डालर 1709.34–यू.एस. डालर 1751.33/एम.टी.

3. अनंतिम शुल्क हेतु निरीक्षणाधीन मामले

क्र.सं.	उत्पाद	प्रार्थी का नाम	प्रारंभ करने तथा पूर्ण करने की तारीख	देश
1.	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा मेनूफेक्चरर्स एसोसिएशन	26.5.2000 26.5.2000	इरान, सउदी अरब, सं.रा. अमेरिका और जापान

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निर्यात घोटाले का पर्दाफाश

4915. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने मुम्बई स्थित एक व्यवसाय समूह और वरिष्ठ आयकर अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए 100 करोड़ रुपए मूल्य से भी अधिक के एक बहुत बड़े निर्यात घोटाले का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोटाले की कार्य-प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सारे मामले की जांच करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुम्बई की दो निजी लिमिटेड कम्पनियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए थे। इन कम्पनियों पर यह आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर निर्यातों से अधिक बीजक बनाने में संलिप्त थीं जिसके कारण अनुचित रूप से सरकार को सौ करोड़ से भी अधिक की क्षति हुई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन कम्पनियों की तलाशियां ली गई थी और मामलों की जांच सक्रिय रूप से की जा रही है। मामले में साक्ष्य छिपाकर और इन कम्पनियों के निदेशकों को अनुचित समर्थन प्रकट करके कुछ आयकर अधिकारियों द्वारा सरकारी पद के दुरूपयोग के आरोपों की भी जांच पड़ताल की जा रही है।

[हिन्दी]

"ग्रिड गोदाम" योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

4916. श्री जय प्रकाश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने ग्रिड गोदाम योजना के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वित्तीय सहायता कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए गोदामों का निर्माण करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन 20 गोदामों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 822.78 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है।

(ग) राज्य सरकार से कुछ स्थानों पर अतिरिक्त भण्डारण क्षमता और अधिक लागत अनुमानों के औचित्य के बारे में मांगे गए कुछ स्पष्टीकरणों की वजह से निर्णय लम्बित हैं।

[अनुवाद]

ऋण माफ किया जाना

4917. श्री जोवाकिम बखला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1984-94 के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब को दिए गए 8,400 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋण को माफ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितना ऋण दिया गया है तथा साथ ही यह ऋण किस विशेष उद्देश्य हेतु दिया गया था;

(ग) क्या केन्द्र ने गत तीन वर्षों के दौरान दूसरे राज्यों को भी ऋण प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा यह ऋण किस उद्देश्य हेतु दिया गया था; और

(ङ) आए विनाशकारी चक्रवात के बाद उड़ीसा को कितना केन्द्रीय ऋण प्रदान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1995-2000 की अवधि के लिए पंजाब को विशेष आवधिक ऋण के रूप में दिए गए 495.22 करोड़ रुपए के मूलधन के एक तिहाई पुनर्भुगतान को माफ कर दिया गया था। इसके अलावा भारत सरकार ने इसी अवधि के दौरान पंजाब सरकार को दिए गए 2917.89 करोड़ रुपए की राशि के विशेष आवधिक ऋणों (मूलधन एवं ब्याज) के पुनर्भुगतान दायित्वों को भी माफ कर दिया था। ग्यारहवें वित्त आयोग, जिसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में संसद के पटल पर रखी गई है, ने वर्ष 1984-94 के दौरान पंजाब सरकार को दिये गए विशेष आवधिक ऋणों के ऋण और ब्याज के भुगतान की किस्तों के स्थगन की सिफारिश की है, यह भुगतान पंजाब सरकार द्वारा 2000-05 की अवधि के दौरान किया जाना था।

(ख) पंजाब सरकार को राज्य योजना के लिए 1984-85 से 1993-94 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में जारी किए गये विशेष आवधिक ऋणों का वर्ष-वार विवरण-I संलग्न है।

(ग) से (ङ) राज्यों को केन्द्रीय सहायता सामान्यतया मासिक किस्तों में उनकी वार्षिक योजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में जारी की जाती है। पिछले तीन सालों में उड़ीसा समेत राज्यों को जारी सकल ऋणों का विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

पंजाब को दिया गया विशेष आवधिक ऋण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
1984-85	290.25
1985-86	281.31
1986-87	349.35
1987-88	650.00
1988-89	730.00
1989-90	560.01
1990-91	800.00
1991-92	600.00
1992-93	600.00
1993-94	939.00

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान जारी किया गया सकल ऋण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1529.77	1360.58	1832.90
2.	अरूणाचल प्रदेश	44.64	51.69	51.60
3.	असम	131.67	146.38	150.70
4.	बिहार	959.21	1383.32	1577.25
5.	गोवा	54.41	48.46	47.73
6.	गुजरात	651.67	906.80	1050.15
7.	हरियाणा	316.31	288.03	348.76
8.	हिमाचल प्रदेश	60.50	79.94	103.99
9.	जम्मू और कश्मीर	224.89	235.19	289.59

2	3	4	5
कर्नाटक	620.68	726.57	900.73
केरल	381.10	469.09	495.29
मध्य प्रदेश	885.65	982.63	1335.09
महाराष्ट्र	1306.14	1073.09	849.09
मणिपुर	62.37	51.08	66.41
मेघालय	25.77	32.50	36.18
मिजोरम	31.98	32.25	36.76
नागालैंड	29.49	36.40	47.27
उड़ीसा	830.75	850.19	845.17
पंजाब	391.95	299.18	285.83
राजस्थान	628.54	806.96	763.77
सिक्किम	20.96	24.94	30.35
तमिलनाडु	967.09	794.05	986.97
त्रिपुरा	41.56	54.84	90.69
उत्तर प्रदेश	2035.08	2050.57	2411.78
पश्चिम बंगाल	1072.38	1468.86	1460.80

न्दी]

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

4918. श्री ब्रजमोहन राम : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति के प्रारूप को सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वसम्मति द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रारूप को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) इसकी कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया था। उनमें से कुछ से प्राप्त टिप्पणियों पर नीति पर पुनः प्रारूप तैयार करते समय विचार किया गया था।

(ग) से (ङ) प्रारूप सरकार के विचाराधीन है। सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् नीति घोषित कर दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में निर्यातोन्मुख इकाइयां

4919. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों के कब तक लगाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) निर्यातोन्मुख इकाई (ई.ओ.यू.) योजना के तहत इकाइयों की स्थापना उद्यमियों द्वारा की जाती है और इसके लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जाते हैं। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अब तक ई.ओ.यू. की स्थापना हेतु तीन प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से, एक इकाई पहले ही स्थापित की जा चुकी है और शेष दो इकाइयां कार्यान्वयन के अधीन हैं और इनकी स्थापना एक वर्ष के भीतर होने की संभावना है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की बर्बादी

4920. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 2000 को ''पायोनियर में'' ''पुअर हारवेस्ट लासेस इनफ टू फीड 70 मिलियन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) प्रति वर्ष खाद्यान्नों के भंडारण पर कितनी राशि व्यय की जाती है;

(घ) क्या सरकार ने भण्डारण हेतु नियत राशि के उचित उपयोग के संबंध में निगरानी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के भारी मात्रा में नुकसान को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है;

(छ) क्या पंजाब में निम्नस्तरीय धान का कोई खरीदार न होने के कारण वहां भण्डारण की समस्या हो गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) समाचार में प्रकाशित मामले का सार निम्नानुसार है:-

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण और हैंडलिंग पर प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद देश को फसल कटाई उपरांत अवधि में भारी हानि वहन करनी पड़ती है।

(2) विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि बर्बाद होने वाला अनाज 70-100 मिलियन लोगों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है। पंजाब जैसे राज्य में भी धान और गेहूं की फसल कटाई उपरांत ''हैंडलिंग'' की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां 15 से 20% हानि होती है।

(3) इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपीन्स के एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि अनाज भंडारण भांडागारों में सुधार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनाज व्यापार से संसाधन सृजित करने चाहिए।

(4) वर्ष 2020 तक देश को कम से कम 200-230 मिलियन टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी और जब तक अनाज की बर्बादी को रोका नहीं जाता है, तब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती।

(5) खुले में भंडारण करने में खाद्यान्नों को वर्षा और अन्य जैविक घटकों से क्षति पहुंचती है। ढुलाई के दौरान भी हानियां होती हैं।

(6) कच्ची भूमि पर स्थित क्रय केन्द्रों के कारण भी हानियां होती हैं।

(7) भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की हैंडलिंग लागत भी काफी अधिक है जिसे कम करना अपेक्षित है।

यह स्पष्ट है कि कीटों, कृन्तकों, नमी, पक्षियों, सूक्ष्म-जीवों आदि के कारण फार्म स्तर पर फसल कटाई उपरांत की अवधि के दौरान होने वाली खाद्यान्नों की हानि की सही मात्रा ज्ञात नहीं है। तथापि, डा. पी.जी. पानसे की अध्यक्षता वाली समिति ने 1968 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों की फसल कटाई उपरांत की वार्षिक हानियां 9.33% हैं। इसमें थ्रेसिंग के दौरान (1.68%), ढुलाई के दौरान (0.15%), प्रसंस्करण के दौरान (0.92%), कृन्तकों से (2.50%), पक्षियों से (0.85%), कीटों से (2.55%) और नमी से होने वाली (0.68%) हानियां शामिल हैं। 1973-74 के दौरान विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि फसल कटाई उपरांत लगभग 5% खाद्यान्नों की हानियां होती हैं जिसमें भंडारण हानियां लगभग 2.74% अनुमानित थी। 1985-88 के दौरान भारतीय कृषि सांख्यकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय अनाज संचयन प्रबन्धन और अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में किये गये सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि फसल कटाई उपरांत विभिन्न स्तरों पर विभिन्न घटकों से कुल लगभग 4.12% खाद्यान्नों की हानियां होती हैं।

(ग) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (संशोधित अनुमान) में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण पर वहन वार्षिक खर्च के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

	1998-99 (अनंतिम)	1999-2000 (सं.अ.)
भंडारण प्रभार	730	790

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के संबंध में मंत्रालय में मासिक/तिमाही अन्तराल पर नियमित मानीटरिंग की जाती है।

(च) हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई में होने वाली हानियों को रोकने की दृष्टि से सरकार ने देश में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। इस नीति में खाद्यान्नों की समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

चूंकि कुल उत्पादन का लगभग 70% घरों में रखा जाता है और अनुपयुक्त भंडारण के कारण खाद्यान्नों की काफी मात्रा बर्बाद हो जाती है इसलिए फार्म स्तर पर फसल कटाई उपरांत होने वाली हानियों को कम करने के लिए नीति में निम्नलिखित व्यवस्था है:-

(1) वैयक्तिक फार्म स्तर पर धातु बिनों और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू करना और उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ सामुदायिक स्तर पर आर.सी.सी. बिनों का निर्माण करना।

(2) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण और परिरक्षण तथा किसानों के बीच उनके प्रचार के लिए अन्न सुरक्षा अभियान योजना के मौजूदा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान घटकों को सुदृढ़ बनाना।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

[हिन्दी]

चालू परियोजनाएं

4921. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में चल रही बहुत सी परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और यह राज्य इलैक्ट्रानिक मीडिया नेटवर्क के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से उपेक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और उन पर की गई कार्यवाही सहित 2000-2001 के दौरान इस क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक मीडिया नेटवर्क का विस्तार करने/मजबूत बनाने हेतु अंतिम रूप से स्वीकृत कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) राजस्थान में आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति सामान्य रूप से संतोषजनक रही है। कार्यान्वयनाधीन 3 आकाशवाणी और 15 दूरदर्शन परियोजनाओं में से केवल एक आकाशवाणी परियोजना और सात दूरदर्शन परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ रही हैं। आकाशवाणी द्वारा राज्य के 91.5 प्रतिशत क्षेत्र एवं 98.8 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया जाता है जो क्रमश: 90 प्रतिशत एवं 98.8 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में अच्छी है। दूरदर्शन द्वारा स्थलीय रूप से 70.1 प्रतिशत क्षेत्र और 76.2 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया जाता है जो 75.6 प्रतिशत क्षेत्र एवं 88.2 प्रतिशत जनसंख्या की राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कुछ कम है।

(ख) प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार/सुदृढ़ीकरण से संबंधित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा देरी के कारणों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है। नए आकाशवाणी केन्द्र और टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। इन अनुरोधों को विस्तार योजनाओं को तैयार करने के समय पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के अधीन विचार करने के लिए नोट कर लिया गया है।

विवरण

राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	विलम्ब के कारण, यदि कोई है
आकाशवाणी		
1.	जयपुर-6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टीरियो प्लेबैक सुविधाएं	
2.	जोधपुर-300 कि.मी.मी.वे.ट्रां. (100 कि.वा.मी.वे.ट्रां. की प्रति.)	
3.	कोटा-20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का प्रति.)	स्थल के सर्वेक्षण में समस्याएं। अब स्थल की चार दिवारी की जा रही है और सिविल निर्माण कार्य के अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

क्र.सं.	परियोजना	विलम्ब के कारण, यदि कोई है
दूरदर्शन		
उ.श.ट्रां.		
1.	अजमेर	
2.	बाड़मेर (स्थायी स्थापना)	300 मी. टावर के निर्माण में विलंब।
3.	जयपुर (डीडी-2)	–
4.	जोधपुर (डीडी-2)	–
अ.श.ट्रां.		
5.	भिनमल	स्थल अधिग्रहण में विलंब
6.	किशनगढ़ (अजमेर)	-तदैव-
7.	नसीराबाद	–
8.	विजयनगर	–
9.	पिरावा	स्थल अधिग्रहण में विलम्ब
10.	संचोर	-तदैव-
11.	सोजात	-तदैव-
12.	अजमेर (डीडी-2)	–
13.	बीकानेर (डीडी-2)	–
अ.अ.श.ट्रां.		–
14.	तिबी	–
स्टूडियो		
15.	उदयपुर	स्थल पर विवाद है, न्यायालय में मामला लम्बित है

[अनुवाद]

विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा का कोटा

4922. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव काफी लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन प्रस्तावों पर चर्चा की गई है;

(ग) क्या विदेश यात्रा के दौरान विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यद्यपि विदेश यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इस कोटे को 1 जून, 2000 से प्रभावी विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत

बढ़ा दिया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (चालू खाता लेन-देन) नियम, 2000 जिसमें मूल यात्रा कोटा के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है, को "फेमा" के अंतर्गत तैयार किया गया है और इसे सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर-381 (ई) दि. 3 मई, 2000 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस कोटे को विदेश यात्रा हेतु प्रति कलैंडर वर्ष में 5,000/- अमरीकी डालर तथा कारोबार सम्बन्धी की गयी यात्रा आदि के लिए 25,000/- अमरीकी डालर तक बढ़ा दिया गया है। यदि विदेशी मुद्रा की राशि उक्त सीमा को पार कर जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंन्ध (चालू खाता लेन-देन) नियम की अनुसूची-3 में स्पष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

पहाड़ी और मरूस्थलीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ

4923. श्री पुष्प जैन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों विशेषकर पहाड़ी और मरूस्थल क्षेत्रों को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से राजस्थान के संदर्भ में प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राजस्थान को आबंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं। जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो सभी क्षेत्रों में निर्धनों को कवर करती है, के आरंभ होने से "गरीब क्षेत्रों में सब" पर जोर देने वाली सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरर्थक हो गई। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके अधीन देश में पहचान किए गए 1775 खण्डों को सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 पैसे कम प्रति किलोग्राम पर खाद्यान्न जारी किए जाते थे, अब लागू नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद की प्रदर्शनियां

4924. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनियों का आयोजन करती है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद् द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन विषयों पर, कहां-कहां कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की गई;

(ग) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद का विचार चालू वर्ष के दौरान दिल्ली से बाहर देश के अन्य भागों में प्रदर्शनियां आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान भारत में आयोजित विशेष प्रदर्शनियों/मेलों की सूची

क्र.सं.	मेले का नाम	तिथि	उद्देश्य/मदें	स्थान
1	2	3	4	5
1.	सामाजिक विकास मेला	12-20 अप्रैल, 1997	सामाजिक एवं सामुदायिक विकास परियोजना	प्रगिति मैदान नई दिल्ली
2.	दिल्ली इंट. शू फेयर	28-31, जुलाई, 1997	जूते तथा इससे संबंधित उत्पाद	-वही-

1	2	3	4	5
3.	फिल्म फेयर	23-31, अगस्त, 97	फिल्मों से संबंधित उपकरण	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
4.	दिल्ली पुस्तक मेला	9-17, अगस्त, 99	पुस्तकें एवं प्रकाशन	-वही-
5.	मिस्टीक इंडिया	20-28, अक्तूबर, 97	भारतीय चिकित्सा पद्धति	-वही-
6	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी	18-21 दिसम्बर, 97	सुरक्षा उपकरण	-वही-
7.	राष्ट्रीय बाल मेला	20 दिस. 1997- 4 जनवरी, 1998	बाल वस्तुएं, किताबें, खेल कूद का सामान इत्यादि	-वही-
8.	आहार	16-20 मार्च, 1998	प्रसंस्कृत खाद्य	-वही-
9.	टैक्स-स्टाइलस	29 जनवरी- 1 फरवरी, 1998	वस्त्र, गृह साजो-सामान, मेड अप्स तथा संबद्ध उत्पाद	-वही-
10.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला	5-9, फरवरी, 1998	चर्म एवं चर्म उत्पाद	चेन्नई
11.	अंतर्राष्ट्रीय चर्म सामान मेला	7-9 मार्च, 1998	भारतीय चर्म सामान	कलकत्ता

वर्ष 1998-99 के दौरान भारत में आयोजित विशेष प्रदर्शनियों/मेलों की सूची

क्र.सं.	मेले का नाम	तिथि	उद्देश्य/मदें	स्थान
1	2	3	4	5
1.	सामाजिक विकास मेला	08-17 मई, 1998	सामाजिक एवं सामुदायक विकास	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
2.	दिल्ली इंट-शू फेयर	02-05 जुलाई, 98	जूते तथा इससे संबंधित उत्पाद	-वही-
3.	दिल्ली पुस्तक मेला	08-16 अगस्त, 98	पुस्तकें एवं प्रकाशन	-वही-
4.	उजाला	08-16 अगस्त, 98	बिजली उपकरण	-वही-
5.	मिस्टीक इंडिया	07-15 अक्तू., 98	भारतीय चिकित्सा पद्धति	-वही-
6.	राष्ट्रीय बाल मेला	02 दिस. 98-2 जनवरी, 1999	बाल मदें पुस्तकें, खेल कूद का समान इत्यादि	-वही-
7.	प्रिंट पैक इंडिया	7-12 जन. 1999	मुद्रण एवं पैकजिंग सामग्री	-वही-
8.	फिल्म फेयर	11-17 जन. 99	फिल्म से संबंधित उपकरण	हैदराबाद

1	2	3	4	5
9.	आहार	22-26 मार्च, 99	प्रसंस्कृत खाद्य, प्रसंस्कृत खाद्य मशीनरी होटल उपकरण	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
10.	टैक्स-स्टाईलस	01-04 फर., 99	वस्त्र, गृह साजो-सामान, मेड-अप्स तथा संबद्ध उत्पाद	-वही-
11.	भारत अंतर्रा. चर्म मेला	31 जनवरी-4 फरवरी, 99	भारतीय चर्म सामान	चेन्नई
12.	अंतर्रा. चर्म सामान मेला	06-08 मार्च, 99	भारतीय चर्म सामान	कलकत्ता

वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत में आयोजित विशेष प्रदर्शनियों/मेलों की सूची

क्र.सं.	मेले का नाम	तिथि	उद्देश्य/मदें	स्थान
1.	सामाजिक विकास मेला, 99	15-23 मई, 99	सामाजिक एवं सामुदायिक विकास परियोजनाएं	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
2.	शू काम्प/शू फेयर, 99	01-03 जुलाई, 99	जूतें एवं इससे संबंधित उत्पाद	-वही-
3.	दिल्ली पुस्तक मेला, 99	14-22 अगस्त, 99	पुस्तकें एवं प्रकाशन	-वही-
4.	स्टेशनरी फेयर, 99	14-22 अगस्त, 99	स्टेशनरी मदें	-वही-
5.	मिस्टिक इंडिया, 99	08-12 अक्टू., 99	भारतीय चिकित्सा प्रणाली	-वही-
6.	प्रकाश, 99	29 अक्टू. से 3 नवम्बर, 99	बिजली उपकरण	-वही-
7.	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अग्नि मेला, 99	8-11 दिसम्बर, 99	सुरक्षा एवं अग्नि शमन उपकरम	-वही-
8.	राष्ट्रीय बाल मेला, 2000	24 दिस., 99 से 3 जनवरी, 2000	बाल उत्पाद एवं खेल कूद का सामान इत्यादि	-वही-
9.	कृषि एक्सपो, 2000	26 जनवरी से 1 फरवरी, 2000	कृषि उत्पाद एवं मशीनरी	-वही-
10.	आहार, 2000	2 से 6 मार्च, 2000	खाद्य प्रस्संकरणकर्ता एवं प्रसंस्करण तथा होटल उपकरण इत्यादि	-वही-
11.	टैक्स-स्टाइल्स इंडिया-2000	02 से 05 फरवरी, 2000	वस्त्र, गृह साजो सामान, मेड-अप्स और संबद्ध उत्पाद	-वही-
12.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, 2000	31 जन. से 04 फरवरी, 2000	चर्म एवं चर्म उत्पाद	चेन्नई
13.	अंतर्राष्ट्रीय चर्म सामान मेला, 2000	02 से 05 मार्च, 2000	भारतीय चर्म सामान	कलकत्ता
14.	कृषि एक्सपो	26 से 30 जनवरी, 2000	कृषि क्षेत्र में भारतीय प्रगति को प्रदर्शित करना	प्रगति मैदान, नई दिल्ली

16वां अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला-2001 दिनांक 31 जनवरी से 4 फरवरी, 2001 तक चेन्नई में आयोजित किया जाना है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय चर्म सामान मेला-2001 3-5 मार्च, 2001 को कलकत्ता में आयोजित किया जाना है।

केरल में और अधिक दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

4925. श्री टी. गोविन्दन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में स्थापित किए गए दूरदर्शन केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर केन्द्र-वार कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना के दौरान राज्य में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा केरल में कैन्नोर एवं पाला में प्रत्येक में एक-एक अर्थात् दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर क्रमश: 51.70 लाख रुपये और 76.00 लाख रुपये की पूंजीगत लागत पर पिछले तीन वर्ष के दौरान स्थापित किए गए थे।

(ग) और (घ) राज्य में इस समय दो स्टूडियो और 8 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और इन्हें नौवीं योजना अवधि के अन्त तक चरणबद्ध रूप से पूरा किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। स्थान-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स्टूडियो	*उ.श.ट्रां.*
कालीकट	कालीकट
त्रिचूर	कैन्नोर
	कोचीन
	त्रिवेन्द्रम
अ.श.ट्रां.	*अ.अ.श.ट्रां.*
कोट्टरकारा	ईराट्टूपेट्टा
मंगेरी	मुण्डकयाम

[हिन्दी]

कलाकृतियों की प्रदर्शनी

4926. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में भारतीय कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रदर्शनियां किन-किन देशों में लगाई गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, यूनाईटेड किंगडम (यू.के.) और संयुक्त राज्य अमरीका।

[अनुवाद]

ग्यारहवां वित्त आयोग

4927. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक दस वर्षों के पश्चात् केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी वैकल्पिक प्रणाली बनाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने वांछित व्यय पद्धति संपादित करने के संदर्भ में अन्य बातों के साथ-साथ सलाह दी थी कि चूंकि सभी श्रेणी की कर्मचारियों को मूल्यों में वृद्धि के लिए पूर्णत: निष्प्रभावीकरण (न्यूट्रलाइजेशन) दिया जा चुका है, अतएव एक रूटीन के तौर पर और दस सालों के अन्तराल के बाद एक नया वेतन आयोग गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी परिस्थिति विशेष के उत्पन्न होने पर इसे नियुक्त किया जा सकता है।

सड़कों के निर्माण के लिए नाबार्ड ऋण

4928. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक को इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों ने राज्यों में पर्यटक केन्द्रों के लिए पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु ऋण मांगा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) कर्नाटक और महाराष्ट्र में नाबार्ड की सहायता से कितनी सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), ग्रामीण ढांचागत विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत राज्य सरकारों को सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीनों वर्षों के दौरान सड़कों तथा पुलों के लिए प्रदान की गई सहायता राशि का महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य समेत राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के राज्य सरकारों ने राज्य में पर्यटन केन्द्रों तक जाने वाली सड़कों के निर्माण के लिए ऋण की मांग नहीं की है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नाबार्ड की सूचना के अनुसार, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में नाबार्ड सहायता के तहत निर्मित सड़कों तथा पुलों की कुल संख्या निम्नलिखित हैं:-

राज्य	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या
कर्नाटक	1407	299
महाराष्ट्र	2572	598

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान सड़कों तथा पुलों के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदत्त सहायता राशि के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

राज्य	सड़क परियोजना			पुल परियोजना		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	44.81	96.70	66.37	5.65	21.05	26.41
अरुणाचल प्रदेश	-	-	1.17	-	-	4.85
असम	-	-	-	-	36.81	43.84
बिहार	-	-	-	-	-	-
गोवा	-	-	-	-	-	1.87
गुजरात	5.00	14.80	78.64	2.70	0.00	11.58
हरियाणा	2.69	2.07	6.07	0.31	0.47	1.14
हिमाचल प्रदेश	13.15	28.14	33.91	0.88	1.79	4.56
जम्मू व कश्मीर	-	-	44.38	-	-	4.28

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	12.80	67.38	90.74	10.82	27.42	19.65
केरल	–	–	9.37	17.05	18.44	22.66
मध्य प्रदेश	8.92	13.27	21.72	3.11	16.35	13.91
महाराष्ट्र	25.10	11.87	233.46	1.02	0.46	13.03
मेघालय	2.04	0.43	6.84	0.75	0.17	3.69
मिजोरम	–	–	6.89	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	–	0.15
उड़ीसा	3.54	–	4.37	31.67	0.00	66.39
पंजाब	–	7.71	24.50	–	0.52	1.66
राजस्थान	35.60	38.63	47.68	4.62	6.64	7.87
सिक्किम	–	–	6.57	–	–	0.38
तमिलनाडु	84.03	111.36	184.83	–	0.02	29.16
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	4.31
उत्तर प्रदेश	20.99	99.20	154.93	16.05	44.84	33.64
पश्चिम बंगाल	24.32	42.74	88.08	4.68	4.94	8.11
कुल	282.89	534.30	1110.72	99.31	179.92	323.14

[हिन्दी]

विश्व कप क्रिकेट मैचों के प्रसारण का अधिकार

4929. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई देशों की बदनामी के कारण विश्व कप क्रिकेट मैचों के प्रसारण का अधिकार देने में रंगभेद की नीति का प्रभाव बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई देशों ने इस संबंध में एक बैठक आयोजित की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस रंगभेद की नीति के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा विभिन्न प्रसार संस्थाओं को प्रसारण अधिकार देने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

मुद्रणालय

4930. श्री पी. मोहन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने सरकारी मुद्रणालय हैं;

(ख) इनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) इनमें मुद्रणालय-वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में इन मुद्रणालयों का कुल निष्पादन कितना रहा है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इनका प्रतिशतांश कितना है; और

(ङ) संगठन के आकार के आधार पर इन मुद्रणालयों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) इस समय भारत सरकार के 21 मुद्रणालय (प्रेस) हैं, जो शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इन मुद्रणालयों में किया गया कुल पूंजी निवेश 3559.40 लाख रुपये है। इन मुद्रणालयों में नियोजित कर्मचारियों की संख्या गत तीन वर्षों के दौरान इन मुद्रणालयों का कुल उत्पादन और संगठन के आधार पर इन मुद्रणालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	मुद्रणालय का नाम	राज्य जिस में स्थिति है	1.3.99 के स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की सं.	लाख शीट इंप्रेशन में विगत तीन वर्षों का उत्पादन			वर्गीकरण
				1997-98	1998-99	1999-2000	
1.	भासमु (पीएलयू) मिंटो रोड	नई दिल्ली	510	280	344	326	1. भारत सरकार के मुद्रणालयों की स्थापना, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गयी है।
2.	भासमु (एलपीयू) मिंटो रोड	नई दिल्ली	722	128	76	120	
3.	भासमु (एलपीयू) रिंग रोड	नई दिल्ली	1099	377	378	515	
4.	भासमु राष्ट्रपति भवन*	नई दिल्ली	69	*	*	*	
5.	भासमु (एलपीयू) फरीदाबाद	हरियाणा	838	423	376	388	
6.	भासमु (पीएलयू) फरीदाबाद	हरियाणा	189	174	298	307	2. भारत सरकार मुद्रणालय मिंटो रोड और रिंग रोड द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, संसद के दोनों सदनों की मुद्रण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है।
7.	भासमु, निलोखेरी	हरियाणा	433	376	337	387	
8.	भासमु, चंडीगढ़	संघ शासित	264	250	341	654	
9.	भासमु, शिमला	हिमाचल प्रदेश	366	125	165	156	
10.	भासमु, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	605	417	515	445	
11.	भासमु, टेम्पल स्ट., कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	285	442	380	455	
12.	भासमु, पब्लिकेशन संतरागाछी	पश्चिम बंगाल	646	199	152	139	
13.	भासमु, फर्म यूनिट संतरागाछी	पश्चिम बंगाल	693	408	346	357	3. भारत सरकार के मुद्रणालय "न लाभ, न हानि" के आधार पर कार्य करते हैं, चूंकि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य सिर्फ सरकार से ही संबंधित है।
14.	भासमु, गंगटोक	सिक्किम	46	48	55	55	
15.	भासमु, भुवनेश्वर	उड़ीसा	181	142	141	157	
16.	भासमु, पी.टी.जी. प्रेस, मुम्बई	महाराष्ट्र	46	29	31	27	
17.	भासमु, नासिक	महाराष्ट्र	788	826	790	742	
18.	भासमु, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	614	384	438	435	
19.	भासमु, विलंगटन*	तमिलनाडु	30	*	*	*	
20.	भासमु, मैसूर	कर्नाटक	132	307	167	329	
21.	भासमु, कोरट्टय	केरल	326	717	753	889	

*भारत सरकार मुद्रणालय (भा.स.मु.) राष्ट्रपति भवन और वेलिंगटन, राष्ट्रपति सचिवालय तथा रक्षा मंत्रालय के लिए आंतरिक मुद्रणालय हैं और इसलिये उनका उत्पादन मापा नहीं जाता।

संचार सेवाओं के विस्तार के लिए दूरदर्शन के टावरों का उपयोग

4931. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संचार मंत्रालय को संचार-सेवाओं के विस्तार के लिए दूरदर्शन के टावरों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में दूरदर्शन के टॉवरों के ऐसे उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) दूरदर्शन टावरों को टी.वी. एन्टेना स्थापित करने संबंधी विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया जाता है। दूरदर्शन टावरों के उपयोग हेतु बाहरी एजेंसियों से प्राप्त अनुरोधों पर प्रत्येक मामले में टावर विशेष की क्षमता के संदर्भ में विचार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आड्डू फोर्ट में एक टावर को छोड़कर वर्तमान में देश के किसी भाग में दूरदर्शन टावर का संचार मंत्रालय द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ग्वालियर में दूरदर्शन-2 चैनल का प्रसारण

4932. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्वालियर केन्द्र में दूरदर्शन-2 के कार्यक्रमों का अभी तक प्रसारण नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ग्वालियर केन्द्र में मेट्रो चैनल शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) दूरदर्शन के डीडी-2 के कार्यक्रम उपग्रह के जरिए ग्वालियर सहित सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं तथा इन्हें उपयुक्त डिश एन्टिना का उपयोग करके या केबल टी.वी. नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, ग्वालियर में इस समय डीडी-2 का स्थलीय प्रसारण उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन के डीडी-2 सेवा के स्थलीय प्रसारण का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। ग्वालियर में डीडी-2 सेवा के लिए ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु हाल ही में एक स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है और यह संसाधनों की उपलब्धता एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करते हुए लगभग 2-3 वर्ष में पूरी हो जाएगी।

टायरों का निर्यात

4933. श्री तूफानी सरोज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टायरों के निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत कई वर्षों से इसकी कमी का रुझान जारी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मूल्य के टायरों का निर्यात किया गया; और

(ङ) ट्रकों, बसों और कारों के टायरों के निर्यात के संबंध में क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान टायरों के निर्यात में किसी प्रकार का लगातार घटता हुआ रुझान नहीं रहा है। तथापि, केवल 1998-99 के दौरान टायरों के निर्यात में गिरावट हुई थी, जो वर्ष 1997-98 के 916.51 करोड़ रुपए से घटाकर 787.26 करोड़ रुपए के हो गए थे। वर्ष 1998-99 के दौरान टायरों के निर्यात में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों में विश्व बाजार में आम मंदी का रुझान तथा दक्षिण-पूर्वी देशों में मुद्रा अवमूल्यन प्रमुख हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान टायरों का निर्यात नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1994-95	711.41
1995-96	756.66
1996-97	822.11
1997-98	916.51
1998-99	787.26
अप्रैल, 99-जून, 99	198.03

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान बस, ट्रक एवं कार टायरों का निर्यात इस प्रकार है:-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1994-95	574.58
1995-96	610.12
1996-97	670.02
1997-98	774.81
1998-99	618.74
अप्रैल, 99-जून 99	135.63

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस.

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

4934. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान तुलन-पत्रक और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने त्रुटि संबंधी नोटिस जारी किया है और जिनके विरुद्ध कंपनी अधिनियम की धारा 220 के तहत अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसमें विशेषकर ''जयन्ती बिजनिस मशीन्स लिमिटेड'', ''नोवा प्यूमैक लिमिटेड'', ''यूनिलिव फूड लिमिटेड'' के संबंध में स्थिति क्या है; और

(ख) इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एम.पी.ई.डी.ए. का पुनर्गठन

4935. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.पी.ई.डी.ए. का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन किस तारीख को किया गया था;

(ग) क्या बोर्ड में आंध्र प्रदेश के निर्यातकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) बोर्ड को क्या अतिरिक्त कार्य सौंपे गए;

(ङ) क्या आगामी वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 10 फरवरी, 1999 की एक गजट अधिसूचना के द्वारा एक बीस-सदस्यीय प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। बाद में दिनांक 4 अगस्त, 1999 की अधिसूचना द्वारा दो और सदस्यों को अधिसूचित किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

(1) निर्यातों का विशेष ध्यान देते हुए समुद्री उत्पाद उद्योग का विकास करना;

(2) अपतटीय तथा गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास तथा विनियमन करना और अपतटीय तथा गहरे समुद्र में मत्स्यशालाओं के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए उपाय करना;

(3) मात्स्यिकी जलयानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, निर्यातकों तथा उपयोग किए जाने वाले वाहनों का पंजीकरण;

(4) समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित करना;

(5) भारत से बाहर समुद्री उत्पादों के विपणन में सुधार लाना;

(6) समुद्री उत्पाद उद्योग से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना;

(7) समुद्री उत्पाद उद्योग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देना, आदि।

(ङ) तथा (च) एम्पीडा द्वारा भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन से संबंधित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन को जारी

रखा जाएगा। एम्पीडा की स्कीमों/कार्यक्रमों को चार प्रमुख योजना स्कीमों में शामिल किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) निर्यात संवर्धन - मछली पकड़ना

(2) निर्यात संवर्धन - मत्स्य पालन

(3) नई प्रौद्योगिकी लागू करना एवं समुद्री खाद्य उद्योग का आधुनिकीकरण

(4) बाजार संवर्धन।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 1250 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के समुद्री उत्पाद का निर्यात करने का लक्ष्य है, जबकि वर्ष 2001-2002 के लिए लक्ष्य का अभी निर्धारण किया जाना है।

कॉफी की नई किस्म

4936. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड कॉफी की कुछ ऐसी नई किस्मों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो कीटों और अन्य समस्याओं का प्रतिरोध करने में सक्षम होंगी;

(ख) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कॉफी की इस नई किस्म को विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई सहायता मांगी गई है;

(ङ) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों में कॉफी की इस नई किस्म की पैदावार कितने एकड़ क्षेत्रफल में की जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, हां। कॉफी बोर्ड ने भारतीय कॉफी प्रदेशों के अनुकूल कॉफी को कीट/रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित करने के लिए कॉफी रस्ट रिसर्च सेंटर ऑफ पुर्तगाल की सहायता से लीफ रस्ट और कॉफी बेरी रोग प्रतिरोधक कॉफी उत्पन्न करने के संबंध में एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की है। इण्टरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट, फ्रांस के सहयोग से प्रमुख कॉफी कीटों अर्थात् कॉफी बेरी बोरर और कॉफी वाइट स्टेम बोरर के खिलाफ ट्रांसजैनिक पौधे विकसित करने की एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) जी, नहीं। इसके बजाय, बोर्ड कॉफी की रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विशेषज्ञता का लाभ लेता आ रहा है।

(ङ) कॉफी की इस नई क़िस्म की खेती कितने एकड़ में की जाएगी, इसका आकलन इन नई किस्मों को जारी करने से पूर्व विभिन्न कृषि जलवायु की दशाओं में कॉफी की नई कीट प्रतिरोधक किस्मों की उपयुक्तता जांचने के बाद ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लंबित प्रस्ताव

4937. **श्रीमती निवेदिता माने : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के समक्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वे कब से लंबित हैं;

(ख) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) इनका निपटान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति और निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। सामान्यत: ये प्रस्ताव निर्धारित समयावधि के भीतर निपटाए जाते है। प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिन पर प्रशासनिक मंत्रालय और आगे जांच करने के लिए अथवा नीति को अंतिम रूप देने के लिए आस्थगन का अनुरोध करते हैं या जिनके संबंध में कुछ सूचना आवेदनकर्त्ताओं से मंगानी अपेक्षित होती है। आज की तिथि के अनुसार ऐसे 36 प्रस्ताव हैं जो विदेशी निवेश संवर्द्धन के पास विचाराधीन पड़े हैं।

[अनुवाद]

औषधि का आयात

4938. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छ: माह के दौरान और आज तक विभिन्न पत्तनों पर 2-साइनोपाईराजाइन ड्रग इंटरमिडिएट को किस मूल्य पर स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) क्या विश्व बाजार में इसका मूल्य लगभग 36 डालर प्रति किलो है;

(ग) यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने 2-साइनोपाईराजाइन ड्रग इंटरमिडिएट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से कहीं कम मूल्य पर स्वीकृति प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस खेप को स्वीकृति प्रदान करने से पहले जापान, कोरिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 2-सी.पी.जेड. के मूल्यों की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार को ऐसे आयात को स्वीकृति प्रदान करने से कितने सीमा शुल्क/राजस्व की हानि हुई; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों और आयातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क), (ग) और (घ) विभिन्न पत्तनों पर 2-साइनोपाईराजाइन ड्रग इंटरमिडिएट की जिस मूल्य पर निकासी की गई है वह 36 अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. से 40 अमेरिकी डालर (लगभग) प्रति कि.ग्रा. के बीच है। किन्तु, यह भी सूचित किया गया है कि ऊपर उल्लिखित ड्रग इंडरमीडिएट की 8 खेपों की एक पत्तन के जरिए जिन घोषित मूल्यों पर निकासी की गई थी वे 20 अमेरिकी डालर से 24 अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. (लगभग) के बीच थे। उपर्युक्त इंटरमिडिएट ड्रग के संदिग्ध न्यून मूल्यांकन से जुड़े पहलू की जांच की जा रही है और एहतियाती तौर पर कम वसूली के लिए मांग जारी कर दी गई है।

(ख) सरकार को उपर्युक्त ड्रग इंडरमिडिएट के मूल्य की जानकारी नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) उपर्युक्त मद के चोरी-छिपे आयात किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। किन्तु, ऊपर पैरा (ग) और (घ) में उल्लिखित 8 खेपों के मामले में मूल्य को 36 अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. मानकर विभेदी सीमा शुल्क के लिए कम वसूली के संबंध में मांगे जारी कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र

4939. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र ने संविदा नियम व शर्तों के तहत विज्ञापनों के संबंध में समय-समय पर भुगतान न करने के बावजूद विभिन्न एजेंसियों के प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसार जारी रखा, जिससे उनके कार्यक्रमों के प्रसारण को न रोके जाने से करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सरकारी अधिकारियों तथा विज्ञापन एजेंसियों की सांठ-गांठ के कारण हुआ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरदर्शन में घोटालों की भरमार

4940. श्री सुकदेव पासवान :
श्री अजय चक्रवर्ती :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन में कई घोटालों जैसे कि क्रिकेट मैचों के टी.वी. प्रसारण का अधिकार, मण्डी हाऊस के भवन का अधूरा निर्माण आदि की भरमार है;

(ख) क्या सरकार ने दूरदर्शन में हो रहे इन घोटालों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी धनराशि के अंतर्ग्रस्त होने और सरकारी राजकोष को हुए घाटे को देखते हुए सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) 1998-99 की अवधि के दौरान क्रिकेट मैचों के अधिकारों की खरीद, खेल आयोजनों के विपणन अधिकारों के आवंटन आदि से संबंधित कुछ अनियमितताएं जानकारी में आई हैं और इनकी भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की जा रही है। दूरदर्शन भवन के निर्माण के संबंध में प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निर्माण एजेंसी की विफलता के कारण कथित भवन के निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है और संविदा प्रावधानों के अनुसार उक्त एजेंसी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

डीसीएम फाइनेंसियल सर्विसेज

4941. श्री जी.जे. जावीया :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीसीएम फआइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड, अमृतनगर, नई दिल्ली ने गत तीन वर्ष के दौरान बार-बार अभ्यावेदन मिलने के बावजूद जमाकर्ताओं को परिपक्वता तिथि के बाद भी सावधि जमा की राशि अदा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी लॉ बोर्ड को जमाकर्ताओं की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58क(9) के तहत बहुत सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक को ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि डी.सी.एम. फाइनेंसियल सर्विसेज लि., अमृतनगर, नई दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्यावेदनों के बावजूद परिपक्वता के बाद जमाकर्ताओं को कुछ सावधि जमाराशियों का भुगतान नहीं किया है।

(ग) से (ङ) कम्पनी विधि बोर्ड (सी.एल.बी.) को भी जमाकर्ताओं से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कम्पनी विधि बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45थक से अधीन दिनांक 17 जुलाई, 1998 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें डी.सी.एम. फाइनेंसियल सर्विसेज लि. को बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार जमाराशियों की वापसी अदायगी करने का निर्देश दिय गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस कंपनी ने अपनी मू कम्पनी से नई निधियों का समावेश करके पुनर्गठन कार्यक्र शुरू किया है और अपने ऋणदाताओं के समक्ष उपर्युक्त प्रस्ता रखने के उसके अनुरोध को माननीय उच्च न्यायालय ने मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

औषधीय गुणयुक्त पादप

4942. डा. संजय पासवान : क्या **वाणिज्य और उद्यो मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधीय गुणों वाले पादपों के लुप्त होने क संभावना बढ़ गई है जोकि अन्यथा देश में बहुतायत में उपलब हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके संरक्षण के लि कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) स (ग) जी, हां। सरकार ने संकटापन्न पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) ने एक रे डाटा बुक तैयार की है जिसमें औषधीय पौधों समे खतरे में पड़ी तथा संकटापन्न पौधों की प्रजातिय सूचीबद्ध की गई हैं;

(2) कानून द्वारा किसी वन अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्र से उ कतिपय पौधों की प्रजातियों के संग्रहण पर प्रतिबं लगा दिया गया है जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-6 में शामिल हैं;

(3) भारत की आयात-निर्यात नीति में वनों से प्राप्त पौधो के भागों की 29 प्रजातियों और उनकी व्युत्पत्तियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तथापि, इन 2 प्रतिबंधित प्रजातियों के पौधे/पौधों के भागों की खेत करके प्राप्त की गई किस्मों के निर्यात की अनुमत इसकी खेती करने से संबंधित प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण और सी.आई.टी.ई.एस. परमिट, जहां लागू हो, के अधीन दी जा सकती है;

(4) संरक्षित क्षेत्रों में औषधीय पौधों को संरक्षित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(5) गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.) द्वारा औषधीय पौधों समेत पौधों के स्वस्थाने पुनः उत्पत्ति करना। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) योजना के अंतर्गत अपक्रमित वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की पुनः उत्पत्ति करना।

[अनुवाद]

एटको इंडस्ट्रीज

4943. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एटको इंडस्ट्रीज दमन के विरुद्ध जनता और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या शिकायतें मिली हैं;

(ग) ये कब से लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एटको इंडस्ट्रीज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुसार, दिनांक 22.8.2000 तक निवेशकों से मैसर्स ए.टी.सी.ओ. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई के विरुद्ध 40 शिकायतें प्राप्त हुईं। आज की तिथि के अनुसार कंपनी के विरुद्ध 8 शिकायतें लम्बित हैं। अधिकांश लम्बित शिकायतें शेयर अन्तरण तथा संबद्ध मामलों से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

बजट-प्रावधान

4944. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों के अधीन विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान तो किए जाते हैं, किन्तु इनका इष्टतम स्तर तक अनुप्रयोग नहीं हो पा रहा है; जिससे कि इन बजट-आवंटनों का मूल प्रयोजन ही निरर्थक सिद्ध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का दोषपूर्ण बजटन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) कभी-कभी मंत्रालय/विभाग स्वीकृत बजट प्रावधान का पूरी तरह उपयोग करने में सक्षम नहीं होते जिसके परिणामस्वरूप बचतें होती हैं। इन बचतों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में टिप्पणियां की जाती हैं जिनकी संसद की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाती है। कार्रवाई लोक लेखा लेखा समिति की सिफारिशों पर की जाती है।

एल.आई.सी. पालिसी के संबंध में भुगतान न की गई राशि

4945. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम का बीमा राशि के भुगतान का तरीका क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें बीमित व्यक्ति को उसके जिन्दा रहते अथवा इसकी मृत्यु के पश्चात् भुगतान न किया गया हो;

(ग) वर्ष-वार कितनी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तथा उस पर ब्याज कितना है; और

(घ) सरकार का विचार इस धनराशि को किस प्रकार उपयोग में लाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे जीवन बीमा पालिसी के अंतर्गत बीमित जीवन/नामिती/दावेदार के नाम से लेखाधारक हेतु जारी किए गए चेक के जरिए बीमा-राशि का भुगतान करते हैं।

(ख) से (घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे पत्रों और व्यक्तिगत प्रयासों से पालिसीधारक से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। यदि इसके बावजूद पालिसीधारक से कोई उत्तर नहीं मिलता अथवा उसका पता-ठिकाना ज्ञात नहीं होता तो इस राशि को ''रिटन बैक'' खाते में अंतरित कर दिया जाता है ताकि

जब भी पॉलिसीधारक जीवन बीमा निगम से संपर्क करे तो पालिसीधारक को इस राशि का भुगतान किया जा सके। ये कोशिशें करने के बाद भी यदि जीवन बीमा निगम पालिसीधारक से संपर्क करने में असफल रहता है तो "रिटन बैक" खाते में अंतरित की गई राशि जीवन-कोष में जमा कर दी जाती है और इसका लाभ अन्य पालिसीधारकों को तब तक दिया जाता है जब तक उक्त राशि हेतु पालिसीधारक द्वारा दावा नहीं किया जाता। इस प्रकार पालिसीधारकों को देय राशि सिर्फ इस वजह से ही काल-बाधित नहीं हो जाती कि उसका दावा समय पर नहीं किया गया।

गत पांच वर्षों से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

वर्ष	दावों की संख्या	"रिटन बैक" से जीवन कोष में अंतरित दावों की राशि (करोड़ रु.)	"रिटन बैक" खाते से अदा की गई राशि (करोड़ रु.)	जीवन कोष में अंतरित की गई "रिटव बैक" खाते की निवल राशि (करोड़ रु.)
1995-96	20240	19.50	07.49	12.01
1996-97	23054	28.43	09.43	19.00
1997-98	18373	31.58	12.09	19.49
1998-99	16975	29.13	13.65	15.48
1999-2000	18593	31.31	12.32	18.99

[अनुवाद]

आर्गेनिक खाद्य के निर्यात में गिरावट

4946. **श्री राशिद अलवी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एपीडा' कृषि उत्पाद निर्यात विकास अभिकरण की दिग्भ्रमित नीतियों के कारण व गहरी जानकारी तथा पृष्ठभूमि के अभाव में इसके अंतर्गत आर्गेनिक खाद्य के निर्यात में प्रगति नहीं हो सकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने 'विज्ञान प्रसार' द्वारा हाल में प्रकाशित एक पुस्तक का अवलोकन किया है जिसमें विश्व-भर में इस व्यवस्था से निपटने के उपायों का उल्लेख किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पुस्तक में उल्लिखित वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त पुस्तक के विभिन्न व्यवहारिक निष्कर्षों का क्रियान्वयन करने के लिए एक कृतिक बल का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी नहीं।

(ख) एपीडा का कार्य कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात को बढ़ावा देना है जिनमें कार्बनिक रूप से उत्पादित मदें भी शामिल हैं। कार्बनिक उत्पादन तथा इसका वाणिज्यिक विपणन तुलनात्मक रूप से वाणिज्यिक हित एवं निर्यात संभावना का एक नया क्षेत्र है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, एपीडा द्वारा संचालित कार्बनिक खाद्य मदों का निर्यात 1998-99 के अनुमानित 26.06 लाख रुपए से बढ़कर 1999-2000 के दौरान 2.82 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर तक पहुंच गया है।

(ग) विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित 'उष्णकटिबन्धी देशों में कीटनाशकों के विकल्प' नामक किताब विशिष्ट रूप से एपीडा के अंतर्गत कार्बनिक खाद्य मदों का निर्यात न बढ़ने की समस्या से संबंधित नहीं है।

(घ) यह पुस्तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली कृषि के वैकल्पिक तरीकों से संबंधित है जिनमें प्राकृतिक, कार्बनिक, स्थायी खेती तथा बायोडायनामिक कृषि शामिल है।

(ङ) और (च) किसी कार्यदल का गठन किए जाने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों को ऋण

4947. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को उनके खाद्यान्नों के भंडार की एवज में ऋण प्रदान किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थानों ने इन निर्देशों का अनुसरण करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो यह कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक किसानों को फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण/फसल ऋण मंजूर करते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी कहा गया है कि जहां किसानों को उपज के लिए फसल ऋण दिया गया हो, वहां 6 महीनों से अनधिक अवधि के लिए कृषि उत्पाद (गोदाम प्राप्तियों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखने के आधार पर किसानों को 1.00 लाख रुपए तक अग्रिम राशि दी जाए, बशर्ते कि, ऋणकर्ता एक बैंक से ऋण लें। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) भी सहकारी बैंकों को फसलों के विपणन के लिए पुनर्वित्त सुविधा देता है, जिसमें सदस्यों के कृषि उत्पाद और सदस्यों के कृषि उत्पाद की तत्काल खरीद को गिरवी रखने पर अग्रिम राशि शामिल है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार उत्पाद पर ऋण देते रहे हैं। ऐसे ऋण देने की सीमा 1984 में 5000 रु. थी, जिसे 1993 में बढ़ाकर 25,000 रु. कर दिया गया था और 1995 में और बढ़ाकर 1.00 लाख रुपए कर दिया गया था।

[अनुवाद]

लैमनेड और कोला के दुष्प्रभाव

4948. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ''हार्वर्ड स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ इन वास्टन, मैसेच्युसेट्स'' द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार लैमनेड और कोला हड्डियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार को ध्यान में रखते हुए उक्त टिप्पणी पर सरकार की क्या राय है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) सरकार को इस बारे में ''हार्वर्ड स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ'' में किए गए किसी अनुसंधान कार्य की जानकारी नहीं है।

प्राची घाटी में पुरातन स्मारक

4949. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा की ''प्राची घाटी'' में स्थित सभी पुरातन स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) द्वारा पंजीकृत और संरक्षित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नौवीं योजनावधि क्षेत्र के दौरान इन पुरातन स्मारकों को पंजीकृत और संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) उड़ीसा की ''प्राची घाटी'' में स्थित तीन प्राचीन स्मारकों जैसे चूरनगढ़ किला, वहारी मंदिर और सूर्य मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया गया है और इनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

''ड्यूटी एक्जेम्पशन इनटाइटलमेन्ट सर्टीफिकेट'' योजना

4950. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1990 से 1995 तक ''ड्यूटी एक्जेम्पशन एनटाइटलमेन्ट सर्टीफिकेट'' योजना के तहत 39,000 करोड़ रुपये गंवा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं का पता न चलने के क्या कारण हैं और ये अनियमितताएं किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या उन अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1990-95 के दौरान अनियमितताओं वाले 5453 मामलों जिसमें 1426 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर्ग्रस्त था, का शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र योजना के अधीन पता लगाया गया था। अनियमितताएं निम्नलिखित प्रकार की थीं:

(1) सीमाशुल्क छूट के लाभ के अतिरिक्त मॉडवेट लाभ प्राप्त करना।

(2) अग्रिम लाइसेंसों में जालसाजी।

(3) निर्यात बाध्यता पूरी किए जाने के प्रति बोगश/खराब सामान का निर्यात दिखाना।

(4) निर्यात सामान की गलत घोषणा/मूल्यांकन दिखाना जिससे कि निर्यात बाध्यता को पूरा किया गया दिखाया जा सके।

(5) विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता का पूरा न किया जाना।

(6) आयात सामान का कम मूल्य आंकना जिससे कि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत अधिक मात्रा में आयात हो सके।

(7) आयातित माल का घरेलू बाजार में विचलन/बिक्री।

(ग) और (घ) ऐसी अनियमितताओं वाले सभी मामलों को सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जिसमें सामान की जब्ती, दण्ड तथा शास्तियां लगाना तथा अभियोजनों के लिए व्यवस्था है, के अनुसार निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफिपोसा) के अंतर्गत बंदी बनाए जाने का भी उपयोग किया गया है। विदेश व्यापार (संवर्धन एवं विनियमन) अधिनियम, 1991 के अधीन महानिदेशालय विदेश व्यापार प्राधिकारियों द्वारा भी अलग से दण्डात्मक कार्रवाईयां की गई हैं। उपयुक्त मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी जांच-पड़ताल की है।

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाईयां आरम्भ की गई हैं तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन एक अधिकारी बंदी बनाया गया था।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के लिपिकों का स्थानान्तरण

4951. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया में सामान्य/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन लिपिक कर्मचारियों के लिए क्या स्थानान्तरण नीति बनाई गई है जिनकी पत्नियां अन्य राज्य सरकारों के कार्यालयों में कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरित उन कर्मचारियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने लिपिक संवर्ग में तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है;

(ग) तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सामान्य/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों का जोन-वार ब्यौरा क्या है जिनकी पत्नियां अन्य राज्य सरकारों के कार्यालयों में कार्यरत हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इन कर्मचारियों को कब तक स्थानान्तरित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रिलायन्स उद्योग समूह

4952. श्री राजेश वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिलायन्स उद्योग समूह पर बकाया आयकर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसे वसूल करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) रिलायंस उद्योग समूह पर बकाया आयकर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) करों की वसूली एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विस्तृत सांवधिक प्रक्रियाएं अन्तर्ग्रस्त हैं। इनमें ब्याज प्रभारित करना, अर्थदंड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री इत्यादि शामिल हैं। उच्च मांग वाले मामलों की उच्च अधिकारियों द्वारा सतत् आधार पर आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है और कर वसूली करने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम	कर निर्धारण वर्ष	31.3.2000 को बकाया मांग	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स रिलायंस इंड. लि. (मैसर्स आर.आई.एल.)	1995-96	1549.00	कर निर्धारिती के पक्ष में पूर्व वर्षों में इसी प्रकार के मुद्दे निर्धारित किए गए थे। इसलिए प्रथम अपील के निपटान तक इन मांगों को स्थगित रखा गया है।
2.	मैसर्स रिलायंस इंड. लि.	1996-97	5818.00	कर निर्धारिती के पक्ष में पूर्व वर्षों में इसी प्रकार ये मुद्दे निर्धारित किए गए थे। अतः अपील के निपटान तक इन मांगों को स्थगित रखा गया है।
3.	मैसर्स/रिलायंस पोलीप्रोपलीन लि. (अब मैसर्स आर.आई.एल. के साथ विलीन)	1993-94	241.00	एक रिट में मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है।
4.	मैसर्स रिलायंस पोली प्रोपलीन लि. (अब मैसर्स आई.एल. के साथ विलीन)	1994-95	333.00	एक रिट में मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है।
5.	मैसर्स रिलायंस पोली प्रोपलीन लि. (अब मैसर्स आर.आई.एल. के साथ विलीन)	1993-94	139.00	एक रिट में मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है।
6.	मैसर्स रिलायंस पोली प्रोपलीन लि. (अब मैसर्स आर.आई.एल. के साथ विलीन)	1994-95	380.00	एक रिट में मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है।
7.	मैसर्स रिलायंस कैपिटल लि.	1997-98	2973.00	मांग संग्रहीत कर ली गई है।
8.	मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	1996-97	174.00	दूसरी अपील आयकर अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष लम्बित है।
9.	मैसर्स रिलायंस इंड. इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	1997-98	109.00	पहली अपील आयकर आयुक्त (ए) के समक्ष लम्बित है।
10.	मैसर्स रिलायंस कंसलटेंसी सर्विसेज लि.	1996-97	2.00	1 लाख रुपए संगृहीत कर लिए गए हैं। पहली अपील लम्बित है।
11.	मैसर्स रिलायंस कंसलटेंसी सर्विसेज लि.	1997-98	11.00	पहली अपील लम्बित है।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियमों का फार्म सं. 52-ए

4953. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म निर्माता आयकर अधिनियम का फार्म सं. 52-ए नियमित रूप से नहीं भर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन-किन निर्माताओं द्वारा फार्म नहीं भरा गया और इसका निर्माता-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे वसूल किए जाने वाले जुर्माने का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) आमतौर पर फिल्म निर्माता फार्म संख्या 52-क फाइल कर रहे हैं। तथापि, कुछ मामलों में फिल्म निर्माताओं ने फार्म 52-क फाइल नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) प्राप्त सूचना के आधार पर उन निर्माताओं, जिन्होंने फार्म संख्या 52-क फाइल नहीं किए हैं, की सूची संलग्न विवरण-I में उनके विरुद्ध बकाया जुर्माने की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

निर्माताओं की सूची जिन्होंने फार्म सं. 52-क फाइल नहीं किए हैं

1. श्री गिरीश घानेकर, मम्बई
2. मैसर्स मेटाविजन (प्रा.) लि., मुम्बई
3. श्री कमलेश वी. दोशी, मुम्बई
4. श्री के. पप्पू, मुम्बई
5. मैसर्स शालीमार इन्टरनेशनल, मुम्बई
6. श्री बूटासिंह शाद, मुम्बई
7. सुश्री पल्लवी जोशी, मुम्बई
8. मैसर्स मल्टीमीडिया प्रोडक्शन (प्रा.) लि., मुम्बई
9. श्री अनिल शर्मा, मुम्बई
10. मैसर्स त्रिशक्ति फिल्म, मुम्बई
11. मैसर्स नवकेतन, मुम्बई
12. मैसर्स सप्तऋषि, मुम्बई
13. मैसर्स आर.वी. फिल्म, मुम्बई
14. श्री आर. ए. तौलानी, मुम्बई
15. मैसर्स ग्रेस फिल्म्स (प्रोप. पंकज कपूर) मुम्बई
16. मैसर्स सिधी विनायक मूवीज, मुम्बई
17. मैसर्स के.पी.एस. फिल्मस, मुम्बई
18. श्री अप्पास्वामी कृष्णामूर्ति, मुम्बई
19. मैसर्स एन.एम. सिप्पी प्रोडक्शन, मुम्बई
20. श्री वाई.एस. शेट्टी, मुम्बई
21. श्री आबू मलिक, मुम्बई
22. श्री मुरली नालप्पा, मुम्बई
23. मैसर्स जेनमा फिल्म्स, मुम्बई
24. श्री जॉन मैथ्यू, प्रोप. मैसर्स सिनेमंट प्रोड., मुम्बई
25. मैसर्स सपना आर्ट्स, मुम्बई
26. श्री मुकेश भट्ट, मुम्बई
27. श्रीमती सुधा श्रीनिवास, बंगलौर
28. श्रीमती यशोदा शिवलिंगय्या, बंगलोर
29. मैसर्स बालायेस प्रोडक्शनस, बंगलौर
30. श्री बी.एस. कृष्णा भाडे, गोंयदा, बंगलोर
31. श्री बी.एस. सत्यनारायणन्, बंगलौर
32. श्री जे. रमेश कुमार बनाम रमेश जैन, बंगलौर
33. श्री पी. गोपाल, बंगलोर
34. वैभवलक्ष्मी प्रोडक्शन, बंगलोर
35. श्री शेशु चक्रवर्ती, बंगलोर
36. श्री के. गणेशन, बंगलौर
37. श्री बी.एस. द्वाराकीश, बंगलोर
38. मैसर्स रामबाबू फिल्म्, बंगलौर
39. श्री पी. वेंकटाशयन प्रसाद, हैदराबाद

40. श्री के. राघवेन्द्र राव, हैदराबाद
41. श्री एम. सूर्य प्रकाश, हैदराबाद
42. मैसर्स भगवान प्रोडक्शन, हैदराबाद
43. मैसर्स श्री चामुण्डा चित्रास, हैदराबाद
44. मैसर्स नवदर्शन प्रोडक्शन, सिकन्दराबाद
45. मैसर्स के.एम. फिल्म्स, हैदराबाद
46. मैसर्स एमिगोज क्रियेशंस प्रा.लि., हैदराबाद
47. श्री नेती कुमार, हैदराबाद
48. मैसर्स स्नेहिता क्रियेशन्स, हैदराबाद
49. मैसर्स देसारी कम्यूनिकेशन, हैदराबाद
50. मैसर्स श्री मैक्टा कृष्ण फिल्म हैदराबाद
51. मैसर्स बी.आर. इन्टरप्राइजेज, हैदराबाद
52. श्री आर. नारायण मूर्ति, हैदराबाद
53. मैसर्स आर.के. फिल्म, हैदराबाद
54. मैसर्स लाइफ लाइन फिल्म, हैदराबाद
55. मैसर्स श्री लक्ष्मी प्रसन्ना पिक्चर्स, हैदराबाद
56. मैसर्स सुमति आर्ट प्रोडक्शन, हैदराबाद
57. मैसर्स देवा प्रोडक्शन, हैदराबाद
58. मैसर्स कोनडय्या फिल्मस, हैदराबाद
59. मैसर्स रविन्द्र आर्टस, हैदराबाद
60. मैसर्स आर.के. मुवीज, हैदराबाद
61. श्री विजय भास्कर चित्रा, हैदराबाद
62. मैसर्स राज्य लक्ष्मी फिल्मस, हैदराबाद
63. मैसर्स सेन क्रियेशन्स, हैदराबाद
64. मैसर्स रेनू आर्टस प्रोडक्शन, हैदराबाद
65. मैसर्स सूर्यवंशी फिल्म्स (प्रा.) लि., हैदराबाद
66. मैसर्स श्रीनीगर फिल्म्स, चैन्नई
67. श्री के. वैंकटेश्वर राव, चेन्नई
68. मैसर्स वी. ज्योति, चैन्नई
69. श्री मनोहर बूराद, चैन्नई
70. श्री महेन्द्र धारीवाल, चैन्नई
71. श्री रविचन्द्र, चैन्नई
72. मैसर्स प्रसाद मुवी मेकर्स, चैन्नई
73. श्री के.पी. रामाकृष्णन, मुम्बई
74. श्री मदन मोहन शर्मा, चैन्नई
75. श्री गौतम घोष, चैन्नई
76. श्री सांई देवा प्रोडक्शन, चैन्नई
77. मैसर्स ब्रह्मपुत्र आर्ट प्रोडक्शंस, चैन्नई
78. सुश्री सरिता राजीव, त्रिवेन्द्रम
79. चिम्बू सिने आर्टस, चैन्नई
80. मैसर्स एश्वर्य फिल्म मैकर्स, चैन्नई
81. श्री मोहन, चैन्नई
82. श्री वी. त्यागराजन, चैन्नई
83. मैसर्स आनन्द मुवी लैन्ड, चैन्नई
84. श्री पी.सी. पान्डियन, चैन्नई
85. श्री माहागणपति कोमबिंस, चैन्नई
86. महालक्ष्मी सिने सर्कट, चैन्नई
87. श्री पी.आर. कुटुम्ब राव, चैन्नई
88. मैसर्स अलवरमल मूवी मैकर्स, चैन्नई
89. श्री डी.एन. जोशी, चैन्नई
90. निकाबा फिल्म, चैन्नई
91. श्री विजय श्रीनिवास राव, चैन्नई
92. श्री साजन वर्गेश, अलूवा
93. श्री शंकर, चैन्नई
94. श्री एस. थिरूवंगडन, चैन्नई
95. मैसर्स मलार फिल्म्स
96. श्री डी. एनटोनी, चैन्नई
97. श्री जी. शिवशंकर राव, चैन्नई
98. श्री याडे रमेश, चैन्नई
99. श्री धर्मचन्द दूनकड

100. श्री वड्डी वीराकथरा राव, चैन्नई

101. श्री पूरम राधाकृष्णन, चैन्नई

102. श्री डी. श्रीनिवास रेड्डी, चैन्नई

103. माँ शेरावाली प्रोडक्शन्स, चैन्नई

104. श्री हरिहरन, चैन्नई

105. श्री सुरेश, चैन्नई

106. चिन्तामणि सिने आर्टस, चैन्नई

107. श्री मनोज भटनागर, चैन्नई

108. श्री पी. श्रीनिवासालू, चैन्नई

109. श्री सुरेश, चैन्नई

110. श्री सी.सी. एनटोनी, चैन्नई

111. परफ्यूड गार्डन प्रोडक्शन्स, चैन्नई

112. सुश्री लक्ष्मी राजू, चैन्नई

113. ओम मुरूगा मंधीरम फिल्म्स, चैन्नई

114. पी. सुब्बा राव, चैन्नई

115. श्री वी. कल्याण बाबू, चैन्नई

116. श्री स्टार इन्टरप्राइजेज, चैन्नई

117. श्री सी.एम. विजेश, चैन्नई

118. श्री एम. गौतम चन्द गोथी, चैन्नई

119. श्री एम. गौतम चन्द गोथी, चैन्नई

120. मैट्रो पिक्सर्च, चैन्नई

121. श्री एम.वी. रमेश नायडू, चैन्नई

122. श्री विजय, चैन्नई

123. श्री अशोक होन्डा, चैन्नई

124. श्री अजीत कुमार, चैन्नई

125. श्री सूर्या इन्टरटेन्मेंट्स, चैन्नई

126. श्री ए.एम. राजा, चैन्नई

127. बी. मालार बालू, चैन्नई

128. सुश्री एस. शिवकामी, चैन्नई

विवरण-II

1.	श्री गिरीश धानेकर, मुम्बई	रु. 5400/-
2.	मैसर्स मेटाविजन (प्रा.) लि., मुम्बई	रु. 10000/-
3.	श्री कमलेश वी. दोशी, मुम्बई	रु. 34500/-
4.	श्री बूटासिंह शाद, मुम्बई	रु. 2300/-
5.	सुश्री पल्लवी जोशी, मुम्बई	रु. 57500/-
6.	मैसर्स मल्टीमीडिया प्रोडक्शन (प्रा.) लि., मुम्बई	रु. 23100/-
7.	श्री अनिल शर्मा, मुम्बई	रु. 1200/-
8.	मैसर्स त्रिशक्ति फिल्म, मुम्बई	रु. 1300/-
9.	मैसर्स नवकेतन, मुम्बई	रु. 1900/-
10.	मैसर्स सप्तऋषि, मुम्बई	रु. 2000/-
11.	मैसर्स आर.वी. फिल्म, मुम्बई	रु. 4000/-
12.	श्री आर. ए. तौलानी, मुम्बई	रु. 36700/-
13.	मैसर्स ग्रेस फिल्मस (प्रोप. पंकज कपूर)	रु. 5400/-
14.	मैसर्स सिधी विनायक मूवीज, मुम्बई	रु. 1100/-
15.	मैसर्स के.पी.एस फिल्म्स, मुम्बई	रु. 10500/-
16.	श्री अप्पास्वामी कृष्णामूर्ति, मुम्बई	रु. 4500/-
17.	मैसर्स एन.एम. सिप्पी प्रोडक्शन, मुम्बई	रु. 1800/-
18.	श्री वाई.एस. शेट्टी, मुम्बई	रु. 6900/-
19.	मैसर्स जेनमा फिल्म्स, मुम्बई	रु. 100000/-
20.	श्री जॉन मैथ्यू, प्रोप. मैसर्स सिनेमट्ट प्रोड., मुम्बई	रु. 18500/-
21.	श्रीमती सुधा श्रीनिवास, बंगलौर	रु. 151200/-
22.	श्रीमती यशोदा शिवलिंगय्या, बंगलोर	रु. 119600/-
23.	मैसर्स बालायेसन प्रोडक्शनस, बंगलौर	रु. 13000/-
24.	श्री बी.एस. कृष्णा भांडे, गौंयदा, बंगलोर	रु. 189600/-
25.	श्री बी.एस. सत्यनारायणनन्, बंगलौर	रु. 141400/-
26.	श्री जे. रमेश कुमार बनाम रमेश जैन, बंगलौर	रु. 120200/-

27. श्री पी. गोपाल, बंगलोर रु. 74300/-

28. वैभवलक्ष्मी प्रोडक्शन, बंगलोर रु. 10200/-

29. श्री शेशु चक्रवर्ती, बंगलोर रु. 12500/-

30. श्री के. गणेशन, बंगलौर रु. 48500/-

31. श्री बी.एस. द्वाराकीश, बंगलोर रु. 61600/-

32. मैसर्स रामबाबू फिल्म, बंगलौर रु. 48800/-

33. मैसर्स रेणु आर्टस प्रोडक्शन, हैदराबाद रु. 6000/-

34. मैसर्स सूर्यवंशी फिल्म्स (प्रा.) लि., हैदराबाद रु. 31200/-

35. श्री बी. मर्लार बाबू प्रोप. मालार फिल्म, चैन्नई रु. 78800/-

36. सुश्री एस. शिवाकामी, चैन्नई रु. 46800/-

[हिन्दी]

एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को बीमा सुविधा

4954. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अप्रैल, 2000 में बीमा कंपनियों के साथ कोई बैठक की गई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित लोगों को बीमा कवरेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दि. 19 अप्रैल, 2000 को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ख) और (ग) यह विचार-विमर्श एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों को बीमा कवरेज के प्रावधानों से संबंधित था। भारतीय जीवन बीमा निगम ने स्पष्ट किया कि यदि पालिसी के प्रचलन के दौरान ही बीमित व्यक्ति को एचआईवी/एड्स का संक्रमण हो जाता है तो वे उस प्रवृत्त पालिसी को रद्द नहीं करते हैं। तथापि, जीवन बीमा निगम ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता है जिसमें जीवन बीमा के लिए बीमित होने वाले व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित हों जिसमें एचआईवी/एड्स भी शामिल है।

भारतीय साधारण बीमा निगम ने स्पष्ट किया कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी स्वास्थ्य परिचर्या पालिसियों के अधीन एचआईवी/एड्स को सामान्यत: शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा इन रोगों के परिमाण को मापने में आने वाली अनेकों कठिनाइयों, वित्तीय दृष्टि से इसके परिणामों और एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों को बीमा कवच प्रदान करने के लिए अनुदान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा सहयोग की अनुपलब्धता के कारण है। इसलिए, भारतीय साधारण बीमा निगम अपनी मेडि-क्लेम पालिसी के तहत ऐसे व्यक्तियों को लाभ प्रदान नहीं करता जो एचआईवी/एड्स संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं।

देवघर स्थित ऋषि राजनारायण बसु के आवास का अधिग्रहण

4955. योगी आदित्यनाथ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री अरविन्द के 125वें जन्मदिवस के लिए गठित समिति को देवघर स्थित ऋषि राजनारायण बसु के आवास का अधिग्रहण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य हेतु केन्द्र सरकार ने समिति को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक महत्व के भवन

4956. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर न्यासों और वक्फ बोर्डों द्वारा नियंत्रित ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों की दिन-ब-दिन खराब होती दशा को रोकने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो सामान्यतया और विशेषरूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और विशेष रूप से महाराष्ट्र के सम्बन्ध में इन ऐतिहासिक महत्व के भवनों की रक्षा करने के लिए उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय और राज्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है और इसमें अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों की कितनी सहायता शामिल है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को उचित आकार में रखने के प्रति निरंतर प्रयत्नशील है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए राज्यवार निधियों के नियतन एवं किंए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिनमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है।

राज्य पर्यटन विभाग तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. आन्ध्र प्रदेश	-	93.00 लाख रुपये
2. बिहार	-	9.00 लाख रुपये
3. दिल्ली	-	2.15 लाख रुपये
4. हिमाचल प्रदेश	-	34.38 लाख रुपये
5. उड़ीसा	-	24.50 लाख रुपये
6. राजस्थान	-	32.79 लाख रुपये
7. उत्तर प्रदेश	-	133.30 लाख रुपये

(घ) 2000-2001 के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपने सभी कार्यकलापों के लिए 31 करोड़ रुपये का योजनागत नियतन किया गया है।

चालू वर्ष में अब तक कोई विदेशी धन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-1998	1998-1999	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	रु. 83,93,000	रु. 84,98,038	रु. 1,23,40,000
2.	असम	रु. 31,82,729	रु. 32,78,037	रु. 62,05,661
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	रु. 74,711
4.	बिहार	रु. 1,38,67,300	रु. 60,91,473	रु. 1,15,69,951
5.	दिल्ली	रु. 2,61,00,000	रु. 3,41,98,128	रु. 3,00,48,689
6.	दमन और दीव	रु. 23,70,132	रु. 15,91,791	रु. 20,25,000
7.	गोवा	रु. 32,91,000	रु. 24,56,771	रु. 47,35,000
8.	गुजरात	रु. 59,18,855	रु. 72,95,718	रु. 79,63,075
9.	हरियाणा	रु. 81,13,353	रु. 73,20,093	रु. 63,21,837
10.	हिमाचल प्रदेश	रु. 42,51,424	रु. 81,83,658	रु. 1,05,75,016
11.	जम्मू और कश्मीर	रु. 73,79,000	रु. 77,99,992	रु. 96,00,000
12.	कर्नाटक	रु. 1,67,44,275	रु. 1,71,12,209	रु. 2,52,12,000

1	2	3	4	5
13.	केरल	रु. 45,78,000	रु. 54,00,329	रु. 50,67,937
14.	मध्य प्रदेश	रु. 1,43,44,901	रु. 1,42,17,372	रु. 1,88,99,884
15.	महाराष्ट्र	रु. 81,47,000	रु. 1,53,01,025	रु. 1,39,00,000
16.	मणिपुर	–	–	रु. 3,93,790
17.	मेघालय	–	रु. 98,781	–
18.	नागालैंड	रु. 2,19,518	रु. 14,70,828	रु. 2,66,222
19.	उड़ीसा	रु. 37,51,680	रु. 50,78,001	रु. 1,08,00,000
20.	पांडिचेरी (यू.टी.)	रु. 2,58,464	रु. 5,68,633	रु. 1,80,219
21.	पंजाब	रु. 76,38,670	रु. 37,42,972	रु. 39,03,915
22.	राजस्थान	रु. 1,73,00,000	रु. 1,22,00,000	रु. 1,61,00,000
23.	सिक्किम	रु. 14,87,186	रु. 24,995	रु. 30,20,000
24.	तमिलनाडु	रु. 1,00,77,240	रु. 88,10,025	रु. 1,10,57,025
25.	त्रिपुरा	रु. 6,98,952	रु. 5,83,476	रु. 21,20,830
26.	उत्तर प्रदेश	रु. 2,83,57,890	रु. 3,17,09,672	रु. 3,70,00,000
27.	पश्चिम बंगाल	रु. 79,91,000	रु. 69,64,453	रु. 1,00,00,000

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्

4957. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता हेतु निर्मित भवन अप्रयुक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को इस कारण हुई क्षति का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को संकट से उबारने के लिए उपाय

4958. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों में विज्ञापन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले अग्रणी समाचार-पत्रों को अधिकतम विज्ञापन मिल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को संकट से उबारने के लिए क्या उपचारी उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) सरकारी विज्ञापन भारत सरकार की विज्ञापन नीतियों, जिनका उद्देश्य पूरे देश में संभाव्य सीमा तक व्यापक कवरेज प्राप्त करना है, के प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ सूचीबद्ध समाचारपत्रों को जारी किए जाते हैं।

(ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा निकाले जा रहे अग्रणी समाचारपत्रों की कोई सूची नहीं रखता है और विज्ञापन जारी करने के यह कोई मानदण्ड नहीं हैं। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रचार आवश्यकताओं लक्षित पाठक, कवर किये जाने वाला क्षेत्र तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समाचार-पत्रों को विज्ञापन जारी करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4959. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री टी.एम. सेल्वागणपति :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री जोरा सिंह मान :
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान, आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रेणीवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली;

(ख) आज की तिथि के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने में कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 2000-2001 के दौरान अनुमानतः कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर एच.एम.टी. हैदराबाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को इस योजना की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान वर्तमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कर्मचारियों को वर्ष 1998-99 तक 2310.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 (जुलाई, 2000 तक) के दौरान एच.एम.टी., हैदराबाद के 76 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया। इन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान कोष की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सरकार स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले एच.एम.टी. के सभी कर्मचारियों के लिए धन उपलब्ध करा रही है।

सरकारी उपक्रमों का आकलन

4960. श्री अनंत गुढे : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान औषध, रसायन और उर्वरक क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों के निष्पादन की गहन समीक्षा की;

(ख) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मानक मानदंडों के अनुसार उभरते रुझान क्या हैं;

(ग) क्या हाल के आकलन के आधार पर सरकार ने उपक्रमों के विनिवेश बंद किए जाने, पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के बारे में नीति संबंधी प्रमुख निर्णय लिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए सरकारी उपक्रमवार, विशेषतया महाराष्ट्र में सरकारी उपक्रमों के संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) उर्वरकों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक पुनरीक्षा समय-समय पर प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाती है। परन्तु उर्वरक कंपनियों का

कार्यनिष्पादन संयंत्र की तन्दुरस्ती और आयु, प्रयुक्त फीडस्टॉक, क्षमता उपयोग के स्तर, ऊर्जा खपत, फीड स्टॉक/कच्चे माल की स्रोत से दूरी, निविष्टियों की लागत आदि के आधार पर एक इकाई से दूसरी इकाई और यहां तक कि एक माह से दूसरे माह में भिन्न-भिन्न होता है। इन पैरामीटरों का निश्चित प्रभाव है और ये विभिन्न इकाइयों, जिनकी फीडस्टॉक, अवस्थिति, किन्हीं मानक मानदंडों से सार्थक तुलना के लिए संयंत्र की सर्वोत्तम विशेषताओं के संबंध में एक समान स्थिति नहीं होती है, के कार्यनिष्पादन की विभिन्नताओं में परिलक्षित होते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 97.65 प्रतिशत की अपनी वर्तमान धारिता में से अपनी इक्विटी के 51 प्रतिशत और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 58.74 प्रतिशत की अपनी वर्तमान धारिता में से अपनी इक्विटी के 32.74 प्रतिशत का विनिवेश प्रबन्धन नियंत्रण सहित अनुकूल बिक्री के जरिए अनुकूल क्रेता को करने का निर्णय किया है। इन मामलों में क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। उर्वरक क्षेत्र के अन्य सरकारी उपक्रमों जैसे एफ.ए.सी.टी., पी.पी.सी.एल., पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में विनिवेश का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का मुख्यालय महाराष्ट्र में है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

4961. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किन नियमों के आधार पर किसी फिल्म को "वयस्क" फिल्म की श्रेणी दी जाती है; और

(ख) बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य कौन हैं एवं उनकी क्या योग्यताएं हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) यदि किसी फिल्म को अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अयोग्य लेकिन केवल वयस्कों के प्रदर्शन के योग्य पाता है तो उसे चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 की धारा 5 "क" के अधीन "ए" प्रमाणपत्र जारी करता है।

(ख) सुश्री आशा पारेख बोर्ड की अध्यक्ष हैं। बोर्ड के सदस्यों के नाम एवं उनकी योग्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्षेत्र	योग्यता
1	2	3	4
1.	श्री आर. सोवरी राजन	चेन्नै	एम.एम. एम फिल (हिन्दी) एम.एम. (तमिल) एम.ए. (संस्कृत)
2.	श्रीमती एस. राधाकृष्णन	चेन्नै	एम.ए. (समाज शास्त्र)
3.	श्री आर.एस. मनोहर	चेन्नै	बी.ए. (मद्रास विश्वविद्यालय)
4.	श्री विनोद शर्मा	मुम्बई	उपलब्ध नहीं
5.	श्री अरविन्द त्रिवेदी	मुम्बई	इंटर (आर्ट)
6.	सुश्री नमिता शंकर पाण्ड्य	मुम्बई	बी.ए. (प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिहास) (बनारस विश्वविद्यालय)

1	2	3	4
7.	डा. (श्रीमती) स्नेहलता देशमुख	मुम्बई	एम.एस., एफ.आर.सी.एस., एफ.ए.एम.एस.
8.	श्री एन.ए. पतंजलि	हैदराबाद	बी.कॉम
9.	श्रीमती एस. जानकी	हैदराबाद	बी.कॉम
10.	श्रीमती सरला कुमारी	हैदराबाद	बी.ए.
11.	श्री सीताराम शास्त्री	हैदराबाद	बी.ए.
12.	सुश्री सरोजा देवी	बंगलौर	एस.एस.एल.सी.
13.	डा. ए. श्रीधर	बंगलौर	एम.बी.बी.एस. डी.आई.एच.
14.	सुश्री जयंती	बंगलौर	उपलब्ध नहीं
15.	श्रीमती लीला लतीफ	तिरूअनन्तपुरम	बी.ए., बी.एड.
16.	श्री रस्कोर कृष्ण पिल्लै	तिरूअनन्तपुरम	1. एम.एस.सी. 2. विदेशी भाषा स्कूल, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से फ्रेंच में दक्षता का प्रमाणपत्र
17.	श्री तपस पॉल	कलकत्ता	बी.एस.सी.
18.	सुश्री अरूंधती मुखर्जी	कलकत्ता	एम.ए.
19.	श्रीमती बीणापाणि मोहंती	कटक	एम.ए. (अर्थशास्त्र)
20.	श्री अनंत महापात्र	कटक	बी.ए. (इतिहास में आनर्स)
21.	श्री हेमेन दास	गुवाहाटी	1992 में बी.ए. भाग-2 की परीक्षा में सम्मिलित हुए
22.	श्रीमती चित्रामुदगिल	दिल्ली	एम.ए. (हिन्दी)
23.	श्री रमाकान्त गोस्वामी	दिल्ली	बी.ए., एम.ए., पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
24.	श्री दिनेश वत्स	दिल्ली	स्नातक
25.	श्रीमती सोवकार जानकी	चेन्नै	त्यागपत्र दे दिया

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के नियम

4962. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के जालना जिले के उन स्थलों का ब्यौरा क्या है जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम 1959 के अनुसार राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये गये हैं;

(ख) क्या ये स्थान पर्यटक स्थल घोषित किये जाने वाले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2000-2001 के दौरान इन स्मारकों के विकास के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाराष्ट्र के

जालना जिले में भोकरधन स्थित एक प्राचीन स्थल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्थल घोषित किया गया है।

(ख) और (ग) किसी स्थान को पर्यटन स्थान के रूप में घोषित करना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार में नहीं है।

(घ) भोकरधन स्थल के वास्ते चालू वित्तीय वर्ष में किसी निधि का प्रावधान नहीं किया गया है।

मोढ़ेरा सूर्य मंदिर और पाटन स्थित "स्टेप-वैल"

4963. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी गुजरात में मोढ़ेरा स्थित सूर्य मंदिर और पाटन स्थित "स्टेप-वैल" को पुष्पराती नदी की बाढ़ से खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इन प्राचीन मंदिरों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन स्थलों पर अधिकाधिक विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पुष्पवती नदी के तटों के साथ राज्य सरकार द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निर्माण से मोढेरा के सूर्य मन्दिर को बाढ़ का खतरा कम हो गया है। पाटन स्थित रानी-का-नाव को बाढ़ का कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह स्मारक नदी से काफी दूरी पर स्थित है।

(ग) सूर्य मन्दिर मोढ़ेरा के आस-पास बाग लगाए गए है और प्रसाधनों तथा पेय जल जैसी सुविधाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदान की गई हैं। गुजरात सरकार मोढ़ेरा स्थित सूर्य मन्दिर परिसर में प्रतिवर्ष एक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करती है।

रानी-का-नाव में बाड़ जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। स्मारक के आस-पास जमीन अधिग्रहीत की गई है जहां, धन उपलब्ध होने पर, और प्रसुविधाएं विकसित की जाएंगी।

बैंक शाखाओं का कार्य समय

4964. श्री चिंतामन वनगा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में और दिल्ली के बाहर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुछ शाखाओं के कार्य समय को बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसी शाखाओं के नाम क्या हैं और इन बढ़े हुए घंटों जिनमें मध्याह्न भोजन अवकाश शामिल है, के दौरान ग्राहकों को उपलब्ध सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू और अगले वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शेष शाखाओं के कार्य समय को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और बैंक-वार ऐसी शाखाएं कौन-कौन सी हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन शाखाओं द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए समय सीमा प्रदर्शित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की प्रत्येक शाखा से कहने का है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कारोबारी घंटे बढ़ाने का निर्णय अलग-अलग बैंकों द्वारा परिचालनात्मक एवं वाणिज्यिक आधार पर ऐसी प्रत्येक शाखा द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। प्रदान की जाने वाली सेवाएं, कारोबारी घंटे तथा मध्यावकाश के संबंध में बैंक शाखावार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विस्तृत सूचना का रखरखाव भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रबंधकीय मामले हैं जिनका निपटान संबंधित बैंक के प्रबंधन द्वारा विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि विशेष कारोबार संबंधी लेनदेन के लिए निर्धारित समय को शाखा में विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए ताकि ग्राहकों का ध्यान उस ओर आकर्षिक हो और साथ ही कर्मचारी भी उसका अनुपालन कर सकें।

मिट्टी के तेल का अलग-अलग कोटा

4965. श्री मणि शंकर अय्यर :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में तथा उनके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रो में मिट्टी के तेल के अलग-अलग कोटे आबंटित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मिट्टी के तेल आबंटन के राज्यवार क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) ऐसी विसंगति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों हेतु मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ङ) मिट्टी का तेल एक आबंटित उत्पाद है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का बल्क आबंटन करती है और राज्य में इसके वितरण और इसकी मानीटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। राज्य सरकार जिलावार आबंटन और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों को आबंटित की जाने वाली मात्रा के बारे में निर्णय लेती है।

मिट्टी के तेल का आबंटन विगत में हुए आबंटन के आधार पर किया जाता है अर्थात पिछले वर्षों की आपूर्तियां और राष्ट्रीय स्तर पर दी गई वृद्धि के अतिरिक्त आबंटन को जोड़कर आबंटन किया जाता है। यह संभावित वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त उपलब्धता में से दी जाती है, जो इस फार्मूले के अधीन दी जाती है कि अतिरिक्त मात्रा में से अधिक आबंटन उस राज्य को दिया जाता है जिस राज्य में प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कम होती है ताकि कुछ समय बाद अंतर्राज्यीय अन्तर को कम किया जा सके।

निजी कम्पनियों को समाचार प्रसारण का कार्य देना

4966. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री समीक लाहिड़ी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डीडी-7 जैसे सरकारी चैनलों पर समाचार प्रसारण का कार्य निजी एजेंसियों को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वास्तविक समाचार का प्रसारण करने के बजाय विचारों का प्रचार-प्रसार के द्वारा संचार माध्यमों के दुरूपयोग रोकने हेतु ऐसे निजी एजेंसियों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी एजेंसियां बुलेटिन के स्थान पर मैगजीन का प्रसारण कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो निजी एजेंसियों द्वारा सरकारी प्रसारण प्रणाली के दुरूपयोग को रोकने और कठोर मानदण्ड निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा समाचार निरपवाद रूप से तैयार किए जाते हैं। तथापि, दूरदर्शन तथा निजी निर्माताओं द्वारा समयावधिक कार्यक्रम आधारित समाचार तैयार किए जाते हैं। डीडी-7 पर "खास खबर" नामक समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम का निर्माण एक निजी कम्पनी मैसर्स रेनबो प्रोडक्शन लि. द्वारा किया जा रहा है।

ऐसे सभी कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरदर्शन की कार्यक्रम संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि इनमें व्यक्त विचार संतुलित, यथार्थ एवं निष्पक्ष हों। आवश्यक होने पर, समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले मानदण्डों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी निजी निर्माताओं के साथ पारस्परिक कार्रवाई भी करते हैं।

(ङ) निजी एजेन्सियां समाचार बुलेटिनों का प्रसारण नहीं करती हैं लेकिन वे मैगजीन फामेट वाले समसामयिक कार्यक्रम आधारित समाचारों का प्रसारण करती हैं।

(च) उपरोक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच अन्तर समन्वय स्थापित हेतु तंत्र

4967. डा. बी.बी. रमैया : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के उपक्रमों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तंत्र में यह प्रावधान है कि ग्राहक - आपूर्तिकर्ता सम्बन्धों वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समन्वय हो; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसा तंत्र विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संरचना तथा अन्तर मंत्रालयी विचार-विमर्श की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि जिससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य ग्राहक आपूर्तिकर्ता सम्बन्ध, माल सौंपने की संरचना तथा व्यापारिक सहयोगों पर उपयुक्त ध्यान देते हुए प्रचालनों में सहयोग तथा कार्य पालन में सामंजस्य का विकास किया जा सके।

[हिन्दी]

निर्यात से प्राप्त आय का विदेशों में उपयोग

4968. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातकों को उनके निर्यात से प्राप्त आय के एक निर्धारित हिस्से को विदेशों में खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; .

(ग) क्या विदेशों में खर्च की गई निर्यात आय की औसत वार्षिक धनराशि का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिये तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मार्च, 2000 के अंत तक इस आय में से कितनी धनराशि विदेशों में रह गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) निर्यातकों को अपनी आय का एक भाग, भारत में प्राधिकृत डीलरों के पास मुद्रा अर्जन करने वाले के विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में रखने की अनुमति है। निर्यातक अपने ईईएफसी खाते की निधियों का चालू खाते के सभी सौदों के लिए मुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा निर्यात संसाधन जोनों/साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्कों/इलैक्ट्रानिक टेक्नालाजी पार्कों की इकाईयों को अपने निर्यात अर्जन का 35% तक ई.ई.एफ.सी. खाते में जमा कराने की अनुमति है। अन्य निर्यातक अपने निर्यात अर्जन का 25% ई.ई.एफ.सी. खाते में जमा कर सकते हैं। प्राधिकृत डीलरों को ऐसे ई.ई.एफ.सी. खाते खोलने और रखने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक विदेश में भारतीय निर्यातकों के द्वारा अपने ई.ई.एफ.सी. में जमा राशि में से इस्तेमाल की गई राशि संबंधी सूचना संकलित नहीं करता है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की यात्रा

4969. श्री खारबेल स्वाइं : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने विदेशी पर्यटक आये हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पर्यटकों की संख्या घटी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 2374094, 2358629 और 2481928 है। विदेशी पर्यटक आगमन की राज्य-वार संख्या की जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) पर्यटक आवागमन में वर्ष 1998 के दौरान वर्ष 1997 की तुलना में 0.7% की मामूली गिरावट आयी है। तथापि, वर्ष 1999 के दौरान वर्ष 1998 की तुलना में 5.2% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी।

(ग) वर्ष 1998 के दौरान, मामूली गिरावट का मुख्य कारण इस प्रकार है:-

(1) दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में मुद्रा संकट के फलस्वरूप इन देशों से बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी।

(2) भारत में आम चुनाव तथा व्यावसायिक पर्यटक आवागमन में मंदी।

(3) कई अर्थ-व्यवस्थाओं में साधारण मंदी।

(घ) विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए अधिकाधिक आकृष्ट करने हेतु किए गए उपायों/किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं - पर्यटक सुविधाओं का विकास एवं उनमें सुधार, विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से प्रचार एवं विपणन प्रयास, मानव संसाधन विकास संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, सूचना तकनालाजी का प्रयोग और होटलों के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए सरकार ने "एक्सप्लोर इंडिया इन द मिलेनियम इयर" अभियान चलाया है।

डिजीटल नेटवर्क

4970. **श्री सुबोध मोहिते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने डिजीटल टेरिस्ट्रीकल प्रसारण के नेटवर्क की स्थापना हेतु विश्व-स्तर पर बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार देश में डिजीटल स्थलीय टेलीविजन प्रसारण की स्थापना करने के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाने के बारे में कार्यवाही कर रही है। इस समय प्रसार भारती प्रयोगात्मक आधार पर केवल दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चैन्नई में डिजीटल ट्रांसमीटर स्थापित कर रही है।

चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश

4971. **श्रीमती रानी नरह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश को लागू करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) देश में स्थानवार कुल कितने चाय नीलामी केन्द्र हैं;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के कारण चाय नीलामी प्रणाली को कोई खतरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) चाय विनिर्माता एककों द्वारा किए जाने वाले चाय के उत्पादन तथा विपणन की निगरानी करने के लिए तथा सार्वजनिक चाय नीलामियों के जरिए बिक्री की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 1984 लागू किया था।

(ख) इस समय आठ सार्वजनिक चाय नीलामी केन्द्र हैं जो कलकत्ता, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कूनूर, कोचीन, कोयम्बटूर, अमृतसर में स्थित हैं तथा एक ऑन लाईन नीलामी केन्द्र कलकत्ता में स्थित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा लिए गए ऋण

4972. **श्री अनिल बसु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही और गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रतिमाह औसतन कितना ऋण लिया;

(ख) क्या इन ऋणों के कारण धन के परिचालन और मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान केन्द्र सरकार की उधार निम्नानुसार हैं:-

प्रथम तिमाही के दौरान उधार

(करोड़ रुपए)

महीना	1999-2000		2000-2001	
	बाजार ऋण	364 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया	बाजार ऋण	364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां
अप्रैल	18000	1000	11000	1000
मई	9000	1000	18683	1000
जून	10000	1000	4000	1500
जोड़	37000	3000	33683	3500

(ख) और (ग) सरकारी उधार, मुद्रास्फीति और धन-परिचालन के बीच कोई ठीक-ठीक परिमाणनीय संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उचित दर की दुकानें बंद होना

4973. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली राशन की वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में वृद्धि होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली राशन की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप बंद हुई उचित दर की दुकानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) उचित दर की दुकानों के बंद होने के कारण अनुमानतः कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (च) न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार को निष्क्रिय करने और खाद्य सब्सिडी बजट को उचित स्तर तक नियंत्रित रखने की दृष्टि से समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य संशोधित किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण किए जा रहे खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 1.4.2000 को वृद्धि की गई थी जिन्हें बाद में 25.7.2000 को फिर से कम किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के मूल्य, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य अभी खुले बाजार के मूल्यों से कम हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का आबंटन 1.4.2000 से आर्थिक लागत के 50% पर करके प्रति परिवार प्रतिमाह 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम करके दुगना कर दिया गया है।

सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में संशोधन करने के कारण उचत दर दुकान बन्द हो गई हैं।

राज्य सरकारों को परामर्श दियां गया है कि उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए स्थानीय प्राथमिकताओं को हिसाब में लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दैनिक उपयोग की अतिरिक्त चीजें शामिल करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की जा रही अतिरिक्त वस्तुओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और मुद्रास्फीति को रोकने के अलावा उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए "सर्वप्रिय" नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना में "लाभ-हानि रहित" आधार पर दैनिक उपयोग की ग्यारह चुनिंदा वस्तुएं नामतः अरहर दाल, चना दाल, लाल मलका, उड़द साबुत, नमक, चाय, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कापियां, खाद्य तेल और टूथपेस्ट के वितरण की परिकल्पना की गई है। यह स्वैच्छिक योजना है और राज्यों के पास इसे अपनाने के संबंध में विकल्प है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली अतिरिक्त जिन्सों को बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए शामिल की गई अतिरिक्त जिन्सों की स्थिति	निम्न तारीख को सूचित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	उचित दर दुकान के माध्यम से वितरित आयोडीन युक्त नमक, निवेदन चाय, जनता साड़ियां, साबुन, दाल, धोती, प्याज, टमाटर, मसूर की दाल, लाल मिर्च, हल्दी, विजय ब्रांड का सनफ्लावर तेल, मूंगफली तेल और लहसुन।	8.12.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	आयोडीन युक्त नमक, चाय, दाल, साबुन, खाद्य तेल का वितरण	31.3.97
3.	असम	मोमबत्ती, माचिस, कपड़े धोने का साबुन और कापियों का वितरण	31.3.97
4.	बिहार	1.9.92 से सचल उचित दर दुकानों के माध्यम से दाल, कंट्रोल का कपड़ा और खाद्य तेलों का वितरण	31.3.97
5.	गुजरात	अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद जिले में प्रयोग के आधार पर चाय, साबुन, कपड़े धोने का साबुन, वाशिंग पाउडर, बिस्कुट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मसाले, टूथपेस्ट, टूथपाउडर, टूथ ब्रश, दाढ़ी बनाने की क्रीम तथा आयोडिन युक्त नमक (आदिवासी क्षेत्रों में) वितरण किया जा रहा है।	27.10.99
6.	हरियाणा	फरीदाबाद और भिवानी जिले में कान्फेड खुदरा दुकानों के माध्यम से चाय, साबुन, आयोडीन युक्त नमक, दाल और कापियों का वितरण।	22.4.99
7.	हिमाचल प्रदेश	चाय, दाल, साबुन, नमक, कापियां, जनता साड़ियों और धोतियों का वितरण	31.3.97
8.	जम्मू व कश्मीर	केवल दो जिलों : लेह व करगिल (लद्दाख) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयोडीन युक्त नमक का वितरण.	22.1.99
9.	कर्नाटक	आयोडीन युक्त नमक, चाय, साबुन, कापियां, जनता साड़ियां धोतियां और ओ.आर.एस. का वितरण।	31.3.97
10.	केरल	नागरिक पूर्ति निगम द्वारा चलाए जा रहे मावेली स्टोर के माध्यम से अनेक वस्तुएं।	31.3.97
11.	मध्य प्रदेश	चाय, साबुन, नमक, कंट्रोल का कपड़ा और कापियों का वितरण।	31.3.97
12.	महाराष्ट्र	साबुन, नमक, तुअर दाल, चाय का वितरण।	31.3.97
13.	मणिपुर	आयोडीन युक्त नमक का वितरण।	31.3.97
14.	मेघालय	कुछ क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक, कपड़ा धोने का साबुन और माचिस का वितरण।	31.3.97
15.	राजस्थान	चाय, साबुन, आयोडीन युक्त नमक, अभ्यास पुस्तिकाएं, जनता साड़ियां, धोतियां, माचिस और कापियों का वितरण।	31.3.97

1	2	3	4
16.	सिक्किम	आयोडीन युक्त नमक का वितरण।	31.3.97
17.	तमिलनाडु	आयोडीन युक्त नमक, दाल, चाय, अभ्यास पुस्तिका, बेबी फूड, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और साबुन का वितरण।	27.9.99
18.	त्रिपुरा	आयोडीन युक्त नमक और पामोलीन तेल का वितरण।	22.12.98
19.	उत्तर प्रदेश	आयोडीन युक्त नमक सहित 21 अन्य वस्तुओं का वितरण।	31.3.97
20.	पश्चिम बंगाल	चाय, मसाले, कापियां, माचिस और आयोडीन युक्त नमक का वितरण (कुछ क्षेत्रों में)	14.1.99
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	उचित दर दुकानों के माध्यम से अन्य अनेक वस्तुओं का वितरण।	31.3.97
22.	दादर व नगर हवेली	आयौडीन युक्त नमक, दाल, माचिस और चाय का वितरण।	31.3.97
23.	लक्षद्वीप	आयोडीन युक्त नमक, अभ्यास पुस्तिका, साबुन, चाय, माचिस, दाल का वितरण।	31.3.97

[अनुवाद]

सिक्का संग्रहालय

4974. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राचीन समय के सिक्कों से लेकर आधुनिक समय के करेंसी नोटों को रखने के लिए बंगलौर में सिक्का संग्रहालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह संग्रहालय कब तक खुल जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आवास ऋणों का भुगतान

4975. डा. रमेश चंद तोमर :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आवास ऋणों के भुगतान की वर्तमान अवधि 13 से 15 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर में कमी की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) व्यक्ति विशेष को आवासीय वित्त, राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) द्वारा विनियमित 29 आवासीय वित्त संस्थाओं (एच.एफ.आईज़.) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की लागत, निधि के लिए मांग तथा बाजार से संबंधित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आवासीय वित्त संस्थाओं को अपनी ऋण दरों तथा इस प्रकार के ऋणों को वित्तपोषित करने के अन्य शर्तों पर निर्णय लेने की पूरी छूट है और इन दरों को बढ़ाने या कम करने के लिए इन्हें सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान को वित्तीय सहायता

4976. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में अभिलेखागारों, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उक्त अभिलेखागारों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और संग्रहालयों में हिन्दी का प्रयोग करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। अभिलेखागारों व सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास संबंधी प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है। राजस्थान राज्य में किसी भी संग्रहालय को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

(1) अभिलेखागार:

वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान, राजस्थान राज्य में अभिलेखागारों के विकास के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजस्थान राज्य अभिलेखागार से दो प्रस्ताव - वर्ष 1998 में एक तथा वर्ष 1999-2000 में दूसरा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार को पूर्व में प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण वर्ष 1998-99 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जहां तक वर्ष 1999-2000 में प्राप्त प्रस्ताव का मामला है, इस संबंध में राज्य अभिलेखागार को 4.80 लाख रु. का अनुदान निर्मुक्त कर दिया गया था।

(2) सार्वजनिक पुस्तकालय :

राजस्थान सरकार वर्ष 1972 से देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाओं को प्रोन्नत करने के लिए संस्कृति विभाग के अधीन स्थापित राजा राममोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान नामक स्वायत्त निकाय की स्कीमों में भाग लेती रही है। राजा राममोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान अपनी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार ने प्रतिष्ठान से 20.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान किया है। स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिष्ठान की वार्षिक कार्य-योजना के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य राजभाषा अधिनियम के 'क' के अन्तर्गत आता है, जहां पर शत प्रतिशत सरकारी काम हिंदी में किया जाना होता है। उपर्युक्त संस्थाएं राज्य सरकार नियंत्रणाधीन है और यह राज्य सरकार का दायित्व है कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के प्राव को लागू करें।

[अनुवाद]

नवरत्नों का विनिवेश

4977. श्री सुरेश कुरूप : क्या विनिवेश मंत्री यह ब की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नवरत्नों" के नाम से जाने वाले सार्वजनिक के उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिका और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिका विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (अरूण शौरी): (क) और (ख) सरकार घोषित विनिवेश न के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अपनी इक्विटी का पू या अंशतः, विनिवेश करने का निर्णय करती है। जैसाकि 2000-2001 के लिए बजट भाषण में कहा गया है, सामरिक-भि क्षेत्रों में 'नवरत्नों' सहित सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों पर प्रयो सरकार की विनिवेश नीति सामान्यतः मामलों में सरकार की इक्वि को घटाकर 26 प्रतिशत या उससे कम करने की है। सामरि विचारणाओं वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मामलों में सर अधिकांश धारिता बनाए रखेगी।

यह निर्णय भी किया गया है कि सामरिक सरकारी क्षेत्र उद्यम निम्न क्षेत्रों में होंगे:-

(1) अस्त्र-शस्त्र तथा गोलाबारूद तथा रक्षा उपस्करों संबद्ध मदें, रक्षा विमान तथा युद्धपोत।

(2) परमाणु ऊर्जा (नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन विकिरण एवं रेडियो-आइसोटोप के कृषि चिकित्सा सामरिक-भिन्न उद्योगों पर अनुप्रयोग से संबंधित को छोड़कर।

(3) रेल परिवहन।

इसके अतिरिक्त सामरिक भिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के हिस्से को घटाकर 26 प्रतिशत पर लाना स्वत: नहीं होगा तथा ऐसा करने की पद्धति तथा इसकी गति के बारे में निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाता है। विनिवेश की प्रतिशतता अर्थात् सरकार के हिस्से को घटाकर 51 प्रतिशत से कम अथवा 26 प्रतिशत पर लाने के संबंध में निर्णय निम्नांकित आधारों पर किया जाता है:-

(1) क्या औद्योगिक क्षेत्र को निजी हाथों में शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने के लिए एक प्रतिकारी बल के रूप में सरकारी क्षेत्र की उपस्थिति की आवश्यकता है, और

(2) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किए जाने के पूर्व उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए औद्योगिक क्षेत्र को एक उचित विनियामक प्रविधि की आवश्यकता है।

भारतीय नौवहन निगम का विनिवेश

4978. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री के. येरननायडू :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय नौवहन निगम के विनिवेश का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार द्वारा भारतीय नौवहन निगम में विनिवेश का 'सिद्धांतत:' अनुमोदन कर दिया गया है। तथापि,. विनिवेश की जाने वाली इक्विटी की प्रतिशतता के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह निर्णय सामरिक-भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित इक्विटी को घटाकर 26 प्रतिशत तक लाने अथवा उससे कम करने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार किया गया है।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम का अर्जित लाभ निम्नांकित हैं:-

वर्ष	कर अदायगी के पश्चात् लाभ (करोड़ रुपए)
1997-98	246.24
1998-99	201.33
1999-2000	161.61 (अनंतिम)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रतिबंध

4979. श्री आर.एल. भाटिया : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लाभकारी सरकारी उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश प्रस्ताव को स्वीकृति न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके विनिवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(घ) अन्य कौन से सरकारी उपक्रमों के लिए सिद्धांत रूप में विनिवेश की स्वीकृति दी गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में, निम्नांकित 17 मामलों में विनिवेश हेतु निर्णय लिया जा चुका है तथा ''परामर्शदाताओं'' की नियुक्ति की गई है : भारत अल्युमिनियम कम्पनी लि., इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि., एच.टी.एल. लि., आर.बी.एल. लि., स्कूटर्स इण्डिया लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि., एन.ई.पी.ए. लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., भारत लैदर लि., एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स, भारत पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., तथा जोसॉप एण्ड कम्पनी लिमिटेड। दो मामलों में विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन परामर्शदाताओं की नियुक्ति अभी की जानी है। ये हैं : हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड तथा एम.एस.टी.सी. लिमिटेड।

इन कम्पनियों में विनिवेश प्रक्रिया क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) सरकार ने निम्नांकित कम्पनियों में "सिद्धांत रूप से" विनिवेश के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है - हिन्दुस्तान जिंक लि., भारतीय नौवहन निगम लि., हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि., एम.एम.टी.सी., एस.टी.सी., स्पांज आयरन इण्डिया लि., मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., होटल रांची अशोक तथा होटल उत्कल अशोक।

[हिन्दी]

उपभोक्ता बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभुत्व

4980. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है;

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने टी.वी. रेफ्रीजरेटर और वाशिंग मशीन जैसे उपभोक्ता उत्पादों प्रतिष्ठित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो घरेलू कम्पनियों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रवेश को एक दक्ष घरेलू उद्योग के लिए खतरा नहीं समझा जाता है।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करते समय, आवेदक से यह घोषणा प्राप्त की जाती है कि क्या विदेशी सहयोगकर्ता का भारत में उसी अथवा संबद्ध क्षेत्र में कोई पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यापार चिह्न समझौता है। साथ ही ऐसी परिस्थितियों का विस्तृत विवरण भी मांगा जाता है जिनके कारण एक नया संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित करना आवश्यक समझा गया है और यह प्रमाण भी मांगा जाता है कि नया प्रस्ताव किसी भी प्रकार से मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा भागीदार के हितों को खतरे में नहीं डालेगा। किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश और अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित निकाय निवेश करने हेतु मौजूदा भारतीय कंपनी के बोर्ड के संकल्प की एक प्रति मंगायी जाती है ताकि प्रतिकूल अधिग्रहण (होस्टाइल टेक ओवर) की रोकथाम की जा सके।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों से विनिवेश

4981. श्री के. करूणाकरन : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम.टी.एन.एल., वी.एस.एन.एल., मारूति उद्योग लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रमों से विनिवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने सरकारी उपक्रमों से विनिवेश किया जा चुका है अथवा किये जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) एवं विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.) के मामले में और विनिवेश के लिए सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है तथा मारुति उद्योग लि. में विनिवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान वर्ष में अब तक कोई विनिवेश पूरा नहीं किया गया है। वर्तमान में, निम्नांकित 17 मामलों में विनिवेश हेतु निर्णय लिया जा चुका है तथा "परामर्शदाताओं" की नियुक्ति की गई है। भारत अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, एच.टी.एल., लिमिटेड, आर.बी.एल. लिमिटेड, स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड, एन.ई.पी.ए. लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, भारत लैदर लिमिटेड, एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स, भारत पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड तथा जेसॉप एण्ड कम्पनी लिमिटेड। दो मामलों में विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन परामर्शदाताओं की नियुक्ति अभी की जानी हैं। ये हैं : हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. तथा एम.एस.टी.सी. लिमिटेड।

इन कम्पनियों में विनिवेश प्रक्रिया क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

[हिन्दी]

नोटों और सिक्कों का परिचालन

4982. श्री रामशकल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अलग-अलग मूल्य वर्ग के कितने नोट और सिक्के देश में परिचालन में हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे नोटों और सिक्कों की स्थिति पर नजर रखती है;

(ग) यदि हां, तो कितने मूल्य वर्ग के नोटों और सिक्कों की कमी है; और

(घ) इन नोटों और सिक्कों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) इस समय 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 और 500 रु. मूल्यवर्ग के करेंसी नोट और 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे, 1 रु., 2 रु. और 5 रु. के सिक्के चलन में हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय किसी मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की कोई कमी नहीं है। परन्तु 1 रु., 2 रु. और 5 रु. के सिक्कों की मांग की तुलना में कुछ कमी महसूस की जा रही है।

(घ) 1 रु., 2 रु. और 5 रु. के सिक्कों की मांग की तुलना में सरकारी टकसालों की ढलाई क्षमता की अपर्याप्तता को देखते हुए भारत सरकार ने मांग आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए इन सिक्कों का आयात करने का सहारा लिया है।

[अनुवाद]

रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु धनराशि

4983. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रुग्ण उद्योगों, विशेषतया उड़ीसा में इस तरह के उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु धनराशि पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा रुग्ण उद्योगों की सहायता करने तथा उन्हें पुनरुज्जीवित करने के लिए किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल है:-

- रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध), अधिनियम, 1985 के प्रावधान के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना;
- प्रत्येक राज्य में राज्यस्तरीय अंतर संस्थागत समिति (एस.एल.आई.आई.सी.) की स्थापना;
- राज्य सरकारों द्वारा रुग्ण इकाई पुनर्वास समितियों का गठन;
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त योजनाएं लागू करना;
- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनरुजीवित करने के लिए पुनर्वास, पुनर्गठन एवं देयराशियों का एकबारगी निपटान करना।

[हिन्दी]

दिल्ली दूरदर्शन/आकाशवाणी पर समाचारों की अवधि बढ़ाना

4984. श्री राजो सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समाचार की अवधि बढ़ाने के लिये कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समाचार के समय अनेक प्रकार का व्यवधान होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या विशेष रूप से बिहार के संबंध में सरकार का विचार मामले की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) प्रसार भारती ने बताया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समाचारों की अवधि में समय-समय पर वृद्धि समाचारों की मात्रा तथा प्रसारण समय, अन्य संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ग) से (ङ) आमतौर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचारों के दौरान कोई व्यवधान नहीं होता है। तथापि, कभी-कभी वायुमण्डलीय व्यवधानों के कारण रेडियो बुलेटिनों पर प्रभाव पड़ता है जो कि अपरिहार्य है।

[अनुवाद]

यू.टी.आई. यूनिट-64

4985. श्री अरूण कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यू.टी.आई. के यू.एस.-64 योजना के अन्तर्गत 30 जून, 2000 की समाप्त अवधि के लिये दिये गये लाभांश की कम दर के कारण इसके निवेशकों के बीच काफी असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यू.टी.आई. के बोर्ड में कौन-कौन से सरकारी प्रतिनिधि हैं;

(घ) यदि नहीं, तो निवेशकों के हितों की सुरक्षा सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ङ) क्या यू.टी.आई. के बोर्ड में निवेशकों के प्रतिनिधियों की नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) यू.टी.आई. ने यू.एस.-64 के अन्तर्गत 1.375 रुपए प्रति यूनिट (अंकित मूल्य 10 रुपए) के कर मुक्त आय वितरण (पिछले वर्ष के 1.35 रुपए प्रति यूनिट की तुलना में) की घोषणा की है जिससे जुलाई, 1999 बिक्री मूल्य पर 10.185 प्रतिशत का लाभ अभिलक्षित होता है। यह एकवर्षीय सावधि जमा अथवा इसी प्रकार की लिखतों पर बाजार प्रतिफल से तुलनीय है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, यू.टी.आई. बोर्ड में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ट्रस्ट के कार्य तथा कारोबार का सामान्य पर्यवेक्षण तथा प्रबन्धन न्यासी बोर्ड में निहित है जिसमें ये शामिल हैं:- (क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है; (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामजद किए जाने वाला एक न्यासी; (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामजद किए जाने वाले चार न्यासी जिनमें से कम से कम तीन व्यक्ति वाणिज्य, उद्योग, बैंकिंग, वित्त अथवा निवेश की विशेष जानकारी रखने वाले होंगे; (घ) जीवन बीमा निगम द्वारा नामजद किए जाने वाला एक न्यासी; (ङ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामजद किया जाना वाला एक न्यासी; तथा (च) अभिदान करने वाली संस्थाओं द्वारा चुने जाने वाले दो न्यासी। बोर्ड कारोबार सिद्धांतों पर यू.टी.आई. अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत यूनिट धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य पूरे कर रहा है। निवेश तथा आय वितरण संबंधी निर्णय संबंधित योजना के उद्देश्यों तथा यू.टी.आई. अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट विवेकपूर्ण निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(ङ) और (च) वर्तमान में यू.टी.आई. के बोर्ड में निवेशकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान के लिये औद्योगिक पैकेज

4986. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में कराए गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्रों विशेषकर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि के औद्योगिक विकास के लिये एक विशेष पैकेज तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह पैकेज कब तक तैयार कर लिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार जोधपुर में उद्योग विभाग के उप-निदेशक के कार्यालय की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने जून, 1988 में एक

विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी, इस योजना के अंतर्गत, देश भर में 71 विकास केन्द्र विकसित किये जाने हैं, जिसका उद्देश्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराना है ताकि वे उद्योगों को आकर्षित कर सकें। राजस्थान में 5 विकास केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं नामत: 1 आबू रोड (सिरोही) 2. भीलवाड़ा (3) खारा (बिकानेर) 4. धौलपुर 5. झालवाड़। परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण राज्य सरकारों की होती है।

[अनुवाद]

बी.एस.सी.एल. की लालकोट्टि इकाई का पुनरुद्धार

4987. **श्री सुनील खां** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक मजदूर संघ ने बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की लालकोट्टि इकाई के पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपरेटिंग एजेंसी और मैसर्स एम.एन. दस्तूर ने भी इसके पुनरुद्धार की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुनरुद्धार योजना कब तक लागू की जाएगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि. की बी.आई.एफ.आर. द्वारा संस्वीकृत पुनरुद्धार स्कीम दिनांक 16.4.99 से कार्यान्वयनाधीन है। इस स्कीम में पश्चिम बंगाल के रानीगंज स्थित कम्पनी की लालकोट्टि इकाई के पुनरुद्धार पर विचार नहीं किया गया है। बी.आई.एफ.आर. ने बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि. (बी.एस.सी.एल.) की पुनरुद्धार स्कीम को मंजूरी देने से पूर्व प्रबंधन और सरकार के दृष्टिकोण के साथ-साथ प्रचालन एजेंसी की रिपोर्ट को छोड़कर मैसर्स एम.एन. दस्तूर की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया था। संस्वीकृत स्कीम में किसी प्रकार का परिवर्तन बी.आई.एफ.आर. द्वारा ही किया जा सकता है। केन्द्रीय औद्योगिक श्रमिक संघ (सी.आई.टी.यू.) द्वारा प्रस्तुत स्कीम से तकनीक-आर्थिक व्यवहार्यता प्रमाणित नहीं होती।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

4988. **श्री आर.एल. भाटिया** : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के विकल्प के रूप में निजीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महत्वपूर्ण बिक्री की नीति अपना रही है जिसके तहत सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही निजी कंपनियों को बोली के माध्यम से अधिकांश शेयर बेचे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं। निजीकरण विनिवेश का एक रूप है जिसमें प्रबन्धन तथा स्वामित्व के हस्तांतरण सहित कम्पनी की इक्विटी की बिक्री अन्तर्ग्रस्त है।

(ख) और (ग) किसी सरकारी क्षेत्र के उद्यम में अपनी इक्विटी का विनिवेश करने का सरकार का निर्णय विनिवेश आयोग अथवा अन्य विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। विनिवेश आयोग को संदर्भित 58 कम्पनियों में से विनिवेश आयोग ने 37 मामलों में प्रबन्धन तथा स्वामित्व के हस्तांतरण सहित अनुकूल बिक्री/कारोबार बिक्री की अनुशंसा की है। इनमें से कुछ कम्पनियों में सरकार ने अनुकूल बिक्री के माध्यम से अपनी इक्विटी बेचने का निर्णय किया है। अनुकूल बिक्री की प्रक्रिया में प्रतियोगात्मक बोली अन्तर्ग्रस्त है जिसमें विदेशी तथा भारतीय बोलीकर्ता, यदि वे पात्र हों, भाग लेते हैं।

''ई-कामर्स'' और साइबर-अपराध

4989. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निधियों के अपविनियोजन से बचने के लिये, बैंकों को ''ई-कामर्स'' के व्यवहार तथा सभी किस्म के साइबर अपराधों से निपटने के लिये अधिकारिक करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन से निरोधात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित

किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बैंक, ग्राहकों की पहचान, संदेश की विश्वसनीयता तथा इसके अखंडन के संबंध में अपनी संतुष्टि के अध्यधीन, ई-कामर्स लेन-देन में विलम्बित निधि के निपटान के लिए कार्रवाई कर सकता है। यह बैंकों को, साइबर अपराधों से बचाव करने में तथा निधियों के दुर्विनियोजन से बचने के लिए समर्थ बनाएगा।

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आई.एन.एफ.आई.एन.ई.टी.) को बैंकों के बीच सुरक्षापूर्ण निधि-स्थानांतरण के योग्य बनाने के विचार से विकसित किया गया है।

[हिन्दी]

अदालत में लम्बित हवाला मामले

4990. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री राम सागर रावत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों और राजनेताओं के खिलाफ अदालत में हवाला मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) अदालत द्वारा निर्दोष पाए गए और दोषमुक्त किए गए राजनेताओं/पूर्व मंत्रियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत डा. आर.के. राणा, सदस्य विधान सभा बिहार के विरुद्ध हवाला लेनदेन का एक मामला आर्थिक अपराध न्यायालय, पटना के समक्ष लम्बित पड़ा है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत ऐसा कोई मामला नहीं है।

[अनुवाद]

पियरलेस को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

4991. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को अपनी परिचालनात्मक लागत कम करने के संबंध में निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर कोई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो निर्देशों के अनुपालन न करने पर क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंपनी द्वारा अपनी प्रतिष्ठान लागत को 50 प्रतिशत कम करने के प्रस्तावित कदम के कारण इसके कर्मचारियों के बीच विक्षोभ और आशंका की स्थिति व्याप्त है; और

(छ) यदि हां, तो कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ढ के अंतर्गत इसके निरीक्षण के पश्चात् पाए गए प्रतिकूल लक्षणों को दूर करने के लिए कंपनी को दिनांक 7.4.2000 को एक पत्र जारी किया गया था। कंपनी को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने प्रशासनिक खर्चों तथा अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

(ग) और (घ) जारी अनुदेशों के अनुसार कंपनी ने आमूल परिवर्तन योजना के अंतर्गत उपलब्धियों के संबंध में तिमाही रिपोर्टें जमा की हैं। कंपनी ने दिनांक 27.4.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7.4.2000 के पत्र के अनुपालन की भी सूचना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि कंपनी ने प्रशासनिक खर्चों तथा अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ङ) से (छ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी ने प्रशासनिक लागतें कम करने के उपाय के रूप में अपने कार्यबल को कम करने की योजना तैयार की है। गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी द्वारा कार्यबल में कटौती के मामले में वित्त मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

कर लाभ

4992. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सांसदों और व्यावसायिक संघों से भारतीय वित्तीय संस्थाओं और म्युचुअल फंड के लिए मॉरिशस संचालित निधियों के समान कर लाभ व्यवस्था करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या मॉरिशस सरकार का ध्यान भारत-मॉरिशस की दोहरे कराधान संबंधी संधि के प्रावधानों के दुरूपयोग की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर मॉरिशस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और बेईमान निधि संचालकों द्वारा संधि के दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (ग) जी, हां। विदेशी संस्थागत निवेशकों को लाभ भारत मारिशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के कारण मिलता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों और भारतीय निवेशकों दोनों पर दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभों के 10% का कर लगाया जाता है। पूंजीगत अभिलाभों को म्युचुअल फंडों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मामले में भी छूट दी गई है।

(घ) और (ङ) इस संधि के अन्तर्गत उठाए गए लाभों को दुरूपयोग नहीं माना जाता है। चूंकि दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के दोनों संविदाकारी राज्य हैं, इसलिए संधि के प्रावधानों के अनुप्रयोग और कार्यान्वयन के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

विकास कार्य हेतु विदेशी ऋण

4993. श्री नागमणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विकास कार्यों हेतु द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण लेती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार/परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के लिये ऐसे ऋण स्वीकृत करने में कोई क्षेत्रीय असंतुलन है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों से प्राप्त ऋणों के राज्य-वार/परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता हेतु परियोजनाओं पर विचार राज्य सरकार द्वारा आवश्यक स्वीकृतियों को समाविष्ट करते हुए समुचित रूप से तैयार किए गए प्रस्तावों को भारत सरकार को अग्रेषित किए जाने के बाद ही किया जाता है। इसलिए विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाओं की संख्या में मौजूद अंतर का कारण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या में अंतर तथा वित्तपोषक अभिकरणों द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति के आधार पर निहित है। तथापि, भारत सरकार दाता अभिकरणों को सभी राज्यों में परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	अनुमोदन की तारीख	करेंसी	ऋण (मिलियन में डी.सी.)	वर्ष के दौरान संवितरण (करोड़ रुपये)		
						1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश								
1.	आं.प्र. आपदा प्रशमन और आपातिक चक्रवात	आई डी ए	9.7.97	अम. डालर	100.00	31.41	83.56	99.68
2.	आं.प्र. आपदा प्रशमन और आपातिक चक्रवात	आई बी आर डी	3.6.97	अम. डालर	50.00	-	0.00	0.00
3.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी	आई डी ए	9.3.94	अम. डालर	77.40	60.72	55.75	70.69
4.	आन्ध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र	आई बी आर डी	5.3.99	अम. डालर	210.00	-	43.05	196.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	श्रीसेलम बांया बैंक विद्युत स्टेशन परियोजना-I	जापान	10.2.88	जापानी येन	26101.00	107.41	14.98	-
6.	श्रीसेलम विद्युत सम्प्रेषण प्रणाली	जापान	21.12.92	जापानी येन	3806.00	5.00	45.28	28.82
7.	श्रीसेलम बांया बैंक विद्युत स्टेशन परियोजना-II	जापान	28.2.95	जापानी येन	22567.00	145.65	85.82	92.48
8.	श्रीसेलम विद्युत सम्प्रेषण परि-II	जापान	28.2.95	जापानी येन	9546.00	9.99	69.15	128.05
9.	कोठागुडम एतापीय विद्युत स्ट. पुनरुद्धापन	जापान	28.2.95	जापानी येन	5092.00	40.20	13.79	11.62
10.	सिंहाद्री और विजाग सम्प्रेषण प्रणाली	जापान	12.12.97	जापानी येन	10629.00	0.00	0.00	2.45
11.	श्रीसेलम बांया बांध विद्युत स्टेशन	जापान	12.12.97	जापानी येन	14499.00	20.89	46.49	147.80
12.	रायलसीमा थर्मल पावर	ए डी बी	14.3.90	अम. डालर	178.20	0.49	-	-
13.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	आईबीआरडी	30.7.97	अम. डालर	350.00	45.95	44.02	174.47
14.	हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	आई डी ए	25.5.90	अम. डालर	79.90	37.13	29.04	-
15.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-III	आई डी ए	3.6.97	अम. डालर	150.00	216.60	37.00	59.64
16.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई	आई.बी.आर.डी.	3.6.97	अम. डालर	175.00	-	0.00	0.00
17.	कुर्नूल कुड्डप्पा नहर	जापान	25.1.96	जापानी येन	16049.00	0.00	3.56	56.43
18.	आन्ध्र प्रदेश परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली	आई.डी.ए.	22.12.94	अम. डालर	133.00	70.79	130.90	78.11
10.	3103-इन आं.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आई.डी.ए.	4.2.99	अम. डालर	241.90	-	123.21	118.44
20.	4360 इन आं.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आई.बी.आर.डी.	4.2.99	अम. डालर	301.30	-	137.09	174.49
21.	आं.प्र. जनजातीय विकास	आई.एफ.ए.डी.	5.5.91	अम. डालर	7.20	-	6.80	19.46
22.	आं.प्र. भागीदारी जनजातीय विकास	आई.एफ.ए.डी.	13.5.94	अम. डालर	26.71	-	11.11	8.44
असम								
1.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा	आई.डी.ए.	6.6.95	अम. डालर	126.00	6.23	29.31	44.71
बिहार								
1.	बिहार पठार विकास	आई.डी.ए.	7.12.92	अम. डालर	117.00	50.08	100.35	88.87
2.	डी.पी.ई.पी.-III	आई.डी.ए.	3.2.98	अम. डालर	152.00	17.75	33.45	37.14
गुजरात								
1.	पर्यावरण प्रबन्धन क्षमता निर्माण	आई.डी.ए.	14.3.97	अम. डालर	50.00	10.73	3.63	7.71
2.	गुजरात वानिकी	जापान	25.1.96	जापानी येन	15760.00	100.28	110.04	118.17
3.	पिपावव में जहाज तोड़ने का विकास	जापान	5.1.96	जापानी येन	7046.00	53.67	80.77	69.92
4.	गुजरात सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबंध	ए.डी.बी.	20.12.96	अम. डालर	250.00	0.00	0.00	215.00
हरियाणा								
1.	मेवात क्षेत्र विकास	आई.एफ.ए.डी.	29.5.95	अम. डालर	15.08	0.18	5.93	3.49
2.	हरियाणा विद्युत पुनर्संरचना	आई.बी.आर.डी.	16.1.98	अम. डालर	60.00	0.00	78.29	57.38
3.	जल संसाधन समेकन	आई.डी.ए.	6.4.94	अम. डालर	258.00	105.46	81.33	142.35

2	3	4	5	6	7	8	9
माचल प्रदेश							
शिमला मल निकासी परियोजना	ओपेक	21.8.1997	अम. डालर	10.00	0.06	0.02	0.02
पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे	13.12.1994	ना. क्रोनर	12.00	1.32	0.57	0.17
र्नाटक							
पूर्वी कर्नाटक वनरोपण	जापान	25.2.1997	जापानी येन	15968.00	27.17	78.13	84.84
रायचूर तापीय विद्युत केन्द्र विस्तार	जापान	15.12.88	जापानी येन	23142.00	6.95	–	–
कालिन्दी पन बिजली परियोजना चरण-II	कुवैती निधि	12.2.1986	कुवैती दीनार	7.00	8.76	2.65	0.67
मैसूर पेपरमिल्स आधुनि. और पुनर्संरचना परियोजना	जापान	15.12.88	जापानी येन	2381.00	35.96	16.69	–
कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई	आई.डी.ए.	4.6.1993	अम. डालर	92.00	30.75	123.47	130.56
ऊपरी कृष्णा चरण-III	आई.बी.आर.डी.	16.6.89	अम. डालर	6.82	12.36	–	–
कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंध	आई.बी.आर.डी.	23.12.99	अम. डालर	1.50	–	–	0.00
रायचूर जिला अस्पताल	ओपेक	6.6.91	अम. डालर	9.00	2.61	7.36	7.46
बंगलौर जलापूर्ति	जापान	25.1.96	जापानी येन	28452.00	7.24	23.88	106.20
1. कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास	ए.डी.बी.	10.5.96	अम. डालर	85.00	10.33	22.30	66.75
रल							
केरल मीन उद्योग - झींगा पालन विकास	कुवैती फंड	24.12.89	कुवैती दीनार	7.00	0.03	0.00	–
केरल वर्षा सिंचित खेती विकास	ओपेक	27.6.91	अम. डालर	10.00	1.46	3.04	4.68
केरल वानिकी	आई.डी.ए.	13.8.98	अम. डालर	39.00	–	16.60	20.63
अट्टापाडी बंजर भूमि विकास	जापान	25.1.96	जापानी येन	5112.00	0.66	0.21	3.82
केरल जलापूर्ति	जापान	25.2.97	जापानी येन	11997.00	0.00	0.00	0.00
ध्य प्रदेश							
मध्य प्रदेश वानिकी	आई.डी.ए.	11.4.95	अम. डालर	58.00	39.50	61.20	79.58
भोपाल झील संरक्षण एवं प्रबंध	जापान	28.2.95	जापानी येन	7055.00	10.31	17.65	24.77
मध्य प्रदेश रेशम कीट पालन	जापान	12.12.97	जापानी येन	2212.00	0.00	1.77	5.54
राजघाट नहर सिंचाई	जापान	25.2.97	जापानी येन	13222.00	0.00	20.19	32.22
रेवा अस्पताल	ओपेक	8.2.89	अम. डालर	10.00	1.46	9.62	7.26
म.प्र. लोक संसाधन प्रबंध	ए.डी.बी.	14.12.99	अम. डालर	250.00	–	–	434.90
ाराष्ट्र							
महाराष्ट्र वानिकी	आई.डी.ए.	29.1.92	अम. डालर	107.82	30.99	82.53	34.39
महाराष्ट्र विद्युत	आई.बी.आर.डी.	11.9.89	अम. डालर	337.00	230.34	180.35	–
द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत	आई.बी.आर.डी.	8.7.92	अम. डालर	112.25	0.00	0.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	घाटघर पम्पचालित भण्डारण	जापान	15.12.88	जापानी येन	11414.00	6.36	26.17	[illegible]
5.	उरन कम्बाइन साइकल विद्युत केन्द्र	जर्मनी	22.11.90	डयूश मार्क	304.48	0.67	–	
6	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, उरण	जर्मनी	11.12.95	डयूश मार्क	29.74	21.79	3.03	
7	निजी आधारभूत ढांचा (आई.एल.ओ.एफ.एस.)	आई.डी.ए.	10.7.96	अम. डालर	5.00	0.00	1.74	
8.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	आई.डी.ए.	5.6.91	अम. डालर	109.90	49.96	83.62	
9	लघु सिंचाई	जर्मनी	31.12.98	डयूश मार्क	45.00	61.63	0.00	
10.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आई.डी.ए.	14.1.99	अम. डालर	134.00		13.08	
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	आई.एफ.ए.डी.	1.6.93	अम डालर	29.44	8.16	9.33	1
12	मुम्बई मल व्ययन	आई.बी.आर.डी.	28.12.95	अम. डालर	167.00	100.07	65.29	6
मणिपुर								
1.	मणिपुर रेशम कीट पालन	जापान	12.12.97	जापानी येन	3962.00	0.00	7.38	
मेघालय								
1.	उमियम पन बिजली केन्द्र नवीकरण	जापान	25.2.97	जापानी येन	1700.00	0.00	0.00	
उड़ीसा								
1.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	आईबीआरडी	10.7.96	अम. डालर	350.00	15.66	31.48	[illegible]
2.	भारत उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	यू.के.	29.8.96	यू.के. पौण्ड	42.00	17.24	83.15	[illegible]
3	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	आईडीए	5.1.96	अम. डालर	290.00	153.53	127.57	12
4.	ऊपरी कोलाब सिंचाई	जापान	15.12.88	जापानी येन	3769.00	11.50	12.52	
5.	ऊपरी इंद्रावती सिंचाई	जापान	15.12.88	जापानी येन	3744.00	17.24	18.21	
6.	रेंगली सिंचाई	जापान	12.12.97	जापानी येन	7760.00	4.30	21.80	[illegible]
7.	लिफ्ट सिंचाई, उड़ीसा	जर्मनी	19.2.93	डयूश मार्क	55.00	17.96	20.49	[illegible]
8.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आई.डी.ए.	13.8.98	अम. डालर	76.40		15.26	
पंजाब								
1.	पंजाब वनरोपण	जापान	12.12.97	जापानी येन	6193.00	1.92	19.53	[illegible]
2.	पंजाब सिंचाई	आई.डी.ए.	9.2.90	अम. डालर	145.29	61.39	91.22	
राजस्थान								
1.	ए.डी.पी. राजस्थान कृषि विकास	आई.डी.ए.	17.12.92	अम. डालर	106.00	42.38	55.66	[illegible]
2.	इंदिरा गांधी वनरोपण	जापान	23.1.91	जापानी येन	7869.00	17.79	18.35	[illegible]
3.	वनरोपण परि. अरावली पहाड़ियां	जापान	9.1.92	जापानी येन	8095.00	36.96	38.40	[illegible]
4.	राजस्थान : वानिकी विकास	जापान	28.2.95	जापानी येन	4219.00	26.40	29.32	[illegible]
5.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा	आई.डी.ए.	6.7.99	अम. डालर	81.90	–	–	
6.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति चरण-I	जर्मनी	17.6.94	डयूश मार्क	40.00	22.38	19.50	
7.	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा	ए.डी.बी.	1.12.99	अम. डालर	250.00	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु								
1.	तमिलनाडु कृषि विकास	आई.डी.ए.	अम. डालर	92.00	41.33	24.46	-	
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	आई.बी.आर.डी.	अम. डालर	20.00	0.00	39.26	-	
3.	तमिलनाडु वनरोपण	जापान	25.2.97	जापानी येन	13324.00	32.48	58.91	78.13
4.	बेसिन ब्रिज गैप्स टरबाइन-II	जापान	27.3.90	जापानी येन	11450.00	17.76	-	-
5.	लिग्नाइट खान और विद्युत केन्द्रों का विस्तार	जर्मनी	13.3.97	ड्यूश मार्क	375.20	39.15	259.78	-
6.	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	ए.डी.बी.	21.1.87	अम. डालर	112.98	-25.55	-8.28	-
7.	द्वितीय उत्तरी माद्रस तापीय विद्युत	ए.डी.बी.	6.12.90	अम. डालर	170.00	26.74	28.51	4.19
8.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	आई.डी.ए.	22.9.95	अम. डालर	282.90	7.41	81.52	249.52
9.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति	आई.बी.आर.डी.	20.11.95	अम. डालर	86.50	36.79	55.83	86.32
10.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास	आई.बी.आर.डी.	14.7.99	अम. डालर	105.00	-	-	63.01
11.	तमिलनाडु शहरी विकास	आई.डी.ए.	16.9.88	अम. डालर	254.73	97.56	-	-
12.	चेन्नई मल-व्ययन नवीकरण तथा कार्यकलाप सुधार	जापान	28.2.95	जापानी येन	17098.00	6.51	2.46	33.65
उत्तर प्रदेश								
1.	उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार	आई.डी.ए.	24.6.93	अम. डालर	54.70	30.43	51.40	45.20
2.	उ.प्र. विविधिकृत कृषि समर्थन	आई.डी.ए.	30.7.98	अम. डालर	50.00	-	23.14	24.53
3.	उ.प्र. सोडिक भूमि सुधार-II	आई.डी.ए.	4.2.99	अम. डालर	194.10	-	-	32.76
4.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि	आई.बी.आर.डी.	30.7.98	अम. डालर	79.90	-	0.00	0.00
5.	उ.प्र. वानिकी	आई.डी.ए.	30.12.97	अम. डालर	52.94	0.00	30.81	29.11
6.	अनपारा विद्युत पारेषण प्रणाली-I	जापान	13.6.91	जापानी येन	19318.00	155.32	74.70	-
7.	अनपारा "ख"	जापान	24.1.94	जापानी येन	17638.00	85.54	38.53	33.03
8.	अनपारा विद्युत पारेषण-II	जापान	25.1.96	जापानी येन	12020.00	102.90	45.62	48.99
9.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण सफाई	आई.बी.आर.डी.	22.7.96	अम. डालर	52.40	2.62	25.99	23.66
10.	उ.प्र. प्राथमिकी शिक्षा	आई.डी.ए.	7.7.93	अम. डालर	165.00	124.90	85.33	51.54
11.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा-II	आई.डी.ए.	3.3.98	अम. डालर	59.40	29.58	87.07	70.53
12.	बस्ती जिला अस्पताल	ओपेक	4.5.90	अम. डालर	6.50	5.52	0.00	10.11
पश्चिम बंगाल								
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी	आईडीए	25.3.92	अम. डालर	34.00	1375.00	4.30	-
2.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	जापान	28.2.95	जापानी येन	1525.00	3.45	3.20	3.61
3.	तीस्ता नहर एचईपी-आईडीपी-40	जापान	18.12.86	जापानी येन	8025.00	14.21	14.13	10.89
4.	तीस्ता नहर एचईपी-आईडीपी-72	जापान	23.1.91	जापानी येन	6222.00	30.91	18.09	20.28
5.	बकरेश्वर तापीय विद्युत परियोजना	जापान	24.1.94	जापानी येन	27069.00	384.19	313.16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	बकरेश्वर तापीय विद्युत एकक-3 विस्तार	जापान	28.2.95	जापानी येन	8659.00	70.90	184.76	24.56
7.	पुरूलिया पम्प भंडारण	जापान	28.2.95	जापानी येन	20520.00	14.81	12.97	17.56
8.	प. बंगाल संप्रेषण प्रणाली	जापान	25.2.97	जापानी येन	11087.00	1.92	2.55	25.45
9.	बकरेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र परि.-2	जापान	12.12.97	जापानी येन	34151.00	0.13	379.62	438.80
10.	बकरेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र एकक-3	जापान	24.3.99	जापानी येन	11537.00	–	0.00	167.83
11.	कलकत्ता परिवहन आधारभूत ढांचा	जापान	25.2.97	जापानी येन	10679.00	10.33	2.82	19.46
12.	कलकत्ता जलापूर्ति, मल व्ययन और जल निकासी	आईबीआरडी	23.7.99	अम. डालर	2.50	–	–	0.00
दिल्ली								
1.	दिल्ली व्या. द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	जापान	25.2.97	जापानी येन	14760.00	0.00	8.76	41.49
2.	दिल्ली जलापूर्ति और सफाई	आईबीआरडी	20.4.99	अम. डालर	2.50	–	0.00	0.00
	बहुराज्यीय परियोजनाएं *(परियोजना नाम के नीचे भाग लेने वाले राज्य के नाम)*							
1.	एकीकृत जलसंभर विकास (मैदान) गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा	आईडीए	22.8.90	अम. डालर	55.00	45.00	34.99	–
2.	एकीकृत जलसंभर विकास (पहाड़ी) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा	आईडीए	11.1.91	अम. डालर	75.00	26.79	50.61	4.49
3.	झींगा मछली तथा मत्स्यपालन हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यू.पी., प. बंगाल	आईडीए	29.1.92	अम. डालर	36.49	0.00	34.05	3.70
4.	कृषि और मानव संसाधन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु	आईडीए	11.4.95	अम. डालर	59.50	26.72	32.72	47.75
5.	एकीकृत जलसंभर विकास परियोजना (पहाड़ी)	आईडीए	14.7.99	अम. डालर	50.18	–	–	40.65
6.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा,. उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु	आईडीए	18.6.92	अम. डालर	163.63	158.16	152.55	3.41
7.	राज्य सड़क परियोजना बिहार, महाराष्ट्र, यू.पी., राजस्थान	आईबीआरडी	17.11.88	अम. डालर	103.38	17.43	0.17	–
8.	सड़क सुधार परियोजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	एडीबी	27.12.88	अम. डालर	172.86	66.95	10.89	–
9.	सड़क आधारभूत ढांचा विकास तकनीकी सहायता परि. आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरि., राज., तमिलनाडु	आईबीआरडी	15.1.99	अम. डालर	51.50	–	–	52.89
10.	द्वितीय सड़क परियोजना-1041-आईएनडी आ.प्र., उ.प्र., उड़ीसा, प. बं., राज., कर्ना. केरल	एडीबी	28.5.91	अम. डालर	250.00	151.18	46.15	42.94
11.	द्वितीय पत्तन परियोजना आंध्र प्रदेश	एडीबी	10.8.90	अम. डालर	109.26	24.57	–	–
12.	मिश्रित परियोजना महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल	फ्रांस	25.1.98	फ्रांस फ्रांक	88.02	–	3.22	25.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	बांध सुरक्षा परियोजना (आरएफ) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल	आईडीए	10.6.91	अम. डालर	92.97	61.42	77.17	73.33
14.	भारत में पन-बिजली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु	आईडीए	22.9.95	अम. डालर	142.00	23.40	69.18	61.79
15.	तकनीकी शिक्षा-II (आरएफ)-2223-आईएन आ.प्र., अ., हरि., हि.प्र., महा., के. ड., त.न.	आईडीए	–	अम. डालर	255.73	113.79	114.05	275.24
16.	तकनीकी शिक्षा बि., गुज., कर्ना., के., म.प्र., राज., उ.प्र., ड., गो. प.बं.	आईडीए	–	अम. डालर	210.74	95.25	152.75	–
17.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं आ.प्र., उ., म.प्र.	आईडीए	23.10.90	अम. डालर	74.35	76.48	7.10	–
18.	परिवार कल्याण अ., कर्ना., राज.	आईडीए	24.6.94	अम. डालर	88.60	53.67	41.21	30.12
19.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा अ., गु., हरि., हि.प्र., कर्ना., के., महा., म.प्र.	आईडीए	15.7.96	अम. डालर	425.20	62.79	271.20	341.89
20.	ग्रामीण महिलाओं का विकास बि., गु., हरि., कर्ना., म.प्र., उ.प्र.	आईडीए	14.9.98	अम. डालर	19.50	–	0.00	0.00
21.	महिला एवं बाल विकास के., राज., त.न., उ.प्र., महा.	आईडीए	6.7.99	अम. डालर	300.00	–	–	43.35
22.	क्षय रोग नियंत्रण	आईडीए	14.3.97	अम. डालर	142.40	18.31	0.00	–
23.	ग्रामीण महिलाओं का विकास एवं अधिकरण बि., गु., हरि., कर्ना., म.प्र., उ.प्र.	आईएफएडी	27.3.97	अम. डालर	18.44	–	0.00	0.00
24.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन असम, मणि., मेघा.	आईएफएडी	20.5.97	अम. डालर	27.12	–	0.00	5.22
25.	अजंता एलौरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास	जापान	9.1.92	जापानी येन	3745.00	–	15.64	10.60

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा को जब्त करना

4994. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान और जुलाई, 2000 तक सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा राज्य-वार कितने रुपये मूल्य का तस्करी का सामान और विदेशी मुद्रा पकड़ी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्ति पकड़े गये; और

(ग) भविष्य में देश के अन्दर तस्करी के सामान और विदेशी मुद्रा के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (जुलाई 2000 तक) के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई विदेशी मुद्रा और अन्य तस्करी के माल के मूल्य की राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमाशुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय देश में विदेशी मुद्रा की तस्करी और अन्य तस्करी के माल का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए हमेशा सतर्क और चौकस रहते हैं।

विवरण-I

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान जब्त किए गए तस्करी के माल और विदेशी मुद्रा की राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 1998-99
(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए तस्करी के माल का मूल्य		गिरफ्तार किए
		विदेशी मुद्रा	अन्य तस्करी का माल	गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	74.59	2211.94	07
2.	असम	20.00	440.93	24
3.	बिहार	1.42	3024.76	198
4.	दिल्ली	544.38	8391.72	111
5.	गोवा	–	317.87	10
6.	गुजरात	9.06	5314.37	12
7.	कर्नाटक	10.00	1506.98	05
8.	केरल	94.19	2196.30	35
9.	मध्य प्रदेश	–	14.70	–
10.	महाराष्ट्र	972.78	36533.24	103
11.	मणिपुर	516.97	98.00	09
12.	मेघालय	50.00	59.59	10
13.	मिजोरम	38.00	22.00	–
14.	उड़ीसा	–	82.00	02
15.	पंजाब	–	691.57	13
16.	राजस्थान	0.92	143.56	10
17.	तमिलनाडु	71.61	6922.59	72
18.	त्रिपुरा	21.00	51.00	01
19.	उत्तर प्रदेश	5.90	1614.94	73
20.	पश्चिम बंगाल	265.63	2395.96	111
	जोड़	2696.45	72034.02	615

विवरण-II

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान जब्त किए गए तस्करी के माल और विदेशी मुद्रा की राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 1999-2000
(लाख रुपयों में)

.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए तस्करी के माल का मुल्य		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
		विदेशी मुद्रा	अन्य तस्करी का माल	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	94.44	1918.24	06
2.	असम	3.00	253.50	22
3.	बिहार	-	3208.88	103
4.	दिल्ली	664.71	11741.70	86
5.	गोवा	13.83	714.32	13
6.	गुजरात	4.33	80060.37	10
7	कर्नाटक	18.90	2705.21	24
8.	केरल	87.74	3035.17	29
9.	मध्य प्रदेश	-	118.90	02
).	महाराष्ट्र	426.81	17382.62	129
1	मणिपुर	127.00	137.00	01
2.	मेघालय	8.00	33.00	08
3.	मिजोरम	46.00	35.00	-
4.	उड़ीसा	-	13.00	03
5.	पंजाब	-	579.89	33
6.	राजस्थान	-	13.90	02
7	तमिलनाडु	285.92	21317.31	127
8.	त्रिपुरा	21.00	100.00	01
9.	उत्तर प्रदेश	145.04	2562.43	90
).	पश्चिम बंगाल	100.98	7192.10	149
	जोड़	2047.70	153122.54	828

विवरण-III

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 2000-2001 (जुलाई 2000 तक) के दौरान जब्त किए गए तस्करी के माल और विदेशी मुद्रा की राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 2000-200
(लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए तस्करी के माल का मूल्य		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
		विदेशी मुद्रा	अन्य तस्करी का माल	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.21	751.17	01
2.	असम	–	27.94	01
3.	बिहार	29.44	939.71	48
4.	दिल्ली	282.26	2757.28	28
5.	गोवा	7.80	36.41	03
6.	गुजरात	–	1670.30	02
7.	कर्नाटक	–	96.57	06
8.	केरल	34.79	235.10	03
9.	मध्य प्रदेश	–	5.62	03
10.	महाराष्ट्र	156.57	2194.41	56
11.	मणिपुर	31.00	18.00	–
12.	मेघालय	–	15.00	03
13.	मिजोरम	17.00	4.00	–
14.	उड़ीसा	–	1.00	–
15.	पंजाब	–	866.88	08
16.	राजस्थान	–	2.39	–
17.	तमिलनाडु	132.22	1735.03	43
18.	त्रिपुरा	5.00	18.00	–
19.	उत्तर प्रदेश	0.41	1441.93	17
20.	पश्चिम बंगाल	77.17	826.62	56
	जोड़	774.87	13643.36	278

खानों से प्राप्त अयस्क का निर्यात

4995. श्री श्रीपाद यैसो नाईक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खानों से प्राप्त अयस्कों के निर्यात के जरिये अर्जित विदेशी मुद्रा का वितरण राज्यों में समानुपातिक ढंग से कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को दी जा रही धनराशि का प्रतिशत कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषरूप से गोवा, को दी गई धनराशि का हिस्सा कितना-कितना था;

(घ) क्या गोवा सरकार अपने हिस्से का राजस्व प्रतिशत नहीं प्राप्त कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) विदेशी मुद्रा, खनिज अयस्क के निर्यातकों द्वारा अर्जित की जाती है। राज्य सरकारें, निर्यातित खनिजों पर स्थानीय शुल्क इत्यादि के अलावा पट्टे वाले क्षेत्र से निकाले गए निर्यातित खनिजों पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित दर के अनुसार रायल्टी प्राप्त करते हैं।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. वाहनों का निर्माण

4996. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रदूषण मुक्त वाहन बनाने वाली कंपनियां सी.एन.जी. (गैस आधारित) आटो रिक्शा के निर्माण में तकनीकी रूप से विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैस आधारित सी.एन.जी. आटो रिक्शा के आने से तथा इसका उत्पादन शुरू हो जाने से वाहन मालिकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं। यह पाया गया है कि सीएनजी आधारित ऑटो रिक्शा बाजार में पहले ही ला दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जहां तक सीएनजी गैस की उपलब्धता का संबंध है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा मुम्बई दोनों में सीएनजी की आपूर्ति (आउट्लेट्स) बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4997. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र में विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों की सहायता से निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी परियोजनाओं पर समुचित रूप से निगरानी रखी जा रही है; और

(ग) केन्द्र सरकार के पास उक्त राज्यों के मामले में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) विश्व बैंक और अन्य अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग की जा रही है।

(ग) विश्व बैंक से सहायता के लिए विचाराधीन विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति की स्थिति इस प्रकार है:

महाराष्ट्र:

(1) मुम्बई-IV मिडिल वैतरणा प्रोजेक्ट : यह परियोजना दि. 13.10.97 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गयी थी। विश्व बैंक से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(2) महाराष्ट्र वानिकी-II : यह परियोजना दि. 19.8.99 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गयी थी और विश्व बैंक के विचाराधीन है।

कर्नाटक:

(1) कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और ईएसपी-II दि. 25.5.99 को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। परियोजना तैयार करने सम्बन्धी सुविधा हेतु सम्बद्ध मंत्रालय/राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

(2) कर्नाटक विस्तृत जलसंभर विकास परियोजना विश्व बैंक को दि. 30.6.2000 को प्रस्तुत की गयी थी। विश्व बैंक से उत्तर की प्रतीक्षा है।

विवरण

(दाता मुद्रा मिलियन में)
(दि. 31.7.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	हस्ताक्षर/ अनुमोदन की तारीख	मुद्रा	ऋण/ अनुदान राशि	दाता मुद्रा में संचयी आहरण
1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक						
1.	कर्नाटक जलसंभर विकास	डेनमार्क	2.6.1997	डेनिश क्रोनर	46.700	6.553
2.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण	जापान	25.2.1997	जापानी येन	15968.00	5255.000
3.	पश्चिमी घाट वानिकी	यूके	8.10.1992	यूके पौण्ड	18.074	17.783
4.	मैसूर पेपर मिल आधुनिकीकरण एवं पुनःसुधार	जापान	15.12.1988	जापानी येन	2381.00	2373.900
5.	कर्नाटक गौण स्तरीय अस्पताल विकास	जर्मनी	16.1.1997	ड्यूश मार्क	23.000	4.473
6.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता	आईडीए	4.6.1993	अम. डालर	92.000	90.034
7.	भारत-स्विस भागीदारिता जलंसभर विकास	स्विटजरलैंड	19.6.1995	भारतीय रुपया	86.248	63.131
8.	यूके/भारत कर्नाटक जलसंभर विकास	यूके	23.5.97	यूके पौण्ड	4.488	0.000
9.	कर्नाटक जलसंभर विकास	जर्मनी	17.6.94	ड्यूश मार्क	20.000	1.396
10.	कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंधन	आईबीआरडी	23.12.99	अम. डालर	1.500	0.000
11.	महिला और युवा प्रशिक्षण विस्तार, चरण-II	डेनमार्क	1.7.89	डेनिश क्रोनर	48.500	24.676
12.	ग्रामीण जल और स्वच्छता चरण-II कर्नाटक	डेनमार्क	1.1.96	डेनिश क्रोनर	65.500	8.892
13.	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम-II	डेनमार्क	7.11.97	डेनिश क्रोनर	55.000	7.043
14.	रायचूर जिला अस्पताल	ओपेक	6.6.91	अम. डालर	9.000	4.316
15.	बंगलौर जलापूर्ति	जापान	25.1.96	जापानी येन	28452.00	3873.700
16.	कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास	एडीबी	10.5.96	अम. डालर	85.000	33.015

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र						
1.	लवणयुक्त भूमि सुधार	ईसी	3.7.95	यूरो	15.500	0.000
2.	महाराष्ट्र वानिकी	आईडीए	29.1.92	अम. डालर	107.820	85.427
3.	घाटघर पम्पचालित भण्डारण	जापान	15.12.88	जापानी येन	11414.000	2069.000
4.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड उरण	जर्मनी	11.12.95	ड्यूश मार्क	29.740	24.354
5.	निजी आधारभूत ढांचा (आईएलओएफएस)	आईडीए	10.7.96	अम. डालर	5.000	0.664
6.	आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण हेतु अनुदान	आईबीआरडी जापान अनुदान	22.4.97	अम. डालर	1.500	1.198
7.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जलापूर्ति	यूके	10.9.91	यूके पौण्ड	16.460	8.609
8.	जलसंभर महाराष्ट्र-II (नाबार्ड)	जर्मनी	26.6.97	ड्यूश मार्क	25.000	0.000
9.	लघु सिंचाई	जर्मनी	31.12.98	ड्यूश मार्क	45.000	0.000
10.	सहकारिता विकास हेतु जल-नियंत्रण प्रणाली	ईईसी अनुदान	25.10.88	यूरो	15.000	11.708
11.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	14.1.99	अम. डालर	134.000	3.234
12.	महाराष्ट्र ग्रामीण क्रेडिट	आईएफएडी	1.6.93	अम. डालर	29.442	13.613
13.	एवर्ट	यूएसए	15.9.99	अम. डालर	42.500	0.000
14.	बुनियादी स्वास्थ्य महाराष्ट्र	जर्मनी	23.7.96	ड्यूश मार्क	20.000	2.060
15.	मुम्बई पुनर्वास और पुन:स्थापना-29399-इन	आईबीआरडी जापान अनुदान	1.9.96	जापानी येन	67.000	44.400
16.	मुम्बई पुनर्वास और पुन:स्थापना-39300-इन	-तदैव-	4.9.96	जापानी येन	16.800	0.000
17.	मुम्बई मल-जल निपटान	आईबीआरडी	28.12.95	अम. डालर	167.000	63.994
बहु-राज्यीय परियोजनाएं						
1.	भारत-नार्वेजियन पर्यावरण कार्यक्रम (कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश)	नार्वे	13.11.97	नार्वे. क्रोनर	24.000	9.311
2.	राज्य विद्युत क्षेत्र में डीएसएम योजना (कर्नाटक और अन्य)	आईबीआरडी	18.9.98	अम. डालर	0.400	0.100
3.	मिश्रित परियोजना (वित्तीय प्रोटोकॉल संबद्ध) (महाराष्ट्र और अन्य)	फ्रांस	25.1.98	फ्रांसीसी फ्रांक	88.108	52.743
4.	जल विज्ञान परियोजना (महाराष्ट्र और अन्य)	आईडीए	22.09.95	अमरीकी डालर	142.000	46.205

1	2	3	4	5	6	7
5.	परिवार कल्याण (कर्नाटक और अन्य)	आईडीए	24.6.1994	अम. डालर	88.600	43.298
6.	II जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य)	आईडीए	15.7.1996	अम. डालर	425.200	178.455
7.	ग्रामीण महिला विकास परियोजना (कर्नाटक और अन्य)	आईडीए	14.9.1998	अम. डालर	19.500	1.726
8.	महिला और शिशु देखभाल विकास (महाराष्ट्र और अन्य)	आईडीए	6.7.1999	अम. डालर	300.00	10.000
9.	पारिस्थितिकीय विकास परियोजना, वैश्विक पर्यावरण (कर्नाटक और अन्य)	आईडीएफ अनुदान	30.9.1996	अम. डालर	20.00	6.131

चूककर्ता गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियां

4998. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु जमाकर्ताओं से सावधिक जमा तथा पूरी हुई समयावधि के अन्य निवेशों के पुनर्भुगतान के संबंध में गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा चूक किये जाने की बढ़ती हुई घटनाओं के मामले में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सेबी गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियों पर प्राथमिक पूंजी बाजार की तरह नजर रख रही है;

(ग) गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियों के लघु निवेशकों को संरक्षण देने हेतु कंपनी पंजीयक के कार्यालय की क्या भूमिका है तथा क्या यह सेबी के सहयोग से कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियों पर कठोर ऋण रेटिंग प्रणाली लगाए जाने के बावजूद निवेशकों को यह क्रेडिट रेटिंग अविश्वसनीय और गलत ढंग से दर्शाई गई लगती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का कृषि-पौध रोपण योजनाओं के निवेशकों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक किए जाने के मामले में, कंपनी विधि बोर्ड को आरबीआई अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत वापसी अदायगी के लिए आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। इस मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) की कोई भूमिका नहीं है।

(घ) आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी निम्नतम निवेश श्रेणी गुण निर्धारण की आवश्यकता समेत विभिन्न विनियमों के अध्यधीन हैं। जनता की जमाराशियों के लिए गुण-निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) श्रेणी-वार (रेटेड) संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करता है और निवेशकों को उनके निवेश में निहित जोखिम के बारे में सूचना देता है। गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से संबंधित कृतिक बल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता की उन जमाराशियों की प्रमात्रा को कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग के स्तर से अलग कर दिया है जिन्हें पंजीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) की तुलना में पूंजी पर अपेक्षाकृत अधिक भरोसा किया गया है।

(ङ) सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 के अनुक्रम में सेबी उन संस्थाओं को विनियमित करती है जिनके पास सामूहिक निवेश योजनाओं जैसी योजनाएं हैं। दवे समिति की सिफारिशों के आधार पर सेबी ने सामूहिक निवेश योजनाओं के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के प्रभावी विनियमन के लिए कई

कदम उठाए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:- कोई नई योजना शुरू करने या निवेशकर्ताओं से धन जुटाने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना, मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना, शीर्ष संचयी निवेश योजना वाली कंपनियों की विशेष लेखा परीक्षा आदि।

सहकारी चीनी मिलें

4999. **श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी चीनी मिलें संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1999 को स्थिति के अनुसार देश में 241 सहकारी चीनी इकाइयों में से 92 सहकारी चीनी मिलों की ऋणात्मक नेट-वर्थ थी।

रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के मामलों की जांच करने तथा सम्भाव्य व्यवहार्य इकाइयों के पुनरुद्धार पैकेजों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, चीनी इकाइयों को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं:-

(1) 1.1.2000 से लेवी और खुली बिक्री की चीनी के अनुपात को 40 : 60 से बदलकर 30 : 70 कर दिया गया है।

(2) 9.2.2000 से आयातित चीनी पर शुल्क को बढ़ा कर 60% कर दिया गया है।

(3) आयातित चीनी को रिलीज व्यवस्था के अधीन लाया गया है।

(4) 17.2.2000 से आयातकों के पास उपलब्ध आयातित चीनी के स्टॉक पर 30% की दर से लेवी लगाई गई है।

डीएवीपी के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों का जारी होना

5000. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों के लिये अपने विज्ञापन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से जारी करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों को डीएवीपी को 13% सृजप प्रभार अनिवार्यत: देना होता है जबकि वे निजी विज्ञापन एजेंसियों को इसे बिल्कुल नि:शुल्क करा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिये क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ख) जी, हां। समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए अपने विज्ञापन भेजने होते हैं।

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भुगतान करने वाले विभागों की ओर से किए जाने वाले प्रचार कार्य के लिए 13% विभागीय प्रभार वसूल करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्प शक्ति वाले भू-केन्द्रों की स्थापना

5001. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी बड़े नगरों/शहरों में अल्प शक्ति वाले भू-केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ङ) इस समय एक भू-केन्द्र के जरिए उपग्रह अपलिंकिंग सुविधा देश में 23 दूरदर्शन केन्द्रों में उपलब्ध है और ऐसी सुविधाओं की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं इस समय पोर्ट ब्लेयर, पणजी, शिमला और जम्मू में कार्यान्वयनाधीन हैं। महाराष्ट्र में लगभग 8.75 करोड़ रुपये की लागत पर मुम्बई और नागपुर के दूरदर्शन केन्द्रों में उपग्रह अपलिंकिंग सेवाएं स्थापित कर दी गई हैं। क्योंकि भू-केन्द्रों की स्थापना से संबंधित परियोजना लागत बहुत अधिक है इसलिए सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, अन्य शहरों के महत्वपूर्ण आयोजनों को डिजिटल उपग्रह समाचार एकत्रण प्रणालियों, इलेक्ट्रानिक समाचार एकत्रण प्रणालियों तथा वाह्य प्रसारण वाहनों का प्रयोग करके कवर किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

5002. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बिहार में चलाए जा रहे होटलों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या इन होटलों में पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं देने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारत पर्यटन विकास निगम बिहार में पटना और बोधगया प्रत्येक में एक-एक होटल चला रहा है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की लाभप्रदता की पिछले तीन वर्षों की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:-

वर्ष	लाभ/हानि (कर से पूर्व) (करोड़ रुपयों में)
1997-98	26.75
1998-99	(-) 13.70
1999-2000 (अनंतिम)	(-) 39.61

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 2000-2001 में बिहार राज्य में उक्त दो होटलों में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए किसी नयी विस्तार योजना का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पारि-पर्यटन

5003. श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यटन अब तक धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ यात्राओं तक ही सीमित रहता आया है और भ्रमण-दौरों तथा पारि-पर्यटन के लिये उपलब्धत क्षमता का दोहन किया जाना अभी शेष ही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों की आवाजाही के संबंध में विवरण क्या है; और

(ग) पारि-पर्यटन की क्षमताओं का दोहन करने के उद्देश्य से विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके देश में धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, तीर्थ पर्यटन तथा पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा देता है।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों के आगमन की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	आगमन स्वदेशी पर्यटक	आगमन विदेशी पर्यटक	योग
1998	41567000	783000	42350000
1999	45723700	822150	46545850

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने "इको टूरिज्म पालिसी तथा गाइडलाइन्स" तैयार की है जिसे सभी राज्यों तथा संघ राज्य सरकारों को कार्यान्वित किए जाने हेतु भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्यों द्वारा प्रस्तावित पारिस्थितिकी-पर्यटन परियोजनाओं (इको टूरिज्म प्रोजेक्ट) के लिए धन की उपलब्धता तथा उनकी परस्पर प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु पारिस्थितिकी पर्यटन को देश तथा विदेश में व्यापक रूप से प्रचालित एवं प्रसारित किया जाता है।

शुल्क वापसी की दर

5004. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2000-2001 के लिये शुल्क वापसी की पूरे भारत के लिए दरें घोषित कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई योजना में किस हद तक पुरानी शुल्क वापसी प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया गया है और इससे किन-किन वर्गों तथा श्रेणियों की मदों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा विभिन्न वर्गों तथा श्रेणियों के क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) जी, हां। वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए शुल्क प्रति अदायगी की समस्त उद्योग दरें 1 जून, 2000 से अधिसूचित की गई है। निर्यात उत्पादों की 826 श्रेणियों के बारे में शुल्क प्रति अदायगी की दरें घोषित की गई हैं।

(ग) शुल्क प्रति अदायगी की समस्त उद्योग दरें सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1995 के अधीन निर्धारित की गई हैं। ऐसी दरें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर दिए गए सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी शुल्कों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में (2000-2001) सीमाशुल्क की ऊंची दर, जो पहले 40% थी से घटाकर 35% की गई है। अब मूल शुल्क पर 10% कर प्रभार सभी शुल्क-दरों पर लागू है। अब सभी आयातों, चाहे विनिर्माताओं द्वारा किए गए हों अथवा व्यापारियों द्वारा, पर 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क लागू है। गत वर्ष से लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 8%, 16% तथा 24% के स्लैबों को अब 16% की एक एकल दर में विलय कर दिया गया है जिसे केन्द्रीय मूल्य वर्धित दर कहा जाता है। तद्नुसार यौक्तिकीकरण के उपाय के रूप में नई प्रतिअदायगी अनुसूची की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:-

(1) 141 श्रेणियों के संबंध में 4% का विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 8% से 16% तक की वृद्धि होने के कारण प्रतिअदायगी की दरों में वृद्धि हुई है।

(2) प्रति अदायगी अनुसूची का दायरा बढ़ाने तथा फैलाने के लिए 9 नई प्रविष्टियां जोड़ी गई हैं।

(3) 406 प्रविष्टियों के संबंध में प्रतिअदायगी की दरें गत वर्ष के स्तर पर बनाए रखी गई हैं।

(4) 270 प्रविष्टियों के मामले में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी के कारण सामन्जस्य रखते हुए प्रति अदायगी की दरों को कम करते हुए संशोधित किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदाम

5005. **श्री जयप्रकाश :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने उत्तर प्रदेश में कितने गोदामों के निर्माण को स्वीकृति दी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के हरदोई, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर-खीरी जिलों के किन-किन स्थानों पर गोदामों के निर्माण की अनुमति दी गई है; और

(ग) इसके गोदामों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने 1 जनवरी, 1999 से 31 जुलाई, 2000 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 7 केन्द्रों पर गोदामों के निर्माण का अनुमोदन किया है।

(ख) इन जिलों में गोदामों के निर्माण के लिए कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

5006. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को बिहार के उद्यमियों से प्रतिवर्ष कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन मंजूर किये गये हैं और कितने नामंजूर हुये हैं;

(ग) आवेदनों के नामंजूर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से बिहार के उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष वित्त योजना के तहत प्राप्त, मंजूर, अस्वीकृत एवं बन्द की गई/रद्द/लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या तथा मंजूर एवं संवितरित सहायता निम्नलिखित है:-

वर्ष	आवेदन-पत्र				राशि (करोड़ रु. में)	
	प्राप्त	मंजूर	अस्वीकृत	बन्द/रद्द/लम्बित	मंजूर	संवितरित
1997-98	14	8	शून्य	6	371	329
1998-99	17	8	शून्य	9	674	135
1999-2000	14	11	शून्य	3	241	*317

*इनमें पिछले वर्ष के दौरान मंजूर किए गये संवितरणों से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

केरल के कुलाथुपुज्जा और अचेनकॉइल में वीएलपीटी केन्द्र

5007. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के अचेनकॉइल और कुलाथुपुज्जा में वी.एल.पी.टी. के दो केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों के कब तक स्थापित/शुरू हो जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान की पर्यटन योजनाएं

5008. **प्रो. रासासिंह रावत :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थानों को विकसित करने के लिये सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के विचारार्थ कोई योजना भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान राजस्थान भ्रमण के लिये कितने विदेशी पर्यटक आए थे और इससे कितनी आमदनी हुई थी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) पर्यटन-विकास-कार्य मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन-परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य के लिए 712.03 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से 49 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य के जयपुर, जैसलमेर, पुष्कर, सवाई माधोपुर, रनकपुर और उदयपुर जैसे पर्यटक महत्व के स्थलों के लिए 248.14 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से 17 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है।

(घ) वर्ष 1999 के दौरान 63.97 लाख विदेशी पर्यटकों के राजस्थान भ्रमण पर आने का अनुमान है। पर्यटन से होने वाली राज्य-वार आय का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

भोजपुर, मध्य प्रदेश स्थित स्मारक

5009. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में भोजपुर स्थित प्राचीन स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास पंजीकृत है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्मारक को संरक्षित करने के लिए निर्माण कार्य पूरा हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे पूरा करने के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भोजपुर स्थित प्राचीन स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है।

(ख) और (ग) संरचनागत स्थायित्व के लिए स्मारक के नाजुक हिस्सों की मरम्मतें की गई हैं। क्योंकि वैज्ञानिक संरक्षण एक धीमा और समय लेने वाला कार्य है, अत: इस कार्य को पूरा किए जाने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत हेतु वित्तीय सहायता

5010. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिये वर्ष 2000-2001 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये क्या मानदंड अपनाए गये हैं; और

(घ) अभी तक इस संबंध में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित परियोजनाओं सहित उनकी अल्पावधि की परियोजनाओं के लिए 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-

(1) इस प्रयोजनार्थ सांस्कृतिक विरासत के सभी पहलुओं का अध्ययन और शोध।

(2) हिमालय की कला और शिल्प कृतियों का संग्रहण।

(3) श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालयी संस्कृति का प्रसार।

(4) हिमालयी संस्कृति के संग्रहालयों और पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करना और उनकी स्थापना करना।

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए बजट प्रावधान 50.00 लाख रुपये है।

नशीले पदार्थों का धंधा करने वालों की सम्पत्तियों को जब्त किया जाना

5011. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले उस व्यक्ति की चार करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति

जब्त कर ली है जो राजधानी में हेरोइन बनाने वाली इकाई चला रहा था और निषिद्ध पदार्थों को श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को निर्यात करता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) महोदय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन.सी.बी.) ने बंगलौर तथा दिल्ली में 51.330 कि.ग्रा. हेरोइन की जब्ती के सिलसिले में दिल्ली के एक निवासी को नवम्बर, 1999 में गिरफ्तार करने के पश्चात् कई सम्पत्तियों को अवरुद्ध किया है जिनमें एक मकान, एक फ्लैट, दो कारें तथा कुल मिलाकर 13.75 लाख रुपये के आठ बैंक खाते शामिल हैं।

(ग) सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनायी है जिसमें सतत् निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गश्त बढ़ाना, सीमाओं पर नशीले पदार्थों की रोकथाम करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना एवं नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

[हिन्दी]

जापान द्वारा भारत को ऋण प्रदान करना

5012. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने ऋण प्रदान करने के लिये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर हस्ताक्षर करने की शर्त रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जापान सरकार ने मई, 1998 में भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधात्मक उपाय किए जिनमें नये येन ऋणों का आस्थगत शामिल है। जबकि इन उपायों में आंशिक छूट दे दी गई है, फिर भी जापानी स्थिति यह है कि वे भारत द्वारा सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के बाद ऐसे उपायों की पुनरीक्षा करेंगे।

(ग) भारत सरकार का मानना है कि ऐसे सभी एकपक्षीय प्रतिबंधात्मक आर्थिक उपाय अन्यायोचित तथा उत्पादक रोधी हैं तथा इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सी.टी.बी.टी. पर भारत सरकार का नजरिया निरन्तर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की विचारणाओं द्वारा मार्गदर्शित है।

[अनुवाद]

सिगरेटों के उत्पादन हेतु लाइसेंस

5013. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक कितनी कंपनियों को सिगरेट का उत्पादन करने हेतु लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उत्पादन इकाई कहां-कहां स्थित है;

(ग) क्या लाइसेंस दिये जाने के बाद किसी इकाई द्वारा स्थान का परिवर्तन अथवा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में पिछले पांच वर्षों के दौरान, सिगरेट के विनिर्माण के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आई.डी.बी.आई. द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

5014. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के लिये एक नई उद्यम पूंजी शाखा खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई पूंजी शाखा द्वारा ऋण दिये जाने के दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(ग) इसका गठन कब तक हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि बैंक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक समर्थित उद्यम पूंजी निधि (वी.सी.एफ.) का गठन कर रहा है। समर्थित उद्यम पूंजी निधि का गठन करने के लिए तौर-तरीके तथा संवितरण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इसी दौरान अपनी विद्यमान उद्यम पूंजी निधि योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता देना जारी रखा हुआ है। प्रस्तावित समर्थित उद्यम पूंजी निधि तीन महीनों में लागू हो जाने की आशा है।

रूस द्वारा भारत से तम्बाकू खरीदने से इंकार करना

5015. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में रूस भारत से प्रतिवर्ष 30,000 से 40,000 मीट्रिक टन तम्बाकू निर्बाध रूप से खरीदता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत पांच से सात वर्षों से उन्होंने भारत से तम्बाकू का आयात बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार व्यापार, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गतिविधि संबंधी भारत-रूस संयुक्त आयोग की अगस्त 2000 के अंत में मास्को में होने वाली बैठक में यह मामला उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे को बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया है;

(च) यदि हां, तो रूस को पहले की भांति भारत से तम्बाकू खरीदने के लिए मनाने के लिये और क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(छ) इस संबंध में की गई बातचीत का क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। रूस को होने वाले तम्बाकू के निर्यात में गिरावट आई है क्योंकि रूस में सिगरेट कम्पनियों पर उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है जिनके अपने स्थापित क्रय मार्ग हैं।

(घ) से (छ) रूस को होने वाले तम्बाकू के निर्यात का मामला भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग (आई.जी.सी.) की दिनांक 14-15 जनवरी, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित 6वीं बैठक में उठाया गया था। आई.जी.सी. की अंत: सत्र बैठक 2 सितम्बर, 2000 को मास्को में आयोजित की जानी है। रूस को होने वाले तम्बाकू के निर्यात का यह मामला इस बैठक में उठाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा यह मामला रूसी अधिकारियों के साथ प्रत्येक द्विपक्षीय बैठकों में उठाया गया है। रूसी सिगरेट फैक्टरियों को तम्बाकू की बिक्री के अवसरों का पता लगाने और रूसी सरकारी प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय तम्बाकू निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मार्च, 2000 में रूस का दौरा किया था।

उपभोक्ता अधिकारों हेतु गैर-सरकारी संगठन

5016. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठन उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कोई धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यकलाप के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

(ख) पात्र स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजनाओं हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विभिन्न स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से कुल 30,64,560 रु. का अनुदान दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता कल्याण कोष का उद्देश्य उपभोक्ता कल्याण के संवर्धन एवं संरक्षण तथा देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इस प्रकार पात्र स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए अनुदान देकर उनकी सहायता की जाती है, जो एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादन

5017. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-परम्परागत चाय उत्पादक क्षेत्रों में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई नई विकास योजना की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में चाय की खेती को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में चाय की खेती का विचार किस सीमा तक स्वीकार्य हो गया है;

(घ) चाय बोर्ड ने अन्य किन-किन राज्यों में चाय की खेती शुरू करने हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश में चाय की खेती के लिए उचित जलवायु और मौसम है; और

(च) यदि हां, तो नए राज्यों में चाय की खेती का विस्तार करने हेतु चाय बोर्ड की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छंब, कांगड़ा तथा मंडी जिलों में चाय बागानों के लिए कुल 7700 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने में अपनी रुचि दिखाई है। चाय की खेती के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता की जांच हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तथा सी.एस.आई.आर., पालमपुर ने की है।

(घ) चाय बोर्ड ने अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया है।

(ङ) आंध्र प्रदेश में चाय बोर्ड द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य की मृदा तथा जलवायु संबंधी स्थितियां चाय की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।

(च) नया क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर गैर-परम्परागत राज्यों में नए क्षेत्रों में 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चाय की खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है। इस योजना में नए क्षेत्रों में चाय रोपण के लिए 40,000/- रुपए प्रति हैक्टेयर की इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त योजना के तहत चाय बोर्ड ने 29.85 लाख रुपए की इमदाद वितरित की है। 9वीं योजना अवधि के दौरान चाय की खेती के अंतर्गत गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 20,000 हैक्टेयर भूमि को लाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

पुस्तकालयों की स्थापना

5018. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री पुष्प जैन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पुस्तकालयों का प्रतिशत कितना है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) देश में विशेषकर राजस्थान में स्थापित किए जाने वाले पुस्तकालयों की राज्य-वार प्रस्तावित संख्या कितनी है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संस्कृति विभाग के अन्तर्गत ग्राम्य इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित रूसी चैनल टी.बी.-6

5019. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'बैन्ड, बट स्लीजी रसियन चैनल ऑन ऐट कनिष्का'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अक्तूबर 1999 में रूसी टी.बी.-6 चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिबंधित रूसी-टी.बी.-6 चैनल का प्रसारण करने वाले होटल कनिष्का के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चूंकि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से सूचित किया है कि जैसा कि समाचार रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, उनके दिल्ली स्थित कनिष्का होटल सहित किसी भी होटल में प्रतिबंधित टी.वी. चैनल, टी.बी.-6 रिले नहीं किया जा रहा है इसलिए होटल कनिष्का के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय औद्योगिक परिसर

5020. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के बोलंगीर, कालाहांडी, ढेंकानाल और मयूरभंज में केंद्रीय औद्योगिक परिसरों पर कृतिक बल की रिपोर्ट को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्रियान्वयन की दर क्या है और इसे किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) इसके क्या लाभ हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रोफॉर्मा अकाउण्ट

5021. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक अथवा अर्द्ध वाणिज्यिक किस्म के विभागीय तौर पर व्यवस्थित सरकारी उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसे सहायक और प्रोफॉर्मा अकाउण्टों का रख-रखाव करें;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सरकारी उपक्रम पिछले कई वर्षों से उक्त प्रोफॉर्मा अकाउण्टों को तैयार नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विभागीय तौर पर व्यवस्थित सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रोफॉर्मा अकाउण्टों के संबंध में उनकी स्थिति क्या है; और

(ङ) इन प्रोफॉर्मा अकाउण्टों को तैयार कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेखा परीक्षा

5022. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान कुछ राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोई लेखा परीक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लेखा परीक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) भारत के

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अधीन लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक द्वारा 1992-1999 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और अन्तिम रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संसद को भेजी जाएगी।

सिनेमा उद्योग में विदेशी निवेश

5023. **श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिनेमा उद्योग में विदेशी निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितना निवेश होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां। इस मंत्रालय को भारत में फिल्म उद्योग के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में इसकी हैसियत से समय-समय पर टिप्पणियों के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से सिनेमा उद्योग में विदेशी निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) पिछले वर्ष जनवरी, 1999 से आज तक की अवधि के दौरान इस मंत्रालय ने प्रशासनिक मंत्रालय की हैसियत से विदेशी निवेश के सात प्रस्तावों पर विचार किया है। इनमें से दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से एक प्रस्ताव 2.5 मिलियन अमरीकी डालर तक 100% विदेशी इक्विटी की राशि सहित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, एस.पी.ई. फिल्म्स इंडिया प्रा.लि. के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश हेतु मैसर्स सोनी पिक्चर्स इन्टरटेनमेंट इन्क. यू.एस.ए. का विदेशी निवेश का प्रस्ताव था। यह कम्पनी भारत में फिल्मों के निर्माण एवं वितरण के लिए भारतीय बाजार में पहले ही प्रवेश कर चुकी है। 1 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के साथ मैसर्स जे.बी. इण्टरनेशनल कं. लिमिटेड, जापान के साथ सहयोग के लिए मैसर्स न्यू ऐज प्रोडक्शंस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। किसी भी विदेशी कम्पनी के बाजार में प्रवेश की सही तिथि के बारे में कोई भी सूचना इस मंत्रालय के पास नहीं है इसलिए चालू वित्त वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में किए जाने वाला संभावित निवेश इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

पांचवें वेतन आयोग का क्रियान्वयन

5024. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के विदेश सेवा कार्यक्रम स्टाफ ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में अपनी मांग प्रसार भारती को हस्तांतरित करने से पहले प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के विदेशी भाषा स्टाफ को संशोधित वेतनमान पहले ही दे दिए गए हैं। पांचवे वेतन आयोग ने विदेश सेवा प्रभाग के विदेशी भाषा स्टाफ हेतु एक अलग संवर्ग बनाने की सिफारिश भी की है। आगे, चूंकि विदेश सेवा प्रभाग में विदेशी भाषा पद इस समय स्वायत्त संस्था प्रसार भारती के अधीन है और वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्रस्तावित संवर्ग ढांचे से प्रसार भारती के संगठनात्मक ढांचे पर सीधा प्रभाव पड़ता है इसलिए उनसे इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। प्रसार भारती की सिफारिश प्राप्त होते ही इस मामले पर आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी।

फिल्मों/वृत्तचित्रों का निर्माण

5025. **श्री डी. एलामगोवन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आम लोगों विशेष रूप से देश के ग्रामीण व्यक्तियों के लिए विशेष फिल्में, अल्पकालीन वृत्तचित्र और वीडियो फिल्में बनाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाई गई फिल्मों और वृत्तचित्रों का भाषावार ब्यौरा क्या है और उन्हें बनाने के लिए कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता प्राप्त करके देश के फिल्म प्रभाग में नवीनतम प्रौद्योगिकीय परिवर्तन लाने का है;

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और निकट भविष्य में किन परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार की देश में क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र/उपक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) फिल्म प्रभाग विभिन्न सार्वजनिक विषयों पर वृत्तचित्र/वीडियो फिल्म, समाचार, मैगजीन एवं एनीमेशन फिल्मों के निर्माण करने के अतिरिक्त ग्रामीण दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु कथा फिल्मों का निर्माण भी करता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, और III में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्तमान में, फिल्म प्रभाग के बैंगलूर एवं कलकत्ता स्थित दो क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त, फिल्म प्रभाग की एक उप इकाई परिवार कल्याण विभाग और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित विषयों पर वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण कराने के लिए नई दिल्ली में स्थित हैं। वर्तमान में, देश में और क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान फिल्म प्रभार द्वारा निर्मित लघु कथा फिल्मों की सूची

क्र.सं.	शीर्षक	गेज़	रंगीन/ श्वेत-श्याम	भाषा	अवधि	कथासार
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंडित मोहसया	16 मि.मी.	रंगीन	उड़िया	70 मिनट	यह गांवों में साक्षरता के प्रसार के बारे में है।
2.	थम्बी थम्बी	-वही-	-वही-	मलयालम	90 मिनट	यह फिल्म आग्रही अभिभावकों की ओर से एक छोटे बच्चे पर किताबी पढ़ाई के आधुनिक दबावों के परिणामस्वरूप उसके दु:खी जीवन और उससे आजादी के बारे में है।
3.	नवाब बूटा	-वही-	-वही-	हिन्दी	127 मिनट	इस फिल्म में यह दर्शाया गया है कि एक ईमानदार आदमी के लिए इस देश में स्वयं को तथा देश को प्रतिष्ठित करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।
4.	पुदु उद्यम	-वही-	-वही-	तमिल	98 मिनट	यह फिल्म बिनानी भूमि जौत-क्षेत्रों को समाप्त करने और भूमिहीनों को भूमि के वितरण से संबंधित है।

वर्ष 1998-99 के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित लघु कथा फिल्मों की सूची

1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रेरण	16 मि.मी.	रंगीन	तेलुगु	133 मि.	यह फिल्म जनजातीय विकास से संबंधित है।
2	जनजान भारती	-वही-	-वही-	हिन्दी	94 मि.	यह फिल्म एक अनाथ ब्लाक के जीवन के बारे में है। वह एक मानव के रूप में भारतीय के रूप में बढ़ता है।
3.	फंड	35 मि.मी.	-वही-	बंगला	153 मि.	यह फिल्म जल रत्न से संबंधित है जो कि देश के पूर्वी भाग में एक गंभीर समस्या है।
4.	कनक ज्योति	16 मि.मी.	-वही-	कन्नड़	125 मि.	कहानी संत कनकदासा पर आधारित जिन्होंने वर्जनाओं तथा विश्वासों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
5	लक्ष्मी	-वही-	-वही-	हिन्दी	79 मि.	यह फिल्म बालिकाओं की शिक्षा एवं दहेज प्रथा तथा पारिस्थितिकी के लिए उसकी प्राकृतिक चिन्ता को दर्शाती है।
6.	सूरज	-वही-	-वही-	हिन्दी	102 मि.	ग्रामीण विकास पर आधारित फिल्म।
7.	नेगिलयोगी	-वही-	-वही-	कन्नड़	70 मि.	ग्राम विकास पर फिल्म।
8.	शिगंनबा	-वही-	-वही-	मणिपुरी	90 मि.	यह फिल्म किसी को डायन के रूप में कलंकित करने संबंधी अंधविश्वास और चरित्रों की व्यथा के बारे में है।
9.	कुंगी नेमी	-वही-	-वही-	हिन्दी	79 मि.	सिक्किम में डेयरी कृषि के बारे में फिल्म।
10.	नानू कोन्ध्म हुदुगी	-वही-	-वही-	कन्नड़	58 मि.	देवदासी पर फिल्म।
11.	वध्यू वम्याविदु	-वही-	-वही-	तमिल	78 मि.	फिल्म एक गांव में आई सर्कस पार्टी के इर्द-गिर्द घूमती है।
12.	गोपालन नायर्स बिअर्ड	-वही-	-वही-	मलयालम	65 मि.	इस फिल्म में एक हज्जाम की मानसिक सन्तुलन की दशा, उसके पागल होने की लघु अवधि तथा उसके बाद की अवधि में उसकी स्थिति को चित्रित किया गया है।
13.	उशोदयम	-वही-	-वही-	तेलुगु	58 मि.	फिल्म वृद्धावस्था की समस्याओं और केन्द्रीय चरित्रों द्वारा बदलते मूल्यों के साथ तारतम्य न बैठा पाने तथा नई पीढ़ी के रवैये से संबंधित है।

फिल्म प्रभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्मित लघु कथा फिल्मों की सूची

1	2	3	4	5	6	7
1.	गब्बन मूपन्स ड्रीम	16 मि.मी.	रंगीन	मलयालम	75 मिनट	पर्यावरणीय सुरक्षा पर फिल्म
2.	ओरू यात्रा	35 मि.मी.	रंगीन	मलयालम	112 मिनट	बदलते मूल्यों तथा भावनाओं के संदर्भ में ग्रामीण जीवन तथा शहरी जीवन पर फिल्म।
3.	कोचू कोचू मोहंगल	16 मि.मी.	रंगीन	मलयालम	85 मिनट	फिल्म में एक युवा लड़के की अपनी गरीब मां के प्रति चिन्ता और अपनी शिक्षा जारी रखने संबंधी प्रयासों को चित्रित किया गया है।
4.	प्यास	16 मि.मी.	रंगीन	हिन्दी	49 मिनट	फिल्म समाज में मानव संबंधों के शक्तिशाली प्रलेखन से संबंधित है जो आज के आधुनिक युग में भी सामंती दमन की सनक में डूबी हुई है।
5.	दिशा	16 मि.मी.	रंगीन	हिन्दी	96 मिनट	यह फिल्म एक युवा ग्रामीण लड़के की शिक्षा पर आधारित है जिसे सिटी होम में नौकर के रूप में लाया जाता है।
6.	रश्मि रेखा	16 मि.मी.	रंगीन	उड़िया	103 मिनट	इसमें युवा महिलाओं को स्वतंत्र कैरियर जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है।
7.	कूडू	16 मि.मी.	रंगीन	मलयालम	71 मिनट	कम लागत पर घर संबंधी विषय पर फिल्म।
8.	जाटमेर जामी	16 मि.मी.	रंगीन	बंगला	59 मिनट	फिल्म में नौकरशाही संबंधी औपचारिकताओं एवं लालफीताशाही को दर्शाया गया है जिनसे हमारे देश की जनता विशेष रूप से ग्रामीण जनता को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।
9.	चक्रम	16 मि.मी.	रंगीन	मलयालम	106 मिनट	फिल्म एक युवा व्यक्ति द्वारा सभी समस्याओं का सामना करते हुए अपनी स्वयं की वर्कशाप शुरू करने हेतु प्रयासों के बारे में है।
10.	मणिक्कन	16 मि.मी.	रंगीन	तमिल	94 मिनट	फिल्म, अपूर परिवार, उनके द्वारा बैल खरीदने और इस गूंगे पशु जोकि उस परिवार के लिए रोजी-रोटी जुटाता है के प्रति उनके प्रेम के चारों तरफ घूमती है।

1	2	3	4	5	6	7
11.	मास्टूनी जी	16 एम.एम.	रंगीन	हिन्दी	63 मि.	फिल्म एक महिला अध्यापिका जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है के जीवन के वास्तविक क्षणों का चित्रण करती है।
12.	दुखीराम	16 एम.एम.	रंगीन	बंगाली	89 मि.	फिल्म एक बेरोजगार नवयुवक द्वारा रोजगार पाने के लिए अपनी जाति सिद्ध करने के लिए प्रयासों तथा बलिदानों की मर्मान्तक गाथा है।
13.	फिरेपेंलाम	16 एम.एम.	रंगीन	बंगाली	136 मि.	साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता पर फिल्म। फिल्म एक वृद्ध मुस्लिम महिला और एक हिन्दू नवयुवक के बीच मानव संबंधों को दर्शाती है। इन दोनों के बीच मां-बेटे का संबंध है।
14.	देशभक्तम	16 एम.एम.	रंगीन	तमिल	54 मि.	फिल्म स्वतंत्रा सेनानी ध्विजागर्जन द्वारा जेल में उठाई गई कठिनाइयों को दर्शाती है।

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान थिएटरों में रिलीज के लिए निर्मित वृतचित्र फिल्मों (35 एम.एम.) की सूची

क्र.सं.	शीर्षक	रंगीन/श्वेत-श्याम	भाषा	अवधि	कथासार
1	2	3	4	5	6
1.	इन सर्च आफ एमीलेस	रंगीन	हिन्दी	11 मि.	फिल्म में भारत के पारंपरिक खेल जैसे मलखम्ब, सूर्य नमस्कार को दिखाया गया है।
2.	आफ पावर्ती, वूमन एण्ड अलापुजा	-वही-	अंग्रेजी	11 मि.	गरीबी हटाओ स्कीम-गरीबों के लिए मूलभूत शहरी सेवाओं पर फिल्म
3.	बाबा पृथ्वी सिंह आजाद	-वही-	हिन्दी	20 मि.	ऐसे अज्ञात लोगों पर फिल्म जिन्होंने दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां बलिदान कर दी।
4.	गांधीजी थ्रू द आइज ऑफ कार्टूनिस्ट	-वही-	मराठी	9 मि.	कार्टूनिस्टों की नजरों से गांधी जी के रेखाचित्रों पर फिल्म
5.	बाबा कलाबार	-वही-	बंगाली	21 मि.	भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर फिल्म
6.	लम्बता हाउस ऑन ए हिल	-वही-	हिन्दी	22 मि.	यह फिल्म उ.प्र. के दूर-दराज की पहाड़ी पर एक मकान-लम्बत्ता पर है फिल्म में यह दिखाया गया है कि पिछले 50 वर्ष में किस प्रकार बदलाव आया है।

1	2	3	4	5	6
7.	एम.एन. राय-मैन आफ एक्शन भाग-1	रंगीन	अंग्रेजी	22 मि.	एम.एन. राय के जीवन तथा दर्शन पर फिल्म
8.	एम.एन. राय-मैन आफ एक्शन भाग-2	रंगीन	अंग्रेजी	19 मि.	-वही-
9.	शी कुड डू यू प्राउड	रंगीन	केवल संगीत	4 मिनट	नवजात कन्या की हत्याओं पर रोक पर फिल्म।
10.	डॉन्ट स्पेअर मी शंकर	रंगीन	अंग्रेजी	9 मिनट	फिल्म भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के राजनीतिक जीवन पर कार्टूनिस्ट के रेखाचित्रों के माध्यम से प्रकाश डालती है।
11.	ट्राइबल हीटर्स	रंगीन	हिन्दी	16 मिनट	फिल्म केरल की विभिन्न जनजातियों द्वारा प्रयुक्त अनुभव पर औषधि प्रणाली की क्षमता, कमियां, इसके लाभ के अवसर तक खतरों का विश्लेषण करती है।
12.	माइनारिटीज इन इंडिया	रंगीन	अंग्रेजी	22 मिनट	फिल्म शताब्दियों से चली आ रही समावेशन प्रक्रिया के द्वारा आज में संस्कृति, भाषाओं, विचारों और पंथों के उभरे रूप के माध्यम से भारतीय सभ्यता का चित्रण करती है।
13.	नेहरू-आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया	रंगीन	अंग्रेजी	11 मिनट	पंडित जवाहर लाल नेहरू के स्वप्नों पर फिल्म।
14.	सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला	रंगीन	हिन्दी	21 मिनट	महाकवि निराला पर फिल्म।
15.	बचपन	रंगीन	हिन्दी	18 मिनट	बाल श्रम पर फिल्म।
16.	ज्योति प्रसाद-ए मैन ऑफ एक्शन	रंगीन	हिन्दी	11 मिनट	श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल की जीवनी पर फिल्म।
17.	श्री नारायण गुरू	रंगीन	अंग्रेजी	16 मिनट	श्री नारायण गुरू के जीवन तथा उनके कार्यों पर फिल्म।
18.	रिमेम्बरिंग जे.आर.डी.	रंगीन	हिन्दी	10 मिनट	श्री जे.आर.डी. टाटा की ऐतिहासिक उड़ान पर फिल्म।
19.	ओनिकेतन-नवीन	रंगीन	हिन्दी	21 मिनट	महान कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन पर फिल्म।
20.	वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान	रंगीन	अंग्रेजी	15 मिनट	राजस्थान के वन्य प्राणियों के संरक्षण पर फिल्म।
21.	स्टेप्स टू डिवाइनिटी	रंगीन	अंग्रेजी	21 मिनट	वयोवृद्ध संगीतज्ञ रामापोडुवल पर फिल्म।

वर्ष 1998-99 के दौरान थिएटरों में रिलीज के लिए निर्मित वृत्तचित्र फिल्मों (35 एम.एम.) की सूची

	2	3	4	5	6
1.	महा मृत्युंजय भगत सिंह	रंगीन	हिन्दी	22 मिनट	फिल्म में उस स्थिति को चित्रित किया गया है कि युवा भगत सिंह विद्रोह के लिए खड़ा होता है और मातृभूमि के लिए अपना जीवन त्याग देता है।
2.	गांधी-ए-यूनीवर्सल मैन	श्वेत-श्याम	अंग्रेजी	12 मिनट	महात्मा गांधी की जीवन रेखा पर फिल्म
3.	एडवान्स्ड लाईट हैलीकॉप्टर	रंगीन	अंग्रजी	18 मिनट	उन्नत हल्के हैलीकॉप्टरों पर फिल्म
4.	पदमा सुब्रहमण्यम	रंगीन	अंग्रेजी	19 मिनट	भरतनाट्यम नर्तकी पदमा सुब्रहमण्यम की जीवनी पर फिल्म
5.	नैक्ड ट्रूथ	रंगीन	हिन्दी	3 मिनट	फिल्म में शराब की बुराईयों एवं इसका युवाओं पर प्रभाव को चित्रित किया गया है।
6.	बूंद-बूंद से सागर	रंगीन	हिन्दी	10 मिनट	फिल्म में युवा बच्चों की बचत करने की आदत को दिखाया गया है।
7.	प्राइड ऑफ इण्डिया अटल बिहारी वाजपेयी	रंगीन	हिन्दी	3.5 मिनट	प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका व्यक्तित्व तथा उनसे प्रमुख विषयों की झलकियों पर एक लघु फिल्म।
8.	स्मोक	रंगीन	हिन्दी	4.5 मिनट	धूम्रपान की बुराइयों पर फिल्म
9.	एजूकेशन ओन्ली हर फ्यूचर	रंगीन	केवल संगीत	6 मिनट	बालिकाओं की शिक्षा पर फिल्म
10.	बंकिम चन्द्र	रंगीन	अंग्रेजी	19 मिनट	बंक्रिम चन्द्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर फिल्म
11.	दि लास्ट ट्रिप	रंगीन	केवल संगीत	4.5 मिनट	नशे की बुराई पर फिल्म
12.	ब्रथलेस	रंगीन	अंग्रेजी	3.5 मिनट	पर्यावरण पर एक फिल्म
13.	मुरगान गॉड आफ हिल्स	रंगीन	अंग्रेजी	20 मिनट	फिल्म में छः मुरूगन मंदिरों के सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक महत्वों को चित्रित किया गया है।
14.	पूर्वांचल में हिन्दी	रंगीन	हिन्दी	21 मिनट	फिल्म में पूर्वी भारत के कार्यालय एवं सामान्य लोगों के कार्य व्यवहार में हिन्दी के उपयोग को दिखाया गया है।
15.	रिफ्लेक्शन्स	रंगीन	अंग्रेजी	11 मिनट	फिल्म में भारतीय डाक्यूमेंटरी आन्दोलन के 50 वर्ष के इतिहास को दिखाया गया है।

1	2	3	4	5	6
16.	निर्मिती केन्द्र	रंगीन	हिन्दी	15 मिनट	यह फिल्म स्थानीय कारीगरों एवं शहरी तथा ग्रामीण युवाओं विशेष रूप से राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों का कौशल के साथ उन्नयन के जरिए कम लागत के भवनों हेतु उन्नत तकनीकों के लिए निर्मित केन्द्र के संस्थागत विकास प्रस्ताव को प्रोत्साहित किया गया है।
17.	बुद्ध महोत्सव	रंगीन	अंग्रेजी	11 मिनट	फिल्म में उन विभिन्न स्थानों को दिखाया गया है जहां बुद्ध रहते थे, जहां उन्होंने देश के शिक्षार्थियों को अपना उपदेश सुनाया।
18.	कॉयर	रंगीन	हिन्दी	10 मिनट	फिल्म में आधुनिक तथा पारम्परिक जूट के उपयोग को चित्रित किया गया है।
19.	आचार्य शिव पूजन सहाय	रंगीन	हिन्दी	20 मिनट	आचार्य शिव पूजन सहाय के जीवन एवं कार्यों पर फिल्म
20.	ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र फ्रीडम स्ट्रगल	रंगीन	हिन्दी	21 मिनट	स्वतंत्रता आन्दोलन में महाराष्ट्र के योगदान पर फिल्म
21.	टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फन्डामेन्टल रिसर्च	रंगीन	अंग्रेजी	18 मिनट	टी.आई.एफ.आर. के कार्यकरण पर फिल्म
22.	गोटमार मेला	रंगीन	हिन्दी	16 मिनट	गोटमार मेला प्रेम एवं समर्पण की कहानी पर आधारित है जो प्रति वर्ष मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले जाम नदी के किनारे होता है।
23.	दीक्षा भूमि	रंगीन	हिन्दी	11 मिनट	दीक्षा भूमि नागपुर का एक ऐसा स्थान है जहां डा. अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्धिसत्व को स्वीकार किया।
24.	सेब दि टाइगर	रंगीन	अंग्रेजी	10 मिनट	फिल्म में भारत के चीतों के संकट पर प्रकाश डाला गया है।
25.	दि शेख ऑफ नागस्वरम	रंगीन	अंग्रेजी	18 मिनट	चिन्ना मौलाना के जीवन वृत्त पर फिल्म।
26.	दि इन्डयूरिंग इमेज	रंगीन	अंग्रेजी	17 मिनट	प्राचीन काल से आज तक की मानव प्रतिमूर्ति के सार्वभौमिक प्रदर्शन पर फिल्म।
27.	दि शामिल ऑफ परपंग	रंगीन	अंग्रेजी	21 मिनट	इस फिल्म में उड़ीसा के मुंदवाली चित्रों की पुरानी पद्धति को चित्रित किया गया है।
28.	ए वीसियस हार्वेस्ट	रंगीन	अंग्रेजी	20 मिनट	उत्तर-पूर्व में झूम की खेती पर फिल्म।
29.	एमिड्स्ट फ्लावर्स	रंगीन	हिन्दी	8 मिनट	इस फिल्म में नेत्र दान के महत्व पर बल दिया गया है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान थिएटरों में रिलीज के लिए निर्मित वृत्तचित्र फिल्मों (35 एम.एम.) की सूची

1	2	3	4	5	6
1.	सेव दी इन्वायरन फार फ्यूचर	रंगीन	हिन्दी	11 मिनट	पर्यावरण पर फिल्म
2.	लाल बाल पाल	बी एंड डब्ल्यू	हिन्दी	10 मिनट	फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिनचन्द्र पाल के योगदान को दिखाती है।
3.	इबन वी कैन	रंगीन	अंग्रेजी	16 मिनट	आन्ध्र प्रदेश के जिला कुरूनुल के समन्वित गांवों पर महिला समाज "प्रोदट्" (उगता सूरज) पर फिल्म जिसे रेस अगेंस्ट पावर्टी के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के लिए चुना गया है।
4.	पैराडाइज	रंगीन	हिन्दी	21 मिनट	जम्मू कश्मीर के लोग अनिश्चितता की लहर में उलझने के बावजूद बहादुरी से शान्तिपूर्ण जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
5.	एन एक्सप्रैस हाईवे	रंगीन	अंग्रेजी	10 मिनट	फिल्म मौजूदा दो लेन वाले राजमार्ग सहित यातायात वाहनों की बढ़ती संख्या पर चिन्ता के बारे में बताती है जिसमें सड़कों को आवश्यक रूप से चौड़ा करने पर बल दिया है।
6.	इंडियन फुटबाल एसोसिएशन	रंगीन	अंग्रेजी	21 मिनट	भारतीय फुटबाल संघ पर फिल्म।
7.	डार्कनेस ऑफ टेरट	रंगीन	हिन्दी	16 मिनट	बिहार में नृशंस जातीय हत्याओं पर फिल्म।
8.	प्रतिभावान डा. शंकर दयाल शर्मा	रंगीन	हिन्दी	18 मिनट	भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के जीवन पर फिल्म।
9.	ए डेडीकेटिड वर्कर श्री गुलजारी लाल नन्दा	बी एण्ड डब्ल्यू	हिन्दी	17 मिनट	समर्पित कार्यकर्ता श्री गुलजारी लाल नन्दा के जीवन पर फिल्म।
10.	ऐ वेतन तेरे लिए	रंगीन	हिन्दी	9 मि.	कारगिल विषय पर फिल्म।
11.	अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट-ए-रीवील		अंग्रेजी	10 मि.	फिल्म शहरी क्षेत्रों एवं शहरों में लोगों द्वारा झेली गई घरेलू समस्याओं का विश्लेषण और शहरी भूमि सीमा अधिनियम के निरसन के लाभों का उल्लेख करती है।
12.	जवान तुझे सलाम	-वही-	हिन्दी	6 मि.	यह हमारे वीर जवानों संगीतमय श्रद्धांजलि है जो अपनी खुशियों का बलिदान करते हैं ताकि, हम खुशी से रह सकें।
13.	हमारा भारत	-वही-	हिन्दी	4 मि.	यह फिल्म राष्ट्र के विकास के लिए मत के महत्व और मत देने की प्रेरणा के बारे में लोगों को सूचना देती है।

1	2	3	4	5	6
14.	प्युपिल्स पोइट कात्री नजरूल स्लाम	रंगीन	अंग्रेजी	10 मि.	रेबले पोइट कात्री नजरूल स्लाम की जन्म शताब्दी के संबंध में एक जीवनवृत्त संबंधी वृत्तचित्र
15.	राजभाषा संसदीय समिति	रंगीन	हिन्दी	11 मि.	हिन्दी पर फिल्म
16.	हनुमान प्रसाद पोद्दार	रंगीन	हिन्दी	21 मि.	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के जीवन और कार्यों पर फिल्म
17.	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	रंगीन	हिन्दी	21 मि.	भारतेन्दू हरिशचन्द्र के जीवन पर फिल्म
18.	कम्यूनल हारमनी पार्ट-1	रंगीन	हिन्दी	21 मि.	फिल्म में प्रार्थना है कि भारत में वर्तमान साम्प्रदायिक सौहार्द हमेशा के लिए बना रहे।
19.	कम्यूनल हारमनी पार्ट-II	रंगीन	हिन्दी	3 मि.	कुरान में अल्लाह ने धर्म के नाम पर हिंसा के किसी कार्य को विशेष रूप से निन्दनीय बताया है। फिल्म में इसे पुनः सृजित किया है।
20.	सिंह बंधू (एस.वी.)	रंगीन	हिन्दी	21 मिनट	शास्त्रीय गायक सिंह बंधू पर एक जीवनवृत्त फिल्म
21.	दि प्राइस अफेयर्स	रंगीन	हिन्दी	2 मिनट	भारतीयों ने कारगिल युद्ध के दौरान लचीलापन और काला बाजारी का विरोध एवं मूल्य वृद्धि को रोकना दिखाया है।
22.	दि फ्लैग	रंगीन	केवल ध्वनि और संगीत का प्रभाव	3 मिनट	राष्ट्रीय ध्वज पर फिल्म।
23.	कबीर	रंगीन	हिन्दी	20 मिनट	संत कबीर के विचारों एवं दर्शन पर फिल्म।
24.	एण्ड दि बम्बो ब्लूम्स	रंगीन	अंग्रेजी	20 मिनट	बांसों का पुष्पीकरण और इसके पर्यावरण विषयों पर फिल्म।
25.	जोहाद (ए सोर्स ऑफ वाटर)	रंगीन	हिन्दी	10 मिनट	राजस्थान के गांवों में विकास क्रियाकलापों पर फिल्म।
26.	चरखा	रंगीन	हिन्दी	5 मिनट	भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों पर एनीमेशन फिल्म।
27.	लैट मी लिव (मुझे जीने दो)	रंगीन	केवल संगीत	5 मिनट	आणुविक शक्ति पर फिल्म।
28.	गांधी नेहरू एण्ड मार्डन आर्ट	रंगीन	अंग्रेजी	22 मिनट	आधुनिक कला पर फिल्म
29.	गुरू गोमके रघुनाथ मुरमु	रंगीन	अंग्रेजी	22 मिनट	श्री रघुनाथ मुरमू पर एक जीवन वृत्त फिल्म
30.	जी. अरविन्दन	रंगीन	अंग्रेजी	21 मिनट	फिल्म निर्माता की बहुमुखी हस्ती की खोज पर एक फिल्म
31.	ए जर्नी टू बस्तर	रंगीन	अंग्रेजी	20 मिनट	मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र पर फिल्म

विवरण-III

पिछले तीन वर्ष के दौरान वृत्तचित्रों एवं लघु कथा फिल्मों के निर्माण पर फिल्म प्रभाग द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
1. लघु कथा फिल्म	144.53	171.47	179.00
2. वृत्तचित्र	261.80	289.07	368.66

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

5026. डा. बलिराम : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में कौन-कौन से और कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विभाग हैं जिनका विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त उपक्रमों का विनिवेश किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन उपक्रमों के पुनरुद्वार हेतु कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों, जिनके मुख्यालय उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा महाराष्ट्र में स्थित हैं, के विनिवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	मुख्यालयों की अवस्थिति
1	2
1. बालको	नई दिल्ली
2. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि.	नई दिल्ली
3 इण्डियन एयरलाईन्स	नई दिल्ली
4. भारत पर्यटन विकास निगम	नई दिल्ली
5. स्कूटर्स इण्डिया लि.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
6. भारत लैदर कारपोरेशन लि.	आगरा (उत्तर प्रदेश)
7. नेशनल फर्टिलाईजर्स लि.	नोयडा (उत्तर प्रदेश)
8. एयर इण्डिया	मुम्बई (महाराष्ट्र)
9. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	रासयनी (महाराष्ट्र)

(ख) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में विनिवेश, सभी सामरिक भिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित इक्विटी को इस तथ्य के बावजूद कि सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम लाभ कमा रहे है अथवा हानि उठा रहे हैं, 26 प्रतिशत या उससे कम पर लाने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार किया जा रहा है। सरकारी सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करना तथा सशक्त करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा जब भी आवश्यक एवं उचित होता है, कम्पनी को सरकार द्वारा ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

5027. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि दी गई;

(ख) यह अनुदान उसे किस कार्य के लिए दिया गया है;

(ग) केंद्र के शासी निकाय और प्रशासन में कौन-कौन से और कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) रिक्त पदों को शीघ्र भरने और केंद्र के कुशल संचालन हेतु क्या प्रबंध किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को वार्षिक रूप से कोई अनुदान नहीं दिया जाता, क्योंकि भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपये की संचित निधि प्रदान की है। केन्द्र संचित निधि से उपार्जित ब्याज से अपने कार्यकलाप संचालित करता है।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार केन्द्र के शासी निकाय और प्रशासन में कोई पद रिक्त नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बदरपुर ऊर्जा संयंत्र का विनिवेश

5028. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के बदरपुर विद्युत संयंत्र का विनिवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विद्युत संयंत्रों के प्रचालन की पुनर्संरचना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (घ) जी नहीं। सरकार ने बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन का विनिवेश करने अथवा विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य विद्युत संयंत्रों के प्रचालनों की पुनर्संरचना करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

5029. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक स्थान-वार कितने निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और भी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) अब तक जिन 20 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों को स्थापना के लिए अनुमोदित किया गया है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुमोदित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों में से केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम और आंध्र प्रदेश स्थित 8 पार्कों का कार्य पूरा हो चुका है। स्कीम में 25 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान
1.	केरल	कक्कानाड, जिला एर्नाकुलम
2.	महाराष्ट्र	अम्बरनाथ, जिला थाणे
3.	कर्नाटक	हुडी, जिला बंगलौर
4.	राजस्थान	सीतापुरा, जिला जयपुर
5.	उत्तर प्रदेश	सूरजपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर
6.	तमिलनाडु	गुम्मिडिपून्डी, चेंगलपट्टू, जिला एम.जी.आर.
7.	असम	अमीन गांव, गुवाहाटी के निकट, जिला कामरूप
8.	आंध्र प्रदेश	पाशामाइलारम, जिला मेडक
9.	हरियाणा	कुंडली, जिला सोनीपत
10.	पंजाब	धनदारीकलां, जिला लुधियाना
11.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी, जिला सोलन
12.	गुजरात	सवली, जिला बड़ौदा
13.	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली
14.	मेघालय	बिर्नीहाट, जिला रिभोई
15.	मध्य प्रदेश	पीतमपुर, जिला धार
16.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर, जिला बर्धमान
17.	उड़ीसा	भुवनेश्वर, जिला खुर्दा
18.	जम्मू और कश्मीर	सांबा, जिला जम्मू
19.	नागालैंड	गणेशनगर
20.	मणिपुर	खुनुता चिंगजिन (थौबाल जिला)

कटक दूरदर्शन केन्द्र

5030. श्री अनन्त नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कटक दूरदर्शन केन्द्र में प्रतिदिन कुल कितने समय के लिए उड़िया समाचार पढ़ा जाता है;

(ख) क्या हरेक घंटे के बाद उड़िया समाचार के प्रसारण हेतु कटक दूरदर्शन केन्द्र में एक पृथक समाचार चैनल की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) कटक में कोई दूरदर्शन केन्द्र नहीं है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर, सोमवार से शनिवार तक सायं 7.00 बजे और रविवार को सायं 6.45 बजे 15 मिनट के लिए उड़िया समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों का आयात

5031. श्री टी. गोविन्दन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गलत तरीके से खाद्य तेलों का आयात करने के कारण खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों का पर्दाफाश किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय से सूचना एकत्रित की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद

5032. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक देश के विभिन्न भागों में राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में खरीद की गई;

(ख) इस खरीदे गये तम्बाकू में से कितना तम्बाकू उतारकर माल गोदामों में पहुंचा दिया गया है;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू किस मूल्य पर खरीदा गया और किस मूल्य पर इसे बेचा गया; और

(घ) राज्य व्यापार निगम के पास वर्तमान में तम्बाकू का कितना भंडार है और निगम का इसे किस प्रकार बेचने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) फ्ल्यू क्योर्ड वर्जिनिया तम्बाकू की बिक्री केवल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अनुसार नीलामी मंचों पर की जाती है। राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों से लेकर अब तक की गई तम्बाकू की खरीद निम्नानुसार है:

वर्ष	खरीदी गई मात्रा (मिलियन कि.ग्रा.)	
	आंध्र प्रदेश नीलामी	कर्नाटक नीलामी
2000-2001 (21.8.2000 तक)	5.724	शून्य
1999-2000	4.764	शून्य
1998-1999	शून्य	शून्य
1997-1998	शून्य	शून्य

(ख) वर्ष 1999 की फसल के सह-उत्पाद की 0.74 मिलियन किग्रा. मात्रा की अब तक बिक्री की गई है।

(ग) वर्ष 1999 की फसल के लिए एस.टी.सी. की औसत खरीद कीमत 30.32 रुपए प्रति किग्रा. थी और वर्ष 2000 के लिए यह अब तक 37.61 रुपए प्रति किग्रा. बनती है। केवल 0.74 मिलियन किग्रा. सह-उत्पादों को 38 लाख रुपए में बेचा गया है।

(घ) एस.टी.सी. के पास तम्बाकू का मौजूदा स्टॉक निम्नानुसार है:-

वर्ष 1999 की फसल का 3.428 मिलियन किग्रा. (प्रसंस्कृत)

वर्ष 2000 की फसल का 5.724 मिलियन किग्रा. (कच्चा तम्बाकू)

एस.टी.सी. के वाणिज्यिक हितों के अनुरूप स्टॉक कच्चे अथवा प्रंसस्कृत रूप में घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए है।

[हिन्दी]

निर्यात फर्मों को दी जा रही सुविधाओं का दुरुपयोग

5033. **श्री मानसिंह पटेल :** क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी फर्मों ने राज्य-वार निर्यात सुविधाओं का उपयोग किया;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ निर्यात फर्मों द्वारा विभिन्न निर्यात सुविधाओं के दुरुपयोग के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी फर्मों तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) निर्यात सुविधाओं का उपयोग करने वाली फर्मों के संबंध में कोई राज्य-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्यात सुविधाओं के दुरुपयोग के विभिन्न तरीकों में अधिक मूल्य का बीजक बनाना, गलत बयान देना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा तथ्यों को दबाना शामिल है।

(घ) विभिन्न निर्यात सुविधाओं के दुरुपयोग के मामलों की जांच की जाती है और उन पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 अथवा आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (वर्ष 1992 के पहले के मामलों के लिए) तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं आदेशों में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चीनी

5034. **श्री पी.आर. खुंटे :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में दो वर्ष से अधिक समय के बाद पड़ी चीनी उपयोग योग्य नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा और मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चीनी भंडार के समुचित रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में 1.8.2000 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास भीगी/नमीयुक्त/गोदाम में बटोरी हुई (स्वीपिंग्स) चीनी की कुछ मात्रा है।

(आंकड़े मी. टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	भीगी/नमीयुक्त/गोदाम में बटोरी हुई चीनी की मात्रा		
		देशी	आयातित	जोड़
1.	दिल्ली	5	2	7
2.	बिहार	6175	120	6295
3.	उड़ीसा	47	–	47
4.	पश्चिम बंगाल	1594	–	1594
5.	असम	820	–	820
6.	एन.ई.एफ.	450.67	–	450.67
	कुल जोड़	9091.67	122	9213.67

चीनी के उक्त स्टॉक को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने से पहले इसका पूर्व-प्रसंस्करण करने की आवश्यकता है।

चीनी के उक्त स्टॉक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी नहीं किया जाएगा। इसे निविदा बिक्री के माध्यम से बेचा जाएगा। अतः इस स्थिति में यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम चीनी के स्टॉक को लम्बी अवधि तक भंडारण किए बिना बेचता है। लेकिन कुछ परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण, लम्बी दूरी, ढुलाई एवं अन्य कई बार हैंडलिंग करने की वजह से भीगी, नमीयुक्त एवं गोदाम में बटोरी हुई चीनी का स्टॉक उत्पन्न हो ही जाता है। ऐसे स्टॉक का निपटान खुली निविदा बिक्री के माध्यम से किया जाता है।

बिहार में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) की भूमिका

5035. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में लघु उद्योग क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा ऋण प्रदान करके राज्य-वार लघु उद्योग क्षेत्र की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं/का पुनरुद्धार किया गया है;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) का विचार विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क), (ग) और (ङ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय योजना के माध्यम से बिहार में लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए सिडबी द्वारा की गई पहल में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है:-

* परियोजना वित्त योजना तथा उद्यम के लिए पूंजी योजना के माध्यम से नई परियोजना स्थापित करने के लिए;
* तकनीकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि योजना के माध्यम से विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के लिए;
* संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए;
* लघु उद्योग उत्पादों के विपणन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए;
* व्यष्टि ऋण योजना, विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण योजना, निर्यात बिल वित्तपोषण के लिए योजना तथा विदेशी साख पत्र को खोले जाने तथा मीयादी ऋण योजना की कार्यशील पूंजी के लिए।

सिडबी, प्रोन्नति और विकास संबंधी गतिविधियों, उद्यमित विकास कार्यक्रम आयोजित करने, लघु उद्योग प्रबंधन कार्यक्रम, विशेषकर ग्रामीण निर्धन महिलाओं को आर्थिक शक्ति प्रदान करके महिला विकास निधि के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के माध्यम से अति लघु तथा लघु उद्योगों को विकसित करने में भी शामिल हैं। बिहार में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंक ऋण विनियोजन के नए क्षेत्रों की पहचान कर रहा है।

(ख) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा सहायता प्रदान किए गए लघु उद्योग एककों की संख्या तथा प्रदान की गई सहायता निम्नलिखित है। शेष राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(रु. करोड़ में)

वर्ष	सहायता प्रदान किए गए एककों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1997-98	4639	105.89	97.69
1998-99	5658	95.86	78.72
1999-2000	7624	102.96	96.72

[अनुवाद]

सोयाबीन की कमी

5036. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोयाबीन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कमी कितनी है;

(ग) क्या सरकार सोयाबीन की मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसे किन-किन देशों से आयात किया जा रहा है; और

(ङ) सोयाबीन का आयात-मूल्य क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) वास्तव में देश में सोयाबीन की कोई कमी नहीं है। विगत तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन के निम्नलिखित आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाएगा:

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1997-98	64.63
1998-99	69.42
1999-2000	68.40

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्मारकों के रख-रखाव हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि

5037. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निगरानी में उत्तर प्रदेश में कितने स्मारक हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान राज्य के महोबा जिले के चन्देल काल के सरोवरों को भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत लाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के तहत 785 स्मारक तथा स्थल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई धन की व्यवस्था निम्न प्रकार है:-

(1)	1997-98	2,83,57890 रु.
(2)	1998-99	3,17,09672 रु.
(3)	1999-2000	3,29,96096 रु.

(ग) महोबा जिला में चन्देल काल की पांच झीलें हैं जिनके नाम (1) कीरत सागर, (2) मदन सागर, (3) विजय सागर, (4) ब्रह्म ताल, और (5) बेरा ताल हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पहले ही संरक्षित हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडियन बैंक के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

5038. **श्री मणि शंकर अय्यर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक कर्मचारी संघ, चेन्नई के परिसंघ द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में होने वाले विलम्ब और बाधा से इंडियन बैंक को होने वाली कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था;

(ख) पूर्व पदाधिकारी के स्थान पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की बजाए समन्वयक की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने और बैंक के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इंडियन बैंक के दोनों पूर्णकालिक निदेशकों, अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पद रिक्त हुए थे, इसलिए केन्द्र सरकार ने नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने तक बैंक के कार्यों का समन्वय करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के अधिकारियों में से एक को नियुक्त किया था। इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को 29 जून, 2000 से नियमित पदधारी की नियुक्ति से भरा जा चुका है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

सुपर बाजार का दिल्ली सरकार को अंतरण

5039. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सुपर बाजार के प्रबंधन को दिल्ली सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सुपर बाजार के बेहतर प्रबंधन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सुपर बाजार की मौजूदा अस्थिर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को इसके हस्तांतरण सहित विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। सुपर बाजार के वित्त, प्रशासन तथा कारबार से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में दैनिक आधार पर निर्णय करने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। सुपर बाजार को सलाह दी गई है कि वह अपने कारबार के क्रियाकपालों में सुधार करे तथा आतिथ्य सत्कार, समाचार-पत्रों, परिवहन, समयोपरि भत्तों पर होने वाले व्यय में कटौती करे। फर्नीचर, स्टाफ कारों की खरीदारी को स्थगित करे और उसके साथ ही कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली स्टॉक की चोरी पर रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई करे।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

5040. **श्री बिक्रम केशरी देव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादकता संबंधी जागरूकता पैदा करने और विभिन्न क्षेत्रों को उत्पादकता सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् क्या प्रयास कर रही है;

(ख) चेन्नई स्थित डा. अम्बेडकर उत्पादकता संस्थान में किन-किन विभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(घ) कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र और उड़ीसा के निजी और लोक उद्यमों के कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता संबंधी जागरूकता बढ़ाती है तथा विभिन्न क्षेत्रों को उत्पादकता संबंधी सेवाएं निम्नानुसार प्रदान करती है:-

- वार्षिक उत्पादकता सप्ताह जैसे उत्पादकता संवर्धन गतिविधियों के आयोजन द्वारा,
- विनिर्माण, सेवा, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कारों के जरिये उद्योग की उपलब्धियों को पुरस्कृत करके,
- भारत तथा विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके,
- प्रत्यक्ष रूप से तथा स्थानीय उत्पादकता परिषदों के जरिये सामान्य तथा विशेष जागरूकता सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करके,
- उद्योग से संबंधित परामर्श सेवाओं का विस्तार करके,
- पर्यवेक्षीय दक्षता विकास के लिए दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा,
- प्रकाशनों तथा आवधिक पत्रिकाओं द्वारा।

(ख) चेन्नई स्थित डा. अम्बेडकर उत्पादकता संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

- औद्योगिक इंजीनियरिंग
- वातावरण प्रबंधन
- संयंत्र इंजीनियरिंग
- मानव संसाधन विकास
- समग्र गुणवत्ता प्रबंधन तथा बैंचमार्किंग
- अनुसंधान

(ग) उड़ीसा में, वर्ष 1997-98 में कुल 435 व्यक्तियों, 1998-99 में 856 व्यक्तियों तथा 1999-2000 में 1357 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1997-98		1998-99		1999-2000	
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
289	146	602	254	1155	202

(घ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आमतौर पर अपने कृषि उत्पादकता प्रभाग के जरिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करती है। यह प्रभाग मुख्य रूप से उत्पादकता सेवा तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करने में संलग्न रहता है।

[हिन्दी]

लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र का रख-रखाव

5041. श्री तूफानी सरोज : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र (स्मारक) का रख-रखाव करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है; और

(ग) इसके रख-रखाव के लिए कितने कर्मचारी वहां कार्यरत हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश स्थित लार्ड कार्नवालिस की कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है।

रोजमर्रा के आम रखरखाव के अलावा, पुरातत्वीय मानकों के अनुसार पर्यावरणीय विकास के साथ-साथ यथा-आवश्यक संरचनात्मक मरम्मतें की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय
1997-1998	13,530/- रु.
1998-1999	81,300/- रु.
1999-2000	44,775/- रु.

(ग) स्मारक तथा उद्यान की देखभाल के लिए 6 परिचर प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

मैसूर स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

5042. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए भवन की आधारशिला रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित भवन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस कार्य के कब पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) वहां कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रस्तावित भवन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मैसूर स्थित सभी स्थानीय कार्यालयों को स्थान मिल जाने की आशा है। केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस भवन में एक संग्रहालय तथा एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाएगा।

(ङ) उक्त परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान बजट में पचास लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। संभावित व्यय सभी सम्बन्धित प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने पर किया जाएगा।

कागज की मिलों को दोबारा चालू करना

5043. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कौन-सी कागज मिलों को बन्द किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इनमें से कुछ कागज की मिलों, विशेषकर 'मान्ड्या नेशनल पेपर मिल', कर्नाटक को दुबारा चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) राज्यवार बन्द किये गये कागज मिलों के नाम केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालय को 61 कागज मिलों को बन्द करने हेतु सिफारिश की थी। कागज मिलों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) औद्योगिक रुग्णता पर मौजूदा नीति के तहत, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.), अर्ध-न्यायिक निकाय, रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं पर कार्रवाई करता है। रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनरुद्धार रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलय द्वारा भी किया जाता है तथा इस प्रक्रिया को ऐसे स्वस्थ एककों, को आयकर में रियायतें प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है, जो इस तरह का समामेलन करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा शुरू की अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को काबू में करने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जहां तक माण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स का संबंध है, बी.आई.एफ.आर. ने अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि भविष्य में इस मिल के जीव्यक्षम होने की कोई संभावना नहीं है तथा इसलिए इस मिल को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम के तहत बन्द कर दिया जाना चाहिए। बी.आई.एफ.आर. ने इस अभिमत को कर्नाटक उच्च न्यायालय को अग्रेषित किया था। सरकार ने, लम्बित बन्द करने संबंधी कार्यवाहियों के मद्देनजर, उक्त मिल को बन्द किये जाने का निर्णय लिया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश

1. पेनवार पेपर्स लिमिटेड
2. आदिवासी पेपर्स लिमिटेड
3. नागार्जुन पेपर्स लिमिटेड
4. श्री लक्ष्मी सरस्वती पेपर्स लिमिटेड
5. कोस्टल कैमिकल्स लिमिटेड
6. आराधना पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड

बिहार

7. आर्यभट्ट पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड

8. भवानी पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड

गुजरात

9. कंकरिया कैमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

10. वुड पोलीमर लिमिटेड

हरियाणा

11. जे.बी. पेपर मिल्स लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश

12. बारोटीवाला पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड

13. सराओ पेपर मिल्स लिमिटेड

14. लालजी पेपर मिल्स

15. आदमस पेपर प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड

16. विलेज पेपर्स

17. कवर पेपर्स

18. देसराज पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड

19. टिशू एंड फाइबर्स लिमिटेड

केरल

20. चांसलर पेपर मिल्स लिमिटेड

कर्नाटक

21. काबिनी पेपर लिमिटेड

22. रेपेड्स लिमिटेड

23. कावेरी पेपर्स लिमिटेड

24. रामगोपाल पेपर मिल्स

25. मधु पेपर मिल्स

26. माण्ड्या नेशनल पेपर लिमिटेड

27. श्री वैष्णवी प्रिंटर्स प्रा. लिमिटेड

मध्य प्रदेश

28. एयरो फिल पेपर्स लिमिटेड

29. साऊथ दिल्ली इरेक्टर्स (आई एन डो)

30. सतपुड़ा पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड

31. भोपाल पेपर एंड बोर्डस लिमिटेड

महाराष्ट्र

32. आई पी सी ओ पेपर मिल्स लिमिटेड

33. जायकवाडी पल्प तथा पेपर मिल्स लिमिटेड

34. नागपुर पेपर मिल्स

35. पेपर एंड पल्प कनवरसन लिमिटेड

36. पोरवाल पल्प एंड पेपर

37. नीरा पल्प एंड पेपर मिल्स

38. रायगढ़ पेपर्स लिमिटेड

39. निमित पेपर एंड संबद्ध प्रोडक्टस लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली

40. देव पेपर्स प्रा. लिमिटेड

पंजाब

41. विनोद पेपर मिल्स लिमिटेड

राजस्थान

42. सतसुवान पेपर मिल्स लिमिटेड

43. सराफ पेपर मिल्स लिमिटेड

44. अरिष्टो पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड

45. श्री पदम पेपर मिल्स लिमिटेड

46. ई सी एस पेपर्स

47. प्रीमियर पेपर एंड बोर्ड मिल्स

तमिलनाडु

48. निजाम पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड

49. गंगाप्पा पेपर

50. अगस्थियार पेपर बोर्डस प्रा. लिमिटेड

51. कलैयमागल नटराज पेपर मिल्स

उत्तर प्रदेश

52. श्री मंजूषा पेपर मिल्स लिमिटेड

53. अपर इंडिया कापर पेपर लिमिटेड

54. विष्णु स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड

55. वेस्ट बोर्डस लिमिटेड

56. गीतांजलि पेपर मिल्स

57. सुशीला पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड

पश्चिम बंगाल

58. पेपीरस पेपर्स

59. ईस्ट एंड पेपर

60. ईस्टर्न पेपर मिल्स लिमिटेड

61. नार्थ बंगाल स्ट्रा बोर्ड इंड लिमिटेड।

आई.टी.डी.सी. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

5044. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.टी.डी.सी. में सेवा-निवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करने के अतिरिक्त इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान आई.टी.डी.सी. के कितने कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) कम्पनी में सेवानिवृत्ति आयु को पूर्व स्थिति में लाने तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के संबंध में प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

चर्म उद्योग का विकास

5045. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में चमड़ा और खाल उद्योग को विकसित करने की कोई नई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चमड़ा और खाल उद्योग के विकास के लिए धनराशि आवंटित की है और इस उद्योग में बड़ी धनराशि के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ;

(ङ) क्या विश्व चमड़ा और खाल उद्योग में भारत का हिस्सा अपनी क्षमता की तुलना में बहुत कम है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं और गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात किये गये चमड़े और खाल का गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने चमड़ा उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं आरंभ और कार्यान्वित की हैं:

(1) राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)।

(2) चमड़ा प्रौद्योगिकी मिशन (सी.एस.आई.आर. द्वारा कार्यान्वित)।

(3) चर्मशोधनालय आधुनिकीकरण योजना (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)।

(4) बाजार सहायता योजना (वाणिज्य विभाग द्वारा समर्थित)।

(5) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समर्थित)।

(ग) सरकार ने चमड़ा क्षेत्र के लाभार्थ विकासात्मक कार्यक्रमों में यू.एन.डी.पी. और यूनिडो के वित्तपोषण के सामंजस्य के लिए निधियां आबंटित की हैं और सहायता दी है। चर्मशोधनालयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 9.5 करोड़ रुपये की मद से चर्मशोधनालय आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया गया है।

(घ) भारतीय चमड़ा उद्योग ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी आकृष्ट किया है, जिसके ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) विश्व चमड़ा बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 4 प्रतिशत है। चमड़ा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:-

1. चर्मशोधनालय आधुनिकीकरण योजना आरंभ करना।

2. राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम।

3. चमड़े के पारिस्थितिक-शोधित पदार्थों के व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना।

4. चमड़ा उत्पादों के चिह्नांकन के लिए कार्यनीति योजना का विकास करने हेतु विदेशों से परामर्श संबंधी बैठकें।

5. निर्यात के लिए कच्ची खालों व चमड़ियों का नियमितीकरण/प्रतिबंध।

6. बी.आई.एस. मानदंडों के अधीन तैयार चमड़े के निर्यात की अनुमति देना।

7. मध्यवर्तियों तथा चमड़ा उद्योग के काम आने वाले संघटकों तथा मशीनों की सामग्रियों पर आयात शुल्क को युक्तियुक्त बनाना तथा कम करना।

8. अमरीका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे प्रमुख बाजारों में पशुओं के नीतिपरक व्यवहार (पी.ई.टी.ए.) के लिए लोगों द्वारा निषेधात्मक कार्यों का मुकाबला करने के लिए उपचारात्मक उपायों की योजना बनाई गई।

पिछले पांच वर्षों के दौरान चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अनुमोदित विदेशी सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा

चमड़ा चमड़े का माल और पिकर्स क्षेत्र के लिए

जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1997

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित	कुल का %
	कुल	तकनीकी	वित्तीय	एफ.डी.आई. की राशि (करोड़ रुपए)	
1	2	3	4	5	6
गुजरात	1	0	1	4.40	7.45
हरियाणा	1	1	0	0.00	0.00
महाराष्ट्र	1	0	1	2.29	3.89
पंजाब	2	0	2	11.98	20.28
तमिलनाडु	2	1	1	0.38	0.63
उत्तर प्रदेश	3	0	3	2.72	4.61
पश्चिम बंगाल	3	1	2	1.15	1.94
अउल्लिखित राज्य	7	2	5	36.14	61.20
जोड़	20	5	15	59.06	

चमड़ा, चमड़े का माल और पिकर्स क्षेत्र के लिए

जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 1998

कर्नाटक	1	0	1	0.08	0.16
तमिलनाडु	6	0	6	20.27	41.51
उत्तर प्रदेश	3	1	2	1.20	2.46
पश्चिम बंगाल	2	0	2	0.50	1.02
दिल्ली	1	0	1	0.36	0.74
अउल्लिखित राज्य	6	2	4	26.42	54.10
जोड़	19	3	16	48.83	

1	2	3	4	5	6
		जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 1999			
हरियाणा	3	0	3	8.99	33.83
महाराष्ट्र	2	1	1	1.00	3.76
पंजाब	1	0	1	7.80	29.36
तमिलनाडु	2	1	1	2.00	7.53
चण्डीगढ़	1	1	0	0.00	0.00
दिल्ली	3	0	3	5.43	20.43
अउल्लिखित राज्य	2	0	2	1.35	5.08
जोड़	13	2	11	26.57	

विवरण-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का निर्यात (रुपये करोड़ व डालर मिलियन में)

मद	1995-96		1996-97		1997-98		1998-98		1999-2000	
	रुपये	यू एस डालर	रुपये	यू एस डालर	रुपये	यू एस डालर	रुपये	यू एस डालर	रुपये	यू एस डालर
तैयार चमड़ा	1241.99	371.33	1068.76	301.06	1099.44	295.83	1129.34	268.44	1034.75	238.79
चमड़े के फुटवेयर	1138.67	340.44	1197.95	337.45	1047.67	281.90	1366.52	324.82	1433.45	330.80
फुटवेयर घटक	812.73	242.99	790.72	222.74	893.72	240.47	1014.38	241.11	994.46	229.49
चमड़े के वस्त्र	1383.47	413.63	1506.49	424.37	1580.27	425.21	1067.22	253.67	1380.38	318.55
चमड़े की वस्तुएं	1212.89	362.63	1044.53	294.24	1439.47	387.32	1729.76	411.16	1667.34	384.78
जीनसाजी व साज	71.39	21.34	92.14	25.96	96.46	25.95	139.48	33.15	155.87	35.97
कुल	5861.14	1752.35	5700.59	1605.82	6157.03	1656.68	6446.70	1532.25	6666.25	1538.39

एल.एन.जी. इकाइयों के लिए कर में छूट

5046. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों के प्रमुख समूह ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को आधारभूत संरचना का दर्जा देने और आयात शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर अधिनियम की धारा 10(23 जी) के लाभों का विस्तार करने और एल.एन.जी. परियोजनाओं को कर में छूट का लाभ देने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं।

तथापि, तरलीकृत प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए गठित अधिकारियों के दल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को मूलभूत सुविधा की स्वीकृति देने तथा विद्युत एवं अन्य क्षेत्रों के लिए आयात शुल्क की समान दरों की सिफारिश की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाहन उद्योग में गिरावट

5047. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 की तुलना में 1999-2000 के दौरान वाहन उद्योग के बाजार में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारी वाहन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटकों के लिए किफायती होटल

5048. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश कम किराए के होटलों के कारण पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों की तुलना में भारत के होटल बहुत महंगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पर्यटकों को सस्ते होटल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) ये देश विभिन्न कारणों से पर्यटन में अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं और इसका कारण केवल होटल दरें ही प्रतीत नहीं होती।

थाईलैंड तथा मलेशिया सहित अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत मे होटल बहुत महंगे नहीं हैं। हालांकि कुछ भारतीय पांच सितारा होटलों में प्रकाशित दरें ऊंची प्रतीत होती हैं लेकिन होटलों की डिस्काउंट नीति की वजह से वास्तव में प्राप्ति दर, प्रकाशित दर से बहुत कम है।

भारत सरकार पेइंग गेस्ट आवास के संवर्धन हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दे रही है और पर्यटक बंगलों, यात्रिक ओं, यात्री निवासों आदि के रूप में सस्ते आवास के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

धारावाहिकों का पुनः प्रसारण

5049. श्री अरूण कुमार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी धारावाहिक को एक बार प्रकाशित किये जाने के बाद पुनः प्रसारित करने की अवधि निर्धारित करने संबंधी कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) दूरदर्शन पर प्रायोजित धारावाहिकों के पुनः प्रसारण हेतु अवधि, निर्धारित करने के लिए कोई नीति नहीं है। सामान्यतया, प्रायोजित श्रेणी में किसी धारावाहिक को प्रसारित किए जाने के बाद इसे एक वर्ष में पुनः प्रसारित नहीं किया जाता है।

तथापि, डी डी-1 पर प्रसारित किए जा रहे प्रायोजित धारावाहिकों को बिना किसी निःशुल्क वाणिज्यिक समय के एक सप्ताह के अन्दर डी डी इण्टरनेशनल पर पुनःप्रसारित किया जाता है।

ऑटो मोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को हुआ घाटा

5050. **श्री रामजी मांझी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.यू.डी.ए.) के साथ भूमि सौदे में 2.10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.यू.डी.ए.) से धनराशि वसूलने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (ए.आर.ए.आई.), पुणे को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) - हरियाणा सरकार का एक प्राधिकरण द्वारा 800 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से 3.87 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 एकड़ भूमि की पेशकश की गई थी। उक्त ए.आर.ए.आई. में ए.आर.आई. के एक क्षेत्रीय उत्तरी केन्द्र की स्थापना करने के लिए फरीदाबाद के सेक्टर-33 में हुडा द्वारा आबंटित भूमि खरीदने के लिए 1995 में 3.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। तथापि, ए.आर.ए.आई. को भूखंड का कब्जा लेने के लिए इंकार करना पड़ा क्योंकि भूमि में अतिक्रमण का पहलू अंतर्ग्रस्त था। हुडा अतिक्रमण को हटाने में असफल रहा क्योंकि हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिया गया है।

दिसंबर, 1997 में, हुडा ने फरीदाबाद के सेक्टर-58 में 1650 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से 7.99 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने की पेशकश की जो पहले आबंटित भूखंड से 25 कि.मी. की दूरी पर था। ए.आर.ए.आई. ने भूमि की कीमत अधिक होने व असुविधाजनक स्थान होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसने 15% वार्षिक की दर से 2.10 करोड़ रुपये की ब्याज राशि सहित 3.87 करोड़ रुपये की वापसी के लिए दावा कर दिया। हुडा ने केवल मूल धन 3.87 करोड़ रुपये वापस किये और यह कहा कि हुडा के नियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि ए.आर.ए.आई. ने उन्हें आबंटित वैकल्पिक भू-खंड के लिए इंकार किया था।

लाल किले का रख-रखाव

5051. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** लाल किले के रख-रखाव हेतु सहायता के बारे में 11 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7108 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लाल किले के रख-रखाव हेतु निगमित क्षेत्र की सहायता लेने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रयासों के साकार न होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या वैकल्पिक कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लाल किले के रख-रखाव हेतु अब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) यद्यपि राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अन्तर्गत स्मारक विशेष हेतु योगदान के लिए सुविधा के प्रति आम जनता में जागरूकता है, फिर भी इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने संसाधनों से लाल किला का रखरखाव तथा संरक्षण करता चला आ रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जाली नोट

5052. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) आम आदमी द्वारा जाली नोट की पहचान हेतु सरकार द्वारा कौन सी प्रणाली विकसित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों का कोई सर्वेक्षण किया है जो जाली नोटों की पहचान कर सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा असली तथा जाली नोटों की पहचान करने हेतु आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जाली नोटों के धंधे को नियंत्रित करने हेतु कौन से सकारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) असली नोटों में अन्तर्निहित कुछ सुरक्षा विशेषताएं जाली नोटों में नहीं पाई जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों की असलियत की पहचान करने में आम आदमी की सहायता के लिए प्रचार माध्यमों और दूरदर्शन के जरिए इन सुरक्षा विशेषताओं का प्रचार किया है। 500 रु. मूल्यवर्ग के नोटों की सुरक्षा विशेषताओं पर अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई एक फिल्म दूरदर्शन पर बहुत बार प्रसारित की गई है। एक पुस्तिका जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ असली नोटों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, भी प्रकाशित की गई है। यह पुस्तिका भारतीय रिजर्व बैंक की बेवसाइट डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. आर.बी.आई.ओ.आर.जी.इन पर रखी गई है इसके अतिरिक्त यह भारतीय रिजर्व बैंक के बिक्री काउंटर पर भी जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है।

उन लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जो जाली करेंसी नोटों को पहचान सकते हैं।

(घ) जाली करेंसी रैकेट पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम इस प्रकार हैं:-

(1) नकली करेंसी नोटों के मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक विशेष इकाई गठित की गई है।

(2) सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पार से नोटों की तस्करी को रोकने के लिए अपनी अग्रिम टुकड़ियों को अधिक चौकस रहने के लिए सतर्क किया है। सभी राज्य सरकारों, विशेषकर, सीमावर्ती राज्यों को अधिक चौकस रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(3) भारतीय मुद्रा के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित मुद्दों के सम्पूर्ण तथ्यों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है।

(4) मुद्रण और सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करने में सरकार को सक्षम बनाने के लिए पकड़े गए जाली नोटों की जांच हेतु नोट मुद्रण/करेंसी कागजों आदि के विशेषज्ञों की एक तथ्या-वेषी समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

सलीमगढ़ फोर्ट कलकत्ता स्थित जेल का संरक्षण

5053. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जुलाई, 2000 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'रेयर पेपर्स आन इन्डेपेंडेन्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सलीमगढ़ किले में स्थित छोटा कारागार जहां आजाद हिन्द फौज के नायकों को बंदी बनाकर रखा गया था, को खतरा है क्योंकि इसके रखरखाव और मरम्मत के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विमान से यात्रा

5054. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12,300/- रु. से 16,400/- रु. तक मूल वेतन पाने वाले अधिकारी 500 कि.मी. से अधिक दूरी की यात्रा रेलगाड़ी से एक रात में न किए जा सकने की स्थिति में अपने विवेकानुसार विमान यात्रा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान से यात्रा करने से पूर्व उक्त श्रेणी के अधिकारियों द्वारा कोई पूर्व-अनुमति लिए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो यह अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिकारियों के कठिनाई पैदा करने वाले सम्बद्ध नियमों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। ऐसी यात्रा के लिए किसी प्राधिकारी की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। अगर समय की मांग है तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकारी दौरे पर हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिव पहले से ही समर्थ हैं।

विदेशी बैंक

5055. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी बैंक भारत में अपना व्यापार बंद करना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) विदेशी बैंकों को किन कारणों के चलते भारत में व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) देश में ऐसे बैंकों के बंद होने से क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जबकि दो कोरियन बैंकों ने भारत में अपना व्यापार बंद कर दिया है, दो अन्य बैंक भारत में अपने व्यापार का विलय कर चुके हैं तथा विद्यमान कुछ विदेशी बैंक अपनी पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत अपनी शाखाएं बन्द अथवा विलयित कर चुके है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस आशय की सूचना, यदि कोई हो, नहीं है कि कोई और विदेशी बैंक भारत में अपना व्यापार बन्द करना चाहता है।

(ग) और (घ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक को यह शक्तियां प्रदत्त करती है कि वह विदेशी बैंकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करे। इन बैंकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति इसलिए दी गई है ताकि निर्यात/आयात व्यापार के वित्तपोषित करने में लाभ हो तथा संबंधित देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध में सुधार हो सके। भारत में व्यापार बन्द करने का निर्णय विदेशी बैंकों का है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी बैंकों द्वारा भारत में अपना व्यापार बन्द करने से पहले भारत में सभी देनदारियां पूर्णरूप से पूरी करें।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड

5056. श्रीमती निवेदिता माने : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ गैर-सचिवालीय कार्यालयों में सहायकों/निरीक्षकों के पदों के लिए पदोन्नति हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) सहायकों/निरीक्षकों की पदोन्नति में आशुलिपिकों का कितने प्रतिशत कोटा रखा जा रहा है;

(ग) आशुलिपिकों का कोटा रखने जाने का क्या औचित्य है जबकि वह एक संवर्ग है और 40:40:20 के अनुपात में एक विशेष वेतनमान है;

(घ) क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने की तैयारी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति उच्च श्रेणी लिपिकों/कर सहायकों तथा आशुलिपिकों में से की जाती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन कार्यरत निदेशालयों में सहायक के पद पर पदोन्नति निरीक्षण महानिदेशालय, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय जहां 25 प्रतिशत कोटा आशुलिपिकों के लिए निर्धारित है, को छोड़कर उच्च श्रेणी लिपिक संवर्ग से की जाती है।

काफी समय पहले से ही सहायकों/निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति के लिए आशुलिपिकों पर विचार किया जाता रहा है, तथा इसे संशोधित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग से अर्जित विदेशी मुद्रा

5057. श्री रघुनाथ झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म उद्योग से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय के बढ़ने की बहुत संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र की संभावनाओं का पता लगाने के लिये क्या उपाय किये गये है; और

(ग) फिल्म उद्योग से गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में फिल्म उद्योग की पूर्ण सम्भावनाओं का दोहन करने के उद्देश्य से मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक नई धारा, धारा 80 एच.एच.एफ. जोड़ने के लिए इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से विशेष सिफारिश की थी। परिणामस्वरूप, वित्त अधिनियम, 1999 में धारा 80 एच.एच.एफ. जोड़ दी गई थी। मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यात में लगे व्यक्तियों/मालिकों के अतिरिक्त वित्त अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत आने वाले लोगों को इस धारा का लाभ दिया गया था।

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्ष के दौरान निर्यात की गई भारतीय फिल्मों और भारतीय फिल्म निर्यातक संघ द्वारा यथा अभिनिश्चित इससे अर्जित आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	निर्यात किए गए शीर्षकों की संख्या	निर्यात से प्राप्त आय (लगभग)
1997-98	190	200 करोड़ रुपए
1998-99	180	250 करोड़ रुपए
1999-2000	240	400 करोड़ रुपए

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शाखाएं

5058. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कुछ राज्यों की राजधानियों और देश के अन्य बड़े शहरों में अपनी शाखाएं खोलने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का विचार महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पुणे और गौहाटी शाखा कार्यालयों का दर्जा बढ़ाकर मंडल कार्यालय बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) ने सूचित किया है कि राज्यों की राजधानियों अथवा देश के अन्य किसी बड़े शहर में कोई कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि पुणे अथवा गुवाहाटी स्थित अपने कार्यालयों को क्षेत्रीय कार्यालय में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हरियाणा की बाह्य सहायता प्राप्त जलापूर्ति परियोजनाएं

5059. श्री रतनलाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता हेतु हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई जलापूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं हेतु विदेशी सहायता जारी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो अब तक उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सहायता कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वित्त मंत्रालय को हरियाणा सरकार से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए किसी दाता देश को प्रस्तुत करने हेतु जलापूर्ति योजना का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, हरियाणा

सरकार ने दिनांक 1.2.2000 को शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को 427.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का ''हरियाणा जलापूर्ति, मल व्ययन और ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध परियोजना'' नामक एक प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर तकनीकी दृष्टिकोण से जांच की गई है और टिप्पणियां राज्य सरकार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेज दी गई हैं।

(ख) से (घ) भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निवेशकों के रक्षार्थ विशेष अदालतें

5060. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टाक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के रक्षार्थ विशेष अदालतों के रूप में एक शिकायत निवारण तंत्र गठित करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''सेबी'' निवेशकों को सीधे तौर पर क्षति पूर्ति करने में सक्षम नहीं है क्योंकि इस संदर्भ में इसके पास कोई अधिकार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सेबी ने निवेशक संरक्षण के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें अन्य बातों के अलावा परिसंपत्ति वंचन, निधि निःशेषण के प्रति सुरक्षोपाय तथा क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उपबंध शामिल हैं। सरकार का प्रयास निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाना है। इस संदर्भ में सरकार संबद्ध अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों की लगातार पुनरीक्षा करती है।

सांभर साल्ट लिमिटेड

5061. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जयपुर जिले में मैसर्स 'सांभर साल्ट लिमिटेड' घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सांभर झील को सरकार को वापिस सौंप देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक सौंप दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। नमक उत्पादन के लिए लवण-जल का मुख्य स्रोत, सांभर झील में पानी के अपर्याप्त प्रवाह के कारण उत्पादन के स्तरों को बनाये रखने में हुई अड़चन घाटे का एक मुख्य कारण रहा है। सांभर के प्रमुख नमक उपभोक्ता, क्लोरालकली उद्योग में डाउन टर्न एक अन्य अंशदायी कारक रहा है। वेतन और मजदूरी में बढ़ोत्तरी के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि तथा वर्धित निवेश लागत से घाटे में और अधिक वृद्धि हो गई है।

(ग) से (ङ) राजस्थान सरकार ने सांभर साल्ट लि. को पट्टे पर दिये गये क्षेत्र को पुनः हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया था। तथापि, इस अनुरोध पर सहमति नहीं हो पाई क्योंकि यह कम्पनी के समग्र हित में नहीं था।

[हिन्दी]

दिल्ली के बाहर प्रदर्शनी स्थल

5062. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) ने दिल्ली के बाहर देश के अन्य स्थानों में स्थायी प्रदर्शनी स्थल स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पहचान किए गए शहरों और केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) ने दिल्ली के बाहर उच्च स्तरीय व्यापार प्रदर्शिनियों को बढ़ावा देने हेतु किस सीमा तक प्रयास किए हैं;

(घ) क्या ऐसी प्रदर्शनियों की संभाव्यता की जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा दिल्ली के बाहर प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने, चलाने प्रबंध करने तथा उसका अधिकार देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या किसी राज्य सरकार ने अपनी राजधानी में ऐसी प्रदर्शनियों की स्थापना हेतु सुझाव दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (छ) देश के चुनिन्दा क्षेत्रीय केन्द्रों में निर्यात संवर्धन अवस्थापना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इटपों नई दिल्ली में प्रगति मैदान की प्रणाली पर क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र (आर.टी.पी.सी.) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 9वीं योजना के दौरान बंगलौर (कर्नाटक) चैन्नई (तमिलनाडु), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में तीन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गोआ, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश) से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इटपो चैन्नई में इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर (आई.आई.एल.एफ.) तथा कलकत्ता में इंटरनेशनल लैदर गुड्स फेयर (आई.आई.एल.जी.एफ.) आयोजित करता रहा है। इन दोनों घटनाओं का चमड़ा उद्योग द्वारा अच्छा स्वागत किया गया है। आई.आई.एल.एफ. का अगला संस्करण चैन्नई में 31 जनवरी से 4 फरवरी 2001 के दौरान आयोजित करने का प्रस्ताव है। अगला आई.एल.जी. एक मार्च 2001 में कलकत्ता में आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इटपो ने सिक्किम राज्य सरकार के साथ मिलकर मार्च, 2001 में गंगटोक, सिक्किम में भारत व्यापार शो आयोजित किया।

इंडिया ट्रेड प्रामोशन आर्गेनाइजेशन निजी प्रदर्शनी आयोजकों द्वारा दिल्ली के बाहर आयोजित की जाने वाली उच्च गुणवत्ता की व्यापार प्रदर्शनियों को भी प्रोत्साहित करता रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, इटपो ने विभिन्न प्रदर्शनी आयोजकों द्वारा दिल्ली के बाहर आयोजित करने के लिए लगभग 111 प्रदर्शनियों को स्वीकृति दी है। ये मुख्यत: फोकस उत्पादों से संबंधित विशेषीकृत घटनाएं हैं।

वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. हेतु अपर्याप्त स्टाफ

5063. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित अत्यधिक निम्न शक्ति वाले और निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के सुचारू कार्यकरण हेतु पर्याप्त संख्या में स्टाफ तैनात नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन ट्रांसमीटर केन्द्रों के सुचारू कार्यकरण हेतु पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कर्मचारी रहित स्थापना हैं। अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों पर पर्याप्त स्टाफ तैनात कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक से ऋण

5064. श्री जी.जे. जावीया :
श्री चन्द्रकान्त खैरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से 870 करोड़ रु. के ऋण के संबंध में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) इस राशि को किस प्रकार उपयोग में लाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सूरत मनोर टोलवे प्रोजेक्ट के लिए 180 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के लिए जनवरी, 1999 में बातचीत हुई थी और एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल ने 27 जुलाई, 2000 को यह ऋण अनुमोदित कर दिया है।

(ख) एशियाई विकास बैंक द्वारा इस ऋण का संवितरण दि. 30.9.2004 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने और उसे प्रभावी घोषित किए जाने के पश्चात, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

(ग) ऋण की वापसी अदायगी 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 25 वर्षों में की जानी है। ब्याज का निर्धारण अमरीकी डालर में ऋणों के लिए एशियाई विकास बैंक की पूल-आधारित परिवर्तनीय उधार देने की दर प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।

(घ) ऋण का उपयोग सिविल संकर्म संविदाओं के वित्तपोषण और निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए किया जाएगा।

नई पेंशन नीति

5065. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई पेंशन नीति तथा लोक भविष्य निधि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन योजनाओं को लागू करने के लिये कोई अनंतिम तिथि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5066. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया और वर्ष 2000-2001 के लिए इस संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रत्येक राज्य में कितनी राशि निवेश की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक राज्य में कितने और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (जून तक) के दौरान वैद्युत उपकरण क्षेत्र में प्राप्त किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अंतर्प्रवाह जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्राप्त किए गए अंतर्प्रवाह शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:-

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्प्रवाह की राशि

	(मिलियन रु.)
1997-98	12718.46
1998-99	9086.76
1999-2000	5315.24
2000-2001 (अप्रैल-जून)	3626.88

(ख) केन्द्रीय रूप से राज्य-वार अंतर्प्रवाह का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(1) पहले से स्थापित तथा चल रहे साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एस.टी.पी.) की सूची

	राज्य	स्थान
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी
3.	गोवा	वर्ना
4.	गुजरात	गांधीनगर
5.	कर्नाटक	बंगलौर, मनीपाल तथा मैसूर
6.	केरल	तिरूवनंतपुरम
7.	महाराष्ट्र	पुणे तथा नवीं मुंबई
8.	उड़ीसा	भुवनेश्वर

1	2
9. पंजाब	मोहाली
10. राजस्थान	जयपुर
11. तमिलनाडु	चैन्नई एवं कोयम्बटूर
12. उत्तर प्रदेश	नौएडा
13. प. बंगाल	कलकत्ता (राज्य सरकार निधिपोषण सहित)

(2) अनुमोदित तथा स्थापित किए जा रहे साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की सूची

1. सिक्किम में गंगटोक (एस.टी.पी. गुवाहाटी के हब केन्द्र के रूप में)
2. जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर
3. आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम
4. मध्य प्रदेश में इंदौर

(3) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए विचाराधीन अन्य स्थान

1.	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल, विजयवाड़ा, तिरूपति
2.	उत्तरपूर्वी राज्य	अगरतला
3.	दिल्ली	दिल्ली
4.	हरियाणा	गुड़गांव
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
6.	कर्नाटक	मंगलौर
7.	महाराष्ट्र	नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मुंबई
8.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भोपाल
9.	उड़ीसा	राउरकेला
10.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
11.	तमिलनाडु	त्रिची, मदुराई
12.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, देहरादून

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वी.डी.आई.एस.)

5067. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृकरेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में स्वैच्छिक आय घोषर योजना के अंतर्गत अपनी संपत्ति की घोषणा करने वाले लोगों व राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अंतर्गत सरकार व राज्यवार कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस अर्जित राजस्व से प्रत्येक राज्य को कितना हिस्स दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने स्वैच्छिक आ प्रकटन योजना के अन्तर्गत अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा की और स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अंतर्गत मुख्य आयक आयुक्त प्रभारवार दर्शाया गया सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व विवरणों का उल्लेख संलग्न विवरण-I में किया गया है।

(ग) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना से राजस्व अर्जन राज्यवार वितरण के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी ग है।

विवरण-I

स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 के अन्तर्गत घोषणाकर्ता की संख्या/संग्रहीत राजस्व को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार	स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अंतर्गत घोषणा-कर्ताओं की सं.	स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अन्तर्गत करों और ब्याज का संग्रहण
1	2	3	4
1.	चेन्नई	37,630	784.34
2.	चण्डीगढ़	34,138	610.54
3.	अहमदाबाद	46,364	968.04
4.	बंगलोर	25,836	605.41
5.	पुणे	45,476	861.88
6.	दिल्ली	38,570	1,228.44

1	2	3	4
7.	हैदराबाद	20,715	384.60
8.	कानपुर	17,059	347.94
9.	कोचीन	6,249	139.34
10.	जयपुर	21,372	272.98
11.	भोपाल	21,332	309.93
12.	कलकत्ता	52,788	714.52
13.	लखनऊ	14,999	212.14
14.	पटना	21,616	273.49
15.	मुम्बई	70,989	2,031.93
	योग	4,75,133	9,745.52

विवरण-II

1997-98 के दौरान स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना में शेयरों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

राज्य	शेयर (करोड़ रुपए में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	642.93
अरुणाचल प्रदेश	12.91
असम	211.42
बिहार	976.66
गोवा	13.67
गुजरात	307.25
हरियाणा	94.01
हिमाचल प्रदेश	53.46
जम्मू और कश्मीर	83.31
कर्नाटक	405.44
केरल•	294.27
मध्य प्रदेश	629.54
महाराष्ट्र	465.21
मणिपुर	21.41
मेघालय	21.49
मिजोरम	11.32
नागालैण्ड	13.75
उड़ीसा	341.35
पंजाब	110.95
राजस्थान	421.54
सिक्किम	9.57
तमिलनाडु	504.01
त्रिपुरा	28.71
उत्तर प्रदेश	1352.57
वैस्ट बंगाल	567.35
योग	7594.00

विनिवेश के लिए सरकारी उपक्रमों के शेयरों का बाजार मूल्य

5068. श्री किरीट सोमैया :
श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो वर्ष पहले कई सरकारी उपक्रमों को विनिवेश के लिए नियत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000-2001 में ऐसे कौन-कौन से सरकारी उपक्रमों के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश सरकारी उपक्रमों के शेयरों का बाजार मूल्य तेजी से गिर रहा है;

(घ) यदि हां, तो दो वर्ष पहले शेयरों का बाजार मूल्य क्या था और इन सरकारी उपक्रमों के शेयरों का मौजूदा मूल्य क्या है;

(ङ) इनके शेयरों का विनिवेश न होने के क्या कारण हैं;

(च) विलम्ब के कारण कुल कितना घाटा हुआ है;

(छ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पूंजी बाजार और स्टाक एक्सचेंज में उन सरकारी उपक्रमों के शेयरों के मूल्यों में गड़बड़ी की जा रही है जिनका भविष्य में विनिवेश किया जाना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी उपक्रमों के शेयरों में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार निगरानी के लिए क्या कदम उठा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है।

मुम्बई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति कंपनी

5069. श्री किरीट कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति कम्पनी हस्तांतरित हो जाने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो मु.उप.वि.आ.कं. में बड़ी शेयरधारिता रखने वाली वित्तीय संस्थाएं अपने शेयर बेचने की कोशिश कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन वित्तीय संस्थाओं को अपने शेयरों को बेचने से पहले बाजार-मूल्य दरों का आकलन कर लेने के लिए निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) कंपनियों का हस्तान्तरण उस संशोधित भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) हस्तांतरण संहिता द्वारा संचालित होता है, जो वर्ष 1997 से लागू हुई और जो यह सुनिश्चित करती है कि हस्तान्तरण सही और पारदर्शी तरीके से हो। सेबी के मार्गनिर्देशों के अनुसार, भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों की बिक्री मामले में निर्णय स्वयं संस्थाओं द्वारा लिया जाना होता है।

लोक वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार तथा लोक वित्तीय संस्थाओं को संचालित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुरूप और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

चावल का निर्यात

5070. श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री ए. वेंकटेश नायक
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998-99 की तुलना में 1999-2000 के दौरान निर्यात किये गये चावल की मात्रा में व्यापक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पिछड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय चावल के पारम्परिक निर्यात बाजार खोने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस समस्या के सुधार हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्यात किए गए बासमती और गैर-बासमती चावल की कुल मात्रा एवं उसका मूल्य निम्नानुसार है:-

मात्रा : लाख मी. टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

वर्ष	बासमती चावल		गैर-बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1998-99	5.98	1876.91	43.66	4403.85
1999-2000 (अनन्तिम)	6.06	1735.94	12.17	1369.43

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता)

चावल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों, उपभोक्ता अधिमानों और व्यापार की गई किस्मों पर निर्भर करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मांग कम रहने और चावल उपभोक्ता देशों में फसल का बेहतर उत्पादन होने के कारण भारतीय चावल के निर्यात में गिरावट आई है।

(घ) और (ङ) चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में शामिल हैं – प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना, संभावित क्रेताओं को बुलाना और गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार लाने, उत्पादों का ब्रांड संवर्धन करने और बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

[हिन्दी]

राज्यों को मंजूर की गई धनराशि

5071. श्री जयप्रकाश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या मंजूर की गई धनराशि और वितरित धनराशि में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके राज्यवार क्या कारण हैं; और

(घ) आने वाले वर्षों के दौरान वित्तीय संकट से बचने के लिए क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का योजना परिव्यय योजना आयोग और राज्य सरकार के मध्य हुए पारस्परिक विचार विनिमय के द्वारा तय किया जाता है। उत्तर प्रदेश समेत केवल कुछ ही राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। वर्ष 2000-2001 के लिए उत्तर प्रदेश का अनुमोदित योजना परिव्यय 9025 करोड़ रुपए का है।

(ख) और (ग) पिछले सालों के दौरान वस्तुत: जारी वित्तीय निधियों के विरुद्ध व्यय में हुई किसी कमी के समायोजन के पश्चात् योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आबंटन जारी कर दिए जाते हैं।

(घ) संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वायत्तशासी हैं और अपनी वित्तीय हैसियत में सुधार हेतु समय-समय पर उचित उपाय अपनाती रहती हैं। कुछ राज्यों ने स्वयमेव मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम विकसित किए और अपनाए हैं। इन राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों का लक्ष्य बढ़े हुए राजस्व संचालन, गैर योजनागत राजस्व व्यय में कमी, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) कीमतों में सुधार और विनिवेश के जरिए राजस्व और राजकोषीय घाटे में कमी लाना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महत्व की पांडुलिपियां

5072. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की पांडुलिपियां रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों का पता लगाने, उन्हें सुलभ कराने, संरक्षण करने और उनकी एक व्यापक निर्देशिका संकलित करने के लिए एक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी पांडुलिपियां जो प्राचीन बुद्धिमत्ता का भण्डार है, को समुचित रूप से संरक्षित नहीं रखा गया है और इसलिए वे नष्ट हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उन पांडुलिपियों को समुचित रूप से संरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुमानत: दो अथवा तीन लाख पांडुलिपियां देश से बाहर ले जाई गई हैं; और

(च) यदि हां, तो उन्हें वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रारंभ करने के संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई जारी है। पांडुलिपियां निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार की अनेक संस्थाओं के आधिपत्य में हैं और उनकी संरक्षण-स्थिति भिन्न-भिन्न है। पांडुलिपियों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम वर्ष 1980-81 से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रचालित की जा रही है और जिसके अन्तर्गत पांडुलिपियों के परिरक्षण, प्रकाशन, सूची-पत्र-निर्माण आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक पांडुलिपियों के परिरक्षण, सूची-पत्र-निर्माण, प्रकाशन आदि के लिए 739 संगठनों को सहायता प्रदान की गयी।

(ङ) और (च) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

दूर-दराज क्षेत्रों में अच्छा प्रसारण

5073. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में दूरदर्शन का प्रसारण स्पष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस कार्य को कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) हरियाणा तथा पंजाब दूरदर्शन के स्थलीय प्रसारण द्वारा पूरी तरह से कवर किए जाते हैं। तथापि, राजस्थान राज्य में मौजूदा स्थलीय टीवी नेटवर्क द्वारा केवल 70.1% क्षेत्र तथा अनुमानित 76% जनसंख्या को कवर किया जाता है। वहां कवरेज जोन में कुछ सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां सही अभिग्रहण के लिए उन्नत एन्टीना/बूस्टरों की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) और (घ) उपरोक्त राज्यों में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करने हेतु राजस्थान में 14 ट्रांसमीटर परियोजनाएं, पंजाब में तीन और हरियाणा में एक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। इन सभी परियोजनाओं के नौवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

विदेशी पर्यटकों की यात्रा

5074. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने विदेशी पर्यटकों की पूर्वोत्तर राज्यों की बेरोकटोक यात्रा पर से प्रतिबंध हटा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों से भी प्रतिबंध हटाए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) विदेशी पर्यटकों को अब असम, मेघालय और त्रिपुरा की यात्रा करने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम की यात्रा करने के लिए भी विवाहित जोड़ों सहित विदेशी पर्यटकों के समूह के लिए कुछ स्थल/मार्ग खोल दिए हैं।

(ख) से (घ) सिक्किम और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी कुछ मार्गों/स्थलों हेतु हटा लिया गया है।

निर्यातकों के लिए मार्केट डेवलपमेंट फंड

5075. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए बाजारों का पता लगाने हेतु निर्यातकों के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिसटेंस फंड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोश का उपयोग करने हेतु उद्यमियों और कंपनियों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) बाजार विकास सहायता (एम डी ए) योजना का उद्देश्य बाजार विकास क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान करके भारत के निर्यातों का संवर्धन करना है। इनमें ये शामिल हैं - विदेश में बिक्री-सह-अध्ययन टौरों के लिए निर्यातकों को सहायता, विदेश में मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें, बाजार अध्ययन, विदेश में सी वी डी/पाटनरोधी मामलों का प्रतिरोध करना, निर्यात प्रचार आदि।

(ग) निर्यातक संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों के माध्यम से एम डी ए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त निर्यात तथा व्यापारिक घराने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन (फिओ) के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एम.डी.ए. सहायता प्राप्त करने के लिए सामान्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(1) सहायता के लिए आवेदन कम से कम 14 दिन का स्पष्ट अग्रिम नोटिस देकर प्रस्तुत करना होता है।

(2) वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक तीन संयुक्त क्रियाकलाप तथा लैटिन अमरीकी देशों के अतिरिक्त क्रियाकलाप करने के लिए सहायता दी जाती है।

(3) निर्यातक कंपनी के एक कर्मचारी को इकोनोमी क्लास में हवाई यात्रा के लिए सहायता दी जाती है।

(4) मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने और तैयार स्टॉल किराए पर लेने के लिए भी इस योजना के तहत मदद दी जाती है।

(5) अध्ययन दौरों, मेलों में भाग लेने आदि के दौरान विदेश में उपयोग के लिए ब्रोसर्स, उत्पाद कैटेलाग आदि जैसी प्रचार सामग्री के प्रकाशन हेतु भी एम डी ए योजना के तहत आंशिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(6) बिक्री और अध्ययन दौरों तथा व्यापार शिष्टमंडलों के लिए निर्यातकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम तीन देशों का दौरा करेंगे और कम से कम वहां 6 दिन ठहरेंगे। तथापि, कुछेक परिस्थितियों में अकेले देश की यात्रा की अनुमति भी दी जाती है जहां कम से कम 4 दिन ठहरना हो।

(7) कंपनी को निर्यात और आयात नीति अथवा निर्यात और आयात से संबंधित किसी कानून के किसी भी उल्लंघन के कारण सरकार के प्रतिकूल नोटिस में नहीं आनी चाहिए।

(8) निर्यातक कंपनियों को क्रियाकलाप को पूरा करने के बाद भारत वापस लौटने के तीन माह के भीतर दस्तावेजीय प्रमाण द्वारा समर्थित विस्तृत दावे प्रस्तुत करने होते हैं।

हुडको का राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विलय

5076. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वर्ष 2000-2001 में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिये क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या हुडको का राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विलय का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि ठोस एवं व्यवस्थित विकास के लिए आवास वित्त प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी पहलें जारी हैं। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ संसाधन संग्रहण एवं अभिनियोजन, संस्था निर्माण और विनियमन शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम को हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि बंधक प्रतिभूतिकरण आरंभ करने, अनुषंगी बंधक के लिए बाजार के सृजन, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और शीघ्र वसूली की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए बैंक का मार्ग प्रशस्त हो सके। राष्ट्रीय आवास बैंक को सावधि जमाराशि एवं जमा प्रमाण-पत्र के रूप में अल्पावधि उधार राशियां जुटाने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने वर्ष 2000-2001 के लिए व्यक्तिगत हिताधिकारियों को ऋणों के लिए पुनर्वित्त के रूप में 1000 करोड़ रु. और परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋणों के रूप में 100 करोड़ रु. का बजट रखा है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने ''स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना'' नामक एक विशेष योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋणों के लिए रियायती ब्याज दरों पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है और 2000-2001 के दौरान 1,50,000 आवासीय इकाइयों के वित्तपोषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार का आवास एवं शहरी विकास निगम लि. (हुडको) का राष्ट्रीय आवास बैंक में विलय करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर कर्मचारियों को देना

5077. **श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर उनके कर्मचारियों को देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकारी कम्पनियों से लाभ-अर्जित करने की उम्मीद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। विनिवेशाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए सरकार एक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना तैयार कर रही है।

(ग) और (घ) स्टॉक विकल्प योजना के अन्तर्गत कम्पनी के कर्मचारियों को शेयरों की पेशकश का कम्पनी के वित्तीय निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि यह कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने तथा विनिवेशित किए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उन्हें हिस्सा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक है।

[अनुवाद]

बर्न स्टैन्डर्ड की अपतटीय परियोजना

5078. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड की अपतटीय परियोजना को पुनः आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। **बर्न स्टैंडर्ड** कम्पनी लि. (बीएससीएल) के बीआईएफआर द्वारा संस्वीकृत पुनरुद्धार स्कीम में नंदीग्राम स्थित कम्पनी के तटवर्ती परियोजना जेल्लिंघम फैब्रिकेशन यार्ड के पुनरुद्धार का प्रावधान नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने छटनी संबंधी क्षतिपूर्ति के बजाए यूनिट के कर्मचारियों को सद्भाव की इच्छा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) का लाभ दिया है।

[हिन्दी]

आजमगढ़ और मऊ, उत्तर प्रदेश में एफ.एम. स्टेशन

5079. डा. बलिराम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ में एफ.एम. रेडियो स्टेशन खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और मऊ को आकाशवाणी की मीडियम वेव सेवा के रेडियो संकेतों द्वारा पूर्णतया कवर किया जाता है। संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए एफ.एम. रेडियो सेवा का विस्तार चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ताज देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा हेतु विशेष अभियान

5080. श्री अनन्त नायक :
श्री आर.एल. भाटिया :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिनांक 28 मई, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में आगरा में दलालों द्वारा विदेशी पर्यटकों को ठगे जाने संबंधी प्रकाशित समाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ताज देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कोई विशेष अभियान शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। ताजमहल सहित पर्यटक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों को ठगने की घटना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कानून एवं व्यवस्था संबंधी विषय हैं। तथापि, पर्यटकों के मन में विश्वास

बैठाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग रिपोर्ट किए गए मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से उठाता है।

(ग) से (ङ) विदेशी पर्यटकों के लिए भारत को एक बाधा मुक्त गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धित करने के उद्देश्य से, पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटक पुलिस बल स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को लिखा है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश राज्यों ने पहले ही ऐसी पर्यटक पुलिस स्थापित कर ली है।

नेशनल सेन्टर आफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपुल

5081. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय से संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी संगठनों और सरकारी उपक्रमों की संख्या और इनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या ''नेशनल सेन्टर आफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपुल'' ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और सेन्टर द्वारा 1999-2000 के दौरान कितनी फीचर फिल्मों, धारावाहिकों का निर्माण किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों स्वायत्तशासी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या तथा नाम संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र जिसे अब बालचित्र समिति, भारत (सी.एफ.एस.आई.) कहा जाता है, का उद्देश्य बच्चों के लिए फीचर/लघु फिल्मों के निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन की व्यवस्था करना और इसके द्वारा उन्हें स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराना है। तद्नुसार बालचित्र समिति, भारत की गतिविधियों में, फिल्म निर्माण और इससे जुड़े क्षेत्र निर्माण और फिल्मों के अधिग्रहण से लेकर इनके प्रदर्शन, कार्यशालाएं और समारोह सभी कार्य शामिल हैं। बच्चों एवं युवाओं के लिए सम्पूर्ण लम्बाई की फीचर फिल्में, लघु फीचर फिल्में, टीवी धारावाहिक, लघु वृत्तचित्र और एनीमेशन तथा पेपर फिल्मों का निर्माण भी इसकी मुख्य गतिविधियां हैं। समिति पूरे देश में प्रदर्शन के उद्देश्य से अपनी फिल्मों और उसके द्वारा प्राप्त की गई विदेशी फिल्मों को सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में डब भी करती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए फिल्मों का प्रदर्शन (1) विभिन्न शहरों तथा कस्बों के सिनेमागृहों में नाममात्र की दरों पर फिल्मों का प्रदर्शन, जिसके लिए बाल चित्र समिति, भारत ने ''बालचित्रवार'' संकल्पना बच्चों के लिए सप्ताह में एक शो शुरू की है; (2) राज्य/जिला प्राधिकारियों के सहयोग से पूरे देश में शो; (3) दूरदर्शन और निजी चैनलों के माध्यम से फिल्मों का प्रसारण; (4) बच्चों के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन; और (5) विद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक केन्द्रों, क्लब आदि को वीडियो फिल्मों के खजाने का पिटारा प्रदान करने की वीडियो परियोजना शुरू करना, के माध्यम से किया जाता है।

सम्पूर्ण देश में बाल फिल्मों के अधिकतम प्रदर्शन के लिए बाल चित्र समिति, भारत द्वारा निर्मित फिल्मों के लिए दूरदर्शन के क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों पर निश्चित टाइम स्लॉट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, बाल चित्र समिति भारत की फिल्मों के नियमित साप्ताहिक प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सिनेमागृहों को किराए पर लिया जा रहा है।

1999-2000 के दौरान, बालचित्र समिति, भारत ने 6 फीचर/लघु फिल्मों का निर्माण किया और आठ अन्य फिल्में निर्माण के विभिन्न स्तर पर हैं।

विवरण

1. अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

अधीनस्थ कार्यालयों की कुल संख्या-9

क्र.सं.	कार्यालय का नाम
1.	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
2.	फिल्म समारोह निदेशालय
3.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
4.	फिल्म प्रभाग
5.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार
6.	फोटो प्रभाग
7.	गीत एवं नाटक प्रभाग
8.	गवेषणा, संदर्भ तथा प्रशिक्षण प्रभाग
9.	फिल्म प्रमाणन अपीलीय अभिकरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम

2. *स्वायत्तशासी संगठनों की सूची*
स्वायत्तशासी संगठनों की कुल संख्या-6
1. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
2. भारतीय प्रेस परिषद
3. बालचित्र समिति, भारत
4. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान, पुणे
5. भारतीय जन संचार संस्थान
6. सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता

3. *सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची*
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या-2
1. राष्ट्रीय फिल्म विकास विभाग
2. ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, इंडिया लिमिटेड

निजी वाणिज्यिक बैंक

5082. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी वाणिज्यिक बैंक खोलने के लिए अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और किन-किन पार्टियों को ये लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या निजी वाणिज्यिक बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु कुछ और आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी वाणिज्यिक बैंकों के प्रचालन के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों के हितों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्राहक सुविधाएं और कार्यविधि बढ़ाकर कम से कम उन्हें निजी वाणिज्यिक बैंकों के समान करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जनवरी 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश संबंधी मार्गनिर्देशों के जारी होने के परिणामस्वरूप दस बैंकों (बहु राज्य स्तरीय सहकारी बैंक का गैर-सरकारी बैंकिंग कम्पनी में परिवर्तन समेत को लाइसेंस जारी किया गया है) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों को स्थापित करने के लिए ग्यारह आवेदन लंबित हैं। ये आवेदन पत्र 1993 के मार्गनिर्देशों के आधार पर दिए गए थे। संशोधित मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों की स्थापना से संबंधित लंबित आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

(घ) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों ने परिचालन लाभ की सूचना दी है जिनमें से 26 बैंकों ने निवल लाभ की सूचना दी है। गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों समेत 32 बैंकों में से एक के अलावा सभी ने दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार लाभ की सूचना दी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ का गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन के साथ सह-संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए सतत आधार पर उपाय किए जाते हैं। ऐसे उपायों में कंप्यूटरीकरण, सात दिवसीय बैंकिंग, विभिन्न दिनों में होने वाली बाजार की छुट्टी के स्थान पर रविवार को बैंक संबंधी कार्य किया जाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ग्राहकों को और अधिक अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी अपने कारोबारी घन्टे बढ़ा दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने बढ़े हुए कारोबारी घन्टों के दौरान गैर-नकदी लेन-देन करना शुरू कर दिया है।

विवरण

गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे नए बैंकों की सूची जिन्हें लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं

बैंक का नाम	प्रवर्तक का नाम	पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति	सिद्धांततः अनुमोदन की तारीख	लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख	कारोबार की शुरूआत की तारीख
1	2	3	4	5	6
1. यूटीआई बैंक लि.	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआई)	अहमदाबाद	20.8.93	28.2.94	2.4.94

1	2	3	4	5	6
2. इंडसइंड बैंक लि.	इंडसइंड इंटरप्राइजेज एंड फाइनेंस लि., मुम्बई	पुणे	2.12.93	2.4.94	12.4.94
3. आईसीआईसीआई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (आईसीआईसीआई)	बड़ौदा	20.8.93	17.5.94	24.6.94
4. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	जयन्त माधब एसोसिएट्स	सिकन्दराबाद	18.9.93	6.9.94	10.9.94
5. एचडीएफसी बैंक लि.	हाऊसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कार्पो. लि.	मुम्बई	20.8.93	5.1.95	16.1.95
6. सेंचूरियन बैंक लि.	ट्वेन्टिएथ सेंचुरी फाइनेंस कार्पो. लि. डा. इन्द्रजीत सिंह	पणजी, गोवा	1.12.93	13.1.95	24.1.95
बैंक आफ पंजाब लि.	पंजाब एंड सिंध बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष	चंडीगढ़	16.4.94	5.4.95	7.4.95
. *टाइम्स बैंक लि.	बेनेट कोलमन एंड कंपनी लि.	फरीदाबाद	2.12.93	26.4.95	8.6.95
. **डेवलेपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	डेवलेपमेंट को-कंपनी लि.	मुम्बई	2.1.95	31.5.95	1.6.95
0. आईडीबीआई बैंक लि.	आईडीबीआई	इन्दौर	11.2.94	28.9.95	13.11.95

**बहुराज्यीय कोआपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक लि. के रूपान्तरण द्वारा।
*26 फरवरी, 2000 से एचडीएफसी के साथ विलय किया गया।

केरल में पर्यटन की संभावना

5083. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में पर्यटन की संभावना का अध्ययन करने हेतु किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके गठन की तिथि क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(च) यदि हां, तो प्रस्तुत परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या राज्य में पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन के विकास की कोई संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सहायता दी गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास हेतु विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिसमें कोथारलहोड, नेडुमुडि तथा वाट्टक्कायल में बैकवाटर साइड सुविधाएं, कोवलम समुद्रतट वागामोत पर्यटक रिजार्ट का

एकीकृत विकास, पथनामनाल में पारिस्थितिकी मैत्रीय तैरता रिजार्ट, धेक्काड़ी से मुन्नार तक सड़क सम्पर्क तथा मेलों एवं उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार को, उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 699.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(छ) और (ज) जी, हां। केरल सरकार ने फोकल पाइंट के रूप में थेन्माला के साथ तिरूवनन्तपुरम, कोल्लाम तथा पथानमथिट्टा जिलों की उच्च श्रृंखलाओं में पारिस्थितिकी-पर्यटन के संवर्धन हेतु, थेन्माला पारिस्थिकी पर्यटन परियोजनाओं को हाथ में लिया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन के संवर्धन हेतु 138.09 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई।

राज्य निगमों को निर्यात/व्यापार केन्द्र का दर्जा

5084. **श्री सवशीभाई मकवाना : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य निगमों को निर्यात/व्यापार केन्द्रों का दर्जा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निगमों को उक्त दर्जा प्रदान किए जाने के बाद कितने प्रतिशत निर्यात वृद्धि हुई है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) मौजूदा एक्जिम नीति के पैरा 12.8 के अनुसार, निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा नामित किए गए एक राज्य निगम को निर्यात घराने के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है, भले ही इसके द्वारा इस प्रकार की मान्यता प्रदान करने के मापदंड को पूरा नहीं किया गया हो। यह लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अनुसार उपलब्ध होते हैं जिन्हें समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर, ऐसे निर्यात घरानों के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

राज्य	निगम का नाम
1	2
बिहार	बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि., बिहार
नगालैंड	मै. नगालैंड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि., नगालैंड
उड़ीसा	उड़ीसा स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि., उड़ीसा
केरल	मै. केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लि., केरल
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि., हैदराबाद
असम	दि असम इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि.
पंजाब	दि पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि.

(ग) इन नामित निर्यात घरानों को उसी स्तर के प्रोत्साहन दिए जाते हैं जो स्तर नियमित निर्यात घरानों, जिन्हें अपने-अपने निर्यात निष्पादन के आधार पर यह दर्जा दिया जाता है, पर लागू होता है।

(घ) ये निगम निर्यात सुविधादाता एवं संवर्धक के रूप में कार्य करते हैं और इसीलिए उनके खुद के निर्यात या उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा, यदि कोई हो, की निगरानी डी.जी.एफ.टी. द्वारा नहीं की जाती है।

भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठक

5085. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न भारतीय मिशनों में कार्यरत वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए तथा प्रौद्योगिकीय-संबंधों के स्थापन में; आकर्षणकारी के रूप में उनकी भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें फिक्की के प्रतिनिधि भी शामिल थे, के साथ पेरिस में आयोजित की गई भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठक में भी भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(घ) फ्रांस भारत की कहां तक मदद करने और सहायता देने के लिए सहमत हो गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, बर्नी, ब्रुसेल्स, रोम, लंदन और बुडापेस्ट में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की एक बैठक 20 मई 2000 को लंदन में आयोजित हुई थी। वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे व्यापार संवर्धकों के रूप में अपनी परम्परागत भूमिका के अतिरिक्त, विदेशी निवेशों का संवर्धन करने और प्रौद्योगिकी सहयोग के सुविधादाता बनने पर ध्यान केन्द्रित करें। इस बैठक में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों में शामिल थे—उभर रही व्यापार प्रवृत्तियों की निरंतर गिनरानी तथा विश्लेषण करना, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध यूरोपीय संघ के देशों द्वारा व्यापार सुरक्षा उपायों का प्रयोग, व्यापार में बाधा डालने वाले गैर-टैरिफ अवरोध तथा यूरोप को होने वाले भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्य उपाय, सरकार तथा उद्योग जगत के बीच निकटतम संपर्क तथा कारगर समन्वय आदि।

भारत तथा फ्रांस के वाणिज्य मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में 23 मई 2000 को पैरिस में भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के 10वें सत्र का आयोजन किया गया था। संयुक्त समिति के उद्घाटन सत्र में प्रमुख भारतीय तथा फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, छोटे तथा मंझोले उपक्रमों, खानों, डाक तथा दूरसंचार, ऊर्जा, कृषि, अवस्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, परामर्शी सेवा आदि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय वित्तीय सहयोग के तहत परियोजनाओं से जुड़े प्रारंभिक कार्य को अन्तिम रूप देने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के पहलू पर विचार-विमर्श कर उस पर अपनी सहमति भी व्यक्त की।

समसामयिक विषयों और समाचार कार्यक्रमों हेतु संविदा

5086. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कितने बाहरी व्यक्तियों और कंपनियों को समसामयिक विषयों और समाचार कार्यक्रमों के ठेके दिए गए तथा प्रत्येक मामले की नियम और शर्तें क्या थी;

(ख) प्रत्येक बाहरी व्यक्तियों, कंपनी को प्रतिमाह वर्षवार उनके क्रियाकलापों के लिए कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) निजी व्यक्तियों/कंपनियों को ठेके दिए जाने में अलग-अलग क्या चयन प्रक्रिया अपनायी गयी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती

5087. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने के सम्बन्ध में कार्य दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक फैसला लेने का सरकार का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) में मानवशक्ति आयोजना पर कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को साधारणतः हटाने की सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) कार्यकारी दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

रूस के साथ हीरों का व्यापार

5088. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हीरों के व्यापार संवर्द्धन हेतु भारत और रूस के बीच जनवरी, 2000 में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों के व्यापार के संवर्द्धन हेतु अन्य विभिन्न देशों के साथ हुई बैठक और किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के साथ हुए हीरों के व्यापार और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जनवरी, 2000 में आयोजित व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूसी कार्यदल के 6वें सत्र के दौरान दोनों पक्षों ने हीरों के क्षेत्र में और अधिक सहयोग हेतु दोनों देशों के बीच विद्यमान संभावना को स्वीकार किया और वे रूसी परिसंघ जो कि हीरों का प्रमुख उत्पादक है तथा भारत, जो कि हीरों का सबसे बड़ा प्रसंस्कर्ता है, के बीच सहक्रिया का लाभ उठाने हेतु आगे और आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों के व्यापार को बढ़ाने के बारे में किसी अन्य देश के साथ न तो कोई बैठक हुई है और न ही कोई करार हुआ है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तराशे गए एवं पालिश किए गए हीरों का प्रमुख बाजारों को किए गए निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनंतिम)
अमरीका	1641.31	1900.18	2440.28
हांगकांग	1099.96	1219.69	1803.37
बेल्जियम	776.54	872.59	915.98
जापान	314.78	345.82	452.76
इजराइल	206.69	242.28	368.65
थाइलैंड	88.11	95.80	161.89
स्विटजरलैंड	72.51	97.53	110.18
यू.ए.ई.	51.99	64.21	134.87
सिंगापुर	64.03	40.50	98.30
जर्मनी	32.81	37.80	42.93
यू.के.	21.99	34.89	37.50
आस्ट्रेलिया	15.79	20.22	24.77
अन्य	106.15	54.69	56.34
निवल निर्यात	4492.66	5026.11	6647.82

स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्

मैसूर लैम्पस लिमिटेड का पुनरुद्धार

5089. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को राज्य के स्वामित्व वाली मैसूर लैम्पस लिमिटेड के पुनरुद्धार हेतु संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए और अधिक समय दिए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो बीआईएफआर की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस इकाई के पुनरुद्धार और इसमें कार्यरत 1600 कर्मचारियों के हितों के संरक्षण हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाईफर) ने सूचित किया है कि कर्नाटक राज्य की सरकार ने मैसर्स मैसूर लैम्पस वर्क्स लि. के पुनरुज्जीवन में विशेष रुचि रखने वाले प्रवर्तकों की पहचान किए बिना ही दिनांक 18.7.2000 को आयोजित सुनवाई में चार सप्ताह का समय मांगा था। राज्य सरकार को और समय देने में बाईफर को कोई औचित्य नजर नहीं आया। बोर्ड का मत था कि मैसर्स मैसूर लैम्पस वर्क्स लि. के भविष्य में अर्थक्षम हो पाने की संभावना नहीं है और इसलिए इसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के अन्तर्गत परिसमाप्त कर दिया जाना चाहिए। कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु बाईफर द्वारा बोर्ड के विचार सम्बन्धित उच्च न्यायालय को भेज दिए गए थे।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों द्वारा उद्योग लगाया जाना

5090. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री आर.एल. भाटिया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में कृषि आधारित उद्योगों सहित अन्य उद्योग लगाने के लिए विदेशी कम्पनियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को अभी तक मंजूरी दी जा चुकी है;

(ग) इन प्रस्तावों में से कितने संयुक्त उद्यम के लिए हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप राज्यवार कितना निवेश किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश में ऐसे उद्योगों के लगाने के संभावित परिणामों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) सरकार द्वारा जनवरी, 1997 और जून, 2000 के दौरान सभी क्षेत्रों में (कृषि-आधारित उद्योगों सहित) 7440 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों (संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रस्तावों सहित) को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनमें 128,711.45 करोड़ रुपये का निवेश समाहित है। इनमें से, 130 प्रस्ताव चीनी/वनस्पति तेलों तथा वनस्पति/बागवानी/कृषि/पुष्प-खेती के क्षेत्रों में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें 1379.29 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समाहित है। राज्य-वार अनुमोदन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनवरी, 1997 से जून, 2000 के दौरान विदेशी-सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्य-वार विवरण

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रुपये करोड़ में)	प्रतिशत योग
	योग	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	343	63	280	6958.40	5.41
असम	7	7	0	0.00	0.00
बिहार	47	27	20	720.93	0.56
गुजरात	343	157	186	7615.89	5.92
हरियाणा	279	122	157	1807.20	1.40
हिमाचल प्रदेश	17	4	13	30.98	0.02
जम्मू और कश्मीर	4	3	1	0.40	0.00
कर्नाटक	676	130	546	11681.91	9.08
केरल	81	18	63	303.71	0.24
मध्य प्रदेश	85	25	60	7653.67	5.95
महाराष्ट्र	1440	423	1017	20744.29	16.12
मणिपुर	1	0	1	3.19	0.00
मेघालय	3	0	3	50.46	0.04
नागालैंड	1	0	1	3.68	0.00

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	57	21	36	5249.55	4.08
पंजाब	63	14	49	696.36	0.54
राजस्थान	94	30	64	1923.24	1.49
तमिलनाडु	831	216	615	11413.96	8.87
त्रिपुरा	1	1	0	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	297	90	207	1574.30	1.22
पश्चिम बंगाल	228	86	142	2708.02	2.10
अंडमान और निकोबार	3	0	3	12.80	0.01
चन्डीगढ़	14	1	13	69.12	0.05
दादर और नगर हवेली	20	13	7	54.11	0.00
दिल्ली	705	84	621	13875.65	10.78
गोवा	69	18	51	221.87	0.17
पांडिचेरी	36	14	22	141.83	0.11
दमन और दीव	20	5	15	38.98	0.03
राज्य बताया नहीं गया है	1675	369	1306	33156.95	25.76
जोड़	7440	1941	5499	128711.45	–

[अनुवाद]

कृत्रिम और सिन्थेटिक पत्थर का विकास

5091. **श्री पी.डी. एलानगोवन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कृत्रिम हीरे और सिन्थेटिक पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई नयी परियोजना या छूट देने संबंधी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृत्रिम और सिन्थेटिक पत्थर उद्योग के विकास हेतु और अधिक धनराशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस उद्योग द्वारा कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया;

(ङ) क्या विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी इसकी क्षमता से कहीं कम है; और

(च) यदि हां, तो भारत से कृत्रिम हीरों और सिन्थेटिक पत्थरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता और मूल्य की दृष्टि से इनका निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) किसी नए परियोजना-प्रस्ताव की जांच व्यापार की अपेक्षाओं, वृद्धि की क्षमता और समूचे विश्वभर में प्रचलित आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर की जाती है। तथापि, सिन्थेटिक पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से संबद्ध राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे सिन्थेटिक रत्न पत्थरों की बिक्री पर से बिक्री करों और दूसरे करों जैसे कि चुंगी इत्यादि से छूट देने पर विचार करें जैसा कि

तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में किया गया है। कृत्रिम/सिन्थेटिक पत्थर उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं:- (1) निर्यातोन्मुख एककों (ईओयू)/निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजैड) में स्थित एककों को रियायती दर पर.शुल्क का भुगतान करने पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात मूल्य का 10% बेचने की अनुमति देना, (2) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए 5% सीमाशुल्क के भुगतान पर अनुमति दी गई है बशर्ते कि एफओबी आधार पर पूंजीगत माल के 5 गुणा सीआईएफ मूल्य के बराबर अथवा निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आधार पर पूंजीगत माल के 5 गुणा सीआईएफ मूल्य के बराबर अथवा निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आधार पर पूंजीगत माल के 4 गुणा सीआईएफ मूल्य के बराबर निर्यात दायित्व पूरा किया जाए जिसे लाइसेंस जारी करने की तारीख से 8 वर्षों की एक निश्चित अवधि में पूरा करना होगा, (3) विदेशी राष्ट्रिक यात्रियों द्वारा रत्न एवं आभूषण के निर्यात पार्सलों को निजी रूप से ले जाने की अनुमति और किसी भारतीय आयातक/विदेशी राष्ट्रिक द्वारा रत्न एवं आभूषण के आयात पार्सलों को निजी रूप से ले जाने की अनुमति देना, (4) 20 लाख रुपए प्रति खेप मूल्य तक चुनिंदा पत्तनों से कूरियर द्वारा रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात के लिए स्वीकृति देना। 1 अप्रैल, 2000 से स्पीड पोस्ट के जरिए भी निर्यातों की अनुमति दी गई है, (5) रत्न एवं आभूषण उद्योग द्वारा अपेक्षित खपत योग्य वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देना, जो पूर्ववर्ती वर्ष में रत्न एवं आभूषण के निर्यात के एफओबी मूल्य का 1 प्रतिशत तक हो सकता है, और (6) सिन्थेटिक रत्न पत्थर से जड़ित मंगलसूत्र के लिए साधारण आभूषण के बराबर एक अपेक्षाकृत कम मूल्यवर्द्धन मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

भारत सरकार ने अनन्य रूप से कृत्रिम और सिन्थेटिक पत्थर उद्योग के विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई निधियां आबंटित नहीं की हैं। तथापि, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई को देश के अंदर और बाहर प्रदर्शनियों के आयोजन, व्यापार शिष्टमंडलों को भेजने, विज्ञापन/प्रचार अभियान इत्यादि जैसे संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों के लिए और दिल्ली, मुम्बई एवं जयपुर स्थित आभूषण उत्पाद संवर्द्धन केन्द्रों (जेपीडीसी) तथा भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई), सूरत जैसे प्रशिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए भी सहायता अनुदान दिया जाता है। वाणिज्य विभाग भी आईडीआई, सूरत को प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए सीधे ही सहायता अनुदान देता है। हाल में सरकार ने आईडीआई, सूरत के सुविकसित आभूषण प्रशिक्षण केन्द्र की 4.8 करोड़ रुपए की परियोजना लागत में 50% भागीदारी के लिए भी सिद्धांत तौर पर स्वीकृति दी है बशर्ते कि शेष लागत और परियोजना लागत में वृद्धि की राशि गुजरात सरकार द्वारा वहन की जाये। गत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य विभाग द्वारा जीजेईपीसी और आईडीआई को दिए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मूल्य लाख रुपए में)

वर्ष	वाणिज्य विभाग द्वारा जीजेईपीसी को दिया गया अनुदान	वाणिज्य विभाग द्वारा आईडीआई को दिया गया अनुदान
1997-98	100.00	50.28
1998-99	100.00	34.36
1999-2000	120.00	6.46

गत तीन वर्षों के दौरान कृत्रिम हीरा या सिन्थेटिक पत्थर उद्योग में किसी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का प्रवाह नहीं हुआ है। जेजीईपीसी द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी के अनुसार, कटे एवं तराशे कृत्रिम हीरे/सिन्थेटिक पत्थरों की वैश्विक मांग लगभग 400 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। तथापि, विश्व बाजार में भारत का हिस्सा काफी कम है। गत तीन वर्षों के दौरान कटे एवं तराशे कृत्रिम हीरे/सिन्थेटिक पत्थरों के निर्यात मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
1997-98	2.34
1998-99	2.41
1999-2000	2.62

स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी), मुम्बई।

[हिन्दी]

औषधीय उत्पादों को पेटेन्ट

5092. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अप्रैल, 2000 से आज की तिथि तक कितने औषधीय उत्पादों को पेटेन्ट किया गया;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबॉयोटिक और टारेन्ट फार्मास्यूटिकल्स ने अपने उत्पादों को पेटेन्ट करा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के तहत केवल 'प्रोसेस' पेटेंटों को ही औषध-भेषज (फार्मास्यूटिकल्स) के क्षेत्र में अविष्कार की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार औषध-भेषजों के क्षेत्र में अविष्कारों के वास्ते स्वयं उत्पादों के लिए पेटेंट नहीं किए जा सकते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आवास स्थानांतरण संबंधी नियम के अन्तर्गत छूट

5093. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने गोवा में नियुक्त सीमा शुल्क विभाग के एक अधीक्षक और एक "प्रिवेन्टिव अधिकारी" के विरुद्ध मामला दर्ज किया है जिसमें उन्होंने एक सीमा शुल्क एजेंट और पांच अन्य के साथ मिलकर आवास स्थानान्तरण संबंधी नियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के बहाने एयर कंडीशनरों की तस्करी का षडयंत्र रचा, जिससे 7.89 लाख रुपये का नुकसान हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के सारे तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) 21.4.99 को गोवा पुलिस द्वारा 86 एयर कंडीशनरों की जब्ती के परिणामस्वरूप जांच-पड़ताल की गई जिससे पता चला कि गोवा सीमा शुल्क गृह में तैनात एक अधीक्षक एवं एक निवारक अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना ही आवास स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम के तहत उक्त एयर कंडीशनरों की निकासी की गई थी। इन एयर कंडीशनरों को एक यात्री द्वारा मस्कट से कन्टेनर में लाया गया था। जांच-पड़तालों के पश्चात् सी.बी.आई. द्वारा अलग से मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हैं।

मनोरंजन उद्योग को सुविधाएं

5094. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की तर्ज पर मनोरंजन उद्योग को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो मनोरंजन क्षेत्र के लिए इस समय क्या-क्या रियायतें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मनोरंजन उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने के लिए गत वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव और मांग की गई मुख्य रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वित्त मंत्रालय द्वारा कितनी रियायतें स्वीकृत की गयी;

(च) क्या इन प्रोत्साहनों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (छ) इस मंत्रालय का मत है कि विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में मनोरंजन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने और देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र अर्थात फिल्म, टेलीविजन एवं संगीत क्षेत्रों को सरकारी लाभों तथा प्रोत्साहनों के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समान माना जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और वर्ष 2000-2001 के लिए बजट में मनोरंजन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं:-

1. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एच.एच.एफ. का लाभ जो कि केवल मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यात में लगी कम्पनियों तक सीमित था, उसे मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यात में लगे व्यक्तियों/स्वामियों को भी प्रदान किया गया है।

2. चलचित्र कैमरों तथा अन्य संबंधित उपस्करों पर आधारभूत सीमा-शुल्क को 40% से घटाकर 25% कर दिया गया है।

3. जम्बो रोलों में रंगीन पोजीटिव फिल्मों तथा कुछ आकारों के रोलों में रंगीन नेगेटिव फिल्मों पर आधारभूत सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन मदों पर समान शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है।

4. आय कर अधिनियम की धारा 285-ख के अन्तर्गत फिल्म निर्माताओं द्वारा विवरण प्रस्तुत करने संबंधी सीमा को 1.4.2000 से 25,000/- रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दिया गया है।

यह परिकल्पना की गई है कि मनोरंजन क्षेत्र को ये लाभ प्रदान करने से भारतीय मनोरंजन उत्पादों के प्रति विदेशों में बढ़ती रुचि के संदर्भ में इस क्षेत्र के तीव्र एवं स्वस्थ विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनेगा।

बैंकों के पब्लिक इश्यू

5095. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 1997-98 और 1998-99 में पब्लिक इश्यू एकत्र करने का हिस्सा 67% था जो 1999-2000 के दौरान घटकर 31% रह गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान पब्लिक इश्यू से कुल कितना संग्रह हुआ और उसमें से गत तीन वर्षों में तुलनात्मक रूप से सरकारी क्षेत्र और निजी बैंकों द्वारा कितना-कितना संग्रह किया गया; और

(ग) निजी बैंकों के पक्ष में हो रहे झुकाव के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर वापसी के मामले

5096. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995 से देश भर में आयकर वापसी के बहुत से मामलों को अभी तक नहीं सुलझाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय इनकी संख्या कितनी है;

(ग) अब तक उनमें से कितने मामलों का समाधान किया जा चुका है; और

(घ) शेष मामलों का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (घ) वापसी दावों के शीघ्र और तत्काल निपटान के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। सरकार आयकर वापसियों को जारी करने में विलंब को समाप्त करने के संबंध में कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर मुख्य आयकर आयुक्तों पर लगातार दबाव डालती रही है। तथापि, ऐसे कर-निर्धारण अधिकारी जो वापसी के दावों को हाथ से तैयार करते हैं, को विभिन्न कारकों, अर्थात् कार्यभार, उपलब्ध जनशक्ति, भुगतान चालान आदि की जांच में लगा समय पर निर्भर रहते हुए वापसी दावों को तैयार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। इन कारणों से विवरणी को दायर करने की तारीख एवं वापसी को जारी करने की तारीख में अन्तराल हो जाता है। विवरण में त्रुटि के कारण वापसी के कुछ मामलों में विलंब हो जाता है जिसकी वजह से वापसी तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कर-निर्धारित द्वारा त्रुटि ठीक नहीं कर दी जाती। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के बारे में लंबित, निपटाई गई और बकाया पड़ी वापसियों के दावों के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	वापसी दावों की अर्थशेष संख्या	निपटाए गए दावों की संख्या	बकाया दावे
1995-96	201,108	162,530	38,578
1996-97	211,716	157,065	54,651
1997-98	259,100	182,484	76,616
1998-99	248,170	147,672	100,498
1999-2000	516,095	357,703	158,392

सरकारी वित्तीय संस्थाओं के मनोनीत निदेशक

5097. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं में कितने निदेशक मनोनीत किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक नामनिर्देशित निदेशक को कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ग) ऐसे कितने मनोनीत निदेशक चूककर्ता हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन चूककर्ताओं से ऋण की वसूली हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नामित किए हैं।

(ख) और (ग) बैंकों में प्रचलित प्रथा एवं रीति-रिवाजों के अनुसार तथा वित्तीय संस्थाओं को संचालित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुरूप और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुसार वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों से सम्बन्धित जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती।

(घ) वित्तीय संस्थाओं ने अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों कार्य-योजनाएं बनाई हैं, ताकि चूक सम्बन्धी समस्या को सुलझाया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर श्वेत-पत्र

5098. श्री रामदास आठवले :
श्री अधीर चौधरी :
श्री के. येरननायडू :
श्री नारायणदत्त तिवारी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अग्रणी एसोसिएशनों की ओर से सरकारी क्षेत्र से विनिवेश के संबंध में श्वेत-पत्र जारी करने और अपनी नीति और उसके परिणामों का खुलासा करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार से यह आग्रह किया है कि श्वेत-पत्र जारी होने और इस पर चर्चा हो जाने तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश रोक दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ कर्मचारी संघों ने विनिवेश नीति को स्पष्ट करते हुए सरकारी क्षेत्र के संबंध में एक श्वेत-पत्र जारी करने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं।

(ग) विनिवेश के संबंध में सरकार की नीति का वर्णन अत्यधिक सुस्पष्ट है। सभी विनिवेश इस नीति के अनुसार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य विनिवेश नीति से संबंधित सभी सम्बद्ध मुद्दों तथा कम्पनी विशेष से संबंधित विनिवेश प्रस्तावों पर संसद में विस्तार से बहस की जाती है जहां ऐसे मुद्दों पर सरकार के आधार को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत विनिवेश नीति पर कोई श्वेत-पत्र जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

''भारत यात्रा वर्ष'' समारोह

5099. कुमारी भावना पुण्डलिकराव गवली : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''भारत-यात्रा वर्ष'' मनाने के लिए प्रोत्साहनकारी वृत्तचित्र तैयार कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनेक देशों से वर्ष 2000-2001 में भारत पर्यटन पर आने वाले पर्यटकों के लिए इन वृत्तचित्रों का प्रदर्शन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) जी, हां।

भारत यात्रा वर्ष के दौरान निम्नलिखित संवर्धनात्मक फिल्में तैयार की गई हैं:-

1. एन एडवेंचर काल्ड इंडिया
2. भारत
3. हिमालयन एडवेंचर
4. भारतीय पर्वतीय रेल यात्राएं
5. भारतीय उत्सव
6. ट्रेकिंग ट्रायल्स ऑफ इंडिया।

उपर्युक्त फिल्में, संवर्धनात्मक प्रदर्शन करने के उद्देश्य से यात्रा व्यवसाय उद्योग और देश और विदेश में भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों में वितरित की गई है।

[अनुवाद]

खाद्य तथा चीनी पर राजसहायता के लिए बजटीय आवंटन

5100. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान खाद्य और चीनी पर राजसहायता हेतु बजटीय आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेषकर खाद्यान्नों की ढुलाई की लागत में वृद्धि के कारण उक्त आवंटन अपर्याप्त साबित हुआ है;

(ग) क्या सरकार अगले वर्ष के लिए राज-सहायता अनुदान में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) चालू वर्ष के दौरान खाद्य और शर्करा संबंधी राजसहायता के बजटीय आबंटन निम्न प्रकार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

खाद्यान्न	–	8100
शर्करा	–	110

(ख) से (घ) खाद्यान्नों की वसूली और उठान के स्तर को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान तैयार होने के बाद ही चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के लिए खाद्यान्न राजसहायता की वास्तविक आवश्यकता का पता चलेगा।

गेहूं की खरीद के लिये लक्ष्य

5101. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान मौसम में गेहूं की खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछले वर्ष के मुकाबले चालू मौसम के दौरान कुछ राज्यों से अधिक गेहूं खरीदने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और देश के विभिन्न भागों में भारतीय खाद्य निगम की वर्तमान भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) चूंकि वसूली प्रचालन स्वैच्छिक स्वरूप के होते हैं और किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपना उत्पाद राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम अथवा खुले बाजार, जहां भी उनके लिए लाभकारी हों, में बेच सकते हैं इसलिए गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। तथापि, गेहूं के अनुमानित उत्पादन और उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक विपणन मौसम आरम्भ होने से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा वसूली अनुमान दिए जाते हैं।

वर्तमान रबी विपणन मौसम 2000-01 के दौरान गेहूं की समूची वसूली 162 लाख टन होने का अनुमान है।

(घ) मई, 2000 की स्थिति के अनुसार 2000-2001 का भारतीय खाद्य निगम का भण्डारण कार्यक्रम बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम गोदाम निर्माण कार्यक्रम 2000-2001 मई, 2000 की स्थिति के अनुसार

(क्षमता टन में)

क्र. सं.	केन्द्र/क्षमता/क्षेत्र	क्षमता/स्वीकृत/प्रगति में	2000-2001 के दौरान प्राप्त करने के लिए लक्षित क्षमता	स्थिति
1	2	3	4	5
उत्तरी जोन				
1.	सिमिली/5000/उ.प्र.	5000	5000	नींव का कार्य प्रगति है।

1	2	3	4	5
2.	करगिल/2500 ज. एवं क.- एजेंसी ज. एवं क. लोक निर्माण विभाग	2500	2500	जम्मू और कश्मीर लोक निर्माण विभाग को अक्तूबर, 1999 के आरम्भिक जमा अदा की गई। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक से इस परियोजना की अद्यतन स्थिति सूचित करने के लिए कहा गया है।
दक्षिण जोन				
1.	पय्यानूर/ 30,000/केरल (रेलफेड)	30,000	25,000	स्थल विकास कार्य पूर्ण। नींव का कार्य प्रगति पर। शेष 5000 टन के गोदामों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
2.	हसन/10,000/ कर्नाटक	10,000	5000	1999-2000 के दौरान 5000 टन क्षमता का गोदाम पूर्ण। 5000 टन की अन्य यूनिटों में छत का कार्य प्रगति पर है।
3.	बेलगाम/2000/ कर्नाटक	20000	10000	26.5.2000 को ठेके को अंतिम रूप दिया गया। कार्य सौंप दिया गया है।
4.	रायचूर/15000/ कर्नाटक	15000	10000	आंचलिक कार्यालय (दक्षिण) में निविदाएं खोली जा चुकी हैं और इनकी संवीक्षा की जा रही हैं।
	पूर्वी जोन			
1.	पारलेक मुन्डी/ 10000/उड़ीसा	10000	6660	1999-2000 के दौरान 5000 टन क्षमता के गोदाम की एक यूनिट में से 3340 टन क्षमता पूर्ण हो गई। 5000 टन क्षमता की अन्य यूनिट में सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है।
उत्तर-पूर्वी जोन				
1.	लांगतलाई/ 3340/मिजोरम/ एजेंसी एन.बी.सी.	3340	3340	एन.बी.सी.सी. ने काफी समय पहले निर्माण कार्य रोक दिया है। कई अनुरोधों के बावजूद एजेंट ने निर्माण कार्य पुन: प्रारंभ नहीं किया। राज्य सरकार को ''जहां है जैसा है'' आधार पर गोदाम की पेशकश की गई थी। राज्य सरकार ने शर्तों और निबन्धनों की सूचना मांगी थी जिन्हें मुख्यालय के एस. एंड सी. प्रभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।
2.	अगरतला/ 5000/त्रिपुरा/ एजेंसी-केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	5000	5000	सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है।
3.	जोवई/3750/ मेघालय-एजेंसी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	3750	3750	फिनिशिंग कार्य पूर्ण होने वाला है। सहायक कार्य प्रगति पर है।
।	जीरीबाम/2500/ मणिपुर-एजेंसी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	2500	76250	आहाते की दीवार का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निविदाएं प्राप्त हो गई हैं। गोदामों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।

स्टॉक दलालों के विरुद्ध शिकायतें

5102. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन स्टॉक दलालों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है जो 15 दिन से अधिक समय से पूल एकाउन्ट से निवेशकों को शेयर हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "सेबी" ने उन स्टॉक दलालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो ऐसे कदाचारों/गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन स्टॉक दलालों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे प्रत्येक स्टॉक दलालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार/"सेबी" द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों/स्टॉक दलालों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सेबी ने सूचित किया है कि उन्हें शेयर दलालों के विरुद्ध कोई सुस्पष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिन्होंने 15 दिनों से अधिक समय से संग्रहण (पूल) लेखे से निवेशकों के शेयरों का अंतरण नहीं किया है। तथापि, शेयरों का अंतरण/अभौतिकीकरण में विलम्ब से संबंधित किसी सामान्य मुद्दे का निवारण सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी ने यह भी कहा है कि निक्षेपागार प्रणाली के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लेन-देनों के निर्विघ्न एवं कार्यकुशल निपटान को सुकर बनाने के लिए दलालों द्वारा समाशोधन सदस्य, पूल खाते, जो ट्रांजिट प्रकृति के खाते होते हैं, खोलना अपेक्षित होता है।

कुछ निवेशक निवेशकों ने निक्षेपागार भागीदारों से दलालों के निक्षेपागार भागीदारों के पास तथा विलोमत: आदेशों के लेन-देन प्रवाह में विलम्ब से बचने के लिए समाशोधन सदस्य पूल खाते में जमाशेष रखना पसंद करते हैं। निक्षेपागारों के पास पूल खातों से प्रतिभूतियों की जमा एवं निकासी के संचलनों की यथेस्ट प्रणालियां, सुरक्षोपाय तथा लेखापरीक्षा पथ हैं।

(च) सेबी ने सूचित किया है कि स्टाक एक्सचेंजों/शेयर दलालों के कार्यकरण को सरल तथा कारगर बनाने एवं पूंजी बाजार में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे निरंतर अनेक उपाय करते रहे हैं। सेबी ने विभिन्न मुद्दों तथा मार्जिन, निक्षेपागार प्रणाली की सुरक्षा, प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण आदि की जांच के लिए समितियां गठित की हैं। इन समितियों में सेबी के अधिकारियों के अतिरिक्त स्टाक एक्सचेंजों के प्रतिनिधि, पूंजी बाजार विशेषज्ञ तथा अन्य बाजार बिचौलिए शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं को सुदृढ़, सरल तथा कारगर बनाने तथा बाजार भागीदारों के कार्यकरण के लिए सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने समितियों के विचार-विमर्श/अनुशंसाओं के आधार पर कई कदम उठाए हैं।

करों से अर्जित राजस्व

5103. श्री जी.जे. जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लघु बचतों और अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्रोतों से कितना कर वसूल किया गया; और

(ग) प्रत्येक राज्य को पृथकत: वापस की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर और निगम कर से केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किए गए राज्य के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। यद्यपि 1997-98 और 1998-99 से संबंधित सूचना राज्य-वार दी गई है फिर भी 1999-2000 से संबंधित सूचना मुख्य-आयुक्तालय-वार दी गई है। इस अवधि के दौरान राज्य-वार उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क से वसूल किया गया राजस्व विवरण-II में दिया गया है। केन्द्रीय सरकार लघु बचत योजनाओं के माध्यम से कोई राजस्व अर्जित नहीं कर रही है। बिक्री कर केन्द्रीय सरकार द्वारा न तो लगाया जाता है और न ही वसूल किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों को जारी की गई धनराशियों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

निगमित कर और आयकर से राजस्व वसूली

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98		1998-99	
		नि. कर	आयकर	नि. कर.	आयकर
1	2	3	4	5	6
I. राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	515.78	677.99	568.43	783.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	4.08	0.00	3.32
3.	असम	111.90	115.71	105.68	148.99
4.	बिहार	26.43	319.30	28.13	330.04
5.	गोवा	65.71	84.77	67.39	89.65
6.	गुजरात	672.88	1175.06	632.75	1336.87
7.	हरियाणा	61.92	242.07	69.99	297.39
8.	हिमाचल प्रदेश	10.99	62.88	13.94	68.83
9.	जम्मू कश्मीर	17.75	36.17	33.32	44.36
10.	कर्नाटक	675.67	1094.93	637.70	1229.78
11.	केरल	251.45	400.22	276.58	420.70
12.	मध्य प्रदेश	757.22	396.20	815.39	476.02
13.	महाराष्ट्र	8461.84	5262.34	11902.06	6077.27
14.	मणिपुर	0.00	5.68	0.10	5.63
15.	मेघालय	4.26	12.47	2.31	12.67
16.	मिजोरम	0.00	0.90	0.00	1.33
17.	नागालैंड	0.04	4.24	0.03	6.27
18.	नई दिल्ली	4397.10	2454.34	4734.94	3344.57
19.	उड़ीसा	383.94	137.18	332.74	155.59
20.	पंजाब	134.75	435.05	186.57	462.57
21.	राजस्थान	152.33	363.21	199.31	444.92
22.	सिक्किम	0.04	0.50	0.00	0.09

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	1106.23	1377.87	1433.81	1618.69
24.	त्रिपुरा	0.34	9.22	0.24	8.10
25.	उत्तर प्रदेश	937.99	751.53	1288.66	872.54
26.	पश्चिम बंगाल	1033.69	892.98	1046.59	1077.11
	जोड़ (1)	19744.83	16316.89	24376.66	19316.31
II. संघ शासित क्षेत्र					
1.	अंडमान निकोबार	2.20	3.03	3.10	1.57
2.	चंडीगढ़	98.66	119.78	110.01	89.06
3.	दमन	0.03	0.10	0.04	0.01
4.	दिव	0.00	0.08	0.00	0.05
5.	दादर नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	4.48	17.41	4.05	22.95
7.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	शिलवासा	0.01	0.09	0.00	0.01
	जोड़ (II)	105.38	140.49	117.20	113.65
	जोड़ (I), (II)	19850.21	16457.38	24493.86	19429.96
	के.टी.डी.एस.अ.	165.79	643.21	35.01	810.19
	कुल जोड़	20016.00	17100.59	24528.87	20240.15

आयकर	1999-2000	
	नि. कर	आयकर
1	2	3
अहमदाबाद	802.03	1576.11
बंगलौर	1038.64	1793.25
भोपाल	729.64	557.12
मुम्बई	13373.71	6675.36
कलकत्ता	1256.70	1374.99
कोचीन	282.16	505.94
हैदराबाद	692.51	1087.80
जयपुर	185.22	526.13
चेन्नई	1639.58	2015.15
नई दिल्ली	5795.46	3334.85
चंडीगढ़	490.43	1299.65
कानपुर	2757.82	613.09
लखनऊ	89.02	554.07
पुणे	825.49	1729.74
पटना	723.23	814.89
जोड़	40681.64	24458.14
के.टी.डी.एस.	15.23	838.31
कु. जोड़	30696.87	25296.45

विवरण-II

उत्पाद शुल्क से राजस्व वसूली

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (अनंतिम)
1.	महाराष्ट्र	12049.35	12578.96	13027.21
2.	गोवा	348.61	416.22	525.57
3.	गुजरात और सं.शा.क्षे. दादर नगर हवेली और दमन दीव	7145.34	8405.06	9171.35
4.	कर्नाटक, केरल और सं.शा.क्षे. लक्षद्वीप	4730.17	5323.65	6226.18
5.	आंध्र प्रदेश	3455.04	3732.77	4628.66
6.	तमिलनाडु और सं.शा.क्षे. पांडिचेरी	3707.24	4338.88	5710.38
7.	उत्तर प्रदेश और बिहार	6305.51	6616.38	7966.26
8.	दिल्ली, हि. प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर सं.शा.क्षे. चंडीगढ़	4936.30	5624.65	7641.58
9.	मध्य प्रदेश और राजस्थान	3874.48	4068.11	4526.27
10.	प. बंगाल, ओडिसा, सिक्किम, उ. पूर्व के सभी राज्य और सं.शा.क्षे. अ. निकोबार	3937.91	4087.98	4805.87
	सी.शु. आयुक्तालय द्वारा अदा की गई प्रतिअदायगी	2653.15	2738.60	2840.00
	जोड़	4/836.80	52454.06	61389.33

सीमाशुल्क से राजस्व वसूली

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98 (वा.)	1998-99 (वा.)	1999-2000 (अनन्तिम)
1.	महाराष्ट्र	15414.33	15530.60	16620.00
2.	गोवा	242.63	338.09	396.65
3.	गुजरात और सं.शा. क्षेत्र दादर नगर हवेली और दमन दीव	6022.75	6043.93	7607.50
4.	कर्नाटक, केरल और सं.शा.क्षे. लक्षद्वीप	2915.51	3107.40	3634.84
5.	आंध्र प्रदेश	1321.11	1240.12	1812.62
6.	तमिलनाडु और सं.शा.क्षे. पांडिचेरी	4884.77	5483.83	7021.92
7.	उत्तर प्रदेश और बिहार	1150.70	675.70	864.77
8.	दिल्ली, हि. प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जे. एंड के.सं.शा.क्षे. चंडीगढ़	4061.98	4673.43	5707.81
9.	मध्य प्रदेश और राजस्थान	71.22	100.60	157.42
10.	प. बं., उड़ीसा, सिक्किम और सभी उ. पूर्व राज्य और सं.शा.क्षे.अ. निकोबार	4451.67	4084.07	4491.77
	जोड़	40536.77	41277.77	48315.30

विवरण-III

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशियां दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	1997-98				1998-99				1999-2000			
		बुनियादी उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	आयकर	जोड़	बुनियादी उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	आयकर	जोड़	बुनियादी उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	आयकर	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	1365.23	258.09	1787.42	3410.74	1524.44	256.47	1227.26	3008.17	1709.93	232.29	1401.08	3343.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	204.54	3.41	35.88	243.83	240.78	3.41	24.65	268.84	286.85	3.09	28.14	318.08
3.	असम	806.27	81.14	587.84	1475.25	864.28	81.43	403.62	1349.33	914.23	73.76	460.79	1448.78
4.	बिहार	2074.51	260.81	2715.64	5050.96	2316.11	260.53	1864.59	4441.23	2597.93	235.97	2128.69	4962.59
5.	गोवा	64.58	7.66	38.00	110.24	63.38	7.64	26.10	97.12	59.24	6.89	29.79	95.92
6.	गुजरात	651.96	197.81	854.48	1704.25	728.64	196.61	586.59	1511.84	817.29	178.08	669.67	1665.04
7.	हरियाणा	199.80	78.10	261.41	539.31	222.95	77.60	179.49	480.04	250.08	70.28	204.91	525.27
8.	हिमाचल प्रदेश	536.52	19.54	148.63	704.69	607.28	19.51	102.07	728.86	685.26	17.67	116.52	819.45
9.	जम्मू और कश्मीर	839.82	28.01	231.55	1099.23	965.44	28.07	159.04	1152.55	1119.24	25.43	181.57	1326.24
10.	कर्नाटक	860.07	188.97	1127.29	2176.33	961.49	188.38	774.05	1923.92	1078.48	170.62	883.68	2132.78
11.	केरल	624.49	123.30	818.22	1566.01	697.84	122.66	561.80	1382.30	782.75	111.10	641.37	1525.22
12.	मध्य प्रदेश	1337.47	238.66	1750.51	3326.64	1492.93	237.31	1201.89	2932.13	1674.58	214.94	1372.12	3261.64
13.	महाराष्ट्र	987.99	396.74	1294.07	2678.80	1103.22	394.44	888.15	2385.81	1237.45	357.26	1013.95	2608.66
14.	मणिपुर	244.86	6.44	59.52	310.82	284.34	6.46	40.88	331.68	335.27	5.85	46.68	387.80
15.	मेघालय	220.85	6.18	59.74	286.77	253.36	6.16	41.03	300.55	289.34	5.58	46.84	341.76
16.	मिजोरम	213.38	2.64	31.45	247.92	255.90	2.59	21.60	280.09	298.03	2.35	24.66	325.04
17.	नागालैंड	338.04	4.57	38.20	380.81	406.46	4.49	26.24	437.19	492.01	4.07	29.96	526.04
18.	ओड़िसा	875.97	109.86	949.13	1934.96	903.13	109.70	651.69	1664.52	933.75	99.36	743.99	1777.10
19.	पंजाब	235.92	112.49	308.57	656.98	263.11	112.23	211.82	587.16	295.12	101.65	241.82	638.59
20.	राजस्थान	897.20	161.07	1172.00	2230.27	999.67	159.82	804.78	1964.27	1121.30	144.75	918.77	2184.82
21.	सिक्किम	78.56	1.76	26.58	106.90	89.62	1.74	18.27	109.68	103.28	1.57	20.86	125.71
22.	तमिलनाडु	1072.19	254.33	1401.78	2728.30	1195.24	251.51	962.23	2408.98	1340.68	227.80	1098.52	2667.00
23.	त्रिपुरा	340.51	9.45	79.81	429.77	392.84	9.38	54.80	457.02	458.48	8.50	62.57	529.55
24.	उत्तर प्रदेश	2873.84	480.05	3760.77	7114.66	3207.54	477.94	2582.24	6267.72	3597.83	432.89	2947.99	6978.71
25.	पश्चिम बंगाल	1205.55	264.50	1577.72	3047.77	1345.44	263.55	1083.15	2692.14	1509.14	238.71	1236.56	2984.41
	जोड़	19150.42	*3295.58	21116.21	43562.21	21385.43	3279.63	*14498.03	39163.09	23987.54	2970.46	16851.80	43809.80

*इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर समायोजन शामिल हैं।

म्युचुअल फण्ड

5104. श्री विनय कुमार सोराके :
श्री सुबोध महिते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड म्युचुअल फंडों में निवेश करने संबंधी निर्णयों पर निगरानी रखने की योजना बना रही है;

(ख) क्या "सेबी" के पास म्युचुअल फंडों संबंधी निर्णयों की समीक्षा करने की दक्षता है;

(ग) क्या "सेबी" फंड प्रबन्धकों के दलालों अथवा कम्पनी प्रबन्धकों के साथ सांठ-गांठ करके आपस में किए जाने वाले व्यापार को रोकने की आवश्यकता हेतु घोषणा और निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करके कार्य करेगी;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न कम्पनियों के म्युचुअल फंडों के विज्ञापनों को आम व्यक्तियों को गुमराह करने संबंधी पाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा दोषी कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) म्युचुअल फंडों के निवेश निर्णयों का अनुवीक्षण करने का भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की कोई योजना नहीं है। निवेश निर्णयों में सुस्पष्टता लाने के प्रयोजन से सेबी ने 27 जुलाई, 2000 को सभी म्युचुअल फंडों को सलाह दी है कि वे अपने निवेश निर्णय तथा सम्बद्ध अनुसंधान रिपोर्टों को अभिलेखबद्ध करें। परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनी बोर्डों तथा न्यासियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि निवेश निर्णय लेते समय सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया जाये।

(ग) सेबी ने सांठ-गांठ करके किए जाने वाले कारोबार के लिए विनिमय अधिसूचित किए हैं जो म्यूचुअल फंडों पर भी प्रयोज्य है।

(घ) से (च) बाजार विनियामक सेबी ने सभी म्यूचुअल फंडों के लिए विज्ञापन संहिता निर्धारित की है ताकि उनके द्वारा जारी किए गए विज्ञापन सत्य, उचित तथा स्पष्ट हों तथा उनमें भ्रामक विवरण निहित न हों। इसके अतिरिक्त, सेबी म्युचुअल फंडों द्वारा जारी विज्ञापनों का अनुवीक्षण करता है तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटकों का आगमन

5105. श्री जय प्रकाश : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों सहित कितने पर्यटन आए;

(ख) इससे राज्य सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ था; और

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्य में पर्यटन विकास के लिए अब तक कितना धन उपलब्ध कराया गया?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों की कुल संख्या वर्ष 1997 और 1998 के दौरान क्रमशः 385.00 लाख और 423.50 लाख है। वर्ष 1999 के लिए यह आंकड़े 465.46 लाख होने का अनुमान है।

(ख) पर्यटन से राज्य-वार आय का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए, वर्ष 1999-2000 के दौरान, 30 प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए 755.45 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान 1037.03 लाख रु. की 33 परियोजनाएं केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अभिनिर्धारित की गई हैं।

[अनुवाद]

चावल खरीद प्रक्रिया

5106. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चावल की लागत को कम करने और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए लेवी मार्ग प्रक्रिया को विस्तृत कर चावल की खरीद को सुव्यवस्थित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में लेवी के माध्यम से चावल की वसूली होती है। कुछ राज्यों में धान की वसूली भी की जाती है। लागत को कम करने और वसूल किए गए चावल की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से वसूली प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा निरन्तर आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं।

संकट समाधान दल

5107. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं और कतिपय बैंकों ने कतिपय क्षेत्रों को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम बनाने के लिए तरीके सुझाने हेतु कोई संकट समाधान दल "क्राइसिस रिजॉल्युशन ग्रुप" का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., टी.डी.एफ.सी. और आई.एफ.सी.आई., सी.आर.जी. के सदस्य हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने वित्तीय परियोजनाओं के वित्त पोषण में अधिकार से अधिक कार्य किया है;

(घ) यदि हां, तो इन असुरक्षित ऋणों से इन वित्तीय संस्थाओं को किस हद तक खतरा पहुंचा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले की जांच हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। ऊर्जा परियोजनाओं की "लास्ट माइल" समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा "संकट समाधान समूह" ("क्राइसिस रीजोल्यूशन ग्रुप") का गठन किया गया है। आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.एफ.सी. और आई.एफ.सी.आई. "संकट समाधान समूह" (सीआरजी) के सदस्य हैं।

(ग) जी, नहीं। आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.एफ.सी. और आई.एफ.सी.आई. ने सूचित किया है कि ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में वे सीमा से बाहर नहीं गए हैं।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद

5108. डा. बलिराम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और जून, 2000 तक सरकार द्वारा खरीदे गये धान, चावल और अन्य खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने खरीद केन्द्र खोले गये और विस्तारित किये गये और इन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) राज्य में इस समय कितना अतिरिक्त खाद्यान्न शेष है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में राज्य में खाद्यान्नों की खरीद से संबंधित कौन-कौन सी योजना/नीतियां तैयार की गयी हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

देश में हेरिटेज होटल

5109. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पुरानी हवेलियों/स्थानों में हेरिटेज होटलों की स्थापना को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान उड़ीसा में कितने हेरिटेज होटलों को स्थापित किया गया है और स्थापित किये जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। देश भर में हेरिटेज होटलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार वर्गीकृत हेरिटेज होटलों तथा स्वीकृत हेरिटेज होटल परियोजनाओं को विभिन्न प्रोत्साहन देती है, यथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80आईए तथा 80-एच.एच.डी. के तहत आयकर से छूट, टी.एफ.सी.आई., आई.एफ.सी.आई., राज्य वित्त निगम तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम से ली गयी ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज इमदाद विशेष सामग्रियों की आयात, आयात पर सीमा शुल्क में रियायत।

(ग) पर्यटन विभाग को वर्ष 2000-2001 के दौरान उड़ीसा राज्य से राज्य में हेरिटेज होटलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

घाटों को बट्टे खाते में डालना

5110. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचित की गयी घाटा धनराशि को बट्टे खाते में डाल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन उपक्रमों के घाटे को बट्टे खाते में डाला गया है, उनमें से किसी को विनिवेश के लिए भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घाटों को बट्टे खाते में डालने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सरकार ने 1004.65 करोड़ रुपये की वित्तीय पुनर्संरचना की मंजूरी दे दी है जिसमें संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक) के दौरान भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 9 उपक्रमों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के लिए 511.67 करोड़ रुपये के नये निवेश को छोड़कर 599.54 करोड़ रुपये के पिछले ऋण/ब्याज को बट्टे-खाते में डालना और 405.11 करोड़ रुपये के ऋण/ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करना शामिल है। सरकारी क्षेत्र के 9 उपक्रमों में से 4 उपक्रमों अर्थात् जेसप एण्ड कम्पनी लि. (जेएसपी), इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएलके), नेपा लि. (नेपा) और हिन्दुस्तान केबिल्स लि. (एचसीएल) को विनिवेश/संयुक्त उद्यम (जेवी) के गठन के लिए संदर्भित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	बीआईएफआर/ सरकार द्वारा संस्वीकृति का वर्ष	सरकार द्वारा किए गए निधियों के नए निवेश	सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाला जाना	ऋण को इक्विटी/ डिबेंचर में परिवर्तित करना
1	2	3	4	5	6
I.	*सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त बीआईएफआर की संस्वीकृत योजनाएं*				*(करोड़ रुपये में)*
1.	जेसप एंड कंपनी लि., कलकत्ता	1997-98	43.00	119.98	21.11
2.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा	1998-99	66.00	17.00	25.98
3.	बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि., कलकत्ता	1999-2000	150.00	329.64	135.72
4.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि., कलकत्ता	1999-2000	21.00	-	-
5.	आरबीएल लि. कलकत्ता	1997-98	4.13	0.21	2.15
	कुल		284.13	466.83	184.96

1	2	3	4	5	6
II. सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रम					
1.	एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लि., कलकत्ता	1997-98	44.00	-	12.49
2.	नेपा लिमिटेड, मध्य प्रदेश	1998-99	20.10	10.05	40.54
3.	हिन्दुस्तान केबल्स लि., कलकत्ता	1998-99	143.00	122.66	167.12
4.	प्रागा टूल्स लि., सिकन्दराबाद	1998-99	20.44	-	-
	कुल		227.54	132.71	220.15
	कुल (I) और (II)		511.67	599.54	405.11

मुक्त व्यापार व्यवस्था

5111. **श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइलैंड और म्यांमार सदस्य देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में मुक्त व्यापार के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इन देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे व्यापार के विकास में कितनी सहायता मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) अगस्त, 1998 में बैंकाक में बंगलादेश-भारत-म्यांमार-श्रीलंका-थाइलैंड आर्थिक सहयोग (बीआईएमएसटी-ईसी) के फिर से शुरू किए गए आर्थिक मंत्रीस्तरीय प्रथम प्रयास में यह सहमति व्यक्त की गई थी कि बी.आई.एम.एम.टी-ईसी को मुक्त व्यापार प्रबंध में विकसित करने का जोरदार प्रयास किया जाना चाहिए और अपना ध्यान उन क्रियाकलापों पर केन्द्रित करना चाहिए जो व्यापार को सुविधाजनक बनाए, निवेश में वृद्धि करे तथा सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाएं। 27 अप्रैल, 2000 को नई दिल्ली में हुई बी.आई.एम.एफ.टी.-ई.सी. के व्यापार/आर्थिक कार्य मंत्रियों की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुक्त व्यापार क्षेत्र के उद्देश्य से अधिमानी व्यापार प्रबंध के बारे में संभव दृष्टिकोणों से संबंधित एक अवधारण-दस्तावेज तैयार करने के लिए एक अंत:सरकारी समूह का गठन किया जाएगा। उक्त अंत:सरकारी समूह की बैठक अभी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बीड़ी कंपनियों से प्राप्त उत्पाद शुल्क

5112. **श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी बनाने वाली प्रथम दस बड़ी कंपनियों के नाम क्या हैं और गत वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितने उत्पाद-शुल्क का भुगतान किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उद्योग से कुल कितना उत्पाद-शुल्क संग्रहीत किया गया; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान बीड़ी उद्योग से संग्रहीत किए गए उत्पाद-शुल्क और कल्याण निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) 875.16 करोड़ रुपए।

(ग) विभिन्न राज्यों को शामिल करते हुए उपलब्ध जोनवार सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	कंपनी का नाम	गत वर्ष के दौरान संदत्त उत्पाद शुल्क (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	मैसर्स देसाई ब्रदर्स लिमिटेड, निजामाबाद	1331.00
2.	मैसर्स मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स मंगलौर	749.00

1	2	3
3.	मैसर्स पताका बीड़ी मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड	662.23
4.	मैसर्स पी.के.टी.पी. लि., निजामाबाद	565.00
5.	मैसर्स सेबल वायोहायर एंड कं. लिमिटेड, निजामाबाद	558.00
6.	मैसर्स भारत बीड़ी वर्क्स, मुल्की, जिला मंगलौर	553.00
7.	मैसर्स प्रभुदास किशोरदास टुबैको प्रोडक्ट्स, मुल्की, जिला मंगलौर	505.00
8.	मैसर्स श्याम बीड़ी वर्क्स, भागलपुर	464.00
9.	मैसर्स मंगलौर गणेश बीड़ी, तिरुनेलवेली	417.00
10.	मैसर्स राजा कंपनी, तिरुनेलवेली	369.00

विवरण-II

क्र.सं.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन और (शमिल राज्य)	वर्ष 1998-99 के दौरान संदत्त उत्पाद शुल्क (करोड़ रु. में)	वर्ष 1998-99 के दौरान संदत्त उपकर (बीड़ी कर्मचारियों के कल्याण हेतु)
1.	मुम्बई और पुणे (महाराष्ट्र, गोवा)	17.14	1.88
2.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश, बिहार)	42.38	4.39
3.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	67.46	6.15
4.	बंगलौर (कर्नाटक, केरल)	38.35	4.64
5.	जयपुर (राजस्थान, मध्य प्रदेश)	32.37	3.68
6.	वड़ोदरा (गुजरात)	00.54	0.02
7.	चैन्नई (तमिलनाडु)	37.00	4.42
8.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड)	47.80	5.60
9.	दिल्ली (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, (संघराज्य क्षेत्र), दिल्ली)	10.37	*

*यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

बैंकों में नई भर्तियां

5113. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों में कुछ श्रेणियों में नए कर्मचारियों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो भर्ती का तरीका क्या है और भर्ती करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) पहली बार कुल कितने अधिकारियों और कर्मचारियों (लिपिकों) की भर्ती की जाने वाली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) चूंकि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों गें नए कर्मचारियों की भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, इसलिए उसे हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) बैंकों में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग में भर्ती 15 बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों और एक केन्द्रीय भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाती है। बैंक अपनी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर अपनी मांग इन भर्ती बोर्डों के पास भेजते हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजी पर्याप्तता, अनुपयोज्य आस्तियों, लाभप्रदता और न्यूनतम स्वाधिकृत निधियों से संबंधित कतिपय मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन, बैंकों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे सीधी भर्ती के लिए निर्धारित परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अपनी 30% रिक्तियां मान्यताप्राप्त प्रबन्ध और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से कैम्पस भर्ती के द्वारा भर लें।

लघु उद्योग क्षेत्र को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) की सहायता

5114. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रदान करने सम्बन्धी अपनी गतिविधियां कम कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कराण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योगों को वैकल्पिक वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में और वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित 60% निधियां अति लघु क्षेत्र में छोटी इकाइयों को दी जाएंगी।
- कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का परिकलन 20% के अनुमानित वार्षिक कारोबार के आधार पर किया जाएगा।
- संमिश्र ऋण की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना।
- अति लघु क्षेत्र के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण हेतु छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना।
- 10 लाख रुपए तक के ऋणों को कवर करने के लिए नई ऋण गारन्टी योजना की शुरूआत करना।

[हिन्दी]

हिन्दी का उपयोग

5115. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों में कंप्यूटरीकरण किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों और बीमा कंपनियों में हिन्दी भाषा और मूल हिन्दी पत्राचार में कम काम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन संगठनों की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों/संदर्भों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वित्त मंत्रालय के अधीन बैंकों और बीमा कंपनियों के कंप्यूटरीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के बावजूद नियमों और विनियमों के अनुसार सभी बैंकों और बीमा कंपनियों में राजभाषा नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तिमाही रिपोर्टों में राजभाषा के रूप में हिन्दी के पत्राचार और प्रयोग की प्रगति को दर्शाया जाता है। भारतीय भाषाओं अथवा अंग्रेजी की तिमाही रिपोर्ट निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए बीमा कंपनियों और बैंकों द्वारा यह सूचना संकलित नहीं की जाती है।

बीमा कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी में भेजे गए पत्रों/संदर्भों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

बीमा कंपनियों द्वारा भेजी गई तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा भेजे गए पत्रों में हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

कंपनी का नाम	(हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत)		
	वर्ष 1997	वर्ष 1998	वर्ष 1999
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	62.99	63.24	61.75
2. भारतीय साधारण बीमा निगम	70.00	73.32	75.05
3. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी	53.04	55.07	53.23
4. ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी	89.00	87.95	88.00
5. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी	56.00	56.35	53.05
6. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	61.33	59.88	60.00

[अनुवाद]

जीवन बीमा कराधान संबंधी विशेषज्ञ समिति

5116. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र कराधान संबंधी विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समिति से यह अपेक्षा थी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों सहित जीवन बीमा क्षेत्र के कराधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीवन बीमा क्षेत्र अब निजी कम्पनियों के लिए भी खोल दिया गया है तथा अब यह भारतीय जीवन बीमा निगम का विशेषाधिकार नहीं है। विशेषज्ञ समिति को अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों सहित जीवन बीमा क्षेत्र के कराधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करना एवं आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जीवन बीमा कारोबार के लाभों के संबंध में कराधान संरचना की सिफारिश करना अपेक्षित है।

(घ) समिति का गठन 20 अप्रैल, 2000 को किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट चार माह के भीतर प्रस्तुत करनी थी। समिति ने समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जो विचाराधीन है।

भंडारण सुविधा

5117. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में अनाजों की भंडारण-सुविधा बढ़ाने के संबंध में सरकार के पास कोई नया परियोजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों की सम्पूर्ण आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार ने और अधिक धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) वर्तमान नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव है कि देश में लगभग 4.67 लाख टन भण्डारण क्षमता का सृजन किया जाए बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव है कि 4.67 लाख टन भण्डारण क्षमता में से 1.90 लाख टन क्षमता का दक्षिणी राज्यों में निर्माण किया जाए। दक्षिणी राज्यों में केन्द्रवार क्षमता, मार्च, 2000 तक पूर्ण हुई प्रस्तावित क्षमता बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) गोदामों के निर्माण के अलावा रेलवे साइडिंग्स के निर्माण के लिए भी निधियां आबंटित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे साइडिंग्स के लिए आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

		आबंटित निधियां (रुपए लाख में)
उत्तर प्रदेश		
धमोरा	—	402.25
रोजा	—	649.82
केरल		
एम. कादु (एक्सटेंशन)	—	149.11
पय्यानुर	—	254.21
नागालैण्ड		
दीमापुर	—	100.10
उड़ीसा		
बालीजोरी (एक्सटेंशन)	—	132.91

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1.4.97 से 31.3.2000 तक) के दौरान दक्षिणी राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण के लिए प्रस्तावित भंडारण क्षमता

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र/जिले का नाम	प्रस्तावित क्षमता	मार्च, 2000 तक पूर्ण हुई	निर्माण को जाने वाली शेष क्षमता
1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
1.	उदुपी	10.00	10.00	-
2.	कुशालनगर	2.50	2.50	-
3.	तुमकर	20.00	5.00	15.00

1	2	3	4	5
4.	बीजापुर	10.00	–	10.00
5.	बेलगाम	20.00	–	20.00
6.	रायचुर	15.00	–	15.00
7.	हसन	10.00	5.00	5.00
केरल				
8.	अराकुलम	5.00	5.00	–
9.	पय्यानुर	30.00	–	30.00
10.	मीनानगढ़ी	5.00	5.00	–
आंध्र प्रदेश				
11.	नैल्लोर	30.00	–	30.00
12.	अमलापुरम	10.00	–	10.00
13.	दिच्छापल्ली	10.00	–	10.00
अंडमान व निकोबार				
14.	पोर्ट ब्लेयर	2.50	2.50	–
तमिलनाडु				
15.	राजनाथपुरम	10.00	–	10.00
	जोड़	190.00	35.00	155.00

[हिन्दी]

पर्यटन विकास परियोजनाएं

5118. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री आर.एल. जालप्पा:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2000-2001 के लिए पर्यटन विकास की परियोजनाओं को केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार के पास मंजूरी के लिए राज्य-वार कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग, प्रत्येक वर्ष देश में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1997-2000 में 226.89 करोड़ रुपयों की राशि की 1016 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि का विवरण संलग्न है।

सरकार केवल उन्हीं परियोजनाओं को अनुमति देती है जिन्हें प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की जाती है और जो दिशा-निर्देशों के अनुसार होती हैं।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-22000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृत धनराशि (परियोजनाओं में मेले और उत्सव शामिल हैं) के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	206.70	10	244.08	14	222.22
2.	असम	14	288.88	15	457.95	17	357.35

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	6	216.32	11	239.28
4.	बिहार	11	233.07	11	237.29	5	89.71
5.	गोवा	8	144.62	14	319.98	11	279.82
6.	गुजरात	7	111.84	15	449.57	19	327.64
7.	हरियाणा	6	98.62	12	333.93	9	238.33
8	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	10	318.00	17	691.29
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10	293.35	6	192.85	16	334.58
10.	कर्नाटक	10	130.78	12	399.82	38	856.40
11.	केरल	11	287.00	13	653.05	19	699.28
12.	मध्य प्रदेश	10	141.85	18	441.39	16	431.08
13.	महाराष्ट्र	12	169.84	18	496.27	30	1003.69
14.	मणिपुर	5	186.11	8	140.49	10	229.00
15.	मेघालय	5	97.70	5	120.48	5	30.72
16.	मिजोरम	6	142.45	8	203.34	13	292.17
17.	नागालैण्ड	3	113.90	11	230.54	16	291.80
18.	उड़ीसा	28	552.05	6	178.60	19	301.90
19.	पंजाब	6	52.87	7	242.14	8	175.00
20.	राजस्थान	14	135.33	22	436.28	12	131.12
21.	सिक्किम	11	73.20	15	136.03	13	118.98
22.	तमिलनाडु	7	59.74	17	316.20	26	493.85
23.	त्रिपुरा	8	126.68	9	169.21	7	340.76
24.	उत्तर प्रदेश	13	221.10	41	869.85	36	755.45
25.	पश्चिम बंगाल	7	125.76	12	211.13	6	194.01
26.	अण्डमान और निकोबार	–	–	4	162.50	1	32.37
27.	चंडीगढ़	–	–	3	55.18	4	69.59
28.	दादर नगर हवेली	1	5.20	2	20.00	1	30.00
29.	दिल्ली	8	233.43	13	223.89	5	24.50

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दमन और दीव	4	60.17	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	1	5.00	1	29.00	-	-
32.	पांडिचेरी	4	35.64	2	15.00	10	163.89
	जोड़	256	4722.88	346	8520.36	414	9445.78

[अनुवाद]

फिल्म से जुड़े लोगों द्वारा आयकर विवरणिका में काल्पनिक आंकड़े दाखिल करना

5119. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतम कर लाभ हेतु फिल्म हस्तियां अपने आयकर विवरणिका में काल्पनिक आंकड़े दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में कितने मामले आये हैं; और

(ग) इस प्रकार चोरी किये गये कर का ब्यौरा क्या है और उक्त राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) करदाताओं द्वारा आवश्यक सांविधिक जांच सहित आय की विवरणियां दायर की जाती हैं। इन विवरणियों की संवीक्षा की जा सकती है जिसके फलस्वरूप विवरणीगत आय स्वीकार नहीं की जाती है जिसकी वजह से अभिवृद्धियां और परिणामी कर लगाना तथा अर्थदंड कार्यवाहियां शुरू करनी पड़ती हैं। तथापि, इन कर-निर्धारणों पर अपील की जा सकती है और अपीलीय निर्णयों से अभिवृद्धियां समाप्त हो सकती हैं। अगली अपीलीय प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः, एक निश्चित समय पर मांगी गई वांछित सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो सकता।

कर अपवंचन और हवाला कारोबार

5120. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने राजधानी के सैनिक विहार में रहने वाले व्यापारी के घर से 100 करोड़ रुपये मूल्य के कर अपवंचन और हवाला कारोबार का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच में पाई गई अघोषित सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ नकली निगमित घराने भी पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) यमुनापार दिनांक 3.8.2000 को बलदेव पार्क में श्री मनोज अग्रवाल के परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई थी। तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 11,31,900 रु. की नकदी एवं 75,010 रु. के अंकित मूल्य के शेयर जब्त किए गए थे। जांच कार्य प्रगति पर हैं और कुछ जाली निगमित घरानों की अन्तर्ग्रस्तता, जांच पूरी होने पर ही मालूम की जा सकती है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अप्रकटित आय पर कर लगाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जा रही है।

कागज का उत्पादन/खपत

5121. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कागज का कुल कितना उत्पादन किया गया और बाजार में इस समय इसका कितना भण्डार उपलब्ध है;

(ख) देश में इस समय कागज की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ग) वर्ष 1980 की तुलना में यह किस सीमा तक बढ़ी है;

(घ) क्या कागज-उद्योग में इस समय संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं हो रही है और देश में इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में कागज-उत्पादन बढ़ाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान कागज और गत्ते का उत्पादन निम्न प्रकार से है:

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1997-98	29.22
1998-99	31.88
1999-2000	34.57

यह सूचित किया गया है कि लगभग 2.5 लाख मी. टन तक कागज का स्टाक बाजार में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) इस समय कागज की प्रति व्यक्ति खपत, 1980 में करीब 2 कि.ग्रा. से बढ़कर लगभग 4 कि.ग्रा. हो गई है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। वर्ष 1999-2000 में 34.57 लाख मी. टन का वर्द्धित उत्पादन था जबकि वर्ष 1998-99 के दौरान 31.38 लाख मी. टन का उत्पादन था।

(च) कागज उद्योग के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा नियमित रूप से की जाती है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

कर्नाटक में मेगा पर्यटन परियोजनाएं

5122. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य में कुछ मेगा पर्यटन परियोजनाएं कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि का निवेश हुआ है; और

(घ) उन परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) चालू वित्त वर्ष में कर्नाटक राज्य के साथ विचार-विमर्श करके निम्नलिखित चार बड़ी परियोजनाओं सहित 960.50 लाख रुपए राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 29 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गयी है:

	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रुपयों में)
1. केम्पावुडी टैंक, बंगलौर का नवीनीकरण और विकास	76.00
2. हम्पी में मौजूदा सुविधाओं के सुधार सहित पर्यटन का विकास	78.00
3. बागलकोट में हैरिटेज गांव का विकास	74.00
4. बनवासी का समेकित विकास	76.00
जोड़	304.00

[हिन्दी]

राजनीतिज्ञों पर बकाया राशि

5123. श्री रामदास आठवले: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के विरुद्ध राजनीतिज्ञ नेताओं, राजनीतिक दलों, विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के ऊपर बकाया भारी राशि की वसूली न किए जाने के कारण इसकी कड़ी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अब तक उक्त दलों से की गई वसूली या वसूल की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बकाया देनदारियों की वसूली के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। भारत पर्यटन विकास निगम ने दिनांक 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया देनदारी की राशि 43.36 करोड़ रुपये में से विभिन्न देनदारों से 19.49 करोड़ रु. (अनंतिम) वर्ष 1999-2000 के दौरान वसूला है।

(घ) बकाया देनदारियों की वसूली के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में शामिल हैं:

(1) देनदारियों की वसूली के लिए एक अभियान चलाया गया है;

(2) इकाई तथा निगम दोनों स्तर पर आवधिक समीक्षा,

(3) दोषी पार्टियों के लिए क्रेडिट सुविधा बंद किया जाना,

(4) आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाइयों का सहारा लेना।

आर्थिक अपराध

5124. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी भारतीय और विदेशी कम्पनियां तथा व्यक्ति आज तक आर्थिक अपराध में लिप्त पाये गये;

(ख) उनके द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए 1.6.2000 की स्थिति के अनुसार कुल 9154 मामले जांच-पड़ताल और न्यायनिर्णयनाधीन थे, जिनमें कम्पनियाँ और व्यक्ति शामिल थे। 1996-97 से 1998-99 के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए जिन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनकी संख्या 7401 है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत उल्लंघनों के लिए 1997-98 से 1999-2000 के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 3448 है। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित उल्लंघनों का संबंध है, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या 19,484 है।

(ख) प्रमुख उल्लंघनों में ये शामिल हैं: जानबूझकर करों के अपवंचन का प्रयास, झूठी विवरणियां दाखिल करना, माल का कम/अधिक मूल्यांकन, प्रतिअदायगी के धोखे से दावे, गलत घोषणा/गलत वर्गीकरण, माडवेट क्रेडिट का दुरुपयोग, निर्यात आय की वसूली न होना, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा का कारोबार और हवाला लेन-देन का कार्य।

(ग) जी, हाँ।

(घ) की गई कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी करना, अर्थदण्ड और जुर्माने लगाना तथा अभियोजन शुरू करना।

[अनुवाद]

होटलों पर कर

5125. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों के लिए एक समान स्तर वाले कर ढांचे सहित होटलों और परिवहन क्षेत्र संबंधी करों को तर्कसंगत बनाने हेतु कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय कर ढांचे में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक का अंतर है;

(घ) यदि हां, तो क्या होटलों और ट्रैवल एजेन्टों सहित पर्यटन उद्योग ने एक समान करों की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) महोदय, ट्रैवल व्यापार उद्योग संघों ने होटलों और परिवहन क्षेत्र से संबंधित राज्य/निगम करों को युक्ति-युक्त बनाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ।

(ङ) और (च) नवम्बर, 1999 में राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन किया गया था, जिसमें इस विषय पर चर्चा हुई थी।

आर्थिक विकास में अप्रवासी भारतीयों द्वारा सहायता

5126. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के आर्थिक विकास के क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू बजट में दिए गए प्रोत्साहनों से अप्रवासी भारतीय सन्तुष्ट नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उन्हें प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) निधियों और मानव संसाधनों के रूप में अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) की सम्भाव्यता और देश के सतत् आर्थिक विकास में उनकी सहभागिता की आवश्यकता को समझते हुए, अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश का अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए समय-समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.)/एन.आर.वाई. निवेश को शासित करने वाली नीतियों और क्रियाविधियों को सुचारू व कारगर बनाया जाता है/सरल किया जाता है। अनिवासी भारतीयों के निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए हाल ही में की गई पहलों में शामिल हैं (1) अनिवासी भारतीयों के लिए उन सैक्टरों में, जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सेक्टरवार अधिकतम सीमाएं हैं, जैसे कि एयर टैक्सी प्रचालन और निजी क्षेत्र के बैंक, निवेश की उच्चतर सीमा, (2) आवास और अचल सम्पदा क्षेत्र, जो अन्यथा एफ.डी.आई. के लिए खुले नहीं हैं, में 100 प्रतिशत तक निवेश, और (3) किसी कम्पनी में द्वितीयक बाजार निवेश के लिए वैयक्तिक सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत और किसी कम्पनी में सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा सकल निवेश सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना जो विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) निवेश सीमाओं से बाहर और उससे पृथक होगा जिससे कि अनिवासी भारतीय विदेशी संस्थागत निवेशकों के दबाव से पीछे न रह जाए।

वर्ष 2000-2001 के बजट में उद्यम पूंजी निधियों के लिए कर कानूनों और सेबी के दिशानिर्देशों को उदार बनाने का प्रस्ताव है जो सिलिकॉन वैली और अन्यत्र स्थित अनिवासी भारतीयों को अपनी कुछ पूंजी, सुविज्ञता और उद्यम भारत के उद्यमों में निवेश करने के लिए जबरदस्त प्रोत्साहन देगा।

अनिवासी भारतीय मंचों/संघों से प्राप्त सुझावों/अभ्यावेदनों को समय-समय पर नीतियों और क्रियाविधियों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना और उन्नयन

5127. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान और नौवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान इनमें से कुछ दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उन्नयन और विचार हेतु पता लगाए गए दूरदर्शन केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 1.4.1997 और 22.8.2000 के बीच देश में स्थापित किए गए 281 दूरदर्शन केन्द्रों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नौवीं योजना के दौरान उन्नयन और विस्तार के लिए पता लगाए गए स्थान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

नौवीं योजना के दौरान चालू की गई दूरदर्शन परियोजनाएं

(1.4.97 से 22.8.2000 तक)

राज्य	आकार	स्थान
1	2	3
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.	विजयवाड़ा
		हैदराबाद (डीडी-1)
	अ.श.ट्रा.	देवरकोण्डा
		वेलडान्डा
		वेणुकोण्डा
		दर्सी
		तुनी
		अचममेट
		नरसारावपेट
		भैंसा
		बांसवाड़ा
		बोब्बिली
		राजमपेट
		मंछेरला
		टेक्काली
	अ.अ.श.ट्रा.	सीतमपेट्टा

1	2	3	
अरुणाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	मिआओ	नामपोंग
	अ.अ.श.ट्रा.	मरियांग	खिमयोंग
		रूपा	जीक्योंग
		मुक्तो	पालिन
		सगाली	बोलेंग
		बारीरिजो	ट्रांसपोजर शांखि व्यू
		तलिहा	
		सैजोसा	
		जेनसी	
		तिरबिन	
		लिरोमोबा	
		डराक	
		केथिंग	
		मेयुका	
		गेकू	
		हुनली	
		हवाई	
असम	उ.श.ट्रा.	सिल्चर (डीडी-2)	
		गुवाहाटी (डीडी-2)	
	अ.श.ट्रा.	गोहपुर	
		डिब्रुगढ़ (डीडी-2)	
		बोकैकथ	
बिहार	उ.श.ट्रा.	रांची (डीडी-2)	
	उ.श.ट्रा.	मुसाबनी	
		कोडरमा	
		बरहरवा	
		रीसेरा	
		दाऊदनगर	
		सिमरी बख्तियारपुर	
	अति अ.श.ट्रा.	गरहवा (डीडी-2)	

1	2	3
गुजरात	स्टूडियो	राजकोट
	उ.श.ट्रा.	भुज (300 मी. पर स्थायी)
	अ.श.ट्रा.	राधनपुर
		उमरगांव
		धरमपुर
		व्यारा
		पुनव्वरो (सचल)
		राजपीपला
		जम जोधपुर
		बोटाड
		लूनावाडा
		बनाना
		ऊना
		धारी
		लिम्बडी
		झगड़िया
		खम्बालिया
		राजूला
		धांधुका
	अ.श.ट्रा.	सणखारा
हरियाणा	अ.श.ट्रा.	यमुना नगर (डीडी-2)
		महेन्द्रगढ़
	अ.श.ट्रा.	चरखी दादरी
		फिरोजपुर झिरका
		करनाल (डीडी-2)
		तोहाना
हिमाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	सुजानपुर
		सुन्दरनगर
		मण्डी (डीडी-2)

1	2	3
	अ.अ.श.ट्रा.	चोरी खास
		बजर
		करसोग
		पुरभवानु
		निचर
		चौपाल
		कोटखाई
		आशापुरी
		उदयपुर
		परवानू
जम्मू तथा कश्मीर	अ.श.ट्रा.	श्रीनगर (डीडी-2)
		श्रीनगर (कश्मीर चैनल)
		जम्मू (डीडी-2)
		कटुआ
		कठुआ (डीडी-2)
		बांदीपुर (सचल)
		राजौरी
		पूंछ
		नौशेरा (सचल)
		दरहल (सचल)
	अ.अ.श.ट्रा.	खलसी
		मुलबेख
		तंगत्से
		चुशुल
		सियाचिन (आधार शिविर)
कर्नाटक	उ.श.ट्रा.	हसन
		गुलबर्गा
	अ.श.ट्रा.	बंगलौर (डीडी-2)
		होल नरसीपुर

1	2	3
	अ.श.ट्रा.	हिरियूर
		तुमकूर
		होसदुर्ग
		दानदेली
		हलीहाल
	अ.अ.श.ट्रा.	बादामी
		सुल्या
केरल	अ.श.ट्रा.	पाला
		कन्नूर (डीडी 2)
महाराष्ट्र	स्टूडियो	पुणे, मुम्बई (विस्तार)
		नागपुर (उन्नयन)
	उ.श.ट्रा.	मुम्बई (क्षेत्रीय)
		नागपुर (डीडी 2)
	अ.श.ट्रा.	मंगलवेधा
		भण्डारा (डीडी 2)
		महाद
		अम्बाजोगई (डीडी 2)
		मानगांव
		खोपोली
		उमरखेद
		सतना
		खानपुर
		अक्कालकोट
		दरयापुर
		फाल्टन
		पाटन
		पुलगांव
		तुमसर
		धर्माबाद
		पाण्डरकावाड़ा

1	2	3
	अ.अ.श.ट्रा.	कुरखेरा
		आष्टी
		मलकापुर
		चिमूर
		मालवा
		अर्जुनी
		गोरेगांव
		बाई
		पिम्बलनेर साकरी
		तिवसा
		करांजा
		सिन्दैवाही
मणिपुर	अ.अ.श.ट्रा.	चूराचांदपुर
		कांगपोकपी
		जिरिबाम (डीडी 2)
मेघालय	उ.श.ट्रा.	तुरा (डीडी 2)
	ट्रांसपोजर	शिलांग
मिजोरम	अ.श.ट्रा.	लुंगलेई (डीडी 2)
		जगदलपुर
		ग्वालियर
मध्य प्रदेश	स्टूडियो	इन्दौर
	उ.श.ट्रा.	रायपुर (डीडी 2)
		इन्दौर (डीडी 2)
		भोपाल (डीडी 2)
	अ.श.ट्रा.	कैरर
		पेण्डरा रोड
		गारोत
		बदवानी

1	2	3
		मुल्तानी
		बड़ा मलेहरा
		पिपरिया
		सीतामढ़
		भानपुरा
		कुक्षी
	अ.अ.श.ट्रा.	सारंगगढ़
		सिंगरौली
		कोयलीबेदा
		बीजापुर
नागालैण्ड	स्टूडियो	सम्बलपुर (स्थायी)
	अ.श.ट्रा.	मोकोकचुंग (डीडी 2)
	अ.अ.श.ट्रा.	शामतोर
		सताखा
उड़ीसा	उ.श.ट्रा.	बालेश्वर
	अ.श.ट्रा.	सिमलीगुड़ा
		मोहाना
		गोंडिया
		खरियार
		बीरमित्रपुर
		राजगंगपुर
	अ.श.ट्रा.	कारंजा
		पटुआ
		पाटनगढ़
	अ.अ.श.ट्रा.	कोकसारा
		औल
		सुबडेगा
		पैकमल

1	2	3
		नागची
		बारपल्ली
		कलामपुर
		सिमसलीपालगढ़
		जयपटना
		लांजीगढ़
		काशीपुर
		मच्छकुंड
		सुकिन्दा
		चित्रकोन्डा
पांडिचेरी	अ.श.ट्रा.	पांडिचेरी (डीडी-2)
पंजाब	उ.श.ट्रा.	फाजिल्का (अंतरिम)
	अ.श.ट्रा.	पटियाला
राजस्थान	उ.श.ट्रा.	जोधपुर
	अ.श.ट्रा.	हिन्डौन
		भरतपुर
		बाली
		किशनगढ़ बास
		नागर
		कुशलगढ़
		सांगवाड़ा
		मकराना
		ताराणगर
		नवलगढ़
	अ.अ.श.ट्रा.	आंधी
		कोटरा
		विराटनगर
		सिकराई
		लक्ष्मणगढ़

1	2	3
सिक्किम	अ.अ.श.ट्रा.	सिंगतम
		रांगपो
तमिलनाडु	उ.श.ट्रा.	मद्रास (पोडिगई चैनल)
	अ.श.ट्रा.	उदुमलपेट
		नट्टम
		देनकनिकोट्टा
		वन्दावासी
		चेय्यर
		चिदम्बरम
		पेरनमपेट
	अ.अ.श.ट्रा.	मेट्टूपलायम
		जिन्गी
त्रिपुरा	अ.श.ट्रा.	तेलियामुरा
		कैलाशहर (डीडी-2)
		कैलाशहर
उत्तर प्रदेश	स्टूडियो	इलाहाबाद
		मऊ
		वाराणसी
	उ.श.ट्रा.	मसूरी (डीडी-2)
		लखनऊ (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	महरौनी
		डाकपत्थर
		कालागढ़
		दुधीनगर
		करवी
		छिबरामऊ
		रथ
		रुदौली
		हल्द्वानी

1	2	3
		रामपुर (डीडी-2)
		मऊ (डीडी-2)
		अमरोहा
		तालबेहाट
	अ.अ.श.ट्रां.	थराली
		ठाकुरद्वारा (डीडी-2)
		पोखरी
		नन्दप्रयाग
		नौगांवखाल
		रूद्रप्रयाग
		मानेश्वर
		साहिया
		राजगढ़
	अ.अ.श.ट्रा.	बसोट
		खुबियानांगल
		ओखींमठ
		अल्मोड़ा
		मानिकपुर
पश्चिम बंगाल	स्टूडियो	जलपाईगुड़ी
		शांतिनिकेतन (स्थायी)
	उ.श.ट्रा.	कलकत्ता (बंगाल चैनल)
	अ.श.ट्रां.	गरहबेटा
		बलरामपुर
		कूच बिहार
	अ.अ.श.ट्रा.	बाघमण्डी

विवरण II

राज्य का ब्यौरा	स्टूडियो का आधुनिकीकरण	पुराने उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन	उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का उन्नयन	अ.श.ट्रा. का उ.श.ट्रां. में परिवर्तन	अ.अ.श.ट्रां. का अ.श.ट्रा./उ.श.ट्रा. में परिवर्तन	अ.श.ट्रां. का उन्नयन (100 वा. से 500 वा.)	अ.अ.श.ट्रा./ट्रान्स. का उन्नयन (10 वा. से 50 वा.)
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	-	-	राजमुन्दरी (1 कि.वा. से 10 कि.वा.)	वारंगल	-	-	विजयवाड़ा
असम	-	सिल्चर	-	सिल्चर (डीडी-2)	-	होजई	गुवाहाटी
बिहार	रांची	कटिहार	-	जमशेदपुर पटना (डीडी-2)	-	दरभंगा धनबाद बोकारो सराइकेला सिवान सिकन्दरा मुंगेर बक्सर	-
गोवा	-	पणजी	-	पणजी (डीडी-2)	-	-	-
गुजरात	-	-	-	सूरत बड़ोदरा	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	शिमला (डीडी-2)	–	–	खड़ा पत्थर परवानू
जम्मू एवं कश्मीर	–	जम्मू पुंछ	–	नौशेरा	सम्बा (उ.श.ट्रा.) कुपवाड़ा (उ.श.ट्रा.) गुरेज (उ.श.ट्रा.) टिथवाल (उ.श.ट्रा.) ऊधमपुर (अ.श.ट्रा.)	–	मुलबेख फलगांव द्रास थानामंडी कारगिल बुधल उरी बारामुला
कर्नाटक	–	–	–	हसन मंगलौर मैसूर रायचूर	–	दन्देली	–
केरल	–	त्रिवेन्द्रम	कालीकट (1 (1 कि.वा. से 10 कि.वा.)	कोचीन (डीडी-2) कोन्नानोर त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)	–	थोडुपुजा	–
मध्य प्रदेश	–	–	–	अम्बिकापुर गुना शहडोल	–	नागदा पिपरिया	–
महाराष्ट्र	–	–	–	चन्द्रपुर जलगांव रत्नागिरी	–	–	करंजा कुरखेड़ा
मणिपुर	–	–	–	–	चुराचांदपुर	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	शिलांग	–
उड़ीसा	–	–	सम्बलपुर 1 कि.वा. से 10 कि.वा.	सम्बलपुर (डीडी-2) बहरामपुर	–	बारगढ़ जोडा राजगंगपुर	–
पंजाब	–	–	फाजिल्का (1 कि.वा. से 10 कि.वा.) अमृतसर (10 कि.वा. से 20 कि.वा.)	–	–	–	–
राजस्थान	–	–	बाडमेरा (1 कि.वा. से 10 कि.वा.)	अजमेर जयपुर (डीडी-2)	–	अलवर	सीकरी
तमिलनाडु	–	–	–	कुम्बाकोणम	–	नागरकोइल उधगमंडलम तुतीकोरिन	–
त्रिपुरा	–	अगरतला	–	अगरतला (डीडी2)	–	तेलीमुरा	धरमनगर

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	–	इलाहाबाद	–	बांदा लखीमपुर	गोपेश्वर (अ.श.ट्रा.)	सुल्तानपुर रायबरेली देवरिया फैजाबाद गौरीगंज	–
पश्चिम बंगाल	–	कलकत्ता आसनसोल मुर्शिदाबाद	–	बलूरघाट खड़गपुर कृष्णनगर शान्तिनिकेतन मुर्शिदाबाद (डीडी-2)	माल्दा (अ.श.ट्रा.)	विष्णुपुर मालदा कालना	–
दिल्ली	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	–	पांडिचेरी	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	चंडीगढ़	–

राष्ट्रीय वस्तु केन्द्र की स्थापना

5128. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय वस्तु केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस केन्द्र की स्थापना से कौन-कौन से लाभ मिलने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय बहु वस्तु एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया है और वायदा बाजार आयोग को औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय वस्तु एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) प्रस्तावित एक्सचेंज व्यावसायिक रूप से चलायी जाने वाला, एक केन्द्रीय स्थान पर एकीकृत स्क्रीन आधारित पारदर्शी व्यापार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय सुविधा युक्त एक्सचेंज होगा। इस प्रकार यह वस्तु क्षेत्र में प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज की तर्ज पर एक कुशल प्रतिस्पर्द्धी, मूल्य संकेत और मूल्य जोखिम प्रबंध तंत्र प्रदान करेगा।

पंच सितारा होटलों का शुल्क

5129. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में कमरों की शुल्क दर में कमी दर्ज की गयी है क्योंकि सभी बड़े पंच सितारा होटलों ने अपनी शुल्क-दरों में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल के महीनों में देश के सभी महानगरों में सभी जगह कमरा किराये पर लेने में कमी देखी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आई.टी.सी.डी. द्वारा इस मंदी का सामना करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जायेगी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) जी, हाँ। प्रमुख पाँच सितारा होटलों में कमरों के किराए की औसत दर में गिरावट आयी है। यद्यपि होटल कमरों के किराए की दर में कमी करने की स्थिति में हैं, फिर भी प्रकाशित किराया दर सूची में किराया कम करने वाले होटलों की संख्या नगण्य है। हाल ही के महीनों में कमरों की अधिभोगिता में गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण पर्यटन के अनुकूल मौसम न होना तथा महानगरों में होटल कमरों की संख्या में वृद्धि होना है।

पर्यटन विभाग ने अपने विदेश स्थित कार्यालयों, एयरलाइनों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से भारत के लिए पर्यटकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है। भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) ने ''कम रिडिस्कवर इंडिया'' नामक एक विशेष पैकेज प्रस्तुत किया है ताकि निगम की विभिन्न परिसंपत्तियों का संवर्धन तथा भारत के लिए पर्यटकों को आकृष्ट किया जा सके।

[हिन्दी]

बीमा संबंधी दावे

5130. श्री जय प्रकाश: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के पास कुल कितनी प्रीमियम राशि जमा की गई;

(ख) इन वर्षों के दौरान कितने दावे दर्ज किए गए/निपटाए गए और कितने दावे अब तक नहीं निपटाए गए हैं और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त निगमों द्वारा निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हवाला कारोबार

5131. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अगस्त, 2000 के ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में ''आई टी डिपार्टमेंट अनर्थस रूपीज 150 करोड़ हवाला फ्राड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसमें संलिप्त व्यक्तियों और संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में हवाला कारोबार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) यमुना पार दिनांक 3.8.2000 को बलदेव पार्क में श्री मनोज अग्रवाल के परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई थी। तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 1131,900 रु. की नकदी एवं 75,010 रु. के अंकित मूल्य के शेयर जब्त किए गए थे। जांच कार्य अभी प्रगति पर है और संलिप्त व्यक्तियों तथा संगठनों के ब्यौरों के बारे में जांच पूरी होने के बाद ही पता लग सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अप्रकटित आय पर कर लगाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

5132. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम जिनका बेचा जाना तय है, धनराशि को पानी की तरह बहाकर इसे फिजूल खर्च कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से मूल्य नष्ट करने वाली ऐसी निर्धारित कम्पनियों को पकड़ने और चेतावनी देने के लिए कोई तंत्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. केन्द्र

5133. डा. बलिराम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रवार कितने वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) मंजूरी के बावजूद अभी तक कितने केन्द्रों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ग) इन केन्द्रों के निर्माण कार्य शुरू होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) सर्वेक्षण के बाद कितने केन्द्रों के निर्माण की अनुशंसा जन प्रतिनिधियों या विभाग द्वारा की गई है; और

(ङ) किन कारणों से उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उत्तर प्रदेश में इस समय 4 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों (कोसी, नरौरा, बिधूना तथा खेतीखान) और एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (दुगड्डा) के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) 10 परियोजनाओं (5 अ.श.ट्रा. तथा 5 अति.अ.श.ट्रा.) के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। 7 परियोजनाओं के मामले में स्थलों की पहचान/अधिग्रहण में विलम्ब के कारण देरी हुई। इन 7 परियोजनाओं में से बद्रीनाथ में अति अ.श.ट्रा. के लिए स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू करने का कार्यक्रम है। डीडी-2 के लिए अ.श.ट्रा. स्थापित करने से संबंधित शेष तीन परियोजनाओं को अभी हाल ही में स्वीकृति दी गई है और उन्हें उन भवनों में स्थापित किया जाएगा। जहाँ डीडी-1 के ट्रांसमीटर पहले से ही मौजूद हैं।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। इन अनुरोधों पर दूरदर्शन की विस्तारण योजना तैयार करते समय तकनीकी व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

5134. श्री अनन्त नायक:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न तटीय राज्यों से निर्यात किये जा रहे समुद्री उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों के कुल निर्यात में प्रत्येक राज्य का क्या योगदान रहा और कुल निर्यात रुपए के संदर्भ में कितने मूल्य का हुआ; और

(ग) अगले तीन वर्षों के लिए समुद्री उत्पादों के निर्यात का राज्यवार क्या संभावित लक्ष्य रखा गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) भारत के तटवर्ती राज्यों के विभिन्न पत्तनों से निर्यात किये जा रहे समुद्री उत्पादों की प्रमुख मदें हैं—श्रिम्प, प्रशीतित मछली, प्रशीतित कटलफिश तथा प्रशीतित स्क्विड। इनके अलावा, भारत प्रशीतित लोबस्टर, सुरिमि, केकड़ा, जीवित समुद्री उत्पादों, शीतित समुद्री उत्पादों और सुखाए गए समुद्री उत्पादों का भी अल्प मात्रा में निर्यात करता है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों की प्रमुख मदों के हुए कुल निर्यातों में मात्रा तथा रुपया मूल्य के रूप में विभिन्न राज्यों का योगदान निम्नानुसार रहा है:

वर्ष 1999-2000

मात्रा मी. टन में; मूल्य करोड़ रु. में

मद		गुजरात	महाराष्ट्र	गोवा	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश	प. बंगाल	योग
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रशीतित	मा.	2807.00	11074.00	90.00	14.00	35710.00	29716.00	19679.00	11725.00	110275.00
श्रिम्प	मू.	48.50	252.84	3.07	1.70	705.61	1292.10	870.86	470.54	3645.22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रशीतित	मा.	53361.00	51070.00	7545.00	0	13281.00	1053.00	1982.00	3012.00	131304.00
मछली	मू.	215.02	205.87	21.51	0	52.56	12.81	8.60	20.96	537.34
प्रशीतित	मा.	3704.00	3583.00	1656.00	0	19438.00	3760.00	658.00	0	32799.00
कटलफिश	मू.	21.22	25.37	8.74	0	187.72	38.98	4.19	0	286.22
प्रशीतित	मा.	8229.00	7678.00	367.00	0	16050.00	2591.00	3.00	0	34918.00
स्किवड	मू.	50.39	64.71	3.23	0	140.46	37.99	0.02	0	296.80
अन्य (*)	मा.	6517.00	9606.00	0	0	7669.00	6884.00	1399.00	1660.00	33735.00
	मू.	54.25	112.02	0	0	60.61	80.81	22.83	20.57	351.09
कुल	मा.	74618.00	83011.00	9658.00	14.00	92148.00	43464.00	23721.00	16397.00	343031.00
	मू.	389.38	660.81	36.50	1.70	1146.00	1462.70	906.50	512.07	5116.67

*अन्य में शामिल हैं प्रशीतित लोबस्टर, सुरिभि, केकड़ा, जीवित समुद्री उत्पाद, शीतित समुद्री उत्पाद, सुखाए गए समुद्री उत्पाद इत्यादि।

वर्ष *1998-1999*

मात्रा मी. टन में; मूल्य करोड़ रु. में

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रशीतित	मा.	4951.00	13650.00	175.00	5.00	25550.00	29219.00	19196.00	9738.00	102484.00
श्रिम्प	मू.	80.84	282.33	3.32	0.66	480.66	1217.17	862.77	417.16	3344.91
प्रशीतित	मा.	46129.00	34536.00	5513.00	1044.00	12182.00	4328.00	1332.00	3492.00	108556.00
मछली	मू.	170.98	192.59	16.63	2.79	53.18	21.13	7.50	30.13	495.03
प्रशीतित	मा.	6475.00	4717.00	1403.00	1722.00	17195.00	2331.00	746.00	0	34589.00
कटलफिश	मू.	33.24	32.07	10.61	15.17	150.64	27.04	4.54	0	273.31
प्रशीतित	मा.	8099.00	9697.00	770.00	0	11462.00	2226.00	0	0	32254.00
स्किवड़	मू.	46.62	83.27	6.26	0	97.96	34.82	0	0	268.93
अन्य (*)	मा.	4778.00	6591.00	0	1	4252.00	6922.00	293.00	2214.00	25051.00
	मू.	35.77	65.53	0	0.05	34.11	78.75	1.72	28.76	244.69
कुल	मा.	70432.00	69191.00	7861.00	2772.00	70641.00	45026.00	21567.00	15444.00	302934.00
	मू.	367.45	655.79	36.82	18.67	816.55	1379.01	876.53	476.05	4626.87

*अन्य में शामिल हैं प्रशीतित लोबस्टर, सुरिभि, केकड़ा, क्लैक्स जीवित समुद्री उत्पाद, शीतित समुद्री उत्पाद, सुखाए गए समुद्री उत्पाद इत्यादि।

वर्ष 1997-98

मात्रा मी. टन में; मूल्य करोड़ रु. में

मद		गुजरात	महाराष्ट्र	गोवा	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश	प. बंगाल	दिल्ली	योग
प्रशीतित	मा.	6274.00	12171.00	768.00	0	30049.00	24865.00	17057.00	10134.00	0	101318.00
श्रिम्प	मू.	118.88	285.46	18.39	0	541.98	1047.20	739.82	368.85	0	3140.56
प्रशीतित	मा.	97195.00	49686.00	8247.00	1191.00	21708.00	2776.00	4847.00	2379.00	0	188029.00
मछली	मू.	375.97	192.9	22.97	2.44	66.77	17.85	25.93	21.9	0	726.73
प्रशीतित	मा.	7630.00	5920.00	1208.00	771.00	15869.00	4617.00	1154.00	89.00	0	37258.00
कटलफिश	मू.	55.07	50.79	7.45	2.88	149.08	50.24	7.42	0.48	0	323.41
प्रशीतित	मा.	9433.00	5751.00	862.00	0	15931.00	3111.00	7.00	0	0	35095.00
स्किविड	मू.	50.14	46.23	5.01	0	126.25	43.24	0.02	0	0	270.89
अन्य (*)	मा.	5029.00	5429.00	23.00	9	5809.00	5683.00	249.00	1866.00	21.00	24118.00
	मू.	37.79	60.76	0.11	0.36	43.94	61.54	1.77	29.46	0.16	235.89
कुल	मा.	12556.10	78957.00	11108.00	1971.00	89366.00	41052.00	23314.00	14468.00	21.00	385818.00
	मू.	637.85	636.14	53.93	5.68	948.02	1220.10	774.96	420.69	0.16	4697.48

(*) अन्य में शामिल हैं प्रशीतित लोबस्टर, सुरिभि, केकड़ा, क्लैक्स, जीवित समुद्री उत्पाद, शीतित समुद्री उत्पाद, सुखाए गए समुद्री उत्पाद इत्यादि।

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के होने वाले निर्यात का अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि यह समुद्र, गहरे समुद्र और जल कृषि इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा किराये पर लिए गए परिसर

5135. श्री नरेश पुगलिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में बैंक आफ बड़ौदा की कौन-कौन सी शाखाएं पूरी तरह से और आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत हैं;

(ख) इस बैंक की आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को कब तक पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) दिल्ली में बैंक आफ बड़ौदा की कौन-कौन सी शाखाएं पट्टे पर लिए गए परिसर में चल रही हैं;

(घ) प्रतिवर्ष पट्टे पर लिए गए परिसरों के किराए के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाता है;

(ङ) क्या उक्त बैंक की इन शाखाओं को अपने भवन में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बैंक आफ बड़ौदा की दिल्ली स्थित उन शाखाओं के नाम, जो पूर्णत: व अंशत: कम्प्यूटरीकृत हैं, संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(ख) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि अंशत: कम्प्यूटरीकृत सभी शाखाओं को अक्तूबर 2000 तक पूर्णरूप से कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा की दिल्ली स्थित उन शाखाओं के नाम जो पट्टे वाले परिसर में कार्य कर रही हैं, संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(घ) बैंक आफ बड़ौदा ने वार्षिक पट्टा किराया के रूप में 5.11 करोड़ रुपये के भुगतान किये जाने की सूचना दी है।

(ङ) और (च) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उसकी निम्नलिखित शाखाओं को उसके अपने परिसर में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है:

(1) एच-11, कनाट सर्कस

(2) विशाखा एन्क्लेव

(3) मौर्या एन्क्लेव

विवरण I

1. आईबीबी, नई दिल्ली
2. पार्लियामेंट स्ट्रीट
3. कार्पो. बैंकिंग शाखा
4. ग्रेटर कैलाश
5. नेहरू प्लेस
6. के.जी. मार्ग
7. अशोक विहार
8. पहाड़गंज
9. शालीमार बाग
10. शकरपुर
11. शक्तिनगर
12. मयूर विहार फेज-3
13. मयूर विहार फेज-1
14. भीकाजी कामा प्लेस
15. चाणक्यपुरी
16. नारायणा
17. कर्मपुरा
18. करोल बाग
19. पूसा रोड
20. रोहिणी
21. डी.सी. जनकपुरी
22. असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा
23. आसफ अली रोड
24. डिफेन्स एन्क्लेव
25. चांदनी चौक
26. एम-9, कनाट सर्कस
27. एच-11, कनाट सर्कस
28. दरियागंज
29. जवाहर नगर
30. कड़कड़डूमा
31. माडल टाऊन
32. मंडौली
33. निर्माण भवन
34. एनआरआई शाखा, दिल्ली
35. आरएमएल हस्पताल
36. सदर बाजार
37. सर्विस शाखा
38. आजादपुर
39. बादली
40. जी-90, कनाट सर्कस
41. झील
42. पड़पड़गंज
43. बसंतलोक
44. भोगल
45. पीएस रोड, करोलबाग
46. रोहिणी (राजापुर)
47. हौज खास
48. जनकपुरी
49. ईस्ट आफ कैलाश
50. कीर्ति नगर
51. नजफगढ़ रोड
52. पंजाबी बाग

53. सफदरजंग एन्क्लेव
54. सफदरजंग हस्पताल
55. डिफेन्स कालोनी
56. एसएसआई, दिल्ली
57. बसंत गांव
58. नवादा
59. वसंत विहार
60. विशाखा एन्क्लेव
61. भारत नगर
62. मौर्या एन्क्लेव
63. रामपुरा
64. समालखा
65. धाक्का
66. सुलतानपुर माजरा
67. ऊजवा
68. पट्टा रोड

विवरण II

1. आसफ अली रोड
2. अशोक विहार
3. आजादपुर
4. बादली
5. बसंत गांव
6. बसंतलोक
7. भारत नगर
8. भीकाजी कामा प्लेस
9. भोगल
10. चाणक्यपुरी
11. चांदनी चौक
12. कनाट सर्कस, जी-90/9
13. कनाट सर्कस, एच-ब्लाक
14. कनाट सर्कस, एम-9
15. दरियागंज
16. डिफेन्स एन्क्लेव
17. धाक्का
18. ईस्ट आफ कैलाश
19. ग्रेटर कैलाश
20. हौज खास
21. जनकपुरी
22. जनकपुरी डी.सी.
23. जवाहर नगर
24. झील
25. के.जी. मार्ग
26. कर्मपुरा
27. कड़कड़डूमा
28. करोलबाग
29. करोलबाग पी.एस. रोड
30. कीर्ति नगर
31. मंडौली
32. मौर्या एन्क्लेव
33. मयूर विहार-1
34. मयूर विहार-3
35. माडल टाऊन
36. नजफगढ़ रोड
37. नारायणा
38. नवादा
39. नेहरू प्लेस-1
40. निर्माण भवन
41. पहाड़गंज

42. पटपड़गंज
43. पंजाबी बाग
44. पूसा रोड
45. आरएमएल हस्पताल
46. रामपुरा
47. रोहिणी सैक्टर-7
48. रोहिणी सैक्टर-9
49. सुलतानपुर माजरा
50. सदर बाजार
51. सफदरजंग एन्कलेव
52. सफदरजंग हस्पताल
53. शकरपुर
54. शक्ति नगर
55. शालीर बाग
56. समालखा
57. एसएसआई शाखा
58. ऊजवा
59. वसंत विहार
60. विशाखा एन्क्लेव

विस्तार पटल

1. एयरफोर्स बालभारती स्कूल
2. बालभारती स्कूल
3. ब्लू बेल्स स्कूल
4. सरदार पटेल पब्लिक स्कूल
5. विमहन्स (ई.सी.)

अल्जीरिया द्वारा भारत से आयात को बन्द करना

5136. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री के. येरननायडु:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्जीरिया सरकार ने 1994 से भारतीय तम्बाकू और अन्य कृषि उत्पादों का आयात बन्द कर दिया;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अल्जीरिया द्वारा प्रतिवर्ष आयात किये गये उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्य क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1994 से भारत को हुए राजस्व घाटे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) केवल मै. एस एन टी ए, अल्जीरिया सरकार तम्बाकू एकाधिकारी एजेंसी ने ही 1994 से भारत से तम्बाकू के आयातों को बंद कर दिया था। तथापि, अन्य कृषि वस्तुओं के आयात जारी हैं।

(ख) अल्जीरिया के मै. एस एन टी ए ने भारत से तम्बाकू का आयात तब तक के लिए बंद किया है जब तक कि 1993-94 में भारतीय निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए तम्बाकू के कीट-संक्रमित हिस्से की क्षतिपूर्ति के लिए उनके दावे का निपटान नहीं हो जाता।

(ग) विभिन्न देशों को कृषि वस्तुओं के भारत के निर्यात की मात्रा और मूल्य के रूप में ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता) द्वारा प्रकाशित फोरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) तम्बाकू बोर्ड ने जुलाई, 1996 में निर्यातक को निर्देश दिया था कि अल्जीरिया के आयातक के साथ इस मामले को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटा लिया जाए। भारतीय निर्यातक को 30.6.2000 को एक नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें दावे का निपटान करने हेतु की-गई-कार्रवाई के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए कहा गया था।

फेमा में कमी

5137. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) में कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) 1 मई, 2000 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 जून, 2000 से लागू हुआ। तब से "फेमा" में किसी भी कमी की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

5138. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक सुधारों के प्रथम चरण के प्रभाव की व्यापक समीक्षा किए बिना आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी उद्यमों का निजीकरण कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार आर्थिक सुधारों के प्रथम चरण के प्रभाव की व्यापक समीक्षा कब तक करेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी उद्यमों का निजीकरण करने का फैसला किया है। विनिवेश के प्रयोजन से सरकार ने सरकारी क्षेत्र की मात्र 58 कंपनियों के संबंध में विनिवेश आयोग की अनुशंसाएं प्राप्त की हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 25 कंपनियों में सरकार ने सिद्धांत रूप में संयुक्त उपक्रम गठित करने का निर्णय किया है। तीन अन्य कंपनियों में विनिवेश इस वजह से किया जा रहा है कि विशेषज्ञ निकायों की सलाह सरकार को उपलब्ध है अथवा इन कंपनियों में विनिवेश के बारे में निर्णय विनिवेश आयोग का गठन किए जाने से पहले लिया जा चुका था। उन 58 कंपनियों, जिनमें विनिवेश आयोग की अनुशंसाएं उपलब्ध हैं, में से 12 मामलों में वर्तमान में कोई विनिवेश नहीं करने की अनुशंसा की गई है। अन्य मामलों में भी, विनिवेश के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से निजीकरण नहीं होगा, क्योंकि सरकारी इक्विटी घटने से सभी मामलों में प्रबंध तथा कंपनी के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

(ग) सरकार द्वारा किए गए सुधार उपायों के प्रभाव का आकलन एक अनवरत प्रक्रिया है। विनिवेश कार्यक्रम, जो आर्थिक सुधार उपायों का एक अंग है, वर्ष 1991-92 में प्रारंभ किया गया था। विकास के प्रत्येक चरण में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखने के पश्चात् वर्तमान विनिवेश नीति का विकास एक लम्बे समय में हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा-परीक्षण

5139. श्री विजय गोयल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा-परीक्षण कौन करता है; और

(ख) इसकी प्रक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बैंक लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी परामर्शदात्री समिति (एसएसी) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक नियुक्त करती है। समिति में भारत सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा परीक्षा उप-समिति मानदण्ड और प्रक्रिया निर्धारित करती है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

5140. श्री राजनारायण पासी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दूरदर्शन के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 12 मई 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभियोगों के संबंध में और अधिक तथ्य जुटाने हेतु आगे की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हाँ।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रारंभिक जांच के बाद कोई प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सीबीडीटी के पास धन वापसी हेतु लंबित मामले

5141. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जुलाई, 2000 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया में "कोर्ट डायरेक्ट्स आईटी चीफ टु कन्सीडर एनजीओ टिप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) छह महीनों से अधिक समय से धन वापसी/तत्संबंधी मामले के निपटान हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और मुख्य आयकर आयुक्त के पास लंबित मामलों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रभावित पक्षों को धन वापसी कब तक कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.7.2000 के अपने आदेश में यह निदेश दिया है कि एन जी ओ द्वारा दिए गए सुझाव राजस्व और करदाता के हित में व्यवहार्य और वांछनीय के रूप में कार्यान्वित किये जा सकते हैं।

(ग) दिए गए सुझावों की जांच कार्यान्वयन के लिए की गई है।

(घ) और (ङ) आय कर वापसियों को जारी करने में विलम्ब को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता आय कर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों पर बार-बार डाली गयी है। तथापि, अवसंरचना से संबंधित कुछ कठिनाइयां हैं जो वापसी दावों के शीघ्र निपटान में बाधा पहुंचाती हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान वापसियों के कुल 516095 दावों में से 31 मार्च, 2000 तक 357703 वापसियाँ जारी की गई हैं। शेष वापसी दावों के शीघ्र निपटान के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

महिला उद्यमी

5142. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 1992 के "दि सण्डे आब्जर्वर" में बैंक्स बंगलिंग्स पिट मिनिस्टर अगेन्सट मिनिस्टर शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में उल्लेखित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या "बैंक आफ बड़ौदा" से कई महिला-उद्यमियों के बीमा-कागजात गुम हो गए जिसके कारण उन्हें हानि का सामना करना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तत्कालीन संघ सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान का आदेश दिये जाने के बावजूद, अभी तक किसी भी मामले का निपटान नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा अब इन मामलों का निपटान करने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ङ) से (छ) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि इस मामले का संबंध रंगीन फोटोग्राफों की प्रोसेसिंग और डेवलपिंग के लिए मशीनों के आयात और कार्यशील पूंजी हेतु बैंक द्वारा वित्तपोषित मैसर्स लक्ष्मी लैबोरेटरीज से है। यह बताया गया था कि फर्म द्वारा आयातित मशीनें खराब पाई गई थीं। फर्म ने अपना दावा प्रस्तुत किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित बीमा कम्पनी के विरुद्ध मामला भी दायर किया तथा बैंक आफ बड़ौदा को एक पार्टी बनाया गया था।

फर्म की सूचना के अनुसार, फर्म द्वारा बैंक को प्रस्तुत और बैंक की न्यूयार्क शाखा को विप्रेषित बीमा दस्तावेज वहां नहीं पहुंचे। तदनन्तर बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ बीमा कम्पनी को, उसके द्वारा फर्म को अदा की गई किसी भी रकम की क्षतिपूर्ति करते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। बैंक ने मुकदमेबाजी में 1,15,000 अमरीकी डालर खर्च किए।

बीमा कम्पनी ने कथित रूप से दावे का निपटान कर दिया है और फर्म को 21,000 अमरीकी डालर की राशि का भुगतान किया। फर्म ने उसे बैंक को अदा करने का प्रस्ताव किया। बैंक ने उधारकर्ता के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। अब यह मामला निर्णय हेतु ऋण वसूली अधिकरण को अंतरित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मैसर्स लक्ष्मी लैबोरेटरीज के मामले को छोड़कर कोई अन्य मामला नहीं हुआ है।

अपराह्न 12.10 बजे

केन्द्रीय विधान सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करने की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर श्री विट्ठलभाई जे. पटेल को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, 24 अगस्त का दिन हमारी संसदीय प्रणाली के विकास का ऐतिहासिक दिन है। पचहत्तर वर्ष पूर्व इस दिन श्री विट्ठलभाई जे. पटेल ने केन्द्रीय विधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया था।

श्री पटेल का दृढ़ विश्वास था कि केवल अध्यक्षपीठ की निष्पक्षता और स्वतंत्रता द्वारा ही सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा अधिकारों की प्रभावपूर्ण तरीके से रक्षा की जा सकती है। उनके निडर, दृढ़ और निष्पक्ष रूप से दिए गए विनिर्णयों को यथार्थता और संसदीय नियमावली के गहन अध्ययन तथा उन प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है जिनसे भावी पीढ़ी के लिए संसदीय परम्पराओं और व्यवहार की स्वस्थ प्रक्रियाओं का सृजन करने में सहायता मिली है।

श्री पटेल की स्पष्ट धारणा थी कि सरकार से विमुक्त विधायी सचिवालय बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष के रूप में उनका प्रथम कार्य एक ऐसे ही सचिवालय की स्थापना पर जोर देना था, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। श्री पटेल ने यह परम्परा भी कायम की थी कि राष्ट्रपति चर्चा में और मतदान में भाग नहीं लेंगे। गतिरोध की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत पूर्ववत् स्थिति के पक्ष में दे सकते हैं।

श्री पटेल ने हमें अपने गौरव, निष्कपटता और निष्पक्षता द्वारा अनेक परम्पराएँ प्रदान की हैं जो कि हमेशा भारत में अध्यक्षपीठ की विरासत का हिस्सा बनी रहेंगी। अध्यक्ष पद की स्थापना के अतिरिक्त श्री पटेल का अन्य कोई स्थायी स्मारक नहीं हो सकता है। 24 अगस्त, 2000 को श्री विट्ठल भाई पटेल द्वारा केन्द्रीय विधान सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करने की 75वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर, मैं, पूरी सभा की ओर से ऐसे उत्कृष्ट सांसद और पीठासीन अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपने आपको उन कार्यों के प्रति पुनः समर्पित करें जिनको उन्होंने अनवरत संघर्ष द्वारा पूरा किया था।

अपराह्न 12.13 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक (ग्रुप "ए" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 जो 29 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2320/2000]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2321/2000]

(3) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली की वर्ष 1997-98 और 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्वर्जेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 और 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2322/2000]

(5) (एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2323/2000]

(7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2324/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): डा. मुरली मनोहर जोशी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2325/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): डा. सी.पी. ठाकुर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2326/2000]

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडीसन, नई दिल्ली की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडीसन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2327/2000]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 26 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 638(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2328/2000]

(2) राज्य द्वारा निर्वाचनों का वित्त पोषण संबंधी समिति (इन्द्रजीत गुप्त समिति) की रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2329/2000]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2000क संख्यांक 6)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2330/2000]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2331/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (पूंजीगत लेखे संव्यवहार अनुज्ञेय) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति की किसी शाखा, कार्यालय अथवा एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति जारी किया जाना) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 391(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, संप्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 392(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का कब्जा और प्रतिधारण) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (परि-संपत्तियों का प्रेषण) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की रीति) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी किया जाना) विनियम, 2000 जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 406(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियम, 2000 जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारबार स्थान की स्थापना) विनियम, 2000 जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2000 जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में फर्म अथवा सांपत्तिक कम्पनी में निवेश) विनियम, 2000 जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) विनियम, 2000 जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी किया जाना) विनियम, 2000 जो 15 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2332/2000]

(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 402(अ) जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड अथवा किसी भी नाम से जानी जाने वाली अन्य कोई लिखित जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के अंतर्गत जारी मुद्रा के रूप में वित्तीय देनदारी, का सृजन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सके, को अधिसूचित किया गया था, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2333/2000]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध, अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. सं. 403(अ) जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और उनको भुगतान के बारे में है।

(दो) सा.का.नि. सं. 404(अ) जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें उक्त धारा के खण्ड (ख), (ग) और (घ) द्वारा अधिरोपित प्रतिषेधों को भारतीय रुपये में अथवा उसके द्वारा किये गये किसी भी कारबार पर लागू नहीं होने के बारे में निर्दिष्ट किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. सं. 405(अ) जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति को किसी भी डाकघर से पोस्टल आर्डर अथवा मनी-आर्डर के रूप में कोई भी विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति प्रदान करना है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2334/2000]

4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1360 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(दो) का.आ. 1360 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तीन) का.आ. 1360 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री राम चन्द्र मिशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चार) का.आ. 1363 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री कैलाश आश्रम महासंस्थान ट्रस्ट, बंगलौर" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पांच) का.आ. 1364 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विवेकानन्द रॉक मेमोरियल एवं विवेकानंद केन्द्र, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छह) का.आ. 1365 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगेनाइजेशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सात) का.आ. 1366 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विलियम कैरेरी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, कलकत्ता" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(आठ) का.आ. 1367 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(नौ) का.आ. 1368 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड, गुड़गांव (हरियाणा)" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(दस) का.आ. 1369 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द म्यूजिक एकेडमी, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(ग्यारह) का.आ. 1370 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर'' को निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बारह) का.आ. 1371 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1774 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तेरह) का.आ. 1372 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''वालन्ट्री कॉर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर चाइल्ड एडोप्शन, चेन्नई'' को निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौदह) का.आ. 1373 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''आगा खां फाउंडेशन, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पन्द्रह) का.आ. 1374 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''श्री अहोविला मठ संस्कृत विद्या अभिवर्धिनी सभा, चेन्नई'' को निर्धारण वर्ष 1995-1996 से 1997-1998 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सोलह) का.आ. 1375 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंडिया इंटरनेशनल रूरल कल्चर सेंटर, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सत्रह) का.आ. 1376 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''काउंसिल फॉर लैदर एक्सपोर्ट, चेन्नई'' को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अठारह) का.आ. 1377 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''गांधी स्मारक संग्रहालय समिति, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उन्नीस) का.आ. 1378 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय'' को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बीस) का.आ. 1379 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''स्लाइट सेवर्स इंटरनेशनल-रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर ब्लाइंड, बंबई'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इक्कीस) का.आ. 1380 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''लिटिल सिस्टर्स ऑफ दि पूअर, कलकत्ता'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बाईस) का.आ. 1381 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''उ.प्र. सैनिक पुनर्वास निधि, लखनऊ'' को निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तेईस) का.आ. 1382 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''विक्टोरिया टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई'' को निर्धारण वर्ष 1999-2001 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौबीस) का.आ. 1383 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पच्चीस) का.आ. 1384 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैन्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छब्बीस) का.आ. 1385 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 26 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या 1800 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 1386 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1387 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''आर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स ऑफ इंडिया, मुंबई'' को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनत्तीस) का.आ. 1388 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, शिवाजी नगर, पुणे'' को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तीस) का.आ. 1389 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''नेशनल सेंटर फॉर दि परफोर्मिंग आर्ट्स, मुंबई'' को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इक्तीस) का.आ. 1390 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''विलियम कैरेरी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, कलकत्ता'' को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बत्तीस) का.आ. 1391 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तैंतीस) का.आ. 1392 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंदिरा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौंतीस) का.आ. 1393 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''संत निरंकारी मडंल, दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पैंतीस) का.आ. 1394 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेवा मंदिर, उदयपुर (राजस्थान)" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छत्तीस) का.आ. 1395 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "संत श्री आशाराम आश्रम, गुजरात" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सैंतीस) का.आ. 1396 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ज्वाइंट प्लांट कमेटी, कलकत्ता" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अड़तीस) का.आ. 1397 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनतालीस) का.आ. 1398 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हैरिटेज, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चालीस) का.आ. 1399 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेंटर फॉर पब्लिक सेक्टर स्टडीज, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इकतालीस) का.आ. 1400 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बयालीस) का.आ. 1401 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक जर्नलिस्म, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तैंतालीस) का.आ. 1402 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर, राजस्थान" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चवालीस) का.आ. 1403 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पैंतालीस) का.आ. 1406 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छियालीस) का.आ. 1409 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आनन्दाश्रम ट्रस्ट, कन्हानगड, केरल" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सैंतालीस) का.आ. 1410 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत

"काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालाजी, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अड़तालीस) का.आ. 1411 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हरिजन सेवक संघ, दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनचास) का.आ. 1413 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ऑल बंगाल वूमैन्स यूनियन, कलकत्ता" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पचास) का.आ. 1417 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "खेल घर, कलकत्ता" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इक्यावन) का.आ. 1418 जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिनके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2335/2000]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1952 की धारा 159 के अंतर्गत यात्री सामान (संशोधन) नियम, 2000 जो 9 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 658(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2335/2000]

(6) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिंडिकेट बैंक सामान्य विनियम, 1998 जो 25 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. संदर्भ सं. 189/0010/113 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इलाहाबाद बैंक सामान्य विनियम, 1999 जो 8 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सामान्य लेखा 001626 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक सामान्य विनिमय, 2000 जो 22 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पी एन बी/ओ एस सी/रेग/1/2000 में प्रकाशित हुए थे तथा उन पर एक शुद्धिपत्र जो 3 जून, 2000 को अधिसूचना सं. पी एन बी/ओ एस सी/रेग/2/2000 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) यूनियन बैंक आफ इंडिया सामान्य विनियम, 1998 जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पी एण्ड डी: ओ एण्ड एम: 1575: 182 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2337/2000]

(7) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2338/2000]

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट-संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) 2000 का संख्यांक 12(क)-आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 1997।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2339/2000]

(दो) 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक-संघ सरकार (रेल) (2000 का संख्यांक 9) की रिपोर्ट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2340/2000]

(9) वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखाओं, भारतीय रेल, भाग 1-समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2341/2000]

(10) वर्ष 1998-99 के लिए विनियोग लेखाओं, भारतीय रेल, भाग 2-विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2342/2000]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): श्री बाबू लाल मरांडी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2343/2000]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2344/2000]

(ख) (एक) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2345/2000]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2346/2000]

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय मोटरयान (छठा संशोधन) नियम, 2000 जो 28 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 642(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 610(अ) जो 14 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोटरयान (संशोधन) नियम, 1998 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2347/2000]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1255(अ) जो 21 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर चार लेन बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं।

(दो) का.आ. 376(अ) जो 11 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वसाड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर माही पुल का उपयोग करने वालों से शुल्क की वसूली किये जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 648(अ) जो 7 जुलाई 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नशीराबाद के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर स्थित पुल का उपयोग करने वालों से शुल्क की वसूली किये जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2348/2000]

(3) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपुर्यक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2349/2000]

अपराह्न 12.15 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा का देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2000 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 अगस्त, 2000 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था। वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2000 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 अगस्त, 2000 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य-सभा ने मंगलवार, 17 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा की सदस्यता से श्री ई. बालानन्दन की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और प्रस्ताव करती है कि सभा इस रिक्त स्थान को भरने के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार उक्त संयुक्त समिति में सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करे।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के सदस्य श्री नीलोत्पल बसु उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हुए हैं।

(4) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 9 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति में राज्य सभा की सदस्यता से श्री वायालार रवि की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को निर्वाचित करे और ऐसी विधि से उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से एक सदस्य निर्वाचित करे, जैसा सभापति निर्देश दें।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के सदस्य श्री ऑन्वार्ड एल. नांगत्डु उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हुए हैं।

अपराह्न 12.16 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 22 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत अपने चौथे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी अवधि के लिए लोक सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए।

(1) श्री प्रकाश वी. पाटील	17 अप्रैल, 2000 से 17 मई, 2000 तथा 24 जुलाई, 2000 से 20 अगस्त, 2000
(2) श्री चुन्नी लाल भाई ठाकुर	24 जुलाई, 2000 से 25 अगस्त, 2000
(3) श्री बिकास चौधरी	10 मार्च, 2000 से 16 मार्च, 2000, 17 अप्रैल, 2000 से 17 मई, 2000 तथा 24 जुलाई, 2000 से 13 अगस्त, 2000

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश—सदस्यों की अनुपस्थिति को अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.17 बजे

लोक लेखा समिति

सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): मैं लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) 2 जीएचजैड डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली की खरीद से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 1997 का संख्यांक 6, संघ सरकार (डाक एवं दूरसंचार) के पैरा 8.1 के संबंध में सातवां प्रतिवेदन।

(2) स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोगों (1994-95) के बारे में की-गई कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के संबंध में आठवां प्रतिवेदन।

(3) संघ सरकार विनियोग लेखे (1994-95)—दूरसंचार सेवाओं के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

(4) संघ सरकार विनियोग लेखे-दूरसंचार सेवाओं (1996-97) के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.17.½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

आठवाँ प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.18 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग): मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की छठी से आठवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.18¼ बजे

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): महोदय, मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.18½ बजे

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

साक्ष्य

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): महोदय, मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.18¾ बजे

रेल अभिसमय समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलीया (जूनागढ़): मैं रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूँ:

1. रेल अभिसमय समिति (1985) के "चालू रेल लाइन परियोजनाओं" के बारे में नौवीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रेल अभिसमय समिति (1985) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
2. रेल अभिसमय समिति (1985) के "चालू स्टॉक कार्यक्रम (सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की उपलब्धता)" के बारे में चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रेल अभिसमय समिति (1989) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
3. रेल अभिसमय समिति (1991) के "भारतीय रेल द्वारा मैसर्स एबीबी, स्विटजरलैंड से विद्युत लोकोमोटिव की खरीद" के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रेल अभिसमय समिति (1991) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
4. रेल अभिसमय समिति (1991) के "रेलवे में कर्मचारी कल्याण तथा औद्योगिक संबंध" के बारे में सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रेल अभिसमय समिति (1991) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
5. रेल अभिसमय समिति (1991) के "ऊर्जा संरक्षण उपायों सहित रेलवे में आधुनिकीकरण कार्यक्रम की प्रगति" के बारे में दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रेल अभिसमय समिति (1996) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.19 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.19¼ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) "नब्बे और उसके बाद के दशकों के लिए ऊर्जा: संभावनाएं, वस्तुस्थिति और चुनौतियों" से संबंधित तीसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही के संबंध में तेरहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(2) "विद्युत क्षेत्र में नई नीतियों का आरंभ इनके कार्यान्वयन की स्थिति तथा अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव" से संबंधित छब्बीसवें प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही के संबंध में बत्तीसवें प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(3) "टिहरी जल विद्युत परियोजना की पुनरुद्धार नीति-एक अध्ययन" से संबंधित पैंतीसवें प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही के संबंध में पांचवें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी कार्यवाही संबंधी विवरण।

(4) "फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाएं-एक मूल्यांकन" से संबंधित छत्तीसवें प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही के संबंध में छठे प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(5) "परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1997-98)" से संबंधित चौदहवें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी कार्यवाही के संबंध में पांचवें प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(6) "अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98)" से संबंधित पन्द्रहवें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही के संबंध में छठे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(7) "विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98)" से संबंधित सोलहवें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी कार्यवाही के संबंध में सातवें प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(8) "परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1999-2000)" से संबंधित सोलहवें प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही के संबंध में चौथे प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.19½ बजे

विदेशी मामलों संबधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के "सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे के विशेष संदर्भ सहित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका" के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करती हूँ।"

अपराह्न 12.19¾ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग के संबंध में अनुदानों की मांगों

2000-2001 के बारे में छठे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) के सातवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.20 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं, भारतीय खाद्य निगम के अडरा एफएसडी गोदाम के मजदूरों द्वारा उठाई-धराई को सीधा भुगतान करने की प्रणाली शुरू करके विनियमित करने के बारे में भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंग मुतिया मजदूर संघ (अडरा इकाई), अडरा, पश्चिम बंगाल के श्री प्रबोध कुमलेहाकुर द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 2350/2000]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): मैं मुंबई में भांडुप और मुलुंड रेलवे स्टेशनों के बीच नाहुर में एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण करने के बारे में नाहुर, मुम्बई के श्री मधु कोटियन और अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 2351/2000]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा शून्य काल लेगी। श्री येरननायडू। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज अंतिम दिन है। मैं सूची के सभी नोटिसों को पूरा करवाना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग एक साथ क्यों खड़े हो गए। कृपया बैठ जाइए। आज इस सैशन का अंतिम दिन है। इसलिए मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के परिणामस्वरूप—माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं—आंध्र प्रदेश में 22, 23 और 24 अगस्त को सुबह ग्यारह बजे तक हुई भारी वर्षा के कारण लगभग 116 लोगों की मृत्यु हो गई। हैदराबाद और राज्य के अन्य भागों में जन-जीवन ठप्प हो गया। हैदराबाद शहर का तीन चौथाई इलाका जलमग्न हो गया। अब तक एक लाख लोगों को दूसरे सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है और अब तक एक हजार मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

लघु सिंचाई के छह सौ जलाशयों में दरारें पड़ गई हैं। चार सौ गांवों के साथ-साथ सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न हो गये हैं। चैन्नई से कलकत्ता तक का राष्ट्रीय राजमार्ग चिलाकलूरिपीटा में यातायात के लिए पूरी तरह अवरुद्ध हो गया जबकि नांदयाल में दो दिनों में ही 50 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। एक जगह तो दो दिन में 50 सेंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। पिछले 100 सालों में वहाँ मात्र 24 सेंटीमीटर वर्षा होती रही लेकिन एक दिन में 24 सेंटीमीटर वर्षा अब तक की हैदराबाद में सर्वाधिक अधिक वर्षा है। सेना और वायुसेना को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के 13 जिलों को इस वर्षा ने प्रभावित किया है जिसके फलस्वरूप 412 सड़कों का सम्पर्क टूट जाने के कारण कई जिले प्रभावित हुए हैं।

इसलिए मेरा संघ सरकार से विनम्र निवेदन है कि तदर्थ राहत-जिसकी हम मांग कर रहे हैं—के रूप में 200 करोड़ रुपये दिए जाएं। इससे पूर्व, 20 अप्रैल 1999 को हमने केन्द्र सरकार से सूखा राहत के लिए 725 करोड़ रुपये की धनराशि देने का निवेदन किया था लेकिन आंध्र प्रदेश को मात्र 75 करोड़ रुपये दिये गये थे, हम बार-बार सूखा राहत अनुदान के लिए निवेदन करते रहे हैं। इसी बीच अब भारी वर्षा के कारण काफी क्षति हो गयी है।

अब जिला प्रशासन इस क्षति का आकलन कर रहा है। अब तक आंध्र प्रदेश सरकार के 13 वरिष्ठ अधिकारियों को सभी जिलों में तैनात कर दिया गया है। इन जिलों में सात कबीना मंत्रियों को भी तैनात किया गया है और अब क्षति का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने नांदयाल और हैदराबाद का दौरा किया है। राज्य विधान सभा की बैठकों को दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि विधान सभा सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर बचाव एवं राहत कार्यों पर निगरानी रख सकें। सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्थिति है।

यही कारण है कि मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, मंत्री जी यहां हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी यहां हैं—निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकार की सहायता के लिए भी कुछ तदर्थ अनुदानों की घोषणा करे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री जनार्दन रेड्डी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री जनार्दन रेड्डी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमें इसी तरह से एकजुट होकर कार्य करना चाहिए।

श्री के. येरननायडू: ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप श्री सोमनाथ चटर्जी से काफी समर्थन प्राप्त कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): मुझे भी बोलने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): बड़े दुःख के साथ मैं यह कहने और इस बात को भारत सरकार के ध्यान में लाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कल की ही बात है जब श्री येरननायडू कह रहे थे कि हम सूखे के लिए सहायता की मांग कर रहे थे। 700 करोड़ रुपयों की मांग की जगह उन्हें मात्र 70 करोड़ की धनराशि दी गई। अब 14 जिले प्रभावित हुए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन जिलों में कभी वर्षा नहीं होती थी वहाँ इस बार नेलोर, चित्तूर और प्रकाशम जैसे जिले जलमग्न हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। विशेषरूप से, तेलंगाना क्षेत्र इस प्रकार के दबाव से कभी प्रभावित नहीं हुआ है, मैंने डा. वेणुगोपाल को दूरदर्शन में यह कहते सुना कि 50 साल पहले यह क्षेत्र प्रभावित हुआ था। नहीं, जब 1979 में दबाव ने ऑनगोल क्षेत्र में तट को पार किया था तो इससे महबूबनगर प्रभावित हुआ था। कलैक्टर नहीं जानता है कि कोष नियम 27 के तहत राहत कार्यों के लिए बिना मंजूरी की प्रतीक्षा किए वह पैसा निकाल सकता है।

अब, मृतकों की संख्या 120 बताई गयी है।

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): अब तक यह संख्या एक सौ साठ है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: यह मात्र प्रारम्भिक अवस्था है। इस शहर में 24 घंटों के अंतर्गत दो सौ चालीस मिलीमीटर वर्षा हुई। इससे पूर्व घिरे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हैलीकाप्टर का प्रयोग कभी नहीं किया गया। वहां पेयजल नहीं है, वहाँ खाद्यान्न भी नहीं है। राज्य सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। हम अब आलोचना करना नहीं चाहते हैं। यह समय सहयोग एवं सहायता करने का है।

महोदय, मैं नहीं जानता कि पूर्वी गोदावरी जिले में आपका मूल स्थान आई. पेलवरम प्रभावित हुआ है या नहीं। महोदय, यह आपका प्रयास होगा कि आंध्र प्रदेश को किस तरह से सहायता मिल सके ...*(व्यवधान)*

महोदय, जैसाकि श्री येरननायडू ने ठीक ही कहा है कि हजारों वाहन सड़कों में खड़े हैं। इन वाहनों में यात्री हैं लेकिन उन्हें भोजन और पेयजल देने वाला कोई नहीं है।

महोदय, कृपया, आप इन लोगों की सहायता के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

जिस मुख्य बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है कि दसवें वित्त आयोग ने आंध्र प्रदेश को साइक्लोन राहत के लिए 143 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी और ग्यारहवें वित्त आयोग ने 198 करोड़ रुपये देने की। लेकिन राज्य सरकार के अनुसार उसने अब तक 307 करोड़ रुपये सूखा राहत में खर्च कर डाले हैं। अब उनकी स्थिति ऋणात्मक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पूरे राष्ट्र से संबंधित यह गम्भीर विषय है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार और राज्य सरकार भी इस बात को मानती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय राहत धनराशि को हटाये जाने की सिफारिश की थी। अब इसे हटा दिया गया है। उड़ीसा की सहायता भी इसी धनराशि से की गई थी।

अब ग्यारहवें वित्त आयोग का कहना है, जिसे सभा भी जानती है, कि भारत सरकार कौन सी राष्ट्रीय आपदा है और कौन नहीं, के बारे में फैसला नहीं कर सकती। यदि यह कारण है तो वे सरकार नहीं चला सकते हैं। दुर्भाग्यवश यही स्थिति है जिससे राज्य सरकार गुजर रही है।

महोदय, आप अपने पद का प्रयोग कर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार पर जोर डालें। एक बात यह है जैसा आप भी जानते हैं कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो स्कूलों और कालेजों को बंद कर दिया जाता है। बैंकों और किसानों से वसूली रोक दी

जाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिजली की दरों में वृद्धि को भी रोकें जो कि इन कष्ट उठाने वालों को आंध्र प्रदेश में दी जा रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणुका चौधरी, मुझे आपका नोटिस पूर्वाह्न 10.31 बजे प्राप्त हुआ, फिर भी मैं आपको अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी: महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपकी उदारता के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस संकटमयी अवसर पर जहां इन जुड़वां शहरों में सात लाख लोग संकटग्रस्त हैं के साथ अपने आपको सहबद्ध करने के लिए खड़ी हुई हूं। सामान्य तौर पर राज्य के सात करोड़ लोगों और विशेषकर किसानों का विश्वास सूखा, फसल के सूखने, बाढ़ और फसलों के नष्ट होने से डगमगा गया है।

मैं समझती हूं यह समय राजनीतिक सीमाओं से उठने का है और सभा को एकजुट होकर एक आवाज से आंध्र प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

महोदय, आपने इससे पूर्व एक अवसर पर संसद सदस्यों को उड़ीसा राज्य को अपना योगदान देने के लिए कहा था। कतिपय लोग तब आगे आए थे और उन्होंने अति उदारतापूर्वक दान दिया था। मैं समझती हूं कि आपके मार्गनिर्देश और नेतृत्व के तहत संसद के सभी सदस्य आगे आएंगे ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं इसी पर आ रही हूं।

महोदय, मैं समझती हूं कि संसद के सदस्य आगे आयेंगे और बिना गहराई में जाए और बिना नौकरशाही के सरकार उत्तरदायित्व के भार को ले लेगी। यह मानवीय आवश्यकता है। समय की मांग स्वच्छंद प्रतिक्रिया की है। यह बाढ़ ही नहीं है बल्कि बाढ़ के बाद की घटनाएं हैं जिनमें हमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस तरह से चिकित्सा सुविधाएं देने वाले चीजें खासकर धन, किसानों के साथ-साथ उन विद्यार्थियों जिन्होंने इस समय कई घंटे बर्बाद किए हैं, उनमें से कुछ को परीक्षा देनी है आदि के लिए पुनर्वास-पैकेज पर विचार किया जाना चाहिए और प्रभावित लोगों को विशेष रियायतें दी जाएं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं तेलगू देशम के सदस्यों को यह पूछना चाहती हूं कि वे अपने मुख्यमंत्री को निदेश दें कि वे नौसेना से सम्पर्क करें—वे लोग इस तरह की स्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं—और उनसे भोजन गिराने और लोगों को हटाने का कार्य लें और सेना से वाहनों को हटाने और चिकित्सा सुविधाएं देने का और बीमारी फैलने पर नियंत्रण का कार्य लें।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: सरकार की ओर से किसी को कुछ कहना है।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, राज्य सरकार ने सेना और वायु सेना को बुला लिया है और वे लोग नागरिक प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। वे अत्यधिक सेवाएं कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति वायु सेना की प्रशंसा कर रहा है, वे लोग उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): **अध्यक्ष महोदय** ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप भी स्वयं को उनके साथ सम्बद्ध कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, मैं भी एक मुद्दा उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर सरकार की प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि से आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में जो तबाही मची है, उसके संबंध में हमारे मंत्रालय के संबद्ध अधिकारीगण राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और कल एक केन्द्रीय टीम भी उन प्रभावित इलाकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए और क्षति का जायजा लेने के लिए जाएगी। मैं स्वयं भी कल आंध्र प्रदेश के उन इलाकों का दौरा करूंगा और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके स्थिति को देख कर केन्द्र की तरफ से जो भी आवश्यक कदम उठाना होगा, उसे उठायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री माधव राव सिंधिया बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, मंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया है कि वह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री माधवराव सिंधिया को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने का प्रयास कीजिए कि आज सत्र का अंतिम दिन है और माननीय सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। आप अध्यक्षपीठ को सभा की बैठक स्थगित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, हम तदर्थ सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने का प्रयास कीजिए। मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि वह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, आपकी स्वीकृति से मैं एक गम्भीर विषय उठाना चाहता हूँ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपने मामला उठा लिया है और सरकार ने जवाब भी दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री के उत्तर के पश्चात् कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, यह क्या है? मैंने आपको मौका दे दिया। आपने मुद्दा उठाया और सरकार ने भी जवाब दिया। आप पुनः सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको शून्य काल की प्रक्रिया के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि शून्य काल में क्या कार्य किया जाता है।

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): महोदय, हम केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया: आपने अपनी बात कह दी है। कृपया मुझे कहने दीजिए ...*(व्यवधान)* आप दूसरों को अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं कल सुबह ही केन्द्रीय दल के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इन सब को भी अपने साथ ले जाओ।

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी स्वीकृति से एक बहुत गम्भीर विषय उठाना चाहता हूँ। स्वर्गीय राजीव गांधी की एक कल्पना थी कि हमारे राष्ट्र में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाये, जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं को पुरुषों के साथ समान अवसर प्राप्त हों, ताकि इस महायज्ञ में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: मुलायम सिंह जी, आपको भी अवसर दिया जायेगा, आप मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: सर्वसम्मति नहीं तो महिला बिल नहीं। बार-बार यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: इसके बारे में पिछली कांग्रेस सरकार ने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइये। आपको कुछ कहना है तो बाद में कहना। आपको हम बाद में बुलाएंगे, अभी नहीं। अभी आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, वह इस प्रकार बाधा कैसे पहुंचा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह जी, बहुत हो गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको हम बाद में बुलाएंगे। मुलायम सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आपको बाद में बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: इस पर जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी, तब तक बिल पास नहीं होगा, चाहे दो बार हो या तीन बार हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री माधवराव सिंधिया को अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए। आप सिंधिया जी के बाद बोलना।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: पिछली कांग्रेस सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया और आज म्युनिसिपैलिटीज में, पंचायतों में एक नई गूंज उठ रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपको अभी नहीं, बाद में बुलाएंगे। अभी माधवराव सिंधिया जी को बोलने का मौका दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: जहां महिलाएं बड़े जोर-शोर से, बड़ी बुलन्दी के साथ अपनी आवाज को उठा रही हैं और उस प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। ...*(व्यवधान)* हमारी पुरानी मांग रही है और हम इस मांग पर कटिबद्ध हैं कि यह आरक्षण की व्यवस्था पार्लियामेंट तक पहुंचे और संसद में भी आरक्षण की व्यवस्था को स्थायित्व दिया जाये। लेकिन सरकार इस मामले को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइये। आप हाउस में यह क्या कर रहे हैं?

श्री माधवराव सिंधिया: हमारा यह कहना है कि आप राय की आड़ में, आम राय का बहाना लेते हुए सरकार इस मामले को टालती जा रही है। ...*(व्यवधान)* हमारी यह पुरजोर मांग है कि दोनों सत्रों के बीच में जो अवधि है, इस अवधि को आप निश्चित तौर पर इस्तेमाल करें और आम राय स्थापित करने का प्रयत्न करें। अगर इस अवधि में आम राय स्थापित न हो तो किसी भी हालत में अगले सत्र में, विंटर सैशन में यह बिल लाया जाये, पारित करने के लिए लाया जाये। ...*(व्यवधान)* इस पर चर्चा हो, इस पर अंतिम निर्णय हो और हम चाहते हैं कि इसके लिए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार पूर्ण रूप से आश्वासन दे कि विंटर सैशन में यह बिल लाया जायेगा और विंटन सैशन में यह बिल पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। यह कांग्रेस की मांग है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.40 बजे

(इस समय श्री बलराम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टी.वी. टैलीकास्ट को बंद कर दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: ये महिलाओं के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* विंटर सैशन में इस बिल को लाया जाए और पास कराया जाए ...*(व्यवधान)* हमें इस पर सरकार की तरफ से आश्वासन चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं, आज सत्र का आखिरी दिन है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.41 बजे

(इस समय श्रीमती कांति सिंह, श्री रामदास आठवले, श्री हरीभाऊ शंकर महाले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: जब हाउस में कोई इश्यू ही नहीं है, फिर आप यह क्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? हम विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने श्री माधवराव सिंधिया को मामला उठाने की अनुमति दी है। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपने सदस्यों को अपने स्थानों पर बैठने के लिए कहे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, क्यों यह सब कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री मदन लाल खुराना बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, गत 18 अगस्त को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पी.आर. कुमारमंगलम, जब वह अपनी जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे, उस समय मैंने उनकी ऐसी हालत के लिए इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल द्वारा गलत इलाज और अपराधपूर्ण लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था। ...*(व्यवधान)* प्रारम्भ में ही अगर श्री कुमारमंगलम की बीमारी का डायग्नोस हो जाता और उचित इलाज होता तो उन्हें शायद बचाया जा सकता था ...*(व्यवधान)*

जब मैंने यह मामला उठाया तो मुझे दिल्ली व आसपास के अन्य प्रदेशों से सैकड़ों टेलीफोन आए। ...*(व्यवधान)* जिसमें अपोलो अस्पताल के प्रबंधकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं गैर-जिम्मेदारा रवैये के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई। ...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सार्वजनिक वक्तव्य भी कुछ दिन पूर्व आया था जिसमें उनके इलाज में भी लापरवाही की गई। पंजाब के मेडिकल रिसर्च मंत्री श्री मनोरंजन कालिया जी ने भी 20 अगस्त 2000 को प्रधान मंत्री को पत्र लिखा जिसमें अपोलो अस्पताल की ज्यादतियों का वर्णन किया। ...*(व्यवधान)* इस अस्पताल की इन कारगुजारियों को देखते हुए मैं इस अस्पताल की स्थापना के संबंध में जो तथ्य दे रहा हूं वे काफी चौंकाने वाले हैं। ...*(व्यवधान)* इस अस्पताल को दिल्ली सरकार ने 15 एकड़ जमीन लगभग मुफ्त अर्थात् एक रुपये प्रति एकड़ की दर से दी, आज की तारीख में जिसका बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये है। ...*(व्यवधान)* अस्पताल में जो भी मशीनरी विदेशों से आयात की गई उस पर से इम्पोर्ट ड्यूटी माफ की गई। दिल्ली सरकार के 26 प्रतिशत शेयर लेकर एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार बीस करोड़ रुपये शेयर कैपिटल के रूप में दिया गया। ...*(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने 17 करोड़ रुपये बिल्डिंग फंड के रूप में दिया जो आज तक वापिस नहीं मिला। इस अस्पताल की कुल लागत 190 करोड़ रुपये में से 80 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्थाओं ने दी। दिल्ली सरकार सहित केन्द्रीय सरकार की सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने 117 करोड़ रुपये व जमीन मुफ्त दी। ...*(व्यवधान)* इतनी धनराशि देने और एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य स्पष्ट था कि गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के 33 प्रतिशत मुफ्त बिस्तर होंगे, इलाज होगा। ...*(व्यवधान)* अस्पताल की प्रबंध समिति का चेयरमैन दिल्ली का मुख्य सचिव ही होगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव एवं वित्त सचिव इसकी प्रबंध समिति के निदेशक होंगे परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार से इतनी सुविधाएं व धनराशि मिलने के बाद जो एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए, उसे लागू नहीं किया जा रहा। ...*(व्यवधान)* जनता के एक व्यक्ति ने जब कोर्ट में पैटीशन डाली तो प्रबंध सिमति द्वारा ही एक एफीडैविट देना चाहिए था परंतु प्रबंध समिति के चेयरमैन अर्थात् दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की बिना जानकारी के कोर्ट में ऐसा एफीडैविट दे दिया गया जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जाता था। ...*(व्यवधान)*

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस उद्देश्य से इस अस्पताल की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति में यह अस्पताल विफल रहा है। ...*(व्यवधान)* उद्देश्य था कि दिल्ली व आसपास के अन्य प्रदेशों के गरीब व मध्यम वर्ग के लोग यहां मुफ्त इलाज करा सकें, इसलिए दिल्ली सरकार ने जमीन एवं इतनी बड़ी धनराशि इस अस्पताल को उपलब्ध कराई परंतु अब अस्पताल एक निजी व्यावसायिक संस्थान के रूप में काम कर रहा है जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से अधिक से अधिक धन बटोरना रह गया है। ...*(व्यवधान)* इसलिए 59 लोक सभा सदस्यों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. सी.पी. ठाकुर को पत्र लिखकर मांग की है कि:

1. अस्पताल की कार्यप्रणाली और मरीजों के साथ हो रही अपराधपूर्ण लापरवाही व लूट की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

2. दिल्ली सरकार के साथ हुए एम.ओ.यू. समझौते को लागू कराया जाए।

3. अगर अपोलो अस्पताल समझौते को लागू न करे तो केन्द्रीय सरकार इसका अधिग्रहण कर ले। ...(व्यवधान) मुझे विश्वास है कि सरकार श्री पी.आर. कुमारमंगलम की इन हालात में हुई मौत से सबक लेकर हमारी उक्त मांगों को स्वीकार करेगी। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, कश्मीर से जो हिन्दू बाहर निकाले गये, उनके पुनर्वास के लिए 2600 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई। ...*(व्यवधान)* बहुत से लोग मारे गए और जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, उनको बाहर निकाला गया। ...*(व्यवधान)* जम्मू में 31490 लोग रहते हैं और दिल्ली में 19339 लोग रहते हैं। वे कश्मीर में वापस विस्थापित होना चाहते हैं। उनके पुनर्वास के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* जो हिजबुल-मुजाहिद्दीन ने इसका विरोध किया है, युद्धबंदी शत्रु के साथ की जाती है लेकिन आज हमने हिजबुल-मुजाहिद्दीन के साथ युद्धबंदी की है। ...*(व्यवधान)* सरकार को सख्त कार्यवाही करके आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और उस बारे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* जैसे हमने अणु विस्फोट किया था, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं की थी। ...*(व्यवधान)* इस बार हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* क्या आप कश्मीर को हमारे हाथ से जाने के बाद कोई ठोस कदम उठाएंगे? कश्मीर के ऊपर अभी हमला करना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। मैं आप सभी से अपनी सीट पर जाने के लिए अपील कर रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब डा. नीतिश सेनगुप्ता बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. नीतिश सेनगुप्ता के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मिदनापुर जिले में चार थाने, हुगली जिले में तीन और बांकुरा जिला में दो थाने अशान्त क्षेत्र बन गए हैं। अत: राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी जाए कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के सिविल अधिकारियों की सहायता प्रावधानों का पालन करते हुए उन्हें सशस्त्र प्राधिकारियों को सौंप दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सुरेश कुरूप बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सुरेश कुरूप को बोलने के लिए अनुमति दी थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, ये क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है। आज आखिरी दिन है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज सत्र का अंतिम दिन है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये क्या है? सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं कटिहार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहां की वर्षों पुरानी आर.बी.एच.एम. जूट मिल के बारे में सदन में अपनी बातें कहना चाहता हूँ।

आर.बी.एच.एम. जूट मिल, एन.जे.एम.सी. कलकत्ता के अधीन है, जिसके साथ वहां बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस मिल की रुग्णावस्था के कारण यहां के मजदूरों एवं किसानों की अवस्था दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार चौधरी के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): अभी तक मिल का आधुनिकीकरण पूर्णत: नहीं हुआ है। इस मिल का केवल स्पीनिंग एवं डिजाइनिंग विभागों का ही आधुनिकीकरण किया गया है एवं ब्रेकर और फिनिशर की मरम्मत भी नहीं की गई, केवल आंशिक रूप से ही इसे ठीक किया है। यह मिल बीस साल से चल रही है, परन्तु एन.जे.एम.सी. के अधीन जो मिलें कलकत्ता में स्थित हैं, उनका पूर्णत: मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कर दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, दिन-प्रतिदिन काम में आने वाले कलपुर्जे, जो कि आर.बी.एच.एम. जूट मिल के फॉन्ड्रीज एवं कार्यशाला में तैयार किये जाते थे, उनका निर्माण यहां के प्रबंधकों द्वारा बंद कर दिया गया है तथा निम्न कोटि के कलपुर्जे कलकत्ते की निजी कम्पनियों से खरीदे जा रहे हैं। इस कारण ये कलपुर्जे जल्दी ही घिस कर टूट जाते हैं। उन्हें फिर से रिप्लेसमेंट के लिए मिल को लम्बे अर्से तक बंद रहना पड़ता है। इस विषय में मेरा आग्रह है कि आर.बी.एच.एम. के अपने कलपुर्जे बनाने की कार्यशाला को पुन: खोला जाए, जिससे कलपुर्जे के लिए इंतजार न करना पड़े।

महोदय, आर.बी.एच.एम. जूट मिल के जूट सप्लाई में भी काफी अनियमितता बरती जा रही है। जे.सी.आई. उन्नत किस्म के जूट की सप्लाई करती थी, उससे खरीदना बंद करके निजी व्यापारियों से घटिया किस्म के जूट को खरीद रहे हैं, जिससे उत्पादन मानक में काफी ह्रास हुआ है। वर्तमान में इस मिल में 1700 कामगार काम कर रहे हैं, पहले इस मिल में 3200 कामगार कार्यरत थे। फिलहाल आधी संख्या में कार्यरत मजदूर कैजुअल लेबर हैं, जो कि 18 वर्ष से यहां अपनी रोजी-रोटी कमाने में लगे हैं।

महोदय, पूरे देश में एक केन्द्रीय वेतन संस्था है जिसकी सिफारिशें सब यूनिटों को मान्य हैं, परन्तु ऐसी कोई सिफारिशें इसके विषय में लागू नहीं हैं। कैजुअल मजदूरों को रोजाना काम नहीं मिल रहा है। बहुत से कैजुअल मजदूरों को तो काम भी नहीं मिल रहा है। जब तक आर.बी.एच.एम. जूट के सारे यूनिटों का आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण नहीं किया जाएगा, मजदूरों एवं किसानों की स्थिति दिनोंदिन बदतर एवं दयनीय होती रहेगी।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद शहर में कल 11 बजे, मिशन स्कूल में ज्ञापन देने जा रही लोकतांत्रिक कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने हमला किया ...*(व्यवधान)* वहां महिला पुलिस नहीं थी। पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को लोहे की छड़ों से मारा जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं ...*(व्यवधान)* इन महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने झूठे मामले दर्ज किए हैं। इनमें से कुछ लापता हैं ...*(व्यवधान)*

इन निहत्थी महिला कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के संबंध में प्रशासन को पहले ही नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)* जब वे शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रही थीं तब भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अधिकारी ने अपनी पहली पोस्टिंग में ही इन कार्यकर्ताओं पर पुलिस से हमला करवा दिया ...*(व्यवधान)* इस अधिकारी ने महिला पुलिस के होते हुए भी न केवल इन कार्यकर्ताओं को पीटा बल्कि उन्हें लोहे की छड़ों से भी मारा ...*(व्यवधान)*

इस युवा अपराधी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी? ...*(व्यवधान)* क्या निहत्थी महिला कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग करने पर इस अधिकारी को बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द साहू (दुर्ग): अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ रहा है। ...*(व्यवधान)* राज्य निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चालू है किन्तु इस बीच कुछ लोग छत्तीसगढ़ राज्य को खोखला करने के क्रम में चल रहे हैं। मेरा लोक सभा क्षेत्र दुर्ग है। इसके साथ भिलाई लगता है। दोनों जुड़वां शहर हैं। ...*(व्यवधान)* भिलाई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बहुत पूर्व से स्थापित टेलीकॉम फैक्ट्री हथखोज को बंद करना प्रारम्भ कर दिया गया है। उसे अन्य जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। यह अत्यंत दुख का विषय है। ...*(व्यवधान)* वहां के मजदूर फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार होंगे तथा विकास प्रभावित होगा। इसी तरह भिलाई से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर खेदामार्ग में कुछ वर्ष पूर्व हाईपावर का ट्रांसमिशन लगा था। ...*(व्यवधान)* जिसकी लागत लगभग 22 करोड़ रुपये है। इसे भी अन्यत्र ले जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र वेटेरिनेरी कालेज जो अंजोरा में स्थापित है, दुर्ग से लगभग सात-आठ किलोमीटर की दूरी पर है, वह बंद होने की स्थिति में है। ...*(व्यवधान)* इससे छत्तीसगढ़ के विकास की सम्भावनाएं प्रभावित होंगी। रायपुर और भानपुर में 15 करोड़ रुपये की के.वी. लाइन योजना को अन्यत्र भेजने की तैयारी चल रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन सारे बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान दे और इन उद्योगों को छत्तीसगढ़ में बनाए रखने के निर्देश दे। ...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, देश में आलू, तिलहन और दलहन के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आलू का 80 किलो का बोरा डेढ़ रुपए में बिक रहा है जबकि 80 रुपए कोल्ड स्टोरेज वाले चार्ज कर रहे हैं, 20 रुपए का खाली बोरा है तथा 20 रुपए लोडिंग और भाड़े में लग रहे हैं। ...*(व्यवधान)* किसान को 80 किलो बोरी की कीमत 30 रुपए में मिल रही है। किसान तबाही की ओर जा रहा है। यही स्थिति तिलहन की है। खाद्य तेल आयात हो रहा है। इस कारण यहां का तेल बिक नहीं रहा है। ...*(व्यवधान)* तिलहन के दाम कम हो गए हैं। तिलहन के किसानों को उसके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। तेल मिलें बंद हो रही हैं। मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। सारी तेल इंडस्ट्री बरबाद हो गई है ...*(व्यवधान)* यही स्थिति दालों की है। उसके दाम बहुत गिर

गए हैं। उसका आयात हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि आलू की सरकारी खरीद की जाए और उसके निर्यात के लिए कोई कदम उठाए जाएं। खाद्य तेल के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए ...*(व्यवधान)* खाद्य तेल और दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.02 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गैर-सरकारी सदस्यों के काम के अलावा, सभा के समक्ष कोई काम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियम 377 के अंतर्गत उठाए जाने वाले तथा आज के लिए सूचीबद्ध मामले सभापटल पर रखे माने जाएं।

अपराह्न $2.05^1/_2$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में भविष्य निधि का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): क्योंझरगढ़ में भविष्य निधि का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग दिनोंदिन जोर पकड़ रही है। देश में सन 1950 के बाद से ऐसे 28 कार्यालय स्थापित किए गए हैं। परन्तु इस प्रकार का कार्यालय स्थापित करने के मानदण्डों को पूरा करने के बावजूद क्योंझर में कार्यालय नहीं खोला गया है। क्योंझर में 57,233 और मयूरभंज जिले में 13,511 सदस्य हैं, जिन्होंने भविष्य निधि योजना में अपना नाम दर्ज कराया है। इन सदस्यों की कुल संख्या 70744 है। क्योंझर इस समय राउरकेला क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के अंतर्गत आता है जो क्योंझर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। इस योजना के सदस्यों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता के समय अग्रिम निकासी और अंतिम भुगतान नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस कार्य के लिए राउरकेला जाना संभव नहीं है। क्योंझर में रहने वाले भविष्य निधि योजना के सदस्य इस मुद्दे पर अत्यधिक उत्तेजित हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि भविष्य निधि का एक उपक्षेत्रीय कार्यालय बिना किसी देरी के तत्काल क्योंझरगढ़ में खोला जाये।

(दो) बिहार के सारन जिले में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): बिहार के सरन जिले में टेलीफोन क्षेत्र टी.डी.एम. के अधीन हैं। तथापि, हर साल यहाँ कई टेलीफोन एक्सचेंज औसतन दो से चार महीनों तक खराब पड़ी रहती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबलों को ठीक ढंग से ना बिछाने से और निविदा तिथियों और निष्पादन तिथियों के सूक्ष्म परीक्षण से खराब काम के स्तर का पता चलेगा। सोनपुर की टेलीफोन एक्सचेंज में सैंकड़ों आवेदनों की प्रतीक्षा सूची है मगर टी.डी.एम. द्वारा भवन की तलाश न कर पाने के कारण इसका विस्तार नहीं किया जा सका, जबकि सोनपुर, रेलवे का डी.आर.एम. मुख्यालय और एक नागर उपमण्डल भी है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाये या जिले में सतर्कता जांच प्रारंभ की जाए तथा अधिक प्रतीक्षा सूची वाली एक्सचेंजों के सुधार के लिए कदम उठाए जाएं। छपरा के मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज का भी तुरंत विस्तार किया जाए जहाँ क्षमता से अधिक लाइनों का बोझ है।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(तीन) राजस्थान के चुरू जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसिंह कस्वां (चुरू): राजस्थान के चुरू जिले के सिद्धमुख सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किये हुए काफी समय हो गया है लेकिन इसका कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। सरकार ने इसके लिए आवश्यक धन भी उपलब्ध करा दिया था, लेकिन यह परियोजना अभी भी अधूरी है।

बार-बार अकाल पड़ने के कारण चुरू जिले के किसानों की हालत अत्यंत ही दयनीय है। इस परियोजना के पूर्ण होने से किसानों को राहत मिलेगी।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को अविलंब पूर्ण करने के लिए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा इस परियोजना के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करायें।

(चार) गुजरात के दोहद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवा में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री बाबूभाई के. कटारा (दोहद): गुजरात में मेरा दोहद संसदीय क्षेत्र एक जिला आदिवासी एवं पिछड़ा क्षेत्र है। वहां बहुत से क्षेत्रों में टेलीफोन विभाग की बहुत फरीयादें हैं। टेलीफोन बहुत जगह खराब रहता है। गलत नंबर आता है। जिसमें हर तालुका एवं बहुत जरूरी जगहों पर टेलीफोन एक्सचेंज बहुत कम है। "फायबर" वायर लगाने की जरूरत है। आधुनिक नहीं किया जाता। एस टी डी की आपस के शहरों एवं स्थानों पर कोई सुविधा नहीं है। बहुत जगह एसटीडी/आईएसडी/लोकल कालों की सुविधा नहीं है।

जगह-जगह एसटीडी/आईएसडी/लोकल बूथ खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। महिलाओं, आदिवासी बेरोजगार शिक्षित युवक-युवतियों को एसटीडी/आईएसडी/लोकल बूथों के खोलने की मंजूरी देनी चाहिए। देश के अन्य शहरों के एसटीडी/आईएसडी से जोड़ने के लिए व्यवस्था बहुत जरूरी है। खराब एवं बिगड़े रहते टेलीफोनों से जनता परेशान है। बिना रिश्वत लिए टेलीफोन रिपेयर नहीं होता एवं टेलीफोन कनैक्शन नहीं मिलता। इन सब समस्याओं का हल करने के लिए केन्द्र से एक हाई पॉवर जांच दल भेजना चाहिए।

(पांच) मेघालय में कैंच्स ट्रेस और लेपलेंग क्षेत्रों को हरित पट्टी के रूप में आरक्षित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग): सेना प्राधिकारियों द्वारा सीमा-दीवार बनाने के कारण, मेघालय की राजधानी शिलांग और खासकर कैंच्स के ट्रेस एरिया और लेपलेंग एरिया के लोग काफी चिंतित हैं। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र लगभग 65 से 70 सालों से बेकार पड़े हैं और यहां के लोग इन क्षेत्रों का उपयोग मनोरंजन और रास्तों के रूप में कर रहे हैं। शिलांग में हरियाली और खुले क्षेत्र की आवश्यकता है क्योंकि आज यह अपनी पारंपरिक हरियाली खो चुका है। पर्यावरण और जल स्त्रवण की खातिर मैं, रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इन क्षेत्रों का उपयोग हरित पट्टी और मनोरंजन उद्यानों के लिए करें। पर्यावरण में सुधार के अतिरिक्त इससे सेना और नागरिकों के बीच सामंजस्य भी बढ़ सकेगा।

(छह) बिहार के बोकारो और लखीसराय जिलों में "सभी के लिए शिक्षा अभियान" के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): बिहार सरकार के सैकेण्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजना बोकारों एवं लखीसराय की योजना नवम्बर, 1999 से स्वीकृति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग में लंबित है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि लंबित योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाये।

(सात) केरल के बडागरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर धर्मादम पुल का निर्माण शीघ्र किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर तेल्लीचेरी-माहे उपमार्गों सहित धर्मादय और अंजराकंदी पुलों का निर्माण शामिल किया गया था। परन्तु अब मंत्रालय ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उपमार्ग और उपरिपुल की परियोजना का कार्य बी.ओ.टी. स्कीमों के अंतर्गत किया जाना है। भूतल परिवहन मंत्रालय ने सुझाव दिया

[प्रो. ए.के. प्रेमाजम]

है कि राज्य लोक निर्माण कार्य विभाग ने बी.ओ.टी. के अंतर्गत इस स्कीम की व्यवहार्यता की जाँच करे तथा इसे परामर्शी सेवा का कार्य भी सौंपा है। इस परियोजना का पूरा क्षेत्र मेरे बडागरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान धर्मादय पुल जो 60 वर्षों से अधिक पुराना है, अब जीर्ण-शीर्ण हालत में है। यह मामला भूतल परिवहन मंत्रालय के ध्यान में लाया जा चुका है। चूंकि यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जो दो महत्वपूर्ण शहरों कन्नौर और तेल्लीचेरी को जोड़ता है, इस पर भारी वाहनों का आना-जाना काफी अधिक है। पुल की अत्यंत खतरनाक स्थिति को देखते हुए केरल राज्य लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड ने 5.8 लाख रुपये की अनुमानित लागत से इस पुल के निर्माण के लिए एक अलग परियोजना प्रस्तुत की है। मेरा माननीय भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध है कि वे इसकी जांच करें और धर्मादम पुल के निर्माण के लिए अनिवार्य आवश्यक कदम उठाएं।

(आठ) शाम्भाजीनगर (औरंगाबाद) और नागपुर में राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की शाखाएं स्थापित किये जाने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महाराष्ट्र सरकार ने उपभोक्ता अधिनियम, 1986 का पूरी निष्ठा से कार्यान्वयन किया है। राज्य तथा जिला स्तर पर वहां उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

राज्य की उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने प्रस्तात्र पारित करके मांग की है कि केन्द्रीय सरकार संभाजीनगर (औरंगाबाद) तथा नागपुर में राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग स्थापित करने की अनुमति दे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य की इस मांग को स्वीकृति दें।

(नौ) पड़ोसी देशों को कृषि उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): देश में गेहूं, प्याज आदि कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिलने के कारण तबाही के कगार पर पहुंच गये हैं। एक तरफ किसानों को खेती के काम आने वाले खाद, बीज, बिजली, पानी, डीजल, कृषि यंत्र और कीटनाशक दवाइयां महंगे दामों में खरीदने पड़ते हैं तो दूसरी तरफ खेती की पैदावार के सरकार द्वारा घोषित दाम भी नहीं मिलते हैं। सरकार ने गेहूं आदि कृषि, उपज के न्यूनतम रेट निर्धारित किए हैं और किसानों को अत्यधिक गिरते दामों की मार से बचाने के लिए वादा किया है, स्कीम चला रखी है। किंतु, उसको लागू करने के सफल परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं।

अत: आलू-प्याज आदि को निर्यात की पूरी छूट प्रदान की जाये। बंगलादेश, नपेाल आदि पड़ौसी देशों में निर्यात करने पर लगी रोक तुरन्त हटाई जाये, जिससे ये उपज बाहरी देशों को भेजी जा सकें और किसानों को वाजिब मूल्य मिलने की आशा बन सके। गेहूं के किसानों को वाजिब और सरकारी घोषित मूल्य दिलाने के लिए विदेशों से गेहूं के समय-समय पर आयात करने की नीति बंद की जाये। किसानों को गेहूं के घोषित दाम दिलाये जायें।

(दस) बिहार में मुजफ्फरपुर में आई.डी.पी.एल. की इकाई को फिर से चालू किये जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): मुजफ्फरपुर (बिहार) में केन्द्रीय सरकार का दवा का कारखाना आई.डी.पी.एल. है। एक समय में यह दवा का कारखाना बहुत ही उपयोगी था और आज भी है। दवा बनाने की सभी सामग्री बिहार में मौजूद है, पर अर्थाभाव के कारण कई वर्षों से यह दवा का कारखाना बंद है। सैकड़ों कर्मचारियों को कई वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। कर्मचारी परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं। सरकार विदेशों से तथा अन्य स्रोतों से दवा खरीद कर रही है जो बहुत ही कीमती है तथा अधिकांश नकली दवा लोगों को खरीदना पड़ता है। रोगियों को नकली दवा के प्रयोग से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कीमती दवाओं को खरीदने में परेशानी होती है। इधर केन्द्रीय सरकार की एक टीम मुजफ्फरपुर के दवा कारखाने को देखने भी गयी थी और वह भी अपना प्रतिवेदन भेज चुकी है।

अत: केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि जनहित में मुजफ्फरपुर दवा के कारखाने को विशेष आर्थिक पैकेज देकर यथाशीघ्र खुलवाने की कार्यवाही करें।

(ग्यारह) उड़ीसा को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): राजधानी एक्सप्रेस 2421/2422 दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच बरास्ता हावड़ा सप्ताह में केवल दो बार चलती है। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने कई बार यह मांग की है कि राजधानी

एक्सप्रेस को बरास्ता हावड़ा की बजाय नई दिल्ली से भुवनेश्वर सीधे बरास्ता खड़कपुर चलाया जाए परन्तु कुछ नहीं हुआ। इसे बरास्ता धनबाद और हावड़ा की बजाय बरास्ता अद्रा और खड़गपुर से ले जाने से इसकी दूरी में 300 किलोमीटर से अधिक की कमी आएगी तथा तीन से अधिक घंटों की समय की बचत होगी तथा सीधे उड़ीसा जाने वाले यात्रियों के समय, लागत और दूरी में कमी आएगी। अब खड़गपुर से भुवनेश्वर तक लगभग छह घंटे लगते हैं। परन्तु ऐसा करने से केवल चार घंटे लगेंगे।

इस समय भुवनेश्वर-निजामुद्दीन हीराकुड एक्सप्रेस 8407/8408 सप्ताह में तीन बार निजामुद्दीन से भुवनेश्वर तथा भुवनेश्वर से निजामुद्दीन चल रही है। इसकी हालत काफी खराब है। रेल मंत्री से हमारा अनुरोध है कि यह रोज चलनी चाहिए, इसकी स्थिति में सुधार होना चाहिए तथा इसमें ए.सी.-1 तथा ए.सी.-2 क्लास को शुरू किया जाना चाहिए।

भुवनेश्वर से सिकन्दराबाद और वहां से मुम्बई जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस-1019/1020 को आधिकारिक रूप से सुपरफास्ट गाड़ी कहा जाता है? परन्तु वास्तव में यह समय पर नहीं चल रही है। इसे समय से चलाने तथा इसमें ए.सी. क्लास-1 के प्रावधान का काम शीघ्र किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(बारह) पंजाब सीमा पर जिन किसानों की जमीन कंटीली तारबाड़ के पार पड़ती है उनके लिए योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर): सभापति जी, पाकिस्तान से सटी भारत की सीमा पंजाब में गुरुदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर तीन जिलों से गुजरती है। पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कंटीले तारों की बाढ़ लगायी गयी है, किंतु यह बाढ़ भारतीय सीमा में इतनी अंदर है कि भारत की भूमि इस बाढ़ के परे भी है। जहां भारतीय किसान खेती करते हैं। पर यह खेती जोखिम से भरी है। काम का समय कम होने से यहां भूमि पर उपज भी अपेक्षाकृत कम होती है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के शरारती व्यवहार के कारण काम करने वाले किसानों की जिन्दगी हमेशा ही संकट में बनी रहती है। गत माहों में सरकार ने इन किसानों के लिए एक विशेष सहायता योजना की घोषणा की थी, जिनके क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क, क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता, सरकारी पदों पर नियुक्तियां, आदि। परन्तु इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि सरकार अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए अविलंब कार्यवाही करें।

(तेरह) उज्जैन के महाकुम्भ मेले के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहां महाकाल भगवान का अति प्राचीन मन्दिर है, हर बारह वर्ष में महाकुम्भ मेला भरता है। उक्त महाकुम्भ लगभग दो माह तक चलता है। इस महाकुम्भ में देश-विदेश के लाखों करोड़ों लोग आते-जाते हैं। महाकुम्भ में भारी आवागमन के कारण उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और इन्दौर तथा देवास जिलों की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों और वाहनों की भारी भीड़ रहती है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि देवास और आसपास के रेलवे स्टेशन तथा मक्सी, बेरछा, अकोदिया, कालापीपल व अन्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म व्यवस्थित करने, शेड बनाने, पानी व शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु आवश्यक आदेश व धनराशि उपलब्ध कराकर उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराई जायें तथा आसपास के सौ-सौ किलोमीटर सड़क मार्ग को चौड़ा करने और पक्का करके व्यवस्थित करने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर सुव्यवस्थित और अच्छी सड़क सुविधा उपलब्ध करवाई जाये।

(चौदह) आंध्र प्रदेश के कंगती मंडल में कपास की खरीद के लिए एक एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता

श्री ए. नरेन्द्र (मेडक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेडक (आंध्र प्रदेश) में नारायण खेड विधान सभा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के कंगटी मण्डल में कपास का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, परन्तु यहां पर किसानों से कपास खरीदने के लिए कोई यूनिट नहीं हैं। इस मंडल के बार्डर से कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के किसान भी कपास का उत्पादन करते हैं और वह भी कंगटी में ही आते हैं, लेकिन कपास के खरीदने के यूनिट यहां से काफी दूर अदिलाबाद जिले में हैं और गरीब किसानों को मेडक और निजामाबाद जिला होकर अदिलाबाद जाना पड़ता है जिससे किसानों को किराया भाड़ा अधिक देना पड़ता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। यदि कंगटी मंडल में ही एक खरीद यूनिट खोली जाये तो किसानों के किराया की काफी बचत होगी।

अतएव मेरी केन्द्रीय कपड़ा मंत्री से मांग है कि कंगटी क्षेत्र के किसानों और इसके निकट के कपास किसानों की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए कंगटी में एक खरीद यूनिट खोलने के आदेश देने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) अंतरिम पंचाट के अनुसार मेट्टूर जलाशय में कावेरी नदी का जल प्रवाह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि भारत के महान्यायवादी द्वारा कावेरी जल विवाद के संबंध में सुनवाई को स्थगित करके अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत कावेरी जल विवाद अभिकरण के अंतरिम फैसले को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार एक योजना बनाएगी। इस आश्वासन का अनुसरण करके माननीय प्रधान मंत्री और चार संबंधित माननीय मुख्यमंत्रियों को लेकर अगस्त 1998 में कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्राधिकरण के गठन के बाद लगभग 100 सप्ताहों की अवधि बीत जाने के बाद भी, मुश्किल से ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरा होगा जिसमें मेत्तूर जलभंडार में कावेरी नदी के पानी का स्तर अंतरिम फैसले में दिए निर्धारित साप्ताहिक अनुसूची के अनुसार हुआ होगा। जब कुरुवाई और सांबा कृषि के लिए पानी की जरूरत होती है तो कावेरी डेल्टा में पानी की कमी हो जाती है और जब खेती के लिए पानी की जरूरत नहीं होती तो बाढ़ आ जाती है। संसद को इस बात की सूचना दी जानी चाहिए कि अंतरिम फैसले को सही ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिनके अभाव में सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा।

(सोलह) देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में संखिया संदूषण को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं इस सदन का ध्यान पश्चिम बंगाल में संखिया से प्रदूषित जल की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में तथा विशेषकर मुर्शीदाबाद जिले का पानी काफी प्रदूषित है। संखिये के प्रदूषण से कई लोगों की जानें चली गई हैं तथा हजारों लोगों की जान खतरे में हैं। जैसाकि हम जानते हैं मानव शरीर प्रति लीटर 0.5 मिलीग्राम तक संखिया पचा सकता है। जबकि कई स्थानों में संखिये का स्तर प्रति लीटर .80 मिलीग्राम तक बढ़ चुका है जो कि बहुत ही हानिकारक है। कोई भी भौगोलिक सूचना प्रणाली आगे नहीं आई है। स्थानीय स्रोतों का जरूरत के अनुसार पता नहीं लगाया जा रहा है। लोग नहीं जानते कि जो पानी वे पी रहे हैं। वह प्रदूषण रहित है या नहीं। मेरे जिले, मुर्शीदाबाद में ही लगभग दस लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों के लिए अभी तक कोई पुनर्वास उपाय नहीं किये गये हैं।

जैसाकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के निर्देशक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आठ जिलों के लिए उपाय सुझाए गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझना चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में भी संखिया के प्रदूषण की रिपोर्ट मिली है।

(सत्रह) महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): मेरा संसदीय क्षेत्र बुलढाणा, जो महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के अंतर्गत आता है, यह एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरकारी अथवा गैर सरकारी कोई भी उद्योग स्थापित नहीं है। यह क्षेत्र केवल कृषि पर ही आधारित है, लेकिन प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में आ जाने की वजह से इस क्षेत्र की अधिकांश फसल नष्ट हो जाती है और गरीब लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है।

बुलढाणा क्षेत्र को नेशनल बैकवर्ड एरिया घोषित करके वहां पर प्राथमिकता के आधार पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के कोई उद्योग स्थापित कर दिया जाये और प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में आने से रोकथाम लगाने के लिए कृषि विद्यालय की स्थापना कर दी जाये तो इस क्षेत्र के विकास की संभावना है। अत: ऐसी स्थिति मे मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बुलढाणा संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु उपर्युक्त योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर अविलंब बनायी जायें।

(अठारह) सोन नहर प्रणाली की मरम्मत के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): बिहार राज्य का भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, रोहताश, कैमूर और पटना जिले का पालीगंज अनुमंडल एम.सी.सी. व अन्य उग्रवादी असामाजिक तत्वों का अड्डा बनते जा रहे हैं क्योंकि यहां के युवकों की रोटी-रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगार नौजवान इन उग्रवादी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं। मध्य बिहार के ये इलाके कृषि प्रधान क्षेत्र होने पर भी यहां सिंचाई की सवा सौ वर्ष पुरानी सोन नहरें सिंचाई के लिए व्यर्थ साबित हो रही हैं। यहां खेती घाटे का धंधा बन गई है। फलत: नौजवान रोजी-रोटी के अभाव में अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। इस इलाके में सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था व छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की स्थापना करके उग्रवाद प्रभावित इन युवकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त जिलों में उग्रवाद प्रभाव रोकने के लिए सोन नहरों का जीर्णोद्धार (आधुनिकीकरण) किया जाये। सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था की जाए तथा छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि दिग्भ्रमित युवकों को रोजगार देकर समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके व उग्रवाद प्रभाव को समूल नष्ट किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार को समुचित धन उपलब्ध कराया जाये।

(उन्नीस) अलग बोडोलैंड राज्य का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि काफी समय से चली आ रही एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र सकारात्मक नीतिगत निर्णय और राजनैतिक पहल करे ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए बोडोलैंड तथा विशेषकर असम में तथा पूरे भारत में 'उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़' की तरह एक अलग बोडोलैंड बनाया जा सके।

असम में होने वाली विकट गंभीर स्थिति को देखते हुए बोडो लोगों के बचने और उनकी अलग जातीय पहचान, पुरानी और समृद्ध बोडो भाषा और सांस्कृतिक विरासत तथा सभ्यता, उनकी सुरक्षा, उनका चहुंमुखी विकास और उनकी अपने ज्ञान का विकास तथा एक अलग जातीय पहचान को कायम रखना वर्तमान असम राज्य में असंभव हो गया है। बोडोलैंड के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को किसी न किसी कारण के आधार पर बोडोलैंड न दिया जाना तथा उनके लिए वर्तमान असम राज्य में प्रतिकूल स्थिति तथा प्रतिकूल वातावरण में अपने सामाजिक और सांस्कृतिक तथा जातीय जीवन को खतरे में डालते हुए उनका वहां रहना बहुत ही अन्यायपूर्ण है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आने वाले शीतकालीन संसद सत्र में "असम राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000" को लाने के लिए आवश्यक राजनैतिक पहल और ठोस नीतिगत निर्णय लिया जाए ताकि अविलंब ही "उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़," की तरह बोडोलैंड राज्य बनाया जा सके जिससे बोडो लोगों तथा अन्य मैदानी क्षेत्र के जनजातीय लोगों की सुरक्षा तथा उनका सर्वांगीण विकास देश के अन्य लोगों के समान ही उनके अपने राज्य 'बोडोलैंड' में हो सके।

(बीस) सड़क टेरिंग विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टेरिंग के लिए प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स आधारित बिटूमिन का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, इस समय भूतल परिवहन मंत्रालय रबर आच्छादित सड़कों को प्रोत्साहन दे रहा है और हमारे दस प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों को रबर आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, सबसे प्रभावी रबर युक्त बिटुमेन प्राकृतिक रबर लेटेक्स द्वारा बनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित किया जा चुका है। फ्रांस में किए गए अनुसंधान से इसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं। रबर बोर्ड ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। चूंकि भारत में लेटेक्स का बहुत अधिक उत्पादन होता है इसलिए यह आवश्यक है कि हम केवल प्राकृतिक रबर लेटेक्स का ही प्रयोग करके सड़कों पर रबड़ बिछाने के काम पर जोर दें। यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि आयातित पालिमट और प्रयोग किए गए रबर के सामानों का उपयोग करके रबर युक्त बिटुमेन का उत्पादन करने वाली कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां रबर बिछाने के काम के लिए अपने उत्पादन का प्रयोग करने के लिए अनावश्यक दबाव डाल रही हैं। यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है तथा इसीलिए इसे रोका जाना चाहिए। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सड़कों पर रबर बिछाने के लिए ही प्राकृतिक रबर लेटेक्स पर आधारित बिटुमेन का ही प्रयोग किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेगी।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (रायगंज): क्या मैं आपका ध्यान कुछ देर के लिए आकर्षित कर सकता हूँ? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अपराह्न 2 बजे के बाद यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेगी। हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय में हस्तक्षेप न करें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सभापति महोदय, मैं सुबह से पूछ रहा हूं कि 59 मैम्बर्स ने अपोलो हास्पीटल के बारे में एक प्रस्ताव दिया है। जो इश्यू मैंने यहां उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज सत्र का लास्ट डे है। ...*(व्यवधान)* सर, 59 मैम्बर्स ने लिखकर दिया है, मैं चाहता हूं कि इस पर हैल्थ मिनिस्टर का कोई स्टेटमैन्ट आ जाए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.06 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा आज (25.8.2000) को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा आज (25.8.2000) को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, पुरःस्थापन के लिए विधेयक।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है।

कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): मुझे एक अत्यन्त गंभीर मुद्दा उठाना है। कृपया आप मुझे अनुमति दे दीजिए।

सभापति महोदय: मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूँ? गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह कार्यसूची में अपराह्न 2.00 बजे के लिए सम्मिलित किया है।

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, आपकी अनुमति से, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा करने की अनुमति प्रदान करें। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोई निवेदन नहीं किया जा सकता। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): कुछ लोग हाउस नहीं चलने देते हैं। जो हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है। अगर कुछ लोग हाउस नहीं चलने देते तो हम क्या करें। 59 मैम्बर्स ने लिखकर दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझे अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। यह कार्यमंत्रणा समिति में तय हो गया था।

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा): महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

अपराह्न 2.07 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुरःस्थापित*

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 171 का संशोधन)

श्री कोलूर बसवनागौड़ (बेल्लारी): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलूर बसवनागौड़: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। मैं किस नियम के अधीन आपको अनुमति प्रदान करूं?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.08 बजे

(दो) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 और 16 का संशोधन)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह तरीका ठीक नहीं है। जब नियम अनुमति नहीं देता है तो आपको इस मामले को नहीं उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): हम लिखकर देते हैं, इश्यु उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलने नहीं देते हैं। हमें भी सदन के नियम और प्रोसीजर मालूम हैं। अभी हमें बोलने दिया जाए। 59 मैम्बर्स ने लिखकर दिया है। हमारे एक मिनिस्टर की डैथ हो गई है। सबने अपोलो हास्पीटल के बारे में लिखकर दिया है। ...*(व्यवधान)* जब हम इश्यु उठाते हैं तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दूसरे मैम्बर्स बोलते रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, मैं सुबह से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.09 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 316 का संशोधन)

श्री कोलूर बसवनागौड़ (बेल्लारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलूर बसवनागौड़: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, मैं एक अत्यन्त गंभीर मामला उठाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय: आप इस मुद्दे को यहां, अब, नहीं उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यहां जिस नियम के अनुसार कार्यवाही चल रही है, वह आप पर भी लागू होगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): मैं इतना चाहता हूं कि हैल्थ मिनिस्टर कह दें कि इसकी जांच होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, हमें दो घंटे और समय मिल गया है। हमें यह सत्र अच्छी प्रकार समाप्त करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.11 बजे

(चार) असंगठित कर्मकार बीमा विधेयक*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि असंगठित कर्मकारों के लिए जीवन बीमा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि असंगठित कर्मकारों के लिए जीवन बीमा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको नियम पता है। नियम आपको अनुमति नहीं देता। यह बात कार्यमंत्रणा समिति में तय हो गई है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सुबह हमें चेयर से प्रोटेक्शन नहीं मिला। मुझे स्पीकर साहब ने बोलने के लिए कहा और यहां हल्ला होता रहा, यहां शांति स्थापित नहीं हो पाई। आखिर 59 मैम्बर्स ने लिखकर दिया है। कहीं तो उसका जवाब दीजिए। ...*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, आप मुझे अनुमति दे सकते हैं। कृपया मुझे एक निवेदन करने की अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, आप हम लोगों को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे कोई नियम बताएं। कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपके विनिर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता।

अपराह्न 2.12 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 81 का संशोधन, आदि)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, कृपया आप मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, क्या आप मुझे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद अनुमति प्रदान करेंगे? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): चार बजे देखेंगे। अभी क्या चेयर से लिखकर आश्वासन लेना चाहते हैं?

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.13 बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 151क से 151छ का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 2.14 बजे

(सात) महाविद्यालय छात्र अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में महाविद्यालय छात्रों के लिए, अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में महाविद्यालय छात्रों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 2.15 बजे

(आठ) अनिवार्य होमगार्ड प्रशिक्षण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी समर्थांग व्यक्तियों के लिए होमगार्ड प्रशिक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है:

"कि सभी समर्थांग व्यक्तियों के लिए होमगार्ड प्रशिक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 2.15½ बजे

(नौ) अविवाहित भत्ता विधेयक*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अविवाहितों के लिए कतिपय प्रसुविधाओं और सुख-सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अविवाहितों के लिए कतिपय प्रसुविधाओं और सुख-सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.16 बजे

(दस) जनसंख्या नीति विधेयक*

[अनुवाद]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनसंख्या नीति बनाने तथा छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जनसंख्या नीति बनाने तथा छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 2.16 $^{1}/_{2}$ बजे

(ग्यारह) नागरिक (पहचान-पत्र) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचान-पत्र जारी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचान-पत्र जारी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.17 बजे

(बारह) प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रत्येक उद्यम के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रत्येक उद्यम के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनंदराव विठोबा अडसुल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 2.17 $^{1}/_{2}$ बजे

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक*

(नये अध्याय 4क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.18 बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.19 बजे

(पंद्रह) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह सभा अब श्री सुबोध मोहिते द्वारा 11 अगस्त, 2000 को प्रस्तुत विधेयक पर विचार करेगी। श्री सुबोध मोहिते बोल रहे थे। ये पहले ही 19 मिनट ले चुके हैं। वे अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति महोदय, पिछले हफ्ते, इस देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास किस तरह किया जाए और किस तरह से लोगों को, दुख से सुख की ओर ले जाया जाए, इस पर हमने चर्चा की थी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आजादी के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया और खून बहाते-बहाते एक सपना देखा था, काश वह सपना सच हो जाता, तो आज यहां ऐसा प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न इस बहस को कराने की आवश्यकता पड़ती।

आजादी के बाद सबसे पहले यह स्पेशल नैशनल एजेंडा था कि फाइनेंशियल डिस्पैरेटीज जहां-जहां होगी, वहां हम बैलेंस लायेंगे। यह सबसे बड़ा एजेंडा था। इस नैशनल एजेंडे पर कई बार सदन में चर्चा हुई है। कई बार गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कमेटी गठित की है, जैसा मैंने अपने पहले भाषण में बताया था कि 1997 में कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हिन्दुस्तान में 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर खासतौर से स्पेशल एक्शन प्लान इम्प्लीमैंट करने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि गवर्नमैंट ऐसी कमेटियां केवल टाइम पास करने के लिए बनाती हैं। अगर सही एक्शन लेने की जरूरत है तो कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि फिक्सड एक्शन होना चाहिए। कमेटियां बनी लेकिन वह पेपर के ऊपर बनीं, रिकमेंडेशन दिये गये लेकिन पेपर के ऊपर दिये गये और किताब बंद कर दी तो विकास भी उस किताब के साथ बंद हो गया।

मैं बड़े आदर के साथ सब मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि आज भी हमारे दिले में यह सवाल है कि हम मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट के नाते इस सर्वोच्च भवन में बैठे हुए हैं और कानून बनाने वाले हैं, मेरा सवाल है कि आज देश कौन चला रहा है? आज देश हम चला रहे हैं या अधिकारी चला रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल आज एक जन-प्रतिनिधि के सामने है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद लोक सभा का सांसद हूं। मैं पहली टाइम इस सदन में चुनकर आया हूं लेकिन जब मैंने पुरानी किताबों को खोलकर देखा तो पाया कि 12वीं लोक सभा के सांसद के अधिकार का जो फंड था, उसको यूटीलाइज्ड करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गयी है, ऐसा क्यों है? आपने तो यहां से पैसा रिलीज कर दिया। एम.पी. ने यह रिकमेंडेशन दे दी कि यहां पीने के पानी की समस्या है। धूप के समय लोगों को पानी नहीं मिलता है जिसके कारण लोग मर रहे हैं इसलिए यहां पर कुएं खोदे जायें, बोरवेल खोदे जायें। एम.पी. की चिट्ठी डी.एम. के आफिस में चली गयी। डी.एम. ने उसको 15 दिन तक दबाकर रख दिया। 15 दिन बाद जब चिट्ठी खोली तो वह असिस्टैंट के पास गई। असिस्टैंट के पास से क्लर्क के पास, क्लर्क के पास से डिस्पेचर के पास गई। डिस्पेचर के पास से एस्टीमेट बनाने वाले के पास गई जब तक धूप का समय निकल चुका था और पानी-पानी करते हुए कई गरीबों की जानें चली गईं। जब एम.पी. का टेन्योर खत्म हो गया, तो वह चला गया और देहात का आदमी पानी-पानी करता हुआ मर गया।

इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि देश कौन चला रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। अगर सही मायने में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के पहले ऑनरेबल लगाते हैं तो ऑनरेबल वर्ड का ऑनर होना चाहिए। अगर ऑनर करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि एमपीलैड स्कीम का जो पैसा है, उसके टाइमली इम्प्लीमैंट के लिए डी.एम. को रिस्पौंसिबल बनाना चाहिए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 25.8.2000 में प्रकाशित।

[श्री सुबोध मोहिते]

डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर टाइमली इम्प्लीमैंट करता है या नहीं, इसके रिव्यू करने का अधिकार एम.पी. को देना चाहिए क्योंकि यह उसका फंड है। सिर्फ रिव्यू करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो टैंडेंसी है, उसे आप जानते हैं। मैं इसमें एक सजेशन देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें आप एक कॉलम डालें। एक एम.पी. जो गरीबों पर दस करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, तो आप एक कॉलम डालिये कि उस पैसे को कलैक्टर ने बराबर इम्प्लीमैंट किया है या नहीं किया। उसके हिसाब से कांफिडेंशियल रिपोर्ट का रिव्यू होना चाहिए, यह मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही बोला था कि हम आजाद हैं या गुलाम हैं, यह सवाल आज आम जनता के सामने है। जब देश आजाद हुआ तब हम बोलते थे कि हम अनाज सुरक्षा दे रहे हैं। हम पानी की सुरक्षा दे रहे हैं। हम देश को सुरक्षा दे रहे हैं। हमारा नारा था कि हम अन्न, वस्त्र और निवास आपको दे देंगे लेकिन किसी प्रकार की सिक्योरिटी आज किसी को भी नहीं मिली है। आज भी जब हम सदन में चर्चा करते हैं तब कोई ऐसा नहीं बोलता कि इंडिया में गरीबों के लिए 100 परसेंट फूड की सिक्योरिटी है।

डिफैंस सिक्युरिटी नहीं है। हम रोज देखते हैं। उस दिन अमरनाथ यात्रा के बारे में श्री दासमुंशी ने बहुत अच्छा कहा कि आजादी का नारा है—फूड सिक्युरिटी, डिफैंस सिक्युरिटी, मनी सिक्युरिटी, फाईनैंशियल सिक्युरिटी, वाटर सिक्युरिटी, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को कई-कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यह बिल किसी पार्टी के इनडिविजुअल इंटरस्ट में नहीं लाया गया है, बल्कि नैशनल इंटरस्ट में लाया गया है। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। हिन्दुस्तान में 6 या 7 राज्य मोस्ट बैकवर्ड हैं। उनकी डिसपैरिटी कैसे दूर करें, यह इसका औब्जेक्ट है।

मैं रामटेक क्षेत्र को रिप्रैजैंट करता हूं। बाकी माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे लेकिन मैंने पिछली बार प्वाइंट्स रखे थे कि विदर्भ बैकवर्ड क्यों रहा, फंड क्यों नहीं गया, किसकी लौबिंग थी, कहां-कहीं फिक्सिंग हुई। जब श्री यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने एक करार किया और कहा था कि अब आजादी मिल गई है, इसलिए चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है, अब हम आपको पांच साल के अंदर पूरा विकास करवा देंगे। वह नागपुर करार के नाम से जाना जाता था। उस पर हस्ताक्षर हो गए। मुख्य मंत्री की बातों पर भोले-भाले लोगों ने विश्वास कर लिया। उनको लगा कि पांच साल में अनाज, पानी सब कुछ मिल जायेगा। नागपुर करार पेपर में हो गया। मैं 1960 की बात कर रहा हूं। उस करार में लिखा था कि संविधान की धारा 371(2) के तहत हम विदर्भ के लिए एक स्वतंत्र विकास मंडल की स्थापना करेंगे। उस करार की एक कापी मेरे पास है। वह करार सिर्फ पेपर में रहा। धारा 371(2) के अधीन कोई विकास मंडल स्थापित नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है। वह करार इम्प्लीमैंट नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में दो फैक्टर हैं जो सरकार को गवर्न करते हैं—पहला को-ऑपरेटिव और दूसरा शुगर लॉबी। ये दो लॉबी एक डिस्ट्रिक्ट से पूरी सरकार को गवर्न करती थीं।

मैं पिछले चालीस साल के महाराष्ट्र के बजट की फिगर्स लाया हूं जो केलकर समिति ने बताए। ऐनुवल बजट की 85 प्रतिशत राशि विदर्भ के बैकलॉग को दूर करने के लिए देना चाहिए, ऐसा समिति रिकमैंडेशन करती है लेकिन चेयर पर्सन अपना काम नहीं करता। इसलिए 85 प्रतिशत राशि बैकवर्ड दूर करने के बजाए उन्होंने जो एरिया बैकवर्ड नहीं था, उसे दे दिया यानी 15 प्रतिशत बजट बैकवर्ड एरिया को दे दिया। उन दो लॉबी ने 45 सालों तक पूरी तरह से मनमानी करके विदर्भ के साथ बहुत अन्याय किया। 1960 में नागपुर करार होने के बाद, संविधान में प्रौवीजन होने के बाद, 1960 से 1994 तक वह करार एक पेटी में बंद रहा। 1994 में किसी राजनेता की नींद खुली और उनको लगा कि 1960 में हमारे पूर्वजों ने जो करार किया था, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए क्योंकि अभी चुनाव पास आ गए हैं। 1994 में चुनाव से तीन महीने पहले विदर्भ विकास महामंडल की स्थापना की गई।

केलकर समिति के अनुसार 1984 में बैकलॉग 37.32 परसैंट था जो तीन साल में पूरा करना था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। 1984 से 1994 तक विदर्भ का बैकलॉग 45.33 परसैंट था। मतलब वह 37 परसैंट से 45 परसैंट तक बढ़ता गया। 1994 से लेकर आज तक की फीगर्स मेरे पास हैं। जो बैकलॉग 45.33 परसैंट था वह दुर्भाग्य से बढ़कर जून 2000 तक 49.3 परसैंट हो गया। 1960 में हमें बैकलॉग पूरा करना था और विदर्भ का विकास करना था लेकिन वह कर नहीं पाए। 40 साल में 50 परसैंट से भी ज्यादा बर्डन विदर्भ के ऊपर डाल दिया गया। जब हम इसका एनालिसिस करके देखें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहां सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। मैं किसी की भावना को दुख नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन सच्चाई छिपाना ठीक नहीं होगा। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र बनने के बाद ठोस वायदे किए गए और कहा गया कि पांच साल में विदर्भ को समृद्धिशाली बना दिया जाएगा लेकिन सन् दो हजार तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 50 परसैंट से ज्यादा ओवर बर्डन उसके ऊपर डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार उस समय की कांग्रेस पार्टी थी। शरद पवार जी यहां नहीं हैं। अधिकतम टैन्योर शरद पवार जी की पार्टी का वहां रहा। बजट का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो पश्चिमी महाराष्ट्र को ज्यादा राशि आवंटित की गई और विदर्भ को कम दी गई। शरद पवार जी बहुत बड़े

नेता हैं। उनके चेले आठवले जी यहां बैठे हैं। मैं शरद पवार जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ? वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और आठवले जी समाज कल्याण मंत्री थे। मुझे इसका इतिहास मालूम है। मैं चाहूंगा कि आठवले जी मेरी बात का समर्थन करें क्योंकि सच्चाई दब नहीं सकती। शरद पवार जी ने वायदा किया कि पूरे समाज का कल्याण होगा और विदर्भवासियों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहां का मुख्यमंत्री बन गया हूं, उसे समृद्धिशाली बना दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। लोग सपना देखने लगे, लोगों को लगा कि छः फुट का अच्छा बड़ा आदमी है, विचार करने की शक्ति है, रीजन वाला है और दोस्ती वाला है, शायद हमारा विकास हो जाएगा। लोग सपना देखते रहे। इतने वर्ष बीत जाने के बाद वायदे वायदे रह गए, उन्होंने जो कसमें खाई थीं, उनको पूरा नहीं किया। सपना सपना रह गया। विदर्भ पीछे चला गया और मंत्री लोग आगे बढ़ते रहे। यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। मैं आठवले जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने विदर्भ को गलत सपने क्यों दिखाएं और उसे क्यों भूल गए?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मोहिते, आपको इस पर उत्तर देते वक्त और समय मिलेगा। कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मुझे इस पर बोलने की इजाजत दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री आठवले, आप किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य संसदीय नियम के अनुसार चलता है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता और न मेरी आदत उनकी भावनाओं से खेलने की है लेकिन जो सच्चाई है, वह बता रहा हूं। सच कड़वा होता है। दवाई जितनी ज्यादा कड़वी होगी, बुखार उतनी जल्दी ठीक हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सपना 45 साल पहले देखा था, उसे लोगों ने भुला दिया है। सपना कभी सच नहीं होता लेकिन भगवान की सोच ने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई है।

सभापति महोदय, पिछली बार महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना-भाजपा की सरकार आई। लोगों को कहीं एक सपना लगा था, वह पूरा हुआ कि यह मसीहा आया है जो एक सपना नहीं, सच था। जहां पानी नहीं था, वहां पानी देखने को आया, जहां सड़क नहीं थी, वहां डामर की सड़क देखने को मिली। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि बाला साहेब देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने शासन के खिलाफ ही यह घोषणा कर डाली कि जो जनता का शासन है, उसके लिए मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार से व्हाइट पेपर निकालने के लिए कहा। मैं इस बिल पर बहुत कुछ कहना चाहता हूं और कई मुद्दे उठाना चाहता हूं लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह बिल लोगों की भावनाओं से खेलने का बिल नहीं है। जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी बरबाद की है, अपना खून बहाया है, उनके खून का आदर करना होगा तथा उनके खून की कीमत चुकानी होगी। उन लोगों को झूठा आश्वासन देकर यह कीमत नहीं चुकाई जायेगी। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा।

सभापति महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल को सर्वसम्मति से पास किये जाने की विनती करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> ''कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधयेक पर विचार किया जाये।''

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): धन्यवाद, माननीय सभापति, महोदय। मैं श्री सुबोध मोहिते द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने अपने भाषण के अंत में सामान्य तौर पर राजनैतिक व्यवस्था पर और विशेषकर सत्ता पर आसीन पार्टी पर कहा। कुछ जिलों में पिछड़ेपन की यह बुराई हमारे देश की राजनैतिक व्यवस्था के मूल में देखी जा सकती है।

जहाँ तक पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक का प्रश्न है, इस मामले पर देश पर समय-समय पर शासन करने वाली पार्टी ने ध्यान दिया है। 1960 में, औद्योगिक प्रगति के आधार पर पिछड़े जिलों की पहचान करने का प्रयत्न किया गया था। 1960 में यह

[श्री अनादि साहू]

पहला प्रयास था। उसके पश्चात, समय-समय पर कई समितियाँ बनीं। 1966 में, योजना आयोग ने कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन के पहलू पर गौर किया था। एक अध्ययन दल का गठन पिछड़े क्षेत्रों के सबसे प्रमुख कारण की पहचान के लिए किया गया था, जिससे पिछड़ेपन से संबंधित एक आधार को अपनाया जा सके। 1966 में, योजना आयोग के अध्ययन दल ने 15 मानदण्ड को लिया। इन मानदण्डों में से पहला—मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा—जनसंख्या का घनत्व था, उसके बाद कृषि और कृषक कार्यों में लगे किसान, उसके बाद कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य क्षेत्र का उपलब्ध होना, साक्षरता, चिकित्सा सुविधाएँ इत्यादि।

उसके बाद, कई समितियाँ बनाई गईं। 1968 की वांचू समिति ने इसके मानदण्ड को कुछ हद तक बदल दिया। परंतु शर्मा समिति का गठन 1997 में हुआ जिसका उल्लेख श्री सुबोध मोहिते कर रहे थे। इसमें इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि देश के पिछड़े जिले की पहचान करने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाये जांये। उन्होंने इसकी सबसे पहली पहचान खाद्य की कमी के रूप में की थी। जिले के पिछड़ेपन का निर्णय करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह ली जानी चाहिए कि क्या लोगों को भोजन प्राप्त हो रहा है या नहीं।

दूसरा मानदण्ड है सामाजिक अवसंरचना, तीसरा है आर्थिक अवसंरचना। जहाँ तक सामाजिक अवसंरचना का संबंध है, आप शिक्षा को ले सकते हैं, आप पेयजल को ले सकते हैं और आप अन्य कई बातों को मान सकते हैं। जब हम आर्थिक विपन्नता के बारे में सोचते हैं, तब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, अनाज की उपलब्धता, अन्य आधारभूत आवश्यकताएं जैसे, बिजली, सड़कें, दूरसंचार के साधन और अन्य कई बातों पर विचार किया जा सकता है। परंतु यह शर्मा समिति द्वारा अपनाया गया उचित मानदण्ड या आधार नहीं हैं इसका साधारण कारण यह है कि उन्होंने पाया कि अध्ययन के लिए गये 100 जिलों में से 38 पिछड़े जिले बिहार में स्थित हैं। जबकि उड़ीसा में सिर्फ चार जिलों को ही पिछड़ा पाया गया। मुझे नहीं पता कि शर्मा समिति ने कौन सा मानदण्ड अपनाया कि उड़ीस के केवल चार ही जिले पिछड़े पास गये, जहाँ तक उद्योगों में आधारभूत सुविधाओं का प्रश्न है, संचार साधनों का प्रश्न है, सिंचाई की क्षमता का प्रश्न है या वेतन रोजगार का प्रश्न है, इसमें से कौन से प्रकार का मानदण्ड अपनाया गया।

जो भी सच रहा हो, शर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। शर्मा समिति रिपोर्ट के आधार पर, नौवीं योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, पिछड़े जिलों को विकसित जिलों के साथ जोड़ने के लिए कुछ आधार निर्धारित किया गया है। ऐसे कुछ आधारों के बारे में सोचा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में, ऐसे आधारों के बारे में सोचा गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में, सड़कों की अवसंरचना विकास, रेलवे, विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का खोला जाना, बंजर-भूमि विकास और सूखाग्रस्त क्षेत्र का विकास और ऐसी ही बातों पर विचार किया गया था। यह काम नौवीं पंचवर्षीय योजना तक विस्तारित हो गया था तथा आधार निर्धारण पर कार्य चल रहा है। जब संयोजन का कार्य चल रहा था, तो योजना निर्माताओं द्वारा इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया गया।

सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय उपयोजना हेतु निधियाँ प्रदान की गई हैं। हमारे देश में, ज्यादातर जनजातीय लोग ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ खेती निचले स्थानों पर होती है और मजदूरी सही ढंग से नहीं मिलती। इसलिए देश में, संविधान के लागू होने के बाद पिछले कई वर्षों से बजट में जनजातीय उपयोजनाओं को शामिल किया गया है। आप देखेंगे कि संविधान में भी यह बात अनुच्छेद 275 खंड (1) में कही गई है। केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए राज्यों को कुछ अनुदान राशि दी जाती हैं। देश में कई अनुसूचित क्षेत्र हैं। इसलिए समय-समय पर इन सभी बातों पर विचार किया जाता है।

जिन दो बातों ने योजना बनाने वालों और सरकार का ध्यान, चाहे आज की राजद सरकार हो या पहले की कोई सरकार, खींचा है वे हैं, विकास केन्द्र योजना के लिए प्रयोग किया जाने वाला पहला मानदंड अर्थात् औद्योगिक आधार संरचना के विकास के लिए विकास केन्द्र योजनाओं को अपनाया जाना। किसी पिछड़े जिले के विकास के लिए औद्योगिक आधार संरचना का आवश्यक है। इसीलिए विकास केन्द्र योजना बनाई गई है।

दूसरी स्कीम है समेकित आधारभूत संरचना योजना जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे उद्योग लगाने के लिए हैं। इन दोनों मानदंडों पर हैदराबाद की राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। 1999 में उन्होंने एक बहुत ही अच्छे और उत्कृष्ट तरीके से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उन्होंने पृष्ठ 22 पर गरीबी के निर्धारक तत्वों का उल्लेख किया था। मैं गरीबी के निर्धारक तत्वों पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। गरीबी के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत की जाने वाली विकासात्मक कार्रवाई पर प्रकाश डाला गया है।

सच्चाई यह है कि समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं को जिसमें ई.ए.एस., जे.आर.वाई. तथा डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए., टी.आर.वाई.एस.ई.एम. शामिल हैं तथा अन्य सभी समेकित परियोजनाओं को एक साथ लाया गया है तथा संविधान के तिहत्तरवें

और चौहत्तरवें संशोधनों के साथ पंचायती राज संबंधी सभी आंदोलनों को एक साथ समेकित किया गया है।

समेकित ग्रामीण विकास परियोजना क्षेत्रों को एक साथ रखकर यह सुनिश्चित किया गया है कि शर्मा समिति द्वारा पता लगाए गए जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के कार्य को शुरू किया गया है। जैसा कि मैं कह चुका हूं पिछड़े जिलों और विकसित जिलों के बीच संपर्क होना चाहिए। परंतु क्या हम यह संपर्क बनाते हैं? जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह पूरी कमी सामान्यत: सरकार के प्रजातांत्रिक ढांचे और विशेषकर पार्टी प्रणाली में है। ये पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो अपने क्षेत्रों समेत कुछ क्षेत्रों का विकास करना चाहती हैं। मैं श्री मोहिते की बात तथा उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि ये कमियां पूरे देश में समस्या पैदा कर रही हैं। इतना अधिक धन दिया जा रहा है। आधारभूत संरचना के विकास, संचार, गरीबों, दलितों और वंचित लगों के उत्थान के लिए हजारों करोड़ रुपया दिया जा रहा है। यह रुपया कहां जा रहा है? लोगों को कितना लाभ पहुंच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। इसलिए पिछड़े लोग हमेशा पिछड़े ही रह जाते हैं।

शर्मा समिति में कहा गया है कि यह देखा जाना चाहिए कि संसाधन उपलब्ध हों और वे लोगों तक पहुंच सकें। जहां तक मेरे राज्य में सूखाग्रस्त जिलों का संबंध है के.बी.के. जिले सूखाग्रस्त हैं। गुजरात में आप पाएंगे कि कई जिले सूखाग्रस्त हैं। परंतु किसानों, पशु पालने वाले लोगों की कठिनाइयों को भी दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए गुजरात या राजस्थान को ही लें, जहां पशु तो हैं परंतु पानी और चारा नहीं है। उन लोगों के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

योजना बनाने वालों ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। धन दे दिया गया है। मैं दिए गए धन के ब्यौरे के बारे में नहीं बताने वाला हूं। परंतु इसे लागू करने वाली एजेंसियां ईमानदारी से काम नहीं कर रही हैं। चाहे जितना भी धन दिया गया हो तो अगर इसे लागू करने वाली एजेंसियां, चाहे वह डी.आर.डी.ए. हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे ब्लाक स्तर के अधिकारी हों या पंचायत स्तर के अधिकारी हों, अगर इसे लागू नहीं करते तो क्या होगा?

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए 5000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। परंतु जहां विकास कार्यों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए ई.ए.एस. के अंतर्गत धन दिया गया है वहां हमें कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। धन दिए जाने के बावजूद कोई सड़क नहीं बनी है। मैंने एक उदाहरण दिया था जहां वाटरशेड विकास के लिए पिछले 15 सालों से धन दिया गया है। परंतु आप अगर गुजरात जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह धन कहां गया? हमें इसीलिए संसदीय समितियों का गठन करना चाहिए। हमें पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के बारे में सोचना चाहिए परंतु इससे कुछ नहीं हो रहा है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं।

माननीय श्री मोहिते ने कहा है कि एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। अब हमारे पास ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख एजेंसी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर तरह का विकास कार्य करती है। सामान्यत: पिछड़े जिले उन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहां शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, कोई स्वास्थ्य रक्षा सुविधा नहीं है और संचार का कोई माध्यम नहीं है जिससे जो लोग संपन्न नहीं हैं और वहां जो लड़के-लड़कियां हैं वे लोग स्कूल जा सकें तथा उन्हें वे सुविधाएं आसानी से मिल सकें जो पहले नहीं मिलती थी।

पहली बात यह है कि हमें वर्तमान ढांचे, प्रणाली और उन अधिकारियों के बारे में सोचना चाहिए जो इसकी देखरेख कर रहे हैं तथा उनसे भी अधिक यह जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों की है। मेरी सच यह है कि यह जिम्मेदारी केवल चुने हुए प्रतिनिधियों की ही है। जब तक वे यह जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता और किसी प्रकार का कानून गरीबों, दलितों और वंचित लोगों की स्थिति नहीं सुधार सकता।

महोदय, मैं अब बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा क्योंकि अन्य सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहेंगे।

मेरा विचार है कि कोई स्वायत्त संस्था बनाने के लिए किसी कानून का होना जरूरी नहीं है। बल्कि यह जरूरी होना चाहिए कि संसदीय समितियाँ समय-समय पर उन गरीबों के पास जाएं जो खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकते। सबसे पहले खेती-बंजर भूमि विकास की बात करते हैं। हमारे यहां काफी बंजर भूमि है, जिसका विकास किया जा सकता है।

इस समय लगभग 200 मिलियन टन अनाज पैदा किया जा रहा है। अगले एक या दो वर्षों में हम इसे बढ़ाकर 210 या 215 मिलियन टन क्यों नहीं कर देते? खेतों में काम करने वाले लोग, ग्रामीण मजदूर, कृषि विभाग में काम करने वाले कृषि अधिकारी या कनिष्ठ अभियंता वे लोग हैं जो सिंचाई, उर्वरक की आपूर्ति और कीटनाशकों से संबंधित हैं। समिति द्वारा इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

[श्री अनादि साहू]

अब उर्वरक का उदाहरण लेते हैं। ब्लाक स्तर पर उर्वरक प्रति ईकाई 150 रुपए की दर से उपलब्ध है। अगर इसे सुदूर के गांवों में ले जाया जाता है तो इसकी कीमत 20 या 30 या 40 रुपए बढ़ जाती है। गरीब किसान यह रुपया कहां से लाएगा? मैंने ऐसी स्थिति उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में देखी है। ब्लाक स्तर से किसानों तक, और इसके प्रयोग करने वालों तक 20 से 30 रुपए तक और बढ़ जाते हैं। जब तक इसका प्रयोग करने वालों को उर्वरक सही दर पर उपलब्ध कराने की कोई नीति नहीं बनाई जाती तब तक कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सैकड़ों जिलों का पिछड़ापन पता लगने के बावजूद बिना प्रयास के दूर नहीं किया जा सकता।

आप बिहार का ही उदाहरण लें। वहां बंदूकों का राज चलता है क्योंकि अमीर और गरीब लोग मिलकर नहीं रहते। आर्थिक असमानता एक प्रमुख कारण है जिसके कारण बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आतंकवाद और नक्सल काफी बढ़ गया है जिसके कारण गरीब किसान और अति गरीब किसान अपनी जमीनों में खेती तक नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम पिछड़ेपन के बारे में सोचते हैं तो हमें भूमि सुधार के बारे में सोचना होता है।

महोदय, 1956 में हमने कई राज्यों में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया था। जमींदारी उन्मूलन के बाद क्या हुआ? एक संचित भूमि वितरण से यह एक विशेष समूह के लोगों में ही छितरा हुआ भूमि वितरण हो गया था। भूमि सुधार का लाभ गरीब लोगों को नहीं हुआ, इसका लाभ केवल कुछ लोगों को ही मिल सका। इसलिए जब तक सही ढंग से भूमि सुधार, सही ढंग से औद्योगिकरण, स्वास्थ्य, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होगा तब तक पिछड़े क्षेत्रों में कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए हम यह अधिनियम लाकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम केवल उन लोगों के ऊपर एक और एजेंसी का गठन कर देंगे जिनका काम इस परियोजना को कार्यान्वित करना समझा जाता है। यह एक और बोझ होगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, श्री सुबोध मोहिते जी के निजी बिल जिसमें पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई है, हालांकि वे गड़बड़ पार्टी में जरूर हैं, लेकिन उनका विधेयक स्वागत-योग्य है और मैं उनका समर्थन करता हूं। यह देश की अत्यधिक गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि पूरे हिन्दुस्तान में आज जो तनाव है, उस तनाव का अगर कोई प्रमुख कारण हो सकता है, तो वह है क्षेत्रीय असंतुलन।

दौलत जिन इलाकों पर प्राथमिकता के साथ खर्च होनी चाहिए, वह नहीं होती। कभी कुछ हिस्सों को यह दिखाई देता है कि हम सूबे की सरकार को राजस्व के रूप में दौलत ज्यादा दे रहे हैं लेकिन उसका उपभोग दूसरे लोग कर रहे हैं। आज जो देश में हिंसात्मक आंदोलन है चाहे उसे नक्सली आंदोलन कहें या कुछ और कहें, उन सबके पीछे बुनियादी तौर पर यही कारण है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को प्राथमिकता के तौर पर जो काम करने थे, वे काम हमारे देश में नहीं हुए। अभी मोहिते जी भाषण दे रहे थे कि 1948 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक असंतुलन के लिए प्रिंसिपल एडीशनल सैक्रेटरी, प्लानिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट 1977 में आई। इसमें 100 जिलों को आईडेंटिफाई किया गया था। पिछले कुछ समय से यह देखने में आता है कि चाहे कमेटी हो या कमीशन हो, तत्काल जनता का ध्यान हटाने के लिए हम कमीशन या कमेटी बना देते हैं लेकिन उसकी संस्तुतियों को लागू करने में हम उतने गंभीर नहीं हैं। इस देश में तमाम सवाल उठे। एक बार पुलिस वालों का सवाल उठा था कि उनकी कुछ परेशानियां हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने दो कमीशन बना दिये—एक धर्मवीर कमीशन और दूसरा रूस्तम कमीशन—लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। हमारे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए विवाद उठा था तो वहां एक जसवंत सिंह कमीशन बना दिया गया, उस कमीशन ने अपनी संस्तुति दी कि हाई कोर्ट बेंच के लिए आगरा सबसे उपयुक्त स्थल है लेकिन उनकी संस्तुति पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमेटी या कमीशन बनाने से सिर्फ लोगों का ध्यान ही हटाना है लेकिन उसका कोई प्रयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं जो संस्तुतियां आती हैं, उन पर अमल करने में हम लोग कोताबी बरतते रहे हैं।

जहां तक आर्थिक असंतुलन या विकास का सवाल है, उसमें हमारे देश की बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति है और इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो यह स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। हमारे देश में बेहतरीन स्कूल हैं, बहुत अच्छे-अच्छे निजी स्कूल हैं जहां पर हजारों रुपये फीस जाती है। जहां दौलत वाले परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। 1986 में स्कूलों के लिए एक ब्लैकबोर्ड योजना बनी थी कि हर कक्षा के लिए एक ब्लैकबोर्ड होना चाहिए लेकिन हिन्दुस्तान में हम एक कक्षा के लिए ब्लैकबोर्ड का इंतजाम तक नहीं कर पाये। हिन्दुस्तान के सिर्फ 40 फीसदी स्कूलों में ब्लैकबोर्ड है। एक तरफ बेहतरीन सड़कें हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में 38 प्रतिशत गांव अभी तक 12 मासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 86 फीसदी गांवों में बिजली है जबकि सिर्फ 37 फीसदी घरों में ही बिजली है जिसमें कृषि की बिजली भी शामिल है। एक तरफ जहां विकास हुआ है, जिन इलाकों में पहले रोशनी थी या जिन इलाकों का पहले से

विकास हो चुका था, वहां ही ज्यादा विकास हुआ है और जो इलाके पिछड़े थे, वे और ज्यादा पिछड़ते चले गए। यह जो नई आर्थिक उदारीकरण नीति है जिसका ताल्लुक सिर्फ पांच या दस प्रतिशत लोगों से है।

अपराह्न 2.59 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* **हुए**]

यह सिर्फ उन्हीं इलाकों के लिए हैं जो पहले से विकसित हैं। इस आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण यह क्षेत्रीय-आर्थिक असंतुलन और बढ़ेगा। यही देश है जहां कुछ इलाकों में बेहतरीन रेलगाड़ियां चलती हैं और यही हिन्दुस्तान है जहां हिमाचल प्रदेश और कच्छ के इलाकों के लोग रेलगाड़ी को देखकर आश्चर्य की चीज समझते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

यह हिन्दुस्तान है। यहां कहीं कोई संतुलन नहीं है। हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24 फीसदी है। देश की आबादी के 65 प्रतिशत लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 27 प्रतिशत उद्योग है जिसमें 15 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। कम्प्यूटर साफ्टवेयर, होटल सेवा क्षेत्र का योगदान 49 फीसदी है जहां सिर्फ 20 प्रतिशत लोग लगे हैं। हमारे देश में आर्थिक असन्तुलन तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, हम इससे सहमत हों या नहीं, जब प्रदेशों के बंटवारे का सवाल आया था तो हमने उसका विरोध किया था लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न जगहों से उन प्रदेशों की जो मांग उठ रही है, उसके पीछे क्षेत्रीय असन्तुलन है और दौलत का सही बंटवारा नहीं है। यह बहुत गंभीर सवाल है। श्री प्रभुनाथ सिंह जा रहे हैं हालांकि हर शुक्रवार को उनको जाने की जल्दी होती है। मुझे यही निवेदन करना था।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहिते द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाया गया है। वैसे भी कई मौकों पर यहां गांवों की चर्चा होती रही है, कई सवालों के जवाब में सरकार ने अपने विचार भी रखे हैं, लेकिन इस देश में गांव की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं किसी सदस्य के पक्ष और विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन चाहे वह कल की सरकार हो या आज की सरकार हो, जब चुनाव का समय आता है तब सब लोग किसान, मजदूर और नौजवानों के मसीहा बनते हैं लेकिन जब रुपये के बंटवारे का सवाल आता है तो दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में सड़कों पर पानी का फव्वारा उड़ाने में पैसा खर्च किया जाता है। गांवों के गरीब लोगों को पीने के लिए पानी और खेतों को सींचने के लिए जल की व्यवस्था पर हमारा देश ध्यान नहीं देता। जब भी बजट बनता है, बड़े-बड़े शहरों में बिजली की चकाचौंध पैदा की जाती है लेकिन गांवों की झोंपड़ी में टिमटिमाते डिब्बे की तरफ कुछ नहीं किया जाता। यह कैसा देश और कैसा प्रजातंत्र है। चर्चाएं बहुत होती हैं। अभी सरकार की उदारीकरण की जो नीति चल रही है, हमको लगता है कि उससे भी कोई गांव खुशहाल होने वाला नहीं है। निकट भविष्य में मुझे ऐसा नहीं दिखता, संभव है मेरी सोच गलत हो। आज गांवों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसी भी समस्या को उठा लें, चाहे शिक्षा की समस्या ले लें- लोग कहते हैं कि गांवों के बच्चे नहीं पढ़ते, शहरों के बच्चे बड़े-बड़े पदों पर चले जाते हैं। गांवों में स्कूलों की व्यवस्था देखें तो दीवार नहीं है, संयोग से कहीं दीवार हो और बच्चे स्कूल में बैठ जाएं तो बरसात का जितना पानी पड़ेगा, वह बच्चों की देह पर पड़ेगा। आप दिल्ली में जे.एन.यू. बनाते हैं, पटना, छपरा या इस देश के अन्य प्रांतों के हिस्सों में नहीं बनाते। रघुवंश बाबू कभी-कभी सही बात बोलते हैं।

बिहार की स्थिति इससे अलग है। बिहार में शिक्षक राजनीति में संलग्न हैं। उन्हें स्कूल जाने की फुरसत नहीं मिलती। यदि किसी चाय की दुकान पर किसी ने पत्थर मार दिया तो किसी न किसी शिक्षक का सिर जरूर फट जाएगा। वे दिन भर चाय की दुकान में बैठे रहते हैं। किसानों के बच्चों के साथ कोई इन्साफ नहीं करता चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। गांवों के किसानों और मजदूरों के बच्चों के ऊपर कागजी कानून चलते हैं। आंकड़ों के जाल में देश चल रहा है। मंत्री जी उत्तर देंगे तो सदन में आंकड़ों का जाल बिछा देंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप गांवों में चल कर देखें कि वहां की क्या दशा है, सड़कों की क्या स्थिति है? बिहार के गांवों की ही ऐसी स्थिति नहीं है। मैं अध्यक्ष जी के निर्वाचन क्षेत्र में गया था। हम समझते थे कि बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा है लेकिन जब अध्यक्ष जी का क्षेत्र देखा तो ऐसा लगा कि वह बिहार से भी अधिक पिछड़ा है। देश के हर कोने में गांवों की स्थिति बद से बदत्तर है। सड़कों की वही दुर्दशा है। बरसात के समय एक गांव से दूसरे गांव जाना सम्भव नहीं होता। चिकित्सा के अभाव में गांवों के 70 परसैंट लोग मर जाते हैं। उन्हें जब कोई बीमारी होती है तो गांव के डाक्टर, छोटे बाजार के डाक्टर और ब्लॉक के डाक्टर उनका इलाज करते हैं। वहां जांच की उचित व्यवस्था नहीं होती। वे जब तक पैसे की जुगाड़ करके ऐम्स में आते हैं तब तक 99 परसैंट मर जाते हैं। ट्रेन में उन्हें लाश लेकर जाना पड़ता है। हम उनकी लाश को भिजवाने का इंतजाम करते हैं। यह गांवों की दुर्दशा है। उसकी दशा सुधारनी होगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ईमानदारी से बजट नहीं बनाती हैं। उन्हें गांवों के लिए ज्यादा हिस्सा रखना चाहिए।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

माननीय सदस्य ने विदर्भ के संबंध में बहुत अच्छा सवाल उठाया। उनकी बात से लग रहा था कि वह कितने पीड़ित हैं और उनके मन में विदर्भ के प्रति कितनी पीड़ा है? शायद विदर्भ के साथ अन्याय हुआ है। कमेटियां बनती रहती हैं और बनती रहेंगी लेकिन इससे विकास नहीं होगा। यदि गांवों का विकास करना है तो उसकी तरफ अधिक ध्यान देना होगा। गांवों में कचरा पड़ा रहता है। कई राज्यों का बंटवारा हुआ। उसमें रघुवंश बाबू जी की भी सहमति रही।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमने इसके खिलाफ प्रस्ताव किया था।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं अच्छी बात कहता हूं तो यह खड़े हो जाते हैं। बिहार विधान सभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर यहां आया। सभी दलों के सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की। यहां रघुवंश बाबू बैठे हैं। वह और मैं इस पर बोले थे। हम अकेले रो रहे हैं कि बिहार का अब क्या होगा? बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए? जब हमें कोई सही बात कहनी होती है तो अपने दल का हथौड़ा हमारे सिर पर सवार रहता है। हम कभी भी ईमानदारी से गांवों की पीड़ा कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बिहार बंटने जा रहा है। बिहार को पैकेज देने पर सदन में चर्चा हुई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। मैं कैसे कहूं कि हमें धोखा दिया गया? मेरे मन में शंका है कि कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ बेइमानी न हो जाए। यदि कहीं विकास की गति अवरुद्ध होती है तो राजनीतिज्ञ और कार्यपालिका के बीच कोआर्डिनेशन के अभाव के कारण ऐसा होता है। हमें लगता है कि उनकी मानसिकता बन गई है। यदि कोई एम.पी. या एम.एल.ए. कुछ लिखता है तो नौकरशाह उसके विपरीत लिखते हैं। अब सांसदों को सांसद मद और विधायकों को विधायक मद से विकास कार्यों के लिए पैसा मिलता है। केन्द्र सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पैसा आवंटित करता है। गरीबों को इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है। जिला योजना का पैसा राज्य सरकार देती है और बहुत तरह का पैसा विकास के लिए गांवों को जाता है लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि जो भी गांवों के विकास की बात हो, उस ओर ध्यान दिया जाये। गांव के पिछड़े इलाकों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बातों में व्यस्त हैं। मालूम नहीं मेरी बात सुन पाये हैं या नहीं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): मैं नोट कर रहा हूं। बिहार के पैकेज की बात सुन ली है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरुण शौरी: आपके बिहार के एम.पीज. की जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में मैंने लिख लिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरी बात सुन ली है। मेरा उनसे निवेदन है कि जब उन्होंने मेरी बात सुन ली है तो उस पर अमल किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, प्रखर सांसद श्री सुबोध मोहिते जो गैर-सरकारी विधेयक लाये हैं, वह एक अच्छा प्रस्ताव है और मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इसको मंजूर कर ले, क्योंकि आफिसर लोग सिखा देते हैं कि नहीं मानना है और यदि वाजिब बात नहीं मानती है तो इसे पास भी नहीं होने देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान कहता है कि सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देना है। यह लिखा हुआ है जिसे सरकार स्वीकार करती है। मंडल कमीशन बना जिसके खिलाफ काफी उपद्रव हुये। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मंडल कमीशन के खिलाफ है?

एक माननीय सदस्य: आपको क्या लगता है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमको लगता है कि यह सरकार उसके पक्ष में नहीं। क्योंकि यह सरकार पिछड़ों को देखने वाली नहीं है। संविधान में लिखा है कि इस सोसायटी के जो लोग पिछड़ गये हैं, जो दबे हुये हैं, शोषित, उपेक्षित, लांछित और वंचित रह गये हैं, उन लोगों को विशेष सहूलियतें दी जायें। डा. राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि उन लोगों को विशेष अवसर प्रदान कर उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाये तभी यह मुल्क मजबूत होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहिते ने पिछड़ा विकास बोर्ड बनाये जाने की मांग की है। मैं यहां श्री चन्द्रबाबू का जिक्र करूंगा क्योंकि उन्होंने 11वें वित्त आयोग द्वारा पिछड़े राज्यों को किये गये धन के आबंटन को लेकर यहां विकसित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का

सम्मेलन बुलाया था। 11वें वित्त आयोग ने पिछड़े राज्यों को सहूलियतें देने के लिए फार्मूला बनाया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्यों में बदहाली बनी रहेगी। पिछड़े राज्यों में रीजनल इम्बैलेंस बना रहेगा। सरकार इस बात को बताये। कई राज्य कहते हैं कि उन्हें अलग किया जाये। इसलिए सुबोध जी कहते हैं कि रीजनल आधार पर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए बोर्ड बनाकर उनका खास ध्यान रखा जाये और उन्हें विशेष अवसर दिये जायें। हालांकि कुछ जगहों पर रीजनल एम्बैलेंस हुआ है, जैसे झारखंड बोर्ड का गठन किया गया था और गोरखालैंड में आटोनमस बोर्ड बनाया गया था। जहां लोगों ने महसूस किया तो सरकार ने इसे कहीं कहीं लागू भी किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मोहिते जी का प्रस्ताव क्यों नहीं पारित कर दिया जाये कि जहां पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां के विकास के लिए अलग से विकास बोर्ड बना दिये जायें। सरकार जवाब दे कि क्यों नहीं इन क्षेत्रों के लिए अटोनमस बोर्ड बना दिये जायें?

फिर नहीं तो क्या होगा कि जब क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी तो राज्यों की मांग होगी। विदर्भ के मैम्बर्स भाषण कर रहे थे। विदर्भ का विकास बोर्ड नहीं बनेगा तो विदर्भ राज्य की मांग आयेगी और वह आपको देना पड़ेगा। आप तीन नये राज्य दे चुके हैं। फिर आप विदर्भ के लिए कैसे इन्कार करेंगे, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य के लिए कैसे इन्कार करेंगे, गोरखालैंड के लिए, बोडोलैंड की मांग आप कैसे नहीं मानेंगे। इसलिए श्री सुबोध मोहिते जी जो प्राइवेट बिल लाये हैं, इनकी मांग में दम है और उसे सरकार को मानना चाहिए। नहीं तो हमने जो सवाल उठाये हैं, उनका जवाब देना चाहिए। श्री प्रभुनाथ सिंह जी बिहार के बारे में बोल रहे थे।

श्री अरुण शौरी: विदर्भ का बोर्ड है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: विदर्भ का बोर्ड है उसके बाद भी उसकी तरक्की नहीं हो रही है, उसकी मदद नहीं हो रही होगी, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मेरा आपसे मतभेद नहीं है, उनकी बात पर मैं आपसे सहमत हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बोर्ड होने के बाद भी उन्होंने सवाल उठाये हैं। क्या वह नाममात्र का बोर्ड है, ठगने वाला बोर्ड है। उससे वहां की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, उनका विकास नहीं हो रहा है, वहां गरीबी बनी हुई है, गरीबी घट नहीं रही है, बेकारी बढ़ रही है। ये सारे सवाल हैं जिनके कारण उन्हें यह विधेयक लाना पड़ा। इसी तरह और जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे अभी बिहार का सवाल उठाया। क्षेत्रीय विषमता के हिसाब से 11वें वित्त आयोग द्वारा आबादी को पहले 20 प्रतिशत उसमें ताकत दी जाती थी, उन्हें भी हिस्सा दिया गया। लेकिन इस बार आबादी को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन उन्होंने किस चीज में बढ़ाया, जिस राज्य की पर कैपिटा इन्कम कम है, उनका पहले पांच प्रतिशत का वेटेज था, जिसे बढ़ाकर इस बार साढ़े सात प्रतिशत कर दिया गया। श्री चन्द्र बाबू परफारमेन्स के बारे में कह रहे हैं। उनका कहना है कि परफारमेन्स करने वाले राज्यों को सजा न हो।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): प्रति व्यक्ति आय के लिए उन्होंने 62.5 प्रतिशत वेटेज दिया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पहले 60 था, अब 62.5 हो गया, ढाई परसेंट बढ़ाया। कानूनगो साहब ने ठीक कहा पहले पर कैपिटा इन्कम का 60 प्रतिशत वेटेज था, अब ढाई परसेन्ट बढ़ाया 62.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जिन राज्यों की पर कैपिटा इन्कम कम थी, उन्हें 11वें वित्त आयोग में कुछ सहूलियतें मिल गयीं। इस तरीके से आबादी का 20 से 10 प्रतिशत किया तो अन्य क्षेत्रों में ढाई परसेन्ट बढ़ाया, उन्हें और कुछ सहूलियतें दी गई। फिर भी दसवें वित्त आयोग में प्रदेश को 18,000 करोड़ मिला था। इस बार उन्हें इस फार्मूले के आधार पर 31 हजार करोड़ रुपये मिला है। वे चाहते थे कि 40 हजार करोड़ रुपये मिले। लेकिन फाइनेन्स कमीशन ने जो फार्मूला बनाया उससे पिछड़े राज्यों को सहूलियतें हुई। फिर भी सम्मेलन हो रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो: उड़ीसा को छोड़कर सभी पिछड़े राज्यों को लाभ मिला है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए हम कहते हैं कि जो पहले छूट गया और मिलना चाहिए। लेकिन प्रयास नहीं हुआ। हमने कहा कि 11वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, 31 अगस्त तक रिपोर्ट होनी है, जैसे उड़ीसा छूट गया और दूसरे पिछड़े राज्य हैं, जो ज्यादा आर्थिक तंगहाली में हैं, उन्हें ज्यादा सहूलियत दी जानी चाहिए। जो बची हुई रिपोर्ट है, जो 31 अगस्त को पूरी होनी है। 11वें वित्त आयोग की आयु 31 अगस्त को खत्म हो रही है। इसलिए उन्हें एक सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट देनी है। उनके पास कुछ परसेन्ट बचा हुआ है।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यह रिपोर्ट एक अलग संदर्भ में है। तीसरी रिपोर्ट भी उन्हें या उड़ीसा को कुछ नहीं देगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप यह सब सरकार को समझाइये। प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि हम विचार करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। जो आगे बढ़े हुए राज्य हैं, उन्होंने बैठक करके कह दिया, उन्हें तो उन्होंने तुष्ट कर दिया। लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं, उन्हें उड़ीसा से आगे रखेंगे।

सब पिछड़े राज्य मिलकर जुटें और भारत सरकार से हमें कहना है कि रीजनल इम्बैलैन्सेज को दूर करने के लिए 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर्याप्त तो है इसलिए उस रिपोर्ट के जो पिछड़े राज्य हैं, उनको ज्यादा सहूलियतें देने का प्रबंध करें। राज्य के अंदर भी जो जिले पिछड़ गए हैं, कुछ जिले विकसित हो गए हैं, और कुछ जिले पिछड़ गए हैं, उसके लिए रीजनल बोर्ड की मांग हुई है। जिलों में भी एरिया देखें तो कुछ विकसित और कुछ पीछे छूट गए होते हैं। ये क्षेत्रीय विषमताएं हर स्तर पर दूर करने के लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए और अभी तत्काल सुबोध मोहिते जी के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए नहीं तो देश में नेशनल इंटीग्रिटी पर भी कमजोरी आ सकती है। नेशनल इंटीग्रिटी को और मजबूत करने के लिए जो आर्थिक आधार पर क्षेत्रीय विषमताएं हैं, उनको दूर करना चाहिए नहीं तो राज्यों के बंटवारे और जिलों के बंटवारे की मांग उठती रहेगी। इसलिए जिस प्रकार से संविधान में पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है, उसी आधार पर पिछड़े क्षेत्र जहां कहीं भी हैं, उनको सहूलियत देने का प्रावधान होना चाहिए यही हमारा निवेदन है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, मेरे सहयोगी सुबोध मोहिते जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह अच्छा प्रस्ताव है। पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है और उसके लिए जिन राज्यों में आयोग गठित नहीं हुए हैं। वहां गठित हों यही मूलतः उनकी मांग है। जहां पर आयोग गठित हो गए हैं, उनको सुदृढ़ किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

वास्तव में जो पिछड़े इलाके हैं, कई जगह पानी नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पानी हमारी प्राथमिकता होगी। लोगों को शुद्ध जल मिलेगा। यहां पर माननीय मंत्री जी और उप वित्त मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का इंतजाम एक वर्ष में जो करना था, वह तिथि 9 अक्तूबर को पूरी हो जाएगी। लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि क्या होगा। अभी पानी का इंतजाम नहीं हुआ है। गांवों में सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं है और जैसे मेरे बंधु बता रहे थे कि 1997 में एक कमेटी बनी कि सौ जगह खाली बताई गई, मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी तो किसी काम को टालने के लिए ही बनती हैं। अगर किसी घर में शादी हो और एक कमेटी बना दी जाए कि एक आदमी सब्जी बनाएगा, एक पूरी बनाएगा, एक चावल बनाएगा तो काम नहीं हो पाता है। कमेटियां तो काम को टालने के लिए ही बनती हैं। कमीशन जब बनते हैं तो उनकी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाती हैं। राजस्थान में बेरी कमीशन बना। जयपुर शहर में एक गोलीकांड हुआ और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाई उसका उल्टा प्रमोशन ही हो गया। मरने वाले लोग मर गए लेकिन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाती है। इस संबंध में आप विचार करें और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सांसद कोष का पैसा जिसमें दो करोड़ रुपये दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसका इंप्लीमेंटिशन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। कलैक्टर ठीक से काम नहीं करता। अधिकारी कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दें। मैं समझता हूं कि इससे कम नहीं हो पाते हैं। उस संबंध में भी आप विचार करें और मेरा निवेदन है कि बजट में पिछड़ी जाति के लोगों के संबंध में अधिक प्रावधान किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि पिछड़ी जाति यदि आगे नहीं आएगी तो देश में वास्तव में प्रजातंत्र का आनन्द नहीं आएगा। उच्च वर्ग के लोग विचार कर लेंगे और लोक सभा में आ जाएंगे, विधान सभा में आ जाएंगे और छोटे तबके पर विचार करना भी बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, जो कच्ची बस्ती में शहरों में रहते हैं वे लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि वहां न शौचालय हैं, न पार्क हैं, न पानी की व्यवस्था है और न वहां सड़कों की व्यवस्था है। वे एक प्रकार से नारकीय जीवन बिता रहे हैं। यदि इस संबंध में सरकार विचार करे, तो यह बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं ज्यादा न बोलकर, हमारे सहयोगी ने जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, आज हमारी पार्टी की सरकार देश में राज कर रही है। मेरे मन में यह भावना है कि आगे भी वह राज करेगी। मैं यह भी चाहता हूं कि इन पिछड़े लोगों को वह आगे लाए, वरना समय बड़ा बलवान है। कलैंडर बदलता रहता है। कभी हम सत्ता में आ गए। चूंकि अब हम सत्ता में हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि अब नारे लगाने का समय नहीं है, अब काम करने का समय है। इसलिए सरकार इन पिछड़े लोगों के उत्थान के बारे में निश्चित रूप से विचार करे। यदि आप काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा होगा। हम तो आपके साथी हैं, साथी ही रहेंगे और आपके राज में स्वर्ग में जाने का प्रयास करेंगे। अतः आप काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। बैकवर्ड एरिया के डिवेलपमेंट के लिए बोर्ड बनाने का जो प्राइवेट बिल श्री सुबोध मोहिते जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर आज यहां बहस चल रही है। यह सचमुच में बहुत अहम विषय है।

[**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 3.29 बजे

माननीय सांसद श्री सुबोध मोहिते जी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, लेकिन जहां तक मेरा अपना प्रैक्टीकल अनुभव है उसके अनुसार में देशवासियों और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान की सरकार देश के विभिन्न प्रांतों में जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, टैरीटरीज हैं, जिले हैं उनके विकास के लिए अच्छे ढंग से पालिसी नहीं बनाएगी तब तक उनको लाभ नहीं होगा। बिना ऐसा किए हिन्दुस्तान में समान विकास संभव नहीं है। हिन्दुस्तान की 52-53 वर्ष की आजादी के बाद भी आज उन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है।

जिस तरह हमारे बोडोलैंड एरिया में बोडो ट्राइबल लोगों की हालत है, उस हालत को बयान करने के लिए मैं भाषा नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हिन्दुस्तान में जितने बैकवर्ड रीजन या टैरीटरी हैं, उनके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कुछ ठोस और बहुत प्रभावी सलाह और सुझाव देना चाहता हूं। मैंने कुल नौ क्षेत्रों या पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया है जिन्हें राज्य का दर्जा दिया जाना है। ये हैं: (1) बोडोलैंड क्षेत्र, (2) तेलंगाना क्षेत्र, (30 विदर्भ क्षेत्र, (4) पश्चिम उ.प्र. का हरित प्रदेश या पांचाल प्रदेश, (5) बुंदेल खंड क्षेत्र, (6) कूर्ग क्षेत्र या कोडागू क्षेत्र, (7) सौराष्ट्र क्षेत्र, (8) मालोवा क्षेत्र, और (9) गोरखालैंड क्षेत्र।

इन सभी नौ क्षेत्रों को उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों की तरह एक अलग राज्य का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को बहुत ठोस नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। अगर भारत सरकार 1971 या 1972 से 30 वर्षों के बाद तीन नए राज्य बना सकती है तो भारत सरकार और राज्य क्यों नहीं बना सकती? मेरा यही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

यदि भारत सरकार, वास्तव में ही प्रत्येक भारतीय को सामाजिक-आर्थिक समानता और राजनीतिक न्याय दिलवाने के प्रति इमानदार है तो इन नौ क्षेत्रों या इलाकों को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूँ कि उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों की तरह ही इन नौ क्षेत्रों को भी राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लिया जाए।

इसके अलावा, मैं विद्यमान राज्यों में ही स्वायत्तशासी राज्यों या स्वायत्तशासी क्षेत्र या स्वायत्तशासी प्रदेशों के सृजन के साथ उनकी अपनी विधान सभा या विधान परिषद के गठन का उपबंध करने के संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

मैंने इन क्षेत्रों का निम्न तरह से अवस्थित किया है, प्रथम यह कि त्रिपुरा के स्वायत्तशासी आदिवासी क्षेत्र के लिए एक स्वायत्तशासी राज्य का सृजन किया जाना चाहिए। दूसरा यह कि नार्थ कछार हिल्स और कार्बी अंगलोंग स्वायत्तशासी जिला परिषद को मिलाकर एक अलग स्वायत्तशासी राज्य होना चाहिए। इस कार्य को संविधान के अनुच्छेद 244(क) के अंतर्गत किया जा सकता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यह उपबंध है।

अगला सुझाव उत्तरी बंगाल से संबंधित है। उत्तरी बंगाल अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इसलिए, उत्तरी बंगाल को स्वायत्तशासी राज्य या स्वायत्तशासी क्षेत्र या स्वायत्तशासी इलाके का दर्जा दिया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश के मामले में मैंने देखा कि विंध्याचल क्षेत्र देश में पिछड़ा क्षेत्र है। इसलिए, इस विंध्याचल क्षेत्र को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

तत्पश्चात्, हम उड़ीसा के पश्चिमी भाग जो कि बहुत पिछड़ा है में आते हैं, इसलिए वहां स्वायत्तशासी क्षेत्र या स्वायत्तशासी इलाके का सृजन किया जाना चाहिए।

लद्दाख भी स्वायत्तशासी क्षेत्र है। लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र को स्वायत्तशासी परिषद का दर्जा दिया गया है। वहां के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा उनकी समस्याओं का ममाधान स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद नहीं कर पाई। इसलिए, लद्दाख क्षेत्र को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता है?

तत्पश्चात, संविधान की छठी सूची के तहत कुछ स्वायत्तशासी जिलों के सृजन के लिए मैं कुछ सुझाव देता हूँ, इनमें से एक ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर आधिपत्य वाले आदिवासियों और मूल निवासियों को मिलाकर तथा दूसरा पूरे देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों के बारे में है।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

दक्षिण बिहार, दक्षिण तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र आदि जैसे अन्य पिछड़े क्षेत्र भी हैं। इन इलाकों और क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड या स्वायत्तशासी बोर्ड का गठन भी किया जा सकता है और ये निकाय संविधानिक निकाय होने चाहिए। जब तक ये स्वायत्तशासी निकाय या प्राधिकरण केन्द्रीय अधिनियम के तहत सृजित नहीं किये जाते तब तक इससे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए, इन संबंधित क्षेत्रों में जब भी भविष्य में किसी तरह का निकाय सृजित किया जाएगा तो भारतीय संविधान के उपबंधों के तहत ही सृजित किया जाए, इसे संवैधानिक निकार्य होना चाहिए।

विदर्भ के मामले में, विदर्भ विकास बोर्ड पहले से काम कर रहा है। लेकिन यह बोर्ड लोगों की आकांक्षाओं की संतुष्टि नहीं कर पाया और उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाया। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने पहले ही कुछ स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी परिषदों जैसे लद्दाख पर्वतीय स्वायत्तशासी परिषद, बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद, उत्तरी कच्छार पर्वतीय परिषद, कर्बी-अंगलांग स्वायत्तशासी जिले आदि का सृजन किया गया है। लेकिन ये परिषदें लोगों की सही आकांक्षाओं और आशाओं की संतुष्टि नहीं कर सकी। ये परिषदें संबंधित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकीं। इसलिए, हमें कुछ निश्चित क्षेत्रों के लिए अलग राज्यों का निर्माण क्यों नहीं करना चाहिए? इन संबंधित क्षेत्रों के लिए अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले कहा था कि स्वायत्तशासी जिलों में आदिवासी जिले भी शामिल होने चाहिए। स्वायत्तशासी बोर्डों को कुछ पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी बनाया जाना चाहिए जैसे कि मैंने कुछ मिनट पूर्व कहा था।

असम में क्या हो रहा है देखिए। असम की राज्य सरकार पिछड़े बोडोलैण्ड क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से असफल हुई है। 19 अगस्त को बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष श्री बिनेश्वर बृहमों की कुछ उग्रवादी तत्वों ने हत्या कर दी, चूँकि बोडो साहित्य सभा ने फरवरी सत्र में हुई बैठक में बोडो भाषा के लिए देवनागरी लिपि को अपनाया, इसलिए भारत विरोधी ताकतों ने हमारे प्रिय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके तुरन्त बाद 21 अगस्त को बोडोलैण्ड संसदीय दल के सदस्य मेरे अपने भतीजे श्री महिनी बैसुमुथारी, जो कि विजनी विधान सभा क्षेत्र के विधान सभा सदस्य हुआ करते थे, को भी कुछ बन्दूकधारियों ने मार डाला। इस दृष्टिकोण से असम राज्य में बोडो लोगों के लिए सह-अस्तित्व का कोई क्षेत्र बाकी नहीं है।

इन परिस्थितियों के तहत हम असम में कभी भी सह-अस्तित्व से नहीं रह सकते। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी लम्बे समय से चली आ रही अलग क्षेत्र की मांग को अलग राज्य के रूप में मान लिया जाए। यही एकमात्र ऐसा सूत्र है जिससे कि हमारे लोगों की सुरक्षा और इस क्षेत्र का भारतीय संघ के अंतर्गत ही सर्वांगीण विकास हो सके। हम भारत में देश के अन्य नागरिकों के समान ही प्रतिष्ठित भारतीय नागरिक बन कर रहना चाहते हैं। हम किसी अन्य विकसित समूह के लोगों के आधिपत्य में नहीं रहना चाहते हैं। पिछले बावन वर्षों में आजादी के बाद बोडोलैण्ड में विकास की कोई बात नहीं हुई है।

बोडो लोगों को बोडो स्वायत्तशासी परिषद दी गई थी। यह परिषद लोगों की सामान्य आशाओं और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकी। अब से सात वर्ष पूर्व अगस्त, 1993 में हमने बोडो आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे भी इस परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था। लेकिन पांच महीने बाद ही मैंने इस्तीफा दे दिया था। जनसंख्या अनुपात के अनुसार, असम सरकार द्वारा बोडोलैण्ड स्वायत्तशासी परिषद को प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये दिये जाने चाहिए थे, इस तरह से पिछले सात वर्षों में हमें 1400 करोड़ रुपए दिये जाने चाहिए थे, लेकिन 1400 करोड़ के स्थान पर बोडो स्वायत्तशासी परिषद को मुश्किल से 90 करोड़ रुपये ही दिए गए। क्या इतनी कम राशि देना सही है? माननीय प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और श्री के.सी. पंत, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने शिलांग का दौरा किया। उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर के लिए लगभग 10,271 करोड़ रुपये विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इतनी बड़ी धनराशि में से बोडोलैण्ड परिषद को प्रतिवर्ष मात्र 90 करोड़ रुपये दिए गए। हमें 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से लगातार तीन वर्षों तक दिये जाते रहे हैं। मैंने भारत सरकार को लिखा था यदि उसकी बोडो लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है तो इस तरह की औदार्यता भी उनके प्रति न रखें। अच्छा होगा कि हमसे 90 करोड़ रु. भी वापस ले लें। बोडो भीख नहीं मांग रहे, हम इस धनराशि के बिना भी गुजारा कर सकते हैं।

आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि जिस तरह से नए राज्यों का निर्माण किया गया है, उसी तरह से वास्तविक क्षेत्रों के अहर्क लोगों को समान सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने के लिए इस प्रतिष्ठित सभा द्वारा स्वायत्तशासी राज्यों या स्वायत्तशासी परिषदों या स्वायत्तशासी बोर्डों का सृजन भी किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि अनेक सांसदों की मांगों और अपेक्षाओं को उपयोग करने का यह एक अच्छा अवसर है। यदि हम पिछड़े ब्लाकों, पिछड़े तालुकों और पिछड़े जिलों के विकास के लिए किसी अखिल

भारतीय नीति पर विचार कर सकें तो इससे भारत सरकार को देश के विभिन्न भागों में उठ रही अलग राज्यों की मांग को कम करने में सहायता मिलेगी। आप इसकी प्रशंसा करेंगे कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है।

मेरे मित्र, श्री मोहिते, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं। मेरा उनके दल के साथ कोई संबंध नहीं है फिर भी जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं भी गुजरात राज्य का रहने वाला हूँ जो कि अर्थशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार देश के अत्यंत विकसित राज्यों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक राज्य सौराष्ट्र था। इसकी राजधानी राजकोट थी। गुजरात का शेष भाग धीबासी मुम्बई राज का अंग था। 1960 में पुनः गुजरात एक अलग राज्य बना दिया गया। इस वर्तमान संसद में बहस के दौरान हमने अनेकों बार यह कहा है कि गुजरात एक स्वर्णिम क्षेत्र है। यदि आप अहमदाबाद से वारती जाते हैं तो आपको अत्यंत अच्छी रेलगाड़ियां मिलेंगी। दो रेलवे लाइनें हैं और एक और की मांग की जा रही है और यह मांग पूरी की जाएगी। वहां पर आई.पी.सी.एल., इफको, कोयलिअरी, रिफाइनरी और अन्य उच्च श्रेणी के उद्योग हैं। विश्व बैंक की सहायता से वहां चारमार्गीय सड़क बनाई गई है। यह सब कुछ अहमदाबाद से वारती के बीच में है। इसलिए इस क्षेत्र को स्वर्णिम क्षेत्र कहा गया है। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां विकास का कोई नामों-निशान नहीं है। गुजरात का समुद्र तट 1600 कि.मी. लम्बा है। पूरे समुद्र तट में सौराष्ट्र प्रदेश है जिसके अंतर्गत भावनगर, जामनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ और सुरेन्द्रनगर आते हैं। आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि राजकोट और जामनगर में कुछ लघु उद्योग हैं लेकिन भावनगर, अमरेली या सुरेन्द्रनगर की क्या स्थिति है। वहां कोई उद्योग नहीं है। वहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है और वहां कोई नहर नहीं है।

महोदय, अहमदाबाद के एक तरफ खेरा, बड़ौदा, भरौच और सूरत जैसे जिले हैं। वहां उद्योग भी हैं और वहां नहरें भी हैं। अब हम उत्तरी गुजरात की बात करें। मैं पाटन से चुनकर आया हूं। यह देश का एक अत्यंत पुराना शहर है। यह 1200 वर्ष पहले स्थापित हुआ था और उस समय यह गुजरात की राजधानी थी। अब पाटन की क्या स्थिति है? पाटन की 40% जनसंख्या अन्य पिछड़े वर्ग की है, 10% अल्पसंख्यक हैं, और 10% अनुसूचित जाति के हैं। भारत सरकार और गुजरात सरकार के लिए भी यह मानने के लिए पर्याप्त है कि यह एक पिछड़ा जिला है।

महेसाना भी है जहां शहर विकसित है। यहां 4-5 महानगर हैं यथा बड़ौदा, सूरत, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद। लेकिन यहां पिछड़े शहर भी हैं। भावनगर भी एक बड़ा शहर है। यहां प्लास्टिक उद्योग और हीरे के उद्योग होते थे। लेकिन सब कुछ गायब हो गया है। यहाँ शिप ब्रेकिंग यार्ड भी था, लेकिन 1980 में वह यार्ड भी बंद हो गया। उस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 5 लाख है। अब आप कृपया यह बताएं कि ये लोग क्या करेंगे? सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ियां क्यों हैं? धारबी, मुम्बई में झुग्गी-झोपड़ियां क्यों हैं? वे उस शहर के रहने वाले नहीं हैं। महेसाना, पाटन और बानसकांथा में काम करने के लिए कोई फैक्टरी नहीं है। उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा है। मेरे मित्र डा. कथीरिया जी, यहां उपस्थित हैं। वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी अपना शहर या अपना तालुक या अपना जिला छोड़ने को सहमत नहीं होगा। अतः सौराष्ट्र के लोग क्यों अफ्रीका या विशेषकर मुम्बई गये हैं। वे वहां गेटवे आफ इंडिया या चर्चगेट रेलवे स्टेशन देखने नहीं गए हैं। उन्होंने अपना जिला छोड़ दिया है। उन्होंने सौराष्ट्र छोड़ दिया है जो कि हमारे राज्य का एक अत्यंत अच्छा क्षेत्र है। उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वहां कोई उद्योग नहीं है। वे गरीबी में मुम्बई चले गए। उन्होंने कठिन परिश्रम से वहां अपने को स्थापित कर लिया है। यदि आप पोरबंदर या राजकोट जाएं तो पाएंगे कि वहां घर खाली पड़े हैं। लोगों ने अपने शहरों और जिलों को छोड़ दिया है क्योंकि वहां उद्योग नहीं हैं।

भारत सरकार खण्डशः प्रयास कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। गुजरात में एक केन्द्र शासित प्रदेश सिलवासा है जहां बिक्री कर और आयकर से छूट है। लेकिन हुआ क्या है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मुम्बई और गुजरात के लोगों ने अपने कार्यालय सिलवासा में खोल रखे हैं ताकि बिक्री कर और आयकर से बच सकें। आयकर में एक धारा 80एच. है। 80 के दशक में जबकि मैं आयकर निरीक्षक था, भावनगर एक पिछड़ा जिला घोषित कर दिया गया था। भरूच भी एक पिछड़ा जिला घोषित कर दिया गया था। लेकिन मुम्बई के बड़े उद्योगपतियों ने इन जिलों को दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग किया। वे धारा 80एच. के अंतर्गत मिलने वाले 10 वर्षीय या 5 वर्षीय छूट को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालय केवल भावनगर में खोलते थे। वर्तमान में कुछ इस तरह के भी मामले हैं जिनमें की फैक्टरियां गुजरात में स्थापित हैं लेकिन उन कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय या तो मुम्बई में या कलकत्ता में हैं, जिसकी वजह से आयकर निर्धारण केवल कलकत्ता या मुम्बई में किया जाता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): बम्बई नहीं मुम्बई बोलिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: गुजरात वालों के साथ मुम्बई कहते थे। जब हम मुम्बई कहते थे तो वे बम्बई बोलते थे। ठीक है, मुम्बई कहेंगे। ...*(व्यवधान)*

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

[अनुवाद]

अत:, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि विकास के लिए चुने गए किसी विशेष जिले में आयकर से छूट दी गई है। कर में यह छूट उन्हें 5 वर्ष या 10 वर्ष के लिए दी गई है। यह लाभ स्थानीय लोग नहीं प्राप्त करते हैं। यह लाभ उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कि शिक्षित हैं और जो बहुत कुशल वकीलों से सलाह लेते हैं या किसी कुशल चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सलाह लेते हैं। हम सभी डा. आई.जी. पटेल के बारे में जानते हैं। उनके सभापतित्व में पिछड़े तालुकों का चुनाव करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। हमें तालुकों या ब्लाकों को आधार मानना चाहिए।

अनेक विकसित राज्य हैं लेकिन उनमें पिछड़े ब्लाक और तालुक भी हैं। अत: आर्थिक सहायता के लिए आधारभूत इकाई तालुक होनी चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा सहायता सीधे उन्हें ही दी जानी चाहिए। इसकी देखरेख भी केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। यह जिम्मेवारी राज्य सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

यदि ऐसा होता है तो हमें उपलब्ध होने वाले अवसरों के दो उदाहरण मैं दूंगा। आपको पता है कि गुजरात में भावनगर के नजदीक गोधा नाम का एक स्थान है। दूसरी तरफ भरूच के नजदीक दहेज है। दहेज और गोधा के बीच नाव सेवा की पूरी की पूरी संभावना है। उत्तर भारत से गुजरात आने वाले सभी ट्रकों को चाहिए कि वे गोधा आएं तथा जल सेवा द्वारा उनका सामान भरूच पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार हम लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। वहां सब कुछ है, यह संभव है। लेकिन यह कार्य किया नहीं जा रहा है।

इसी प्रकार, वहां जाफराबाद है जो कि समुद्र द्वारा सूरत के नजदीक माकदाल्ला से जुड़ा है। जाफराबाद सौराष्ट्र के अमरेली जिले में है। यदि जाफराबाद और माकदाल्ला के बीच नाव सेवा शुरू की जाती है तो हम लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। जाफराबाद से मंगलोर समुद्र के रास्ते नाव से जाया जा सकता है। हम यह करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि उसके पास धन नहीं है। यह कोई इस प्रकार की समस्या या मामला नहीं है जिसको राजनीतिक नजरिये से देखा जाना चाहिए। चाहें यह सरकार रहे या कोई दूसरी सरकार या चाहे एकदलीय सरकार हो या बहुदलीय सरकार हो। हम बात तो वह कह रहे हैं जो कि भारतीय संविधान में कहा गया है। यदि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें तो पाएंगे कि उसमें पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

सत्तासीन सरकार के लिए संविधान द्वारा यथेष्ट निदेश दिया गया है। संविधान चाहता है कि विकास हर जगह हो और क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हो। हम तभी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार की सीमा पर उठ रही अलग राज्यों की मांग और आतंकवाद को रोकने में सक्षम होंगे। इससे युवा वर्ग में कुंठा पैदा होती है। वे शिक्षित हैं। मैं एक तालुक में जा चुका हूं जहां दसवीं कक्षा तक के 6 विद्यालय तथा 12वीं कक्षा तक का केवल एक विद्यालय है। ये लड़के आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां जाएं।

गुजरात जैसे राज्य में, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र पाटन में एक बस्ती सपेरों की है। उनके 300 परिवार हैं। मैंने वहां एक विद्यालय का दौरा किया। 90 लड़के खुले में बैठे हुए थे और वहां दो अध्यापक थे। कक्षा एक से पांच तक के लिए केवल एक ही कमरा था। यही स्थिति है।

मैं यह चाहता हूं कि भारत सरकार को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। हम एक साथ बैठें। सरकार को चाहिए कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्य तथा प्रत्येक दल के एक-एक सदस्य को बुलाए। यह विदर्भ, गुजरात या बिहार से संबंधित मामला नहीं है। हमें इस अवसर का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे हम यह देख सकें कि क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे दूर किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने कहा, सौराष्ट्र के सभी आठ जिलों को पिछड़ा माना जा सकता है। पाटन एक पिछड़ा जिला है, बनासकांठा एक पिछड़ा जिला है, मेहसाना आंशिक रूप से पिछड़ा है और यहां तक कि अहमदाबाद जिले के भी कुछ तालुक पिछड़े हुए हैं। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है; कहीं उद्योग नहीं है; विद्युत की उचित आपूर्ति नहीं है और शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाना है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े तालुकों, गरीब और पिछड़ी तहसीलों, ब्लाकों और गांवों के लिए एक अखिल भारतीय नीति बनाई जाए। गुजरात में शहरीकरण की प्रतिशतता कितनी है? यह केवल 37% है। गुजरात में भी 63% लोग गांवों में रहते हैं। मुझे अपने परिचित एक व्यक्ति जो कि योजना आयोग के सदस्य रहे हैं को एक पत्र लिखने का सुअवसर मिला है। मैंने श्री रजनी कोठारी जी को यह कहने के लिए लिखा था कि योजना आयोग की निधि दो भागों में बांट दी जानी चाहिए। जनसंख्या के अनुसार 70% धन ग्रामीण क्षेत्रों को और 30% बड़े शहरों को दिया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है। अधिकांश धन महानगरों तथा बड़े शहरों के हिस्से में चला जाता है तथा निर्धन गांवों को पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। योजना आयोग को नीतिगत निर्णय लेने दीजिए। यदि हम चाहते

हैं कि लोगों को गांधीवादी बनना चाहिए तो हमें यह जानना चाहिए कि गांधी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा था, ''भारत गांवों में रहता है।' लेकिन गांवों में विकास कहां हुआ है?

हमें किसी गांव को एक इकाई मानना चाहिए; हमें किसी तालुक को एक इकाई मानना चाहिए; हमें किसी ग्रामीण क्षेत्र को एक इकाई मानना चाहिए और वहां शैक्षणिक और औद्योगिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यह चाहे खादी या ग्रामीण उद्योग हो सकता है, यह लघु उद्योग हो सकता है या अन्य कोई उद्योग।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री सुबोध मोहिते द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तुरन्त कदम उठाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं श्री सुबोध मोहिते द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं योजना मंत्री का ध्यान उस पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका जिक्र मैं इस सभा में विभिन्न पदों पर रहते हुए कर रहा हूँ। मैंने प्रधान मंत्री को भी इस बारे में लिखा है।

पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक पश्चिम बंगाल के ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जिस पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि योजना मंत्री योजना दस्तावेजों का अध्ययन करे तो उन्हें पता चलेगा और वह उस क्षेत्र के क्षेत्रीय असन्तुलन के स्तर को महसूस करेंगे जिसे उत्तर बंगाल नामक पिछड़े क्षेत्र में बनाया गया है जिसे कूच बिहार से मालदा तक बढ़ाया गया है।

यह क्षेत्र भारत को ''दोरा चाय'' और ''दार्जिलिंग चाय'' जैसे बढ़िया किस्म की चाय प्रदान करता है। पर्यटक कंचनजंगा से सूर्योदय देखने के लिए दार्जिलिंग के सबसे ऊंचाई वाले स्थल पर जाते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां अवसंरचना का अभाव, अकुशलता तथा विकास का अभाव है जिसने इसे तबाही क्षेत्र में बदल दिया है। कांग्रेस सरकार के दौरान इस क्षेत्र में उत्तर बंगाल में एक विश्वविद्यालय, जलपाईगुड़ी में इंजीनियरिंग कालेज और सिलीगुड़ी में एक मेडिकल कालेज था। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप नेपाल, भूटान और बंगलादेश के माध्यम से इस क्षेत्र में आतंकवादियों को पनाह मिल रही है जिसमें आई एस आई भी शामिल है। उस क्षेत्र के लोगों विशेष रूप से 'राजबंशी' नामक अनुसूचित जातियों के लोग अपने आपको अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे अपील की है कि वह बन्दूक नहीं उठाना चाहते लेकिन असन्तुलन हटाकर उनकी रक्षा की जानी चाहिए अन्यथा वह अस्थिर हो जाएंगे और यह खतरा पूरे पूर्वोत्तर के लिए होगा क्योंकि यह पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक मात्र समर्थक लाइन है।

मैं योजना मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब वह इस चर्चा का जवाब दे तो वह उत्तर बंगाल के इस विशेष क्षेत्र के लिए समग्र योजना आवंटन पर दृष्टिपात करे क्योंकि यह क्षेत्र उपेक्षित क्षेत्र है। यदि सम्भव हो तो वह पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से परामर्श करने के पश्चात श्वेत-पत्र प्रस्तुत करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से दौरा करें, पश्चिम बंगाल सरकार के योजना विभाग के अधिकारियों से बात करें और इस बात का पता लगाएं कि उस क्षेत्र के लिए क्या अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है। अन्यथा मुझे यह कहते हुए खेद होगा कि यदि उनकी प्रजातांत्रिक तरीके की आवाज को नहीं सुना जाता तो वहां बन्दूक की आवाज का शासन होगा और उस स्थिति से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ।

अतः मैं इस क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र के लिए स्वायत्त बोर्ड की स्थापना करने के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, श्री मोहिते जी द्वारा प्रस्तुत पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए दिया गया समय पूरा हो गया है लेकिन मेरे पास और कई वक्ताओं की सूची है। यदि सभा सहमत हो तो इसको एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये तो अगले सत्र तक होगा।

कई माननीय सदस्य: जी हां, एक घंटे के लिए समय बढ़ा दें।

सभापति महोदय: ठीक है।

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति जी, वास्तव में हमारे देश में आजादी के बाद हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ललक पैदा हुई। चाहे सारा देश हो या सत्ताधारी दल हो, सभी चाहते थे कि देश का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन देश का ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि कहीं तो उजाला हुआ और कहीं अंधेरा हुआ अर्थात् औद्योगिक, आर्थिक और कृषि की दृष्टि से विकास इतनी तेजी से हुआ। कहीं ऐसा हुआ कि जहां बड़े पेड़ होते हैं, उसके नीचे छोटे पेड़ों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हुआ। कुछ राज्यों में राजनेताओं को अपने क्षेत्र से लगाव था, उन्होंने तो उसका विकास कर दिया। जहां के वे रहने वाले थे, वहां ज्यादा पैसा भी लगा दिया या जहां लोगों का दबाव आया या जहां की लॉबी स्ट्रांग थी, उन लोगों की तरफ ध्यान गया। परिणाम यह हुआ कि:

माया को माया मिले कर-कर लम्बे हाथ,
तुलसी हाय गरीब की, पूछे नहीं कोई बात।

जो क्षेत्र पिछड़े थे, वे और पिछड़े होते चले गये और जो समृद्ध थे, वे और समृद्ध होते चले गए।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

अपराह्न 4.00 बजे

परिणामस्वरूप कुछ समय के बाद असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ हमारा देश आज अंतरिक्ष में पहुंचने की तैयारी कर रहा है, एक तरफ हमारे देश ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया है, एक तरफ हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में पांचवें, छठे नम्बर पर आ गया है और दूसरी तरफ उसी देश में ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों ने रेल के दर्शन नहीं किये, जहां के लोगों ने कल-कारखानों के दर्शन नहीं किये। मेरे जैसा व्यक्ति जो आज संसद में पहुंचा है, मैं जब दसवीं कक्षा में पढ़ता था, तब तक मैंने बिजली नहीं देखी थी, पानी का नल नहीं देखा था। जो नल पाइप लाइन से आता है, वह नहीं देखा था। पानी की टंकी को देखने पर मुझे लगता था कि जैसे मैं राजा का महल देखता हूं। यह मेरी सच्ची कल्पना है। यह स्थिति इसलिए हुई, चूंकि मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं वह पहले अजमेर मेरवाड़ा केन्द्र शासित प्रदेश था। उस केन्द्र शासित प्रदेश में मेरवाड़ा पहाड़ी इलाका और अजमेर केन्द्र शासित प्रदेश था। वहां अजमेर की तरफ सारा ध्यान गया, लेकिन जो पहाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्र था, जहां के लोग सेना में भर्ती होने में गौरव का अनुभव करते हैं, जहां एक-एक घर से पांच-पांच, सात-सात लोग और घर का मुखिया फौज, बी.एस.एफ., सी.आर.पी. या अन्यान्य वीरता वाले कार्यों में जाने पर गौरव का अनुभव करते हों, वह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया। आप जानते हैं कि पहाड़ों में छोटे-छोटे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, जब अधिक वर्षा होती है तो उनकी फसल गल जाती है और कम वर्षा होने पर वे खेत सूखे का शिकार हो जाते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे बहुत से इलाके हैं। इस तरह वह सारा इलाका पिछड़ गया है। सरकार ने मेवात क्षेत्र में विकास बोर्ड और अन्य स्थानों पर विकास बोर्ड बनाये हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहूंगा कि राजस्थान के मेरवाड़ा में विकास बोर्ड की स्थापना की जाए तथा उसके लिए अलग से विशेष धन की व्यवस्था की जाए, ताकि जो आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, मोहिते जी ने इस बिल में जहां देश के 5.7 क्षेत्र की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना इलाका, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका, जो अब उत्तरांचल राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य प्रमुख हैं। लेकिन इनमें यह राजस्थान का उल्लेख करना भूल गये। राजस्थान में ऐसे कई इलाके हैं *...(व्यवधान)* जैसे आपने बुंदेलखंड के इलाके के बारे में कहा, वह भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान में ऐसे कई इलाके हैं जहां विकास की किरण जैसी पहुंचनी चाहिए थी, वैसी नहीं पहुंची है। शहरों में तड़क-भड़क हो गई। शहरों में यातायात और विज्ञान के सारे साधन उपलब्ध हो गये हैं। परंतु गांव इनसे अभी दूर हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना केन्द्रीय स्तर पर की जाए और उसमें विशेष धन की व्यवस्था की जाए।

अपराह्न 4.03 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

राज्यों में जो पिछड़े इलाके रह गये हैं, उन पिछड़े इलाकों के लिए विशेष धन प्रदान करने की व्यवस्था करायें। सबसे पहले वहां पीने के पानी की व्यवस्था हो तथा प्रकाश के लिए बिजली की व्यवस्था हो। वहां आवाजाही, यतयात के साधनों का विकास हो और जो इलाके औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहां उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, लघु उद्योगों का जाल बिछाया जाए तथा बड़े उद्योग भी बढ़ाये जाएं, ताकि वहां के लोगों की बेरोजगारी दूर हो और वहां लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है—कम्पोजीशन ऑफ बोर्ड, जो पिछड़े क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हो, उसकी रचना किस तरह से की जाए। इसमें इन्होंने लिखा है कि योजना आयोग का चेयरमैन उसका सदस्य बने, उसमें केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि हो, औद्योगिक विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि हो, वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि हो, दूरसंचार का प्रतिनिधि हो, शिक्षा का प्रतिनिधि हो, रेलवे का प्रतिनिधि हो, ये प्रतिनिधि पिछड़े विकास बोर्ड में होने चाहिए, यदि तब इसका गठन होगा और केन्द्रीय स्तर पर धन की व्यवस्था होगी तो परिणामस्वरूप जो देश के पिछड़े इलाके हैं, वे पिछड़े नहीं रहेंगे, वे जमाने की रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब से काम संभाला है, इस सरकार के बजट को देखने से पता चलता है कि आजादी के बाद से अब तक पेश किये गये सारे बजटों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सबसे अधिक धन की व्यवस्था इस बार के बजट में की गई है।

मैं समझता हूं कि इनकी इच्छा तो है और ये चाहते हैं कि देश का कोई इलाका देश का कोई भाग पिछड़ा न रहे लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय: रावत जी, आप अगली बार अपनी स्पीच कंटीन्यू करेंगे।

अपराह्न 4.05 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, 24 जुलाई, 2000 को आरम्भ हुए तेरहवीं लोक सभा का चौथा सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस अवधि में कुल मिलाकर 145 घंटों की 22 बैठकें हुई।

इस सत्र के दौरान लोक सभा ने वित्तीय, विधायी तथा अन्य कार्यों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वर्ष 2000-2001 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) एवं (रेलवे) और वर्ष 1997-98 हेतु अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को लोक सभा की स्वीकृति दी गई। लोक सभा द्वारा तीन राज्यों से संबंधित पुनर्गठन विधेयकों जिसमें विद्यमान राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में से तीन नए राज्यों का गठन किया गया, सहित 20 विधेयक पारित किए गए।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2000 से वाहनों के इंजनों में अनियंत्रित बदलाव करने से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने और केबल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन (संशोधन) विधेयक 2000 से सभी चैनलों के लिए कार्यक्रम और प्रसारण कोड का प्रावधान करने वाले विधेयकों को पारित किया गया। दो संविधान (संशोधन) विधेयक, छयासीवां संविधान संशोधन विधेयक 1999 और अट्ठासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक 1999 लोक सभा द्वारा पारित किये गए। पहले संशोधन विधेयक से अरुणाचल प्रदेश को संविधान से संबंधित उस प्रावधान से छूट मिली जो अनुसूचित जातियों हेतु पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित थी और दूसरे संविधान संशोधन विधेयक से केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवाओं अथवा पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को पदोन्नति में रियायत प्रदान की जाएगी।

सभा में नियम 193 के अधीन लोक महत्व के चार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। यह है: स्वायत्ता हेतु जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित संकल्प, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण जान और माल की हानि, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में विनिवेश और देश में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नियम 184 के अधीन जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के यात्रियों सहित निर्दोष लोगों की हत्या और इस मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित करने से संबंधित अन्य मामले पर चर्चा की गई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों द्वारा दो महत्वपूर्ण मामले उठाए गए जिनके उत्तर में संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये गये। यह पटसन उगाने वाले किसानों द्वारा झेली जा रही समस्याओं और विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के गिरते मूल्य से उत्पन्न स्थिति से संबंधित थे। इसके अलावा मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 14 अन्य वक्तव्य दिये।

प्रश्न काल में 460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किये गये जिनमें से मौखिक रूप से 65 प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सका जबकि 5142 अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इसके अलावा 2 अल्प सूचना प्रश्न भी थे।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में 45 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुर:स्थापित हुए और जिनमें से दो पर चर्चा की गई। दो सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी चर्चा की गई। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 163 मामले उठाए जबकि शून्य काल के दौरान 349 लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय उठाए गए।

इस सत्र में विभाग से सम्बद्ध स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। सूचीबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए लोक सभा कई दिनों तक देर रात्रि तक बैठी। सभा के सभी वर्गों से प्राप्त हुए सम्पूर्ण समर्थन और सहयोगभावना से ही यह सब सम्भव हो पाया है।

मैं सभा के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और सचेतकों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने सभा के कार्य को सम्पन्न करने के लिए मुझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति तालिका में शामिल मेरे साथियों को पूरा सहयोग दिया।

सत्र के दौरान दुर्भाग्यवश हमें अपने दो अति महत्वपूर्ण वर्तमान सांसदों श्री राजेश पायलट और श्री पी.आर. कुमारमंगलम को श्रद्धांजलि देनी पड़ी।

इन दो युवा और ओजस्वी नेताओं के आकस्मिक और दुखद निधन से पूरे राष्ट्र को भारी क्षति हुई है संसद के भीतर और बाहर इन दोनों का अभाव खलेगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, वर्षाकालीन सत्र समाप्त हो रहा है। इस सत्र की उपलब्धियों पर हम संतोष प्रकट कर सकते हैं। कानूनी कार्यवाही में संसद पिछड़

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

जाती है। अन्य विषय चर्चा के लिए यहां आते हैं, वे समय ज्यादा ले जाते हैं। इस तरह की शिकायतें हुआ करती थीं। अब ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि लैजिस्लेटिव बिजनैस पूरा करने के लिए, शाम को लोक सभा के समय के बाद भी, सदन की बैठक होती रही। सदस्यों का सहयोग मिला और वह काम भी पूरा हुआ है। हम कानून बनाने का काम सफलता से कर रहे हैं। इसमें दो संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल हैं।

महोदय, आज जैसा सदन का गठन है, उसमें यह आशंका होनी स्वाभाविक थी कि किसी विधेयक के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत कैसे जुटाया जाएगा, उसके लिए क्या अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन सदन के सभी पक्षों के सहयोग से और विशेष कर मुख्य प्रतिपक्ष के सहयोग से बहुमत से अधिक, सचमुच में सर्वसम्मति से दोनों संविधान संशोधन विधेयक पास हुए हैं। इस तरह का वातावरण सदन में बना रहे, यह बहुत जरूरी है। साथ-साथ हम अपनी समस्याओं पर विचार करें, उन्हें हल करें और मतभेदों का प्रकटीकरण भी अधिक संयमित ढंग से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, आज इस सत्र के अंतिम दिन, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, और मैं प्रतिपक्ष में था, तब भी यह बात कहता था कि प्रश्न-काल को, प्रश्न-काल के रूप में ही चलने देना चाहिए। प्रश्न-काल में किसी तरह का व्याघात उत्पन्न किया जाए, यह ठीक नहीं है। अगर किसी बात पर उत्तेजना है, तो प्रश्न-काल के बाद हम उन मामलों को उठा सकते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ और प्रखरता के साथ उठा सकते हैं, लेकिन प्रश्न-काल की थोड़ी सी गरिमा बनी रहनी चाहिए। मै चाहूंगा कि सभी दलों के सभी सदस्य इस पर विचार करें। पहले एक बार, पुरानी लोक सभा में फैसला हुआ था कि प्रश्न-काल को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वह बात छोड़ दी गई और प्रश्न-काल संकट में आता रहा। आज तो आपने बड़ी कुशलता से प्रश्नकाल में जो व्यघात हो रहा था, उसको बहुत छोटा कर दिया। ऐसी कुशलता आपने अध्यक्ष महोदय कई बार दिखाई है। थोड़ी सी कुशलता हमारे संसद-सदस्य भी दिखाएं, नई पद्धति और नई परिपाटी लागू करें।

महोदय, जैसा आपने कहा, हम अपने दो सदस्यों को इस सत्र में, जो आज समाप्त हो रहा है, खो चुके हैं। श्री राजेश पायलट और श्री पी. रंगराजन कुमारमंगलम। दोनों अभी सफलता की सीढ़ी पर दृढ़ता के साथ चढ़ रहे थे। उनका भविष्य उज्ज्वल था। अब वे हमारी श्रद्धांजलि के विषय हो गए हैं। उनके अभाव को झेलते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। सारे देश में इस बात का असर पड़ा है कि संसद भले ही कितने मतभेदों में बंटी हुई हो, लेकिन संकट के समय, शोक के समय और दूसरे बाहरी आरक्षा के भाव में इकट्ठी हो जाती है, सारा देश खड़ा हो जाता है।

महोदय, आपके नेतृत्व को बहुत-बहुत बधाई और इसी तरह से हम संसद का पूरा सत्र और पूरी टर्म पूरी करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा दिखाई देती है।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस सभा के चौथे सत्र के अंतिम चरण में पहुंच गये हैं। इस एक महीने में, कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई, बहस हुई और बहुत सारा कार्य सम्पन्न हुआ। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि, आपने इस सभा का संचालन अत्यन्त निपुणता से किया।

सबसे उल्लेखनीय बात यह हुई, कि तीन नये राज्यों उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना हुई। माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन नये राज्यों के सभी लोगों और उनकी भावी सरकारों को शुभकामनायें देती हूँ।

इस सभा की सहमति से कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक भूमिका निभाई क्योंकि उसका विश्वास है कि इन विधेयकों का आशय रचनात्मक था और यह लोगों के हित में थे।

हालांकि, कई मामलों में, हम सरकार की प्रतिक्रिया से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की हत्या और इसी प्रकार की अन्य घटनाओं से संपूर्ण देश सकते में आ गया। हमारे न्यायिक जांच की मांग पर जो गृह मंत्री ने जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं थे। हमारे ख्याल से, इससे असुरक्षा की भावना और प्रतिरक्षात्मक रवैया सामने आया। हम एक उत्तरदायित्वपूर्ण राजनैतिक पार्टी, उत्तरदायित्वपूर्ण विरोधी पक्ष होने के नाते, हमने सरकार के कश्मीर में इस गड़बड़ी वालें राज्य में शांति लाने के प्रयास के लिए शुरू की गई बातचीत का समर्थन किया था। परंतु जिस अव्यवस्थितपूर्ण तरीके से यह संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य किया गया उससे हम चिंतित हैं। कोई स्पष्ट नीति, कोई व्यवस्थित सोची-समझी रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू और कश्मीर में शांति के लिए की गई पहल का पूर्ण समर्थन करने के साथ ही, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि और अधिक सहयोगात्मक और प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करें।

हम पाकिस्तान की उकसाने वाली भूमिका, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की और हिंसक गतिविधियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में चल रही शांति प्रक्रिया को क्षति पहुंचाने की जोरदार निंदा करते हैं।

इस सत्र में, अति व्यस्त होने के बावजूद, कई महत्वपूर्ण मदों पर, कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस सभा में चर्चा नहीं हो पाई।

महोदय, पुन: एक सत्र बीत गया परंतु महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार ने जो सहमति प्राप्त करने का वादा किया था वह अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। हम विश्वास करते हैं कि हमें यह मामला उठाना चाहिए। हमने इंतजार किया है। हमारी देश की महिलाओं ने भी लंबा इंतजार किया है। इसलिए, हमें इस सरकार से यह प्रतिबद्धता चाहिए कि शीतकालीन सत्र के दौरान यह विधेयक इस सभा के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लाया जाएगा।

बड़ी कठिनाई से, हम सब कारगिल रिपोर्ट पर चर्चा की योजना को कार्यान्वित कर पाए थे। परंतु फिर भी हम चर्चा नहीं कर पाए। नि:संदेह, क्योंकि श्री रंगराजन कुमारमंगलम के दु:खद निधन के कारण, इस चर्चा को स्थगित करना पड़ा। परंतु हमारी पार्टी इस माले को महत्वपूर्ण मानती है। यह ऐसा विषय है जिसे हम समझते हैं कि इसे कई मामलों से अधिक वरीयता मिलनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि इसे शीतकालीन सत्र के प्रारंभ में लिया जाएगा।

प्रधान मंत्री ने इस सभा को और साथ ही इस देश को सी.टी.बी.टी. पर आश्वासन दिया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे सी.टी.बी.टी. पर सहमति बनाने का प्रयत्न करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि वे अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेंगे।

इस सभा के कई सदस्यों ने विनिवेश नीति पर चिंता व्यक्त की थी। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन किया था कि विनिवेश पर एक स्थाई समिति बनाई जाए ताकि हमारे सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का मौका मिले, जिससे उनकी चिंताओं का उचित समाधान हो सके और एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाई जा सके।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं कहना चाहती हूँ कि हम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ से हुई जान-माल की हानि से अत्यधिक चिंतित हैं। आज सुबह आंध्र प्रदेश के कई संसद सदस्यों ने इस मामले को उठाया। हम पूर्ण आशा करते हैं कि पहुंचाई जाने वाली सभी राहत सामग्री शीघ्रता से पहुंचाई जाएगी।

मैं विश्वास करती हूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी और साथ ही अन्य विपक्षी दलों द्वारा उठाए गये विभिन्न मामलों का समाधान न केवल शब्दों द्वारा परंतु कार्यों द्वारा ढूंढने का प्रयास करेगी। अपनी ओर से, मैं आश्वासन देती हूँ कि, उन सभी नीतियों का, जिन पर हमें विश्वास है कि यह देश के लोगों के हित में होगी, संपूर्ण समर्थन मिलेगा।

अंत में, मैं आपको सबकी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएँ देती हूँ और आपके माध्यम से प्रधान मंत्री, उनकी सरकार, हमारे विपक्ष के सहयोगियों और इस सभा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएँ देती हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कृपा आपने हमेशा की विशेषकर विपक्ष के प्रति मैं सच्चे दिल से उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैं जानता हूँ, आपकी संसदीय लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और विपक्ष की भूमिका को समझते हुए जो, किसी भी वक्त, विपक्ष में बैठी कई पार्टियों में मतविभिन्नता पैदा कर सकती थी, परंतु आपके कुशल नेतृत्व में और आपके द्वारा दिखाई गई सभी सदस्यों के प्रति नम्रता के कारण, जो कार्य करने का निश्चय हमने किया था, उसे हम वास्तविक रूप से कर पाए।

नि:संदेह, मैं मानता हूँ कि इस सभा के बहुमूल्य समय का उपयोग उस प्रकार नहीं किया गया जिस प्रकार किया जाना चाहिए था। और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, परंतु एक होकर हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि भविष्य में इसे न केवल प्रश्न काल में ही अपितु अन्य कार्यवाही के दौरान भी इसे किस प्रकार टाला जाए। मैं हमारे प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता को जानता हूँ। नि:संदेह, मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि, उनकी प्रतिबद्धता उनके अकेले की नहीं है। हम सबको उसमें विश्वास है। परंतु स्थिति, हमारी आशा के विपरीत बन जाती है, और कई बातें हो जाती हैं। परंतु, प्रश्न काल में ही नहीं, हमें स्वयं देखना होगा कि समय का उपयोग हो। कई-कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं हो सकी। कई महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू, न केवल विनिवेश संबंधी प्रश्न ही वरन सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा झेली जा गंभीर स्थिति पर चर्चा की जा सकती थी। इनमें से कई उपक्रम बंद हो चुके हैं।

उन्हें काम से निकाल दिया गया और वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं निजीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को समझ सकता हूँ। परंतु यह हमारे समाज तथा हमारे देश के नौकरीपेशा लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे किया जा सकता है? यह सभी बहुत गंभीर मामले है? जिन पर सभा में काफी गंभीरता से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

मैं कई माननीय मंत्रियों को जानता हूँ—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं जानता कि ऐसा करने से प्रधानमंत्री पर क्या गुजरेगी—जो इस संबंध में काफी नाखुश हैं। वे अपनी अप्रसन्नता लुक-छुप कर प्रकट करते हैं परंतु खुल कर नहीं कहते। परंतु यह मौका भी आ सकता है। श्री अनंत कुमार जी कृपया किसी की तरफ मत देखिये ...*(व्यवधान)*

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, हमें विदेश नीति, सी.टी.बी.टी. और ऐसे ही कई मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं मिला। यह एक ऐसा मंच है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। मुझे लगता है कि इससे केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये माननीय संसदीय कार्य मंत्री के मीठे शब्दों और हमारे सहयोग द्वारा पारित किये गये विधेयकों के अलावा केवल एक बहस का कक्ष न समझा जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उन्हें कभी-कभी गुस्सा क्यों आ जाता है। संभवत: उन्हें माननीय प्रधान मंत्री जी गुस्से में कुछ कह देते हैं और वे हम पर गुस्सा उतार देते हैं। परंतु हमारी काम करने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने काफी सहयोग किया है, जिसकी बहुत आवश्यकता भी थी।

महोदय, मैंने कल कहा था कि "रंगा" एक सफल संसदीय कार्य मंत्री थे क्योंकि उनके और विपक्ष के बीच में एक अच्छा तालमेल था। वे न केवल सद्भावना बल्कि सहयोग, मित्रता की प्रवृत्ति और सहयोग की भावना में सक्षम थे, ये सभी बातें उन्हें एक सफल संसदीय कार्य मंत्री बनाती थीं। अब, हमारे यहाँ एक अच्छा संसदीय कार्यमंत्री है परंतु उनको मुंबई से ही लगाव है।

महोदय, कई अन्य मामले हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते थे। मुझे आशा है कि इनके लिए हम अगले सत्र में समय निकाल लेंगे। हमें कम संख्या में विधेयकों पर चर्चा करनी चाहिए और सभा का कुछ अन्य कार्य भी करना चाहिए। वास्तव में हम सभी विधेयकों को पारित कर रहे हैं।

महोदय, इस सत्र के अंत में, हम यह आशा और विश्वास करते हैं कि न केवल संसदीय प्रजातंत्र को अच्छे तरीके से चलाने वरन् इस सभा की कार्यवाही को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में हमें आपका पूरा सहयोग मिलेगा। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आप इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जिससे हमें बहुत आशा और विश्वास है कि हम अच्छा ही अच्छा कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह बता दूँ कि, व्यवधान के कारण 13 घंटे और 43 मिनट का समय बर्बाद हुआ और सभा उस कार्यवाही को पूरा करने के लिए 36 घंटे और 39 मिनट देर तक बैठी।

माननीय सदस्य अब वंदे मातरम् के लिए खड़े हो जाएं।

अपराह्न 4.29 बजे

राष्ट्र गीत

(राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/10/22/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।